

00381



सत्यमेव जयते

1089

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
स्वायत्त निकाय  
2001 की संख्या 4

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2001

मूल्य  
देश में : 65 रुपये  
विदेश में : 5 अमरीकी डालर  
(डाक/हवाई खर्च सहित)


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)

स्वायत्त निकाय

2001 की संख्या 4



**विषय सूची**

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		vii
विहंगावलोकन		ix
<b>भाग क - पुनरीक्षण</b>		
<b>अध्याय II - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		
स्वास्थ्य विभाग		
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	1	1
<b>अध्याय III - मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
शिक्षा विभाग		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	2.1	31
क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, श्रीनगर	2.2	43
<b>अध्याय III - लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय</b>		
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	3	53
<b>भाग ख - लेनदेन लेखापरीक्षा पैराग्राफ</b>		
<b>अध्याय IV - कृषि मंत्रालय</b>		
कृषि एवं सहकारिता विभाग		
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम		
अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त करने में विफलता	4.1	69
अविवेकपूर्ण निवेश के कारण हानि	4.2	72
<b>अध्याय V - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		
स्वास्थ्य विभाग		
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़		
विलम्ब शुल्क प्रभारों का परिहार्य भुगतान	5	74
<b>अध्याय VI - मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
संस्कृति विभाग		
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता		
परियोजना पर अपव्यय	6.1	76


विक्टोरिया मैमोरियल हाल		
व्यर्थ अग्रिम भुगतान	6.2	78
शिक्षा विभाग		
परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान	6.3	79
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय		
ज.ने.वि. के कर्मचारी आवासों को बिजली की आपूर्ति पर परिहार्य अधिक व्यय	6.4	81
मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल		
स्वीकृत अस्थायी पेशगियों की गैर वसूली और ब्याज की हानि	6.5	82
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद		
कागज की लागत की वसूली न करना	6.6	83
निष्फल व्यय	6.7	84
योजना एवं वास्तुकला विद्यालय		
नए परिसर की स्थापना न होना	6.8	85
महिला एवं बाल विकास विभाग		
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन		
किराये की कम तथा असमान दरों के कारण हानि	6.9	87
अध्याय VII – श्रम मंत्रालय		
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन		
भूमि के अधिग्रहण तथा कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण में कुप्रबन्ध	7.1	89
अप्राधिकृत व्यय	7.2	99
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	7.3	99
ब्याज की हानि	7.4	101
अध्याय VIII- ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय		
ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन विभाग		
इं.आ.यो. मकानों के निर्माण पर निष्फल व्यय	8.1	103
ग्रामीण विकास विभाग (जि.ग्रा.वि.ए. नौपाड़ा तथा सुन्दर गढ़)		
निष्फल व्यय	8.2	104

अध्याय IX-भूतल परिवहन मंत्रालय - पत्तन खण्ड			
कलकत्ता पत्तन न्यास			
निकर्षण पर निष्फल व्यय	9.1	106	
जहाज के निराकरण में देरी	9.2	107	
कम्प्यूट्रीकृत नौभार प्रणाली चालू करने में विलम्ब	9.3	108	
कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड			
न्यूनतम प्रत्याभूत श्रमवृत्तिका का अधिक भुगतान	9.4	109	
चेन्नई पत्तन न्यास			
वृद्धि प्रभारों के गलत परिकलन के कारण अधिक भुगतान	9.5	110	
चेन्नई गोदी श्रमिक बोर्ड			
श्रमिकों को भुगतान की गई बकाया मजदूरी का नियोक्ताओं से एकत्रण न करने के कारण हानि	9.6	112	
कोचीन पत्तन न्यास			
सरकार के दिशानिर्देशों के विपरीत विलम्ब शुल्क की छूट के रूप में अनुचित वित्तीय सहायता	9.7	114	
संशोधित विद्युत शुल्क को विलम्ब से लागू करने के कारण राजस्व की हानि	9.8	115	
जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास			
धूल नियन्त्रण प्रणाली पर निष्फल व्यय	9.9	116	
पूंजी का अवरोधन और मरम्मत तथा विद्युतीकरण पर अधिक व्यय	9.10	118	
दो "गतिशील तोलपटलों" पर निष्फल व्यय	9.11	119	
मुम्बई पत्तन न्यास			
प्रांगण में रोधक प्रखण्डों की चोरी के कारण परिहार्य हानि	9.12	120	
समझौते के अनिष्पादन के कारण राजस्व की हानि	9.13	121	
विलम्ब शुल्क प्रभारों का संशोधन न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	9.14	123	
मंत्रालय के आदेशों का पालन न करने के कारण राजस्व की हानि	9.15	124	
बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि	9.16	124	
नया मंगलौर पत्तन न्यास			
वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान	9.17	126	

<b>टूटीकोरिन पत्तन न्यास</b>		
घाट शुल्क दातव्यों के विलम्बित भुगतान के लिए शास्ति प्रभारों का गैर-संग्रहण	9.18	127
टैंक फार्म के निर्माण हेतु पत्तन भूमि का अनियमित आबंटन एवं देय राशि की अप्राप्ति	9.19	129
वृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान	9.20	131
पट्टा किराये का गलत अंगीकरण	9.21	132
पत्तन के अन्दर निजी चल नौभार संचालित उपकरण के प्रचालन के लिए लाइसेंस फीस का वसूल न किया जाना	9.22	134
<b>विशाखापट्टनम पत्तन न्यास</b>		
मत्स्य नौकाओं के स्वामियों से प्राप्यों की अवसूली	9.23	136
बोली मूल्यांकन की अनियमित प्रक्रिया अपनाने के कारण परिहार्य व्यय	9.24	137
<b>अध्याय X - वस्त्र मंत्रालय</b>		
<b>भारतीय पटसन उद्योग अनुसन्धान संघ, कलकत्ता</b>		
परियोजना प्रारम्भ करने में 12 वर्ष का विलम्ब	10	139
<b>अध्याय XI - शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय</b>		
<b>शहरी मामलों का विभाग</b>		
<b>दिल्ली विकास प्राधिकरण</b>		
परिधीय आक्रामी जल अपवाहिका के निर्माण पर हानि	11.1	142
निष्क्रिय/क्षतिग्रस्त सामान में निधियों का अवरोधन	11.2	144
आरेखणों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय	11.3	145
गलत रूपरेखा अपनाने और आरेखण को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय	11.4	146
स्व.वि.यो. गृहों के निर्माण पर परिहार्य व्यय	11.5	147
सीमेंट की प्राप्ति में अतिरिक्त व्यय	11.6	148
उच्चतर दरों पर ठेका सौंपना	11.7	149
<b>अध्याय - XII</b>		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति	12	151



अध्याय XIII – सामान्य			
	स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	13.1	152
	सत्यापन लेखापरीक्षा के परिणाम	13.2	154
	उपयोग प्रमाणपत्र	13.3	157
परिशिष्ट			
I	प्राप्ति एवं भुगतान लेखे		161
II	विशेष उद्देश्य के लिए योजनागत अनुदान		163
III	स्थायी निधि		164
IV	अक्टूबर 2000 तक मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष तक की बकाया कार्यवाही टिप्पणियां		165
V	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 1999-2000 के दौरान प्राप्त अनुदान/कर्जे		166
VI	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राप्त की गई अनुदान राशि		172
VII	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके वर्ष 1999-2000 के लिए लेखे/सूचना मार्च 2001 तक प्राप्त नहीं हुये		173
VIII	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) तथा 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 1999-2000 के दौरान प्राप्त अनुदान/कर्जे		174
IX	निकाय जिनके लेखापरीक्षित लेखे/सूचना नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 14(1) एवं 14(2) के अन्तर्गत 1999-2000 के दौरान प्राप्त नहीं हुये		176
X	1998-99 के दौरान स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब		180
XI	स्वायत्त निकायों द्वारा 1998-99 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत न करना		181
XII	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र		182




## प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 के विविध प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (2001 के प्रतिवेदन सं.5 में शामिल वैज्ञानिक विभागों के अतिरिक्त) के वित्तीय लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित पर 4 पुनरीक्षण तथा 54 पैरे शामिल हैं:

- (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
- (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
- (ग) क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, श्रीनगर
- (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

2. लेखापरीक्षित संगठन, विभिन्न लक्षण एवं आचरण के स्वायत्त निकाय हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 1999-2000 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए थे।



**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य विभाग**

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1956 में चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान में उत्कृष्ट विकास के लिए एक शिक्षण अस्पताल के रूप में की गई थी। पिछले वर्षों में शिक्षण अथवा अनुसन्धान पर कोई पर्याप्त बल दिये बिना यह एक बड़े अस्पताल में विकसित हो चुका है। जबकि शिक्षण ने शिक्षण स्टाफ की कमी के कारण हानि उठाई है, अनुसन्धान के लिए बहुत कम संसाधन आबंटित किये गये हैं। शिक्षण स्टाफ का बड़ा भाग तदर्थ आधार पर नियोजित किया गया है। 1991-2000 के दशक के दौरान 339 अनुसन्धान परियोजनाओं में से केवल 153 परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। अनुसन्धान उपलब्धियों के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं है। अस्पताल अवसंरचना त्रुटिपूर्ण है। कैंसर तथा मानसिक आघात के उपचार हेतु विशेष केन्द्रों का विकास नहीं किया गया है। नशा मुक्ति केन्द्र पूरी तरह कार्यशील नहीं है। गरीबों के उपचार की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि से प्राप्त संसाधनों का भारी भाग अप्रयुक्त रहा है। डाक्टरों तथा नर्सों के संवर्ग में भारी कमी के परिणामस्वरूप रोगियों को निदान, उपचार तथा चिकित्सा देखभाल से वंचित रहना पड़ा है। डाक्टर रोगी अनुपात बहुत उच्च है तथा शल्यचिकित्सा की प्रतीक्षा अवधि बहुत लम्बी है। संस्थान के प्रशासन में हानियों तथा कुप्रबन्ध के बहुत से मामलों का पता चला है। क्योंकि संस्थान के प्रशिक्षित डाक्टरों के कम से कम 49 प्रतिशत ने विदेश में व्यवसाय पा लिया है इसलिए उत्कृष्टता तथा योग्यता प्रदान करने के लिए कम मूल्य पर चिकित्सा शिक्षा में भारी निवेश बिना प्रतिफल प्राप्त हुये रह गये।

(पैराग्राफ 1)

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**शिक्षा विभाग**

**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर**

जैसी कि मंत्रालय द्वारा परिकल्पना की गई थी, संस्थान विद्यार्थियों का प्रवेश बढ़ाने में विफल रहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मंत्रालय से प्राप्त समतुल्य अनुदान के

अतिरिक्त अपनी आय से एक अक्षय निधि का सर्जन किया। तथापि संस्थान ने सापेक्ष महत्व की कोई योजना तैयार नहीं की तथा अक्षय निधि से प्राप्त आय का उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। संस्थान ने आधारभूत सुविधाएँ बढ़ाने के लिए 1995-99 के बीच 13.80 करोड़ रु. का विशिष्ट उद्देश्य अनुदान भी प्राप्त किया। इसका उपयोग भी बहुत कम हुआ।

(पैराग्राफ 2.1)

### क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, श्रीनगर

क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, श्रीनगर सरकार से अवसंरचना के विकास के लिए प्राप्त योजनागत निधियों का उपयोग करने में विफल रहा। मार्च 1995 के अन्त में 74 लाख रु. का अव्ययित शेष मार्च 2000 के अन्त तक बढ़कर 5.27 करोड़ रु. हो गया।

महाविद्यालय के पास कोई निवेश नीति नहीं थी जिसके कारण 1995-2000 के दौरान 0.42 करोड़ रु. से 1.61 करोड़ रु. के बीच की सा.भ.नि./अ.भ.नि. प्राप्तियों को दीर्घकालीन जमा में निवेश नहीं किया गया। अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के कारण 53.99 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

महाविद्यालय के पास उपयुक्त जनसंसाधन प्रबन्धन नीति की कमी थी। शिक्षण से गैर शिक्षण कर्मी, शिक्षण कर्मी तथा छात्र एवं कुल कर्मियों से छात्रों का अनुपात अन्य क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालयों के अनुपात से अपेक्षाकृत अधिक था। जो कि अधिक कर्मचारी रखने का अपर्याप्त जनसंसाधन प्रबंधन का सूचक था।

(पैराग्राफ 2.2)

### लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

#### खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.)

खा.ग्रा.उ.आ. ने 1994-2000 के दौरान अपने योजनागत तथा योजनेतर बजट के अन्तर्गत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त 1806.07 करोड़ रु. व्यय किए।

58.29 लाख रोजगार 5112.37 करोड़ रु. मूल्य का उत्पादन प्राप्त करने की बात, जैसा कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में इंगित किया गया था स्थिति का सही तथा विशुद्ध चित्रण नहीं करती क्योंकि यह आंकड़े अनुमानित आधार पर परिकलित किए गए थे। सहायता संघ बैंक क्रेडिट योजना (स.सं.बैं.क्रे.), जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा खण्ड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।

1999-2000 के दौरान प्रशासनिक व्यय 232.17 करोड़ रु. था जो आबंटित बजट से 118 प्रतिशत बढ़ गया और इसको 135.21 करोड़ रु. की निधियों के योजनागत से योजनेतर में अप्राधिकृत विपथन करके वहन किया गया।

दुर्बल वित्तीय तथा प्रशासकीय नियंत्रण के कारण खा.ग्रा.उ.आ., स.सं.बैं.क्रे. योजना के अंतर्गत इसके लाभार्थियों को संवितरित 718 करोड़ रु. के कुल ऋण का 10 प्रतिशत (77.11 करोड़ रु.) तक ही वसूल सका तथा खा.ग्रा.उ.आ. को बैंकों को 345.65 करोड़ रु. लौटाने के लिए अपने बजटीय संसाधनों को विपथित करना पड़ा।

खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा मार्च 1999 तक कुल संवितरित की गई 2260.86 करोड़ रु. की ऋण राशि में से मार्च 2000 तक 1752 करोड़ रु. की राशि लंबित रखते हुए 508.91 करोड़ रु. की वसूली हुई थी। आयोग के पास लंबित प्राप्यों का वर्षवार, ऋणदातावार अद्यतन ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

11.91 करोड़ रु. की ऋण राशि 381 सीधे सहायता प्राप्त संस्थाओं के पास तथा 217.24 करोड़ रु. राज्य बोर्डों द्वारा वित्तपोषित 41714 बन्द पड़ी संस्थाओं के पास अवरुद्ध पड़े रहे।

1972 तथा 1997 के बीच जारी किए गए 9.76 करोड़ रु. के ऋण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन न होने के कारण 284 संस्थानों के पास अवरुद्ध पड़े रहे।

1992 तथा 1997 के बीच 34 संस्थाओं को जारी 49 करोड़ रु. की राशि का दुरुपयोग/अन्य प्रयोजनों के लिए विपथन किया गया।

118 विपणन इकाइयां जिनमें 89.57 करोड़ रु. का निवेश किया गया था, घाटे में चल रही थी तथा अन्तःस्टाक वर्षानुवर्ष बढ़ रहा था। खा.ग्रा.उ.आ.की विपणन नीति को सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की गई।

(पैराग्राफ 3)

### मानव संसाधन विकास मंत्रालय

#### संस्कृति विभाग

#### राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता

महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, प्रगति मैदान में प्रस्तावित मण्डप के लिए मानदण्डों के अनुसार वास्तुशिल्पीय योजना को अंतिम रूप देने में विफल रहा। मण्डप का निर्माण जो कि 1991-92 के भीतर पूरा हो जाना था जून 2000 में बन्द कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप वेतन, भूमि के किराये तथा मण्डप के निर्माण पर 1.24 करोड़ रु. का व्यर्थ व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त रा.वि.सं.प. ने भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन को भूमि के किराये के भुगतान के लिए 1.73 करोड़ रु. की देयता वहन की।

(पैराग्राफ 6.1)

#### विक्टोरिया मैमोरियल हाल

सचिव तथा संग्रहपाल, विक्टोरिया मैमोरियल हाल ने निर्माण कार्य के पूरा होने के लिए किसी निश्चित तिथि को अंतिम रूप दिये बिना कार्यालय तथा स्टाफ क्वार्टर के रूप में

उपयोग करने हेतु स्थान अधिग्रहण करने के लिए कलकत्ता नगर निगम को मार्च 1997 में 1.00 करोड़ रु. का भुगतान किया। सितम्बर 1999 में ढाई वर्ष के पश्चात उसने स्थाई वित्तीय समिति के साथ अनुमोदन के लिए सम्पर्क किया। समिति के अनुमोदन के अभाव में ~~सितम्बर~~ 2000 तक कलकत्ता नगर निगम के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सका। साढ़े तीन वर्ष से अग्रिम बेकार पड़ा है परिणामस्वरूप 61.57 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 6.2)

### श्रम मंत्रालय

#### कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.)

क.भ.नि.सं. ने अपने कर्मचारियों तथा कार्यालयों के आवास के निर्माण के उद्देश्य से उनके संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में समय के साथ-साथ भारी मात्रा में भूखण्ड प्राप्त किये। भूमि के उपयोग, जोत क्षेत्र के प्रबन्धन तथा निर्माण की प्रगति के लेखापरीक्षा पुनरीक्षण से, अधिग्रहण के सम्बन्ध में संचित देयताओं, निर्माण में विलम्ब अनधिकृत कब्जे, निष्क्रिय निवेश तथा प्रशासनिक लापरवाही के कारण लागत वृद्धि के मामलों का पता चला। असम क्षेत्र में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षे.भ.नि.आ.) गुवाहाटी को 46.79 लाख रु. की लागत का एक भूखण्ड खरीदना पड़ा जबकि 6.18 लाख रु. की लागत पर पहले लिया गया भूखण्ड लम्बी अवधि तक अनुपयोजित रहा तथा अन्ततः अनधिकृत कब्जे के कारण खोना पड़ा। गुजरात क्षेत्र में क.भ.नि.सं. ने बिना कोई अनुबन्ध किये 36.92 लाख रु. की लागत पर अहमदाबाद में एक भूखण्ड पट्टे पर अधिग्रहीत किया तथा निर्माण की प्रक्रिया 12 वर्ष तक विलम्बित हुई। इसी प्रकार बड़ोदरा में 28.71 लाख रु. की लागत पर अधिग्राह्य भूखण्ड आठ वर्ष तक उपयोग में नहीं लाया गया। राजकोट में निर्माण कार्य आरम्भ किये बिना ही 52 लाख रु. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के पास दस वर्षों से अधिक समय तक जमा रहे। कर्नाटक क्षेत्र में क्षे.भ.नि.आ. ने स्वामित्व अधिकारों का सत्यापन किये बिना ही भूमि का अधिग्रहण किया। मध्य प्रदेश क्षेत्र में 156.91 लाख रु. की कुल लागत पर दो भूखण्ड अधिग्रहीत किये गये थे जिनका अभी तक (जून 2001) उपयोग किया जाना शेष था। महाराष्ट्र क्षेत्र में 38.25 लाख रु. की लागत पर अधिग्रहीत भूमि का अभी तक (जून 2001) उपयोग नहीं किया जा सका था जिससे भवन के किराये पर 38.34 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ। इसी प्रकार, नासिक में निर्माण कार्य इतना विलम्बित हो गया कि किराये पर लिये भवनों पर किराये के लिए 44.23 लाख रु. का भुगतान करना पड़ा। उड़ीसा क्षेत्र में उचित निर्माण कार्य आदेश जारी करने के लिए क्रियाविधि का पालन किये बिना निर्माण कार्य भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (भु.वि.प्रा.) तथा के.लो.नि.वि. को आबंटित किये गये तथा भु.वि.प्रा. द्वारा निर्माण कार्य पूरा करने में



विलम्ब के कारण कोई क्षतिपूर्ति प्रभार नहीं उगाहे गये थे, जिसके फलस्वरूप लागत 70.13 लाख रू. तक बढ़ गई तथा क्षतिपूर्ति प्रभार न लगाये जाने के कारण लगभग 11 लाख रू. की हानि हुई। इसके अतिरिक्त के.लो.नि.वि. तथा भु.वि.प्रा. के प्रति क्रमशः 300.80 लाख रू. तथा 220.97 लाख रू. के भारी अग्रिम बकाया थे।

अधिग्रहण की गई सम्पति तथा इसके सम्भावित उपयोग पर निगरानी रखने के लिए क.भ.नि.सं. में पुनरीक्षण हेतु कई परीवीक्षण प्रबन्ध अथवा क्रियाविधि नहीं थी।

(पैराग्राफ 7.1)

#### कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.नि.)

(i) समझौता पत्र, जो कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अनिवार्य था, निष्पादित न करने के कारण, क.रा.बी.नि. दिल्ली सरकार से 93.87 लाख रू. वसूल नहीं कर सका जिन्हें बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा देखभाल पर खर्च किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 7.3)

(ii) सरकार द्वारा 1992-93 से अपनी नई बचतों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखने की अनुमति देने के बाद भी क.रा.बी.नि. ने अपनी नई बचतों को भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जमा लेखा (वि.ज.ले.) में रखना जारी रखा तथा तत्पश्चात् अप्रैल 1994 में प्रत्येक वर्ष वि.ज.ले. से उपाजित ब्याज की निकासी के लिए भी.क.रा.बी.नि. को अनुमत किया। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपलब्ध अन्य दरों पर निवेश करने के लिए वि.ज.ले. से ब्याज की निकासी न करने के परिणामस्वरूप क.रा.बी.नि. को 6.77 लाख रू. की परिहार्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 7.4)

#### भूतल परिवहन मंत्रालय

#### कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.)

(i) योजना की विफलता के कारण स्वेजमैक्स तेलपोतों को स्थान देने के लिए अनुमानित मात्रा तक निकर्षण करने के बावजूद जलमार्ग की अपेक्षित चौड़ाई प्राप्त नहीं की जा सकी और इस उद्देश्य के लिए किया गया 29.90 करोड़ रू. का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 9.1)

(ii) जीवन अवधि समाप्त हुए जलयान को बेकार घोषित करने में असाधारण विलम्ब के कारण तेल बंकर और अनुरक्षण पर 1.29 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय तथा कर्मिदल के सदस्यों के वेतन और मजदूरी पर 2.54 करोड़ रू. का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 9.2)

**चेन्नई पत्तन न्यास (चे.प.न्या.)**

“एन्नोर में नई उपाश्रित पत्तन के लिए चट्टान उत्खनन तथा ढुलाई” कार्य के अन्तर्गत चे.प.न्या. द्वारा रेलवे को भुगतान किए गए किन्तु ठेकेदार से केवल 5500 रु. प्रति वैगन की नियत दर पर वसूल किए गए वैगनों की ढुलाई के लिए वैगन प्रभारों को ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले वृद्धि प्रभारों की संगणना करते समय किए गए कार्य की कुल लागत में से निकाला नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप 10.09 करोड़ रु. का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 9.5)

**जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (ज.ने.प.न्या.)**

(i) ज.ने.प.न्या. ने ठेकेदार से दोषपूर्ण धूल नियंत्रण प्रणाली स्वीकार की और इसके अतिरिक्त दोष का सुधार कराने के लिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया, ज.ने.प.न्या. की इस कार्यवाही के कारण 5.25 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 9.9)

(ii) वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में पत्तन के अवास्तविक अनुमान के कारण 2.73 करोड़ रु. की पूंजी अवरूद्ध रही तथा मरम्मत और विद्युतीकरण पर 1.52 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 9.10)

**मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.)**

(i) मु.प.न्या. रेलवे यार्ड में चोरी रोकने के पूर्वोपाय न करने के परिणामस्वरूप 1.36 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ।

(पैराग्राफ 9.12)

(ii) परिसरों, उपकरणों को किराये पर देने व स्टाफ को तैनात करते समय अनुबन्ध के अकार्यान्वयन के फलस्वरूप 6.08 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

(पैराग्राफ 9.13)

(iii) पांच वर्ष के लिए संशोधित विलम्ब शुल्कों के कार्य पालन में विलम्ब के कारण 3.53 करोड़ रु. के राजस्व की हानि एवं 32.49 लाख रु. का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 9.14)

### **नया मंगलौर पत्तन न्यास (न.मं.प.न्या.)**

न.मं.प.न्या., पैनम्बूर, मंगलौर, ने मंत्रालय के मानक मापदण्डों एवं दिशानिर्देशों के विपरीत भारतीय ड्रेजिंग निगम को वृद्धि शुल्क के रूप में 1.34 करोड़ रु. का भुगतान किया।

**(पैराग्राफ 9.17)**

### **वस्त्र मंत्रालय**

#### **भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता**

परियोजना पर 1.34 करोड़ रु. के व्यय के बावजूद भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ के अपर्याप्त योजना एवं अप्रभावी प्रबन्धन के कारण एक पटसन विविधीकरण परियोजना में 12 वर्षों का विलम्ब हुआ।

**(पैराग्राफ 10)**

### **शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय**

#### **शहरी मामलों का विभाग**

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबन्ध के निरसन में विलम्ब तथा बकाया कार्य के सम्पूर्ण न होने के कारण 1.31 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

**(पैराग्राफ 11.1)**

(ii) एक आवासीय योजना पर, संशोधित विन्यास मापचित्र, संरचनात्मक आधार एवं आरेखणों को अन्तिम रूप देने के अनुमोदन में विलम्ब के कारण 71.67 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

**(पैराग्राफ 11.3 एवं 11.5)**

### **सामान्य**

#### **स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे**

1999-2000 में 218 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों थी जिनके लेखे नि.म.ले.प. (क.अ.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत प्रमाणित किये जाने थे। इनमें से केवल 203 के लेखे ही प्रमाणीकरण के लिए प्राप्त हुए थे। भारत सरकार ने 1999-2000 में 3962.02 करोड़ रु. अनुदानों तथा 448.18 करोड़ रु. ऋण के प्रति इन निकायों को जारी किये। शेष 15 निकायों के 1999-2000 के लिए वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथा इसलिए उनके द्वारा प्राप्त सरकारी अनुदानों की राशि उपलब्ध नहीं थी।

126 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में से 94 के वार्षिक लेखे ( वैज्ञानिक विभाग के अतिरिक्त) जिनके लेखे सनदी लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किये जाने थे परन्तु नि.म.ले.प. (क.अ.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) तथा 14(2) के अन्तर्गत उनकी लेन-देन लेखापरीक्षा अपेक्षित थी, को भी सम्बन्धित निकायों द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया। शेष 32 निकायों ने संघ सरकार से 66.51 करोड़ रु. के अनुदान प्राप्त किये थे।

218 केन्द्रीय निकायों के 1998-99 के लिए लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 1999 तक लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने थे। इनमें से, 73 निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अनुबद्ध समय के भीतर प्रस्तुत किये गये थे। 11 निकायों के लेखे सम्बन्धित संगठनों द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(पैराग्राफ 13.1)

#### प्रमाणित लेखापरीक्षा के परिणाम

नि.म.ले.प.(क.अ.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रमाणित अंतिम लेखाओं के साथ मंत्रालयों द्वारा संसद के पटल पर रखना अपेक्षित होता है। कुछ सुस्पष्ट मामले जिनमें मुख्य टिप्पणियां सम्बन्धित संगठनों/मंत्रालयों को जारी की गई थी नीचे दिए गए हैं।

#### पत्तन न्यासों द्वारा ऋण चुकाने में त्रुटियां

##### जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (ज.ने.प.न्या.)

ज.ने.प.न्या. द्वारा 43.32 करोड़ रु. के मूल के गलत भुगतान के लिए तथा 325.10 करोड़ रु. विश्व बैंक को ब्याज के प्रति प्रावधान न करके 840.78 करोड़ रु. के पूंजीगत डेबिट को 368.42 करोड़ रु. कम बताया गया था।

(पैराग्राफ 13.2.1)

##### कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.)

1999-2000 के दौरान को.प.न्या. ने भारत सरकार से प्राप्त 8.95 करोड़ रु. की सीमा तक के कर्जों की वापस अदायगी में चूक की थी। मार्च 2000 तक चूक की गई वापस अदायगी की कुल राशि 63.28 करोड़ रु. थी तथा इस पर ब्याज 165.07 करोड़ रु. का था। वापस अदायगी में चूक करने पर लगाए गए 176.89 करोड़ रु. राशि के शास्ति ब्याज को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया था।

(पैराग्राफ 13.2.1)

### खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई

सरकार द्वारा परवर्ती वर्ष के व्यय के अवधारण हेतु नियत 1.65 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के प्रति खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना मार्च 2000 को 8.70 करोड़ रु. की राशि रोके रखी।

(पैराग्राफ 13.2.2)

### कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.)

क.प.न्या. ने 12.98 करोड़ रु. की सहायता राशि को सरकार से नदी निकर्षण तथा अनुस्क्षण हेतु प्राप्त राशि से अधिक दर्शाया जिससे इस सीमा तक विविध देनदार अधिक बताए गए थे।

(पैराग्राफ 13.2.4)

### बेतवा नदी बोर्ड (बे.न.बो.)

बे.न.बो. के 1999-2000 के लेखाओं में विद्युत यांत्रिक निर्माणकार्यों से संबंधित 61.35 करोड़ रु. का व्यय सम्मिलित नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 13.2.5)

### उपयोग प्रमाण पत्र

सांविधिक निकायों को 1976-77 से मार्च 1998 के दौरान जारी अनुदानों के संबंध में 6856.91 करोड़ रु. की संस्वीकृत राशियों के 34122 उपयोग प्रमाणपत्र मार्च 2000 के अंत में बकाया थे। इसने यह दर्शाया कि वह प्रणाली, जिसके द्वारा सरकार स्वयं को संतुष्ट करती है कि अनुदानों का उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है जिनके लिए वे दिए गए हैं, प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर रही थी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, गुडगांव द्वारा तिलहनों तथा वनस्पति के प्रोत्साहन/विकास हेतु विभिन्न स्वायत्त निकायों को वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदानों के रूप में जारी किए गए 5.92 करोड़ रु. में से केवल 2.78 करोड़ रु. मूल्य के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए थे।

ज.ने.प.न्या. ने भारत सरकार/विश्व बैंक तथा अन्य निकायों से प्राप्त 946.97 करोड़ रु. राशि के कर्जों के संबंध में 31 मार्च 2000 तक उपयोग प्रमाणपत्र जारी नहीं किए थे।

(पैराग्राफ 13.3)




भाग क - पुनरीक्षण

1875



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान



## अध्याय I : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

### स्वास्थ्य विभाग

#### 1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

##### विशिष्टताएं

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.आ.सं.) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में उत्कर्ष विकसित करने के लिए 1956 में स्थापित, सन् 2000 तक बगैर शिक्षण या अनुसंधान पर पर्याप्त बल दिए एक बड़े अस्पताल में विकसित हुआ। शिक्षण स्टाफ की कमी के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ तथा समस्या से छुटकारा पाने के लिए संस्थान ने नियम के विरुद्ध तदर्थ आधार पर बड़े पैमाने पर भर्ती की। स्पष्टतया तदर्थ भर्ती पर्याप्त मात्रा में योग्यता प्राप्त व्यावसायिकों को आकर्षित नहीं कर सकी। समस्या की गम्भीरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सौ से अधिक सहायक प्रोफेसर वर्तमान में तदर्थ नियुक्ति पर हैं और वे सब के सब बिना कोई उन्नत भविष्य के कार्य कर रहे हैं।
- संस्थान चिकित्सा अनुसन्धान पर जोर देने में असफल रहा यद्यपि यह उसके मुख्य उद्देश्यों में से एक था। संस्थान को निर्धारित राशि का केवल एक से दो प्रतिशत अनुसंधान हेतु चिन्हित किया जाता है। अनुसंधान के परिणामों को वृहत पद्धति पेटेन्ट या व्यावसायिक के रूप में नहीं लाया जाता। 1991 से 2000 के दशक के दौरान वास्तविक मात्रात्मक रूप से आरम्भ की गई 339 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण हुईं लेकिन 153 परियोजनाओं के संदर्भ में कोई अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। 1991-95 की समयावधि के दौरान इन 153 परियोजनाओं में से कम से कम 54 कागजों पर पूर्ण हुईं। क्योंकि अनुसंधान परिणामों के प्रयोग या प्रचार करने का प्रमाण नहीं है, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इच्छा और कार्यवाही की कमी के कारण नवीनता को बढ़ावा देने के थोड़े प्रयास व्यर्थ गये। जब तक संस्थागत प्रबन्धनों को बढ़ाया नहीं जाता और परियोजनाओं को परिणाम हेतु मॉनिटर नहीं किया जाता तब तक अधिक आबंटन से भी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

- संस्थान द्वारा प्रशिक्षित चिकित्सकों का जीवन वृत्त दर्शाता है कि अ.भा.आ.सं. में प्रशिक्षित 49 प्रतिशत चिकित्सकों ने अपना व्यवसाय विदेशों में पाया जबकि देश प्रशिक्षित व्यावसायिक चिकित्सकों की कमी से प्रभावित रहा। सस्ती चिकित्सा शिक्षा में उत्कर्ष विकसित करने के लिये किया गया बड़ा निवेश ठोस रूप से बिना प्रतिफल के रहा। 1987 से अनुमान समिति की सिफारिशों के बावजूद संस्थान सरकार द्वारा छूट प्राप्त चिकित्सा शिक्षा की लागत का मूल्यांकन व संवीक्षा करने में असफल रहा। अनुमान समिति ने आशा की थी कि संस्थान में प्रशिक्षित व्यावसायिकों में आभार की भावना विकसित होगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि देश ने उनके प्रशिक्षण हेतु अपने दुर्लभ साधनों का निवेश किया है।
- एक शिक्षण अस्पताल के रूप में संस्थान एक तरफ शैक्षिक उत्कर्ष और तकनीक में नवीनीकरण विकसित करने में असफल रहा और दूसरी तरफ राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट अस्पताल के रूप में गुणात्मक चिकित्सा उपलब्ध कराने में असफल रहा। चिकित्सकों एवं उपचारिकाओं के संवर्ग में अत्यधिक कमी के फलस्वरूप रोगी रोग के निदान में समय की गुणवत्ता, इलाज और चिकित्सकीय देखभाल से वंचित रहे। चिकित्सक-मरीज अनुपात बहुत अधिक था क्योंकि वा.रो.वि. में चिकित्सक को एक मरीज पर ध्यान देने के लिए केवल चार से नौ मिनट मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए प्रतीक्षा समय ढाई महीने से 34 महीने के बीच है। यदि रोग की जांच का प्रतीक्षा समय जोड़ दिया जाय तो प्रतीक्षा समय और भी अधिक हो जायेगा। विशेष रोग जाँच और इलाज हेतु प्राप्त किये गये उपकरणों की बहुत बड़ी संख्या या तो देरी से स्थापित की गई, अथवा बिल्कुल स्थापित नहीं की गई या क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण विवरण से यह पता चला कि संस्थान ने राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि से गरीबों में सबसे गरीब को इलाज देने हेतु प्राप्त संसाधनों का मुख्य भाग प्रयोग नहीं किया। 1997 में प्राप्त 10 लाख रुपये की थोड़ी राशि अक्टूबर 1999 तक जमा पड़ी रही और मार्च 2000 तक केवल 4.85 लाख रु. प्रयोग किये जा सके। नशा मुक्ति इलाज में एक निर्णायक तत्व, रोगी देखभाल, प्रभावित रहा क्योंकि उपचारिकाओं की तैनाती आवश्यकता से आधी है और इससे आगे दुर्घटना, आपातकाल और गहन देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। संस्थान के पास आश्चर्यजनक रूप से पोषक आधुनिक रसोई नहीं थी और न ही वहां भोज्य पदार्थों की जांच की कोई सुविधा थी।

➤ संस्थान के अधिकांश संसाधनों का प्रयोग जबकि अस्पताल के रखरखाव में किया गया फिर भी आधारभूत सुविधाएं निरन्तर अपूर्ण रही। कैंसर के इलाज के लिए विशिष्ट केन्द्र आंशिक रूप से चालू हुआ जैसा कि प्रस्तावित आठ तलों में से केवल दो ही निर्मित हुए, यद्यपि भवन 1995 में पूर्ण होने की आशा थी। इसका एक दुखदायी परिणाम यह रहा कि कम से कम रोज तीन से चार कैंसर रोगी सुविधा की कमी के कारण लौटा दिये जाते हैं। मानसिक आघात के इलाज हेतु विशिष्ट केन्द्र को मूर्तरूप नहीं दिया गया यद्यपि योजना 1995 में अनुमोदित हो गई थी। सामाजिक रूप से प्रतिकूल नशा व्यसनियों के इलाज में संस्थान अपने नशा मुक्ति केन्द्र पर आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहा।

➤ संस्थान के प्रशासन में संसाधनों की हानि तथा कुप्रबन्धन के बहुत से उदाहरण देखने में आये। बा.रो.वि. के 64 प्रतिशत रोगियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में संस्थान कम से कम 2.43 करोड़ रुपये एकत्र करने में विफल रहा। संस्थान ने कम से कम 55.38 लाख रुपये की राजस्व हानि पर अपने प्रांगण में एक दवाईयों का स्टोर तथा एक प्रोविजन स्टोर को चलने की अनुमति दी। क्रियाशील व्यवस्था में उपस्करों की नीलामी में अभिलेखों के साथ हेराफेरी के उदाहरण प्रकाश में आये। अपने लेखाओं की पुस्तकों में संस्थान 2.57 करोड़ रुपये के बकाया अग्रियों को प्राईवेट फर्मों के विरुद्ध दर्शाने में असफल रहा। कुछ मामलों में संस्थान 18.73 करोड़ रुपये की राशि को लगातार अपने नगद शेष में रख रहा था यद्यपि यह लेखाओं के अन्तिम शीर्ष में डेबिट के रूप में दर्शायी गई थी। सरकारी निधि के कुप्रबन्धन के एक मामले में संस्थान ने मस्जिद मोठ में एक जमीन के हिस्से को खाली कराने तथा अधिग्रहीत करने के लिए 9.97 करोड़ रुपये खर्च किए।

### 1.1 प्रस्तावना

अ.भा.आ.सं.<sup>1</sup> (संस्थान) की संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा जून 1956 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में नई दिल्ली में स्थापना की गई थी।

<sup>1</sup> अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

## 1.2 उद्देश्य

संस्थान के निम्न उद्देश्य हैं :

- (क) उसकी सभी शाखाओं में स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण की पद्धतियों का विकास करना जिससे भारत में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं की चिकित्सा शिक्षा के उच्च स्तर का प्रदर्शन हो सके;
- (ख) स्वास्थ्य कार्यकलापों की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु उच्चतम स्तर की शैक्षिक सुविधाओं को एक स्थान पर एकत्र करना; तथा
- (ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में स्वपर्याप्तता प्राप्त करना ।

संस्थान शिक्षण, अनुसंधान तथा रोगी देखभाल हेतु व्यापक सुविधाएं प्रदान करने की अभिकल्पना करता है । जैसाकि अधिनियम में व्यवस्था है, संस्थान पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर चिकित्सा तथा पराचिकित्सा दोनों पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और अपनी स्वयं की डिग्रियां प्रदान करता है। शिक्षण तथा अनुसंधान 42 शाखाओं में आयोजित किए जाते हैं ।

## 1.3 संगठनात्मक ढांचा

अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार संस्थान के सदस्यों में से संस्थान का अध्यक्ष नामित करती है, जो कि शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष भी होता है । वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, नाम से संस्थान का सदस्य नामित होता है तथा संस्थान का अध्यक्ष भी नामित होता है । निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है । संस्थान में प्रशिक्षण देने तथा चयनित दबाव वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करने के अतिरिक्त अंतरंग रोगी तथा बाह्य रोगी सेवा उपलब्ध कराने वाले 36 विभाग हैं । इसके अतिरिक्त उनके संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए संस्थान के पांच विशिष्ट केन्द्र हैं जिनके नाम सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, हृदयवक्षीय विज्ञान केन्द्र, रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान, तंत्रिका विज्ञान केन्द्र तथा डा.रा.प्र. नेत्र विज्ञान केन्द्र हैं ।

## 1.4 पुनरीक्षण का कार्यक्षेत्र

संस्थान के 1995-96 से 1999-2000 के वर्षों के लेखाओं तथा अभिलेखों की जून 2000 से नवम्बर 2000 के दौरान लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी। पुनरीक्षण संस्थान की शिक्षा, अनुसंधान तथा रोगी देखभाल विशिष्टता में एक केन्द्र के रूप में उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया था ।

### 1.5 मूल्यांकन संकेतक

गतिविधियों के प्रकार, उपलब्ध अवसंरचना प्रणाली तथा सेवाएं प्रदान करने के प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा ने पुनरीक्षण के मूल्यांकन के लिए निम्न संकेतक अपनाए:

- क्या संस्थान एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है ?
- क्या अनुसंधान को वांछित महत्व मिला ?
- क्या शैक्षणिक सुविधाएं पर्याप्त हैं ?
- क्या रोगी देखभाल सन्तोषजनक है ?

### 1.6 पुनरीक्षण के परिणाम

#### 1.6.1 संसाधनों का उपयोग

1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि की प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति (प्राप्तियों तथा भुगतानों का सार परिशिष्ट I पर) से पता चलता है कि:

- इस अवधि में प्राप्तियां 243.8 करोड़ रु. से बढ़कर 625 करोड़ रु. हो गईं। वृद्धि मुख्यतया केन्द्र सरकार की योजनेतर अनुदान में भारी वृद्धि (1995-96 में 66 करोड़ रु. से 1999-2000 में 160 करोड़ रु.) के फलस्वरूप हुई। योजनागत अनुदानों में यद्यपि सन्तुलित गति से 1995-96 में 53 करोड़ रु. से 1999-2000 में 80 करोड़ रु. तक की बढ़ोतरी हुई। स्पष्टतया बिना उद्देश्यों के उल्लेख किए संस्थान को इसके कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 1995-96 में योजनागत से योजनेतर संसाधनों का अनुपात 1:1 के पास था, जबकि 1999-2000 में यह 2:1 है। योजनेतर अनुदान आवंटन में वृद्धि करना जबकि योजनागत अनुदान आवंटन में धीमी गति से वृद्धि के परिणामस्वरूप महत्व का अकेंद्रीकरण हो गया।
- विशिष्ट उद्देश्य अनुदानों में पांच वर्षों में 5 करोड़ रु. की सामान्य वृद्धि हुई है, पिछले पांच वर्षों के दौरान दान अपर्याप्त है तथा अस्पताल प्राप्तियां पांच-छः करोड़ रु. के स्तर तक लगभग स्थिर रही हैं।
- 1995-96 के आरंभ में जो अव्ययित शेष 3.82 करोड़ रु. था 1999-2000 के आरंभ में बढ़कर 95.94 करोड़ रु. हो गया। इसी प्रकार अधिशेष निधियों का निवेश 1995-96 में 31.6 करोड़ रु. से बढ़कर 1999-2000 में 96 करोड़ रु.

हो गया । यह इस तथ्य की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में परियोजनाएं अपूर्ण रही हैं ।

➤ विशिष्ट केन्द्रों का निधियन जिनकों लेख में प्रति प्रविष्टियों के रूप में दर्शाया गया है, बिना किसी अनुरूप गुणवत्ता में परिवर्तन प्रदान किए 36 करोड़ रु. से बढ़कर 94 करोड़ रु. हो गया है । स्पष्ट रूप से ज्यादातर ससांधनों का प्रयोग बिना किसी गुणवत्ता अवसंरचना को सुनिश्चित किए अधिक संख्या में रोगियों को सेवाएं प्रदान करने में हुआ ।

➤ पूंजीगत व्यय 1995-96 में 12 करोड़ रु. से बढ़कर 1999-2000 में 19 करोड़ रु. हो गया जबकि इसी इंगित अवधि के दौरान विविध आकस्मिक व्यय 16 करोड़ रु. से बढ़कर 36 करोड़ रु. हो गया । वेतन तथा भत्ते 44 करोड़ रु. से बढ़कर 115 करोड़ रु. हो गये हैं ।

### 1.6.2 संस्थान एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में

संस्थान की चिकित्सा अनुसंधान एवं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए अस्पताल की भांति एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में संकल्पना की गई थी । पुनरीक्षण से यह प्रकट हुआ कि वर्षों से संस्थान अनुसंधान, शिक्षा तथा आवश्यक विशिष्टीकरण के मूल्य पर सामान्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के रूप में विकसित हुआ है । परिणामस्वरूप उद्देश्य प्रायः अधूरे रहे जबकि अतिरिक्त संसाधनों का निरन्तर उपयोग इस आशा से किया गया कि संस्थान इच्छित दिशा में बढ़ रहा है । अनुवर्ती पैराग्राफ यह दर्शाएंगे कि अपेक्षित अवसंरचना निर्माण तथा अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया । प्रशिक्षित चिकित्सा व्यवसायियों को पोषित एवं विकसित करने की संस्थान की वचनबद्धता विफल रही क्योंकि न तो कोई सर्वेक्षण किया गया तथा न ही योग्य व्यक्तियों का पलायन रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया । क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ यद्यपि संस्थान ने आठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक इसके पूरी तरह संचालन की अपेक्षा की थी, परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि प्रतिदिन कैंसर के तीन से चार रोगियों को भर्ती करने से मना करना पड़ता है । प्राक्कलन समिति के कहने पर दन्त्य शिक्षा हेतु प्रस्तावित केन्द्र को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । विद्यमान केन्द्र उपलब्ध ध्यानावधि तथा विशिष्ट उपकरणों के अधिकतर अनुपयोग पर विचार करते हुए संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं । भारी संख्या में अनुसंधान परियोजनाएं अपूर्ण रही हैं । यह विशेषकर इस तथ्य की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण है कि संस्थान अपने लगभग 600 करोड़ रु. वार्षिक बजट के प्रति 7 करोड़ रु. से 12 करोड़ रु. तक वार्षिक अनुसंधान कार्यक्रम पर निवेश कर रहा है । इस प्रकार अनुसंधान कार्यों पर हुए व्यय का परिकलन कुल व्यय के



एक से दो प्रतिशत तक है। अनुसंधान के परिणामों को शिक्षण स्तर और चिकित्सा इलाज के विशिष्ट क्षेत्र दोनों में वृद्धि करने में प्रयोग करने की भावना के साथ चिकित्सा अनुसंधान को विकसित करने के संस्थान के स्वीकृत उद्देश्य के परिपेक्ष्य में यह बहुत ही बेकार समझा जाना चाहिए। अस्पताल में सभी स्तरों के रोगी आने के कारण संस्थान की निर्देशात्मक विशेषता अधिकांशतः लुप्त हो गई है तथा रोगियों को डाक्टरों का गुणवत्ता समय प्राप्त नहीं होता। इन सभी पहलुओं पर विस्तृत लेखापरीक्षा परिणाम अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

### 1.6.2.1 शैक्षिक आधारभूत सुविधाएं

31.3.2000 को संकाय सदस्यों की संस्वीकृत संख्या तथा कार्यरत संख्या की स्थिति निम्नलिखित थी:

तालिका 1.6.2.1 संकाय सदस्यों की संस्वीकृत संख्या तथा कार्यरत संख्या

क्र.सं	श्रेणी	संस्वीकृत सं.	कार्यरत सं.	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	01	शून्य
2.	प्राध्यापक	110	108	02
3.	अतिरिक्त प्राध्यापक	40	119	(+) 79
4.	सहायकी प्राध्यापक	115	82	33
5.	सहायक प्राध्यापक	199	07	192
6.	चिकित्सा अधीक्षक	02	01	01
7.	प्रधानाचार्या, उपचर्या महाविद्यालय	01	01	शून्य
8.	उपचर्या व्याख्याता	07	05	02
	<b>जोड़</b>	<b>475</b>	<b>324</b>	<b>151</b>

31 मार्च 2000 को 475 संकाय सदस्यों की संस्वीकृत पद संख्या के प्रति केवल 324 सदस्य ही कार्यरत थे जिसके परिणामस्वरूप 151 (32 प्रतिशत) की कमी थी। यह देखा गया कि अधिकतम कमियां सहायक प्राध्यापकों के संवर्ग में हैं। यह पद नवम्बर 1994 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों के कारण सितम्बर 1993 के बाद नियमित आधार पर भरे नहीं गये थे। तथापि, 115 तदर्थ सहायक प्राध्यापक 1993-94 से 2000-01 के बीच नियुक्त किये गये थे जिनमें से 52 तीन से सात वर्ष पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये थे। तदर्थ व्यवस्था ने शिक्षा में श्रेष्ठता को प्रभावशाली ढंग से योगदान न देते हुए स्टाफ संबंधी नियमों को समाप्त कर दिया।

संस्थान देश में  
अन्य चिकित्सा  
संस्थानों पर  
प्रभाव उत्पन्न  
करने में विफल  
रहा।

1.6.2.2 संस्थान देश में अन्यत्र चिकित्सा संस्थानों के कार्य पर अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित संगठित आधार पर न तो अग्रसर हुआ और न ही उसने उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समिति बनाई। विशिष्ट अभिज्ञात आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए व्यावसायिक, पराचिकित्सा या गैर चिकित्सा स्टाफ की किसी श्रेणी की तैनाती को सहसम्बद्ध करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था।

#### 1.6.2.3 संस्थान से उत्तीर्ण हुए स्नातक/स्नातकोत्तरों का सर्वेक्षण

अनुमान समिति ने अपनी 102 वीं रिपोर्ट (5वीं लोकसभा) में यह सिफारिश की थी कि संस्थान में शिक्षा तथा प्रशिक्षण की लागत का पता लगाने के लिए पूर्ण अध्ययन करने तथा छात्रों को सरकार द्वारा उनके प्रशिक्षण पर वहन की गई लागत के बारे में समझाने, जिससे उनमें देश के प्रति उनके उत्तरदायित्व की भावना को भरा जा सके, के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। संस्थान ने 1987 से स्नातक तथा स्नातकोत्तर डॉक्टर के प्रशिक्षण की लागत पता करने के लिए अध्ययन नहीं किए थे। संस्थान के शैक्षिक अनुभाग ने संस्थान से पास कर गए उन स्नातक/स्नातकोत्तर डॉक्टरों के बारे में कभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया तथा संस्थान उस संबंध में कोई विवरण देने में समर्थ नहीं था। तथापि 390 प्रतिवादियों के प्रयोगात्मक अध्ययन पर आधारित विभिन्न निधियन एजेंसियों द्वारा 31.3.1992 को बंद हुई अतिरिक्त भित्ति निधिबद्ध परियोजनाओं के पुनरीक्षण की जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि 49 प्रतिशत विदेश में व्यवसाय कर रहे/कार्यरत थे। लाभभोगियों को उस सीमा तक विशेषीकृत चिकित्सा देखभाल से वंचित रखा गया है।

संस्थान ने प्रशिक्षण  
की लागत का पता  
लगाने के लिये कोई  
अध्ययन नहीं किये  
थे।

#### 1.6.2.4 दन्त्य शिक्षा केन्द्र

5वीं लोक सभा की अनुमान समिति ने अपनी सिफारिश में संस्थान में दन्त्य विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए एक केन्द्र की स्थापना करने का सुझाव दिया था। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान इस प्रकार के केन्द्र की स्थापना पर विचार किया गया था लेकिन इसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। संस्थान ने बताया (अगस्त 2000) कि शैक्षिक समिति ने जुलाई 1998 में दन्त्य शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, ई.एफ.सी. मीमो तैयार कर लिया गया है तथा संस्थान द्वारा गठित परियोजना समिति द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया है तथा यह प्रस्ताव तब वित्त समिति/शासी निकाय के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए तैयार था।

दन्त्य विज्ञान में  
स्नातकोत्तर अनुसंधान  
केन्द्र लक्षित अवधि के  
15 वर्ष के बाद तक  
स्थापित नहीं हुआ।

## 1.6.3 अनुसंधान कार्यक्रम

संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेसियों की ओर से स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विषयों से संबंधित अनुसंधान योजनाओं का उत्तरदायित्व लिया। पिछले पांच वर्षों के दौरान एजेंसी वार प्राप्ति तथा किया गया व्यय निम्नानुसार था:-

तालिका 1.6.3 : लिए गए अनुसंधान कार्यक्रम

(लाख रु. में)

अभिकरण का नाम	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय
सरकारी अभिकरण/स्वायत्त निकाय	601.65	549.14	565.69	593.52	683.66	655.29	752.12	737.27	792.96	779.19
अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण	130.87	168.43	165.17	209.68	302.55	231.99	358.27	324.27	403.38	389.22
निजी अभिकरण	15.43	12.47	23.72	17.47	36.16	29.44	23.42	29.29	57.34	42.21
जोड़	747.95	730.04	754.58	820.67	1022.37	916.72	1133.81	1090.83	1253.68	1210.62

## 1.6.3.1 अनुसंधान परियोजनाओं का पुनरीक्षण

निदेशक तथा संकाय अध्यक्ष द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं का अर्धवार्षिक पुनरीक्षण नहीं किया गया।

अनुमान समिति ने सिफारिश की कि संस्थान में की गई अनुसंधान परियोजनाओं की निदेशक तथा संकाय-अध्यक्ष द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए की गई प्रगति, किए गए व्यय तथा लगाए गए समय तथा और समय लगने की संभावना तथा अपेक्षित व्यय के संदर्भ में छमाही पुनरीक्षा की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि अनुसंधान परियोजनाओं की पुनरीक्षा केवल एक वर्ष में ही (1997-98) की गई थी। 1995-96, 1996-97, 1998-99 तथा 1999-2000 वर्षों की पुनरीक्षा नहीं की गई थी।

## 1.6.3.2 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (भा.चि.अ.प.) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (वि.प्रौ.व.) द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं/योजनाएं

केन्द्रीयकृत परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में परिसम्पत्तियों की जांच नहीं की जा सकी।

भा.चि.अ.प./वि.प्रौ.वि. द्वारा जारी अनुदानों की शर्तों के अनुसार संस्थान द्वारा अनुदान में से प्राप्त की गई केवल स्थायी तथा अर्द्धस्थायी परिसम्पत्तियों के लिए एक पृथक परिसंपत्ति रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित था। संस्थान ने उन अनुसंधान योजनाओं/परियोजनाओं, जो पूरी कर ली गई थी, के अनुसंधान के लिए प्राप्त सहायता अनुदान में से

उसके द्वारा प्राप्त परिसम्पत्ति के संबंध में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया। अतः लेखापरीक्षा में यह जांच नहीं की जा सकी कि क्या उपर्युक्त परिसम्पत्तियां निधियन अभिकरण को वापस कर दी गई थी या संस्थान द्वारा उसके स्टाक रजिस्टर में लेखाबद्ध करने के बाद निधियन अभिकरणों की अनुमति से उपयोग की गई थी।

### 1.6.3.3 संस्थान की अनुसंधान योजनाएं

संकाय के सभी सदस्य (क) अन्तर्विभागीय अनुसंधान परियोजनाओं (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता से सम्बद्ध परियोजनाओं तथा (ग) संस्थान द्वारा आरंभ न की गई नई तकनीकों या दक्षता का विकास/अधिप्रापण शामिल होने वाली परियोजनाओं के लिए अनुसंधान निधियों के अनुदान के हकदार है। संस्थान द्वारा आरंभ की गई तथा 1995-96 से पूर्ण हुई परियोजनाओं/ योजनाओं की संख्या नीचे ब्यौरेवार दर्शाई गई थी :-

**तालिका 1.6.3.3 : पिछले पाँच वर्षों के दौरान आरम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति**

वर्ष	आरंभ की गई परियोजनाओं/योजनाओं की सं.	आंबटित/जारी की गई निधियां (लाख रु. में)	पूर्ण हुई परियोजनाओं/ योजनाओं की सं.	पूर्ण हुई लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई परियोजनाओं/ योजनाओं की सं.	उन परियोजनाओं/ योजनाओं की सं. जिनमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
1995-96	43	12/10.02	43	17	26
1996-97	46	12/11.18	46	17	29
1997-98	37	12/8.63	37	16	21
1998-99	26	12/6.46	26	19	7
1999-2000	33	12/8.57	33	30	3
<b>जोड़</b>	<b>185</b>	<b>60/44.86</b>	<b>185</b>	<b>99</b>	<b>86</b>

आरम्भ की गई 185 परियोजनाओं में से केवल 86 मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

1991-95 के दौरान आरम्भ की गई/पूर्ण की गई 54 परियोजनाओं के सम्बन्ध में मार्च 2001 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

1995-96 से संस्थान ने 185 परियोजनाएं/योजनाएं पूर्ण होने का दावा किया है (मार्च 2000)। इनमें से 86 में मुख्य अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा शेष 99 परियोजनाएं/योजनाएं, यद्यपि पूर्ण की गई बताई गई थी, मुख्य अनुसंधानकर्ता द्वारा उनकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। इनमें से कोई भी अनुसंधान परिणाम को एकस्व अधिकार/व्यापारिक नहीं बनाये गये थे। आगे यह देखा गया था कि 1991-95 के दौरान आरंभ की गई 154 परियोजनाओं/योजनाओं में से 54 परियोजनाएं/योजनाएं पूर्ण की हुई बताई गई थी, मुख्य अनुसंधानकर्ता द्वारा मार्च 2001 तक कोई अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। यह वास्तव में एक जोखिम भरा कार्य है इतनी अधिक समय अवधि बीतने के बाद अनुसन्धान कार्यों का परिणाम बेकार जा सकता था। संस्थान को इस प्रकार की चूक की बिल्कुल भी चिन्ता नहीं है।

#### 1.6.3.4 अनुसंधान परियोजनाओं का लेखांकन न करना

अनुसंधान अनुभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि परियोजनाओं के अनुसंधानकर्ताओं को परियोजनाएं आरंभ करने के लिए अग्रिम दिए गए थे तथा राशियां लेजर में दर्ज की गई थी। कुछ मामलों में अनुसंधानकर्ताओं ने परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद तक लेखा प्रस्तुत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अनुसंधानकर्ताओं के हाथों में धनराशि का संचयन हुआ। ऐसे मामले भी थे जिनमें अनुसंधानकर्ता या तो सेवा निवृत्त हो गए थे या अग्रिम राशियों का भुगतान किए बिना संस्थान छोड़ गए थे। ऐसे बकाया अग्रिमों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है -

#### 1.6.3.4 तालिका : अनुसंधानकर्ताओं का वर्षवार अग्रिम

वर्ष	राशि	परियोजनाओं की सं.	बंद की गई परियोजनाएं
1990-91	10475.00	2	2
1991-92	78445.00	7	7
1992-93	45100.00	7	7
1993-94	66100.00	7	7
1994-95	30623.00	7	7
1995-96	98011.00	9	9
1996-97	213690.00	3	3
1997-98	78988.00	7	--
1998-99	85020.00	5	--
1999-2000	3479442.00	56	---
	4185894.00	110	42

जबकि 110 परियोजनाओं के संबंध में अनुसंधानकर्ताओं के पास 41.86 लाख रु. बकाया थे, 42 परियोजनाएं, जो कि चार से दस वर्ष पहले बन्द हो गई थी, के प्रति 5.42 लाख रु. बकाया थे।

#### 1.6.4 अस्पताल सेवाएं

संस्थान रोगियों को या तो निजी तथा सामान्य वार्डों में प्रवेश देकर या बा.रो.वि. के माध्यम से चिकित्सा देखभाल की सेवा प्रदान करता है।

संस्थान, जलने के मामलों, कुत्ता काटने के मामलों तथा संक्रामक रोगों का उपचार नहीं कर रहा है।

संस्थान के पास जलने के मामले, कुत्ता काटने के मामले तथा संक्रामक रोगों को छोड़कर सभी प्रकार की बीमारियों के व्यावहारिक रूप से प्रबन्ध करने हेतु चार अतिविशिष्ट केंद्रों सहित 25 नैदानिक विभाग हैं। संस्थान ने बल्लभगढ़, हरियाणा में विस्तृत ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में 60 बिस्तर वाले अस्पताल की भी व्यवस्था की है तथा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के माध्यम से लगभग 2.5 लाख की जनसंख्या को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है।

1.6.4.1 बाहरी रोगी विभाग (बा.रो.वि.)

छः मुख्य बा.रो.वि. (दन्त्य, बालचिकित्सा शल्यचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान, हृदय विज्ञान,आई आर.सी.एच. तथा का.ना.ग.) में मार्च 2000 के दौरान रोगियों की संख्या, उपलब्ध विशेषज्ञों की संख्या तथा प्रति रोगी लिया गया समय निम्नानुसार था:-

तालिका 1.6.4.1

क्र.सं.	विशेषज्ञता (बा.रो.वि.)	मार्च 2000 में देखे गए रोगियों की कुल संख्या	मार्च 2000 में कुल दिनों की संख्या	मार्च 2000 में कार्यदिवसों में बा.रो.वि. का समय (घंटों में)	उन विशेषज्ञों की संख्या जिन्होंने मार्च 2000 में बा.रो.वि. में काम किया	प्रति विशेषज्ञ/डॉक्टर प्रति घंटा देखे गए रोगियों की संख्या	प्रति रोगी लिया गया समय मिनटों में
1.	दन्त्य	5862	25	6	6	7	9
2.	बालचिकित्सा शल्यचिकित्सा	1702	25	5	1	13	4
3	तंत्रिका विज्ञान	2842	14	4	7	7	9
4	हृदय विज्ञान + सी.टी.वी.	9443	25	4	14	7	9
5	आई.आर.सी.एच.	4133	20	7	4	7	9
6	का.ना.ग.	9635	25	4	6	16	4

जैसा उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, चार से नौ मिनट प्रति रोगी का समय लेते हुए प्रति घंटा औसतन सात से सोलह रोगियों की जांच की गई थी।

बा.रो.वि.में डॉक्टरों की तैनाती के लिए मानक नियत नहीं किए गए थे।

यद्यपि लोक लेखा समिति (छठी लोकसभा) ने अपने 49 वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि बाहरी रोगियों का प्रतीक्षा समय अधिक से अधिक आधा घंटे तक कम करने के लिए डॉक्टरों की संख्या उपयुक्त रूप से नियत की जाए लेकिन संस्थान ने संतोषजनक रोगी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कार्य-भार के आधार पर बा.रो.वि.में डॉक्टरों की तैनाती करने के लिए अभी तक कोई मानक नियत नहीं किये थे।

1.6.4.2 शल्यचिकित्सा हेतु प्रतीक्षारत रोगी

मार्च 2000 को शल्यचिकित्सा हेतु प्रतीक्षारत रोगियों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

## तालिका 1.6.4.2 शल्यचिकित्सा हेतु प्रतीक्षारत रोगी

क्र.सं.	विभाग का नाम	शल्यचिकित्सा हेतु प्रतीक्षारत रोगियों की संख्या	अवधि जिसमें संचित कार्य निपटाया जाएगा	अभ्युक्तियां
1.	आटोरिनोलेरिगोलोजी विभाग (क) जी.ए. के अधीन शल्यचिकित्सा	5,000	34 माह	कैंसर जैसे रोग तथा आक्रामक हल्के - रोग को जी.ए. के अधीन शल्यचिकित्सा हेतु पहले से प्रतीक्षित रोगियों के प्रति समायोजित किया गया (डेढ महीना) मुख्य श.गृ. में अन्य प्रक्रिया तथा उक्त-परीक्षण हेतु रोगी जिन्हें एल.ए. के अधीन शल्यचिकित्सा हेतु पहले से प्रतीक्षित रोगियों के प्रति समायोजन की आवश्यकता थी (साढे सात महीने)
	(ख) एल.ए. के अधीन शल्यचिकित्सा	7,000	34 माह	
2.	दन्त	75	यदि अतिरिक्त श.गृ. तथा बिस्तर उपलब्ध कराए गए तो 6 माह में शल्यचिकित्सा हो जाएगी अन्यथा इसे निपटाया नहीं जा सकता	
3.	नैफॉलोजी विभाग	60	सात माह	
4.	तंत्रिका शल्यचिकित्सा विभाग			
	(क) इकाई I	446	आठ माह	
	(ख) इकाई II	206	छः माह	
5.	अमाशय तथा आंत संबंधी शल्यचिकित्सा विभाग	68	ढाई माह	

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि शल्यचिकित्सा के लिए प्रतीक्षित रोगियों का प्रतीक्षा समय 2½ माह से 34 माह के बीच का था । तथापि, यदि अल्ट्रासाउंड सी.टी.स्कैन एम.आर.आई. स्कैन के प्रतीक्षा समय को जोड़ा जाए तो वास्तविक प्रतीक्षित समय बहुत अधिक हो जाएगा ।

## 1.6.4.3 उपचारिकाओं की तैनाती

पिछले छः वर्षों के दौरान संस्वीकृत संख्या तथा नए सृजित पदों की तुलना में अंतरंग रोगियों की देखभाल के लिए तैनात उपचारिकाओं की संख्या निम्नानुसर थी:-

तालिका 1.6.4.3

वर्ष	संस्वीकृत सं.	सृजित नए पदों की सं.	कुल	कार्यरत	कमी	कमी की प्रतिशतता
1993-94	1453	---	1453	983	470	32
1994-95	1453	119	1572	983	589	37
1995-96	1572	39	1611	1004	607	38
1996-97	1611	8	1619	1166	453	28
1997-98	1619	15	1634	1188	446	27
1998-99	1634	138	1772	1249	523	30

टिप्पणी: संस्थान ने मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संस्वीकृत संख्या तथा कार्यरत स्थिति नहीं भेजी ।

जब संस्थान विद्यमान रिक्तियों को पूर्ण करने में विफल रहा तो नए पदों का सृजन करना युक्तिमूलक नहीं है । कमी 27 से 38 प्रतिशत के बीच थी ।

यद्यपि 1994-99 के दौरान 319 नए पद सृजित किए गए हैं, इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है । यहां तक कि 1994-95 की संस्वीकृत संख्या का भी अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया है । जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान उपचारिकाओं के संवर्ग में कमी 27 से 38 प्रतिशत के बीच थी । यह भी देखा गया था कि वर्तमान में उपचारिकाओं को केवल दो पाठ्यक्रमों (1) वि.स्ना. उपचर्या (पश्च प्रमाणपत्र) एवं (2) वि.स्ना. (आनर्स) उपचर्या में प्रशिक्षित किया जाता है । दोनों पाठ्यक्रमों में सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता है तथा नाजुक क्षेत्रों में कोई विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है ।

#### 1.6.4.4 अस्पताल में शल्यचिकित्सा संबंधी मर्दे उपलब्ध थी लेकिन रोगियों को बाजार से खरीदने को कहा गया

रोगियों को शल्यचिकित्सा संबंधी मर्दे संस्थान में उपलब्ध होने के बावजूद बाजार से लाने के लिये कहा गया ।

संस्थान शल्यचिकित्सा हो रहे रोगियों को निःशुल्क आपूर्ति करने के लिए शल्यचिकित्सा संबंधी उपभोज्य मर्दों को खरीदता था तथा कुछ रोगियों को अस्पताल में कुछ मर्दे उपलब्ध न होने के कारण उन्हें खरीदने को कहा जा रहा था । नमूना जांच से यह देखा गया था कि मार्च 2000 माह में एक रोगी को कुछ मर्दे बाजार से खरीदने को कहा गया था जिसमें 21 शल्यचिकित्सा संबंधी मर्दे शामिल थी जो मुख्य भण्डार में उपलब्ध थी तथा जिसमें से 15 मर्दे मुख्य भण्डार द्वारा संबंधित विभाग के मांगपत्र पर जारी की गई थी ।

#### 1.6.4.5 आहार

मुख्य अस्पताल तथा सभी केन्द्रों के अन्दरूनी मरीजों को अस्पताल आहारी सेवा द्वारा खाना दिया जाता है । आहार विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तावित आहार दिया जाता है जिसके अन्दर साधारण आहार, निजी आहार, अर्ध-ठोस आहार, संशोधित तरल आहार, रोगनिवारक और संशोधित आहार शामिल है ।



संस्थान के पास आहारी नमूने की जांच के लिए आधार भूत सुविधाएं नहीं हैं, जो कि मरीजों को आपूर्त करने से पहले ड्यूटी पर कार्यरत लोगों द्वारा जांचा जाता है। खाने की जांच के लिए कोई संयुक्त प्रयोगशाला नहीं थी। संस्थान ने फरवरी 1991 में मरीजों को दिये जाने वाली खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में आहार की मात्रा प्रस्तावित की। लेकिन यह मात्रा साधारण मरीजों तथा निजी मरीजों की अलग अलग थी। संस्थान द्वारा साधारण मरीजों को 20.50 रु. का प्रतिरोगी प्रतिदिन का आहार दिया जा रहा था जबकि निजी रोगी को 49.15 रु. का आहार दिया गया था। आहार विशेषज्ञ निर्धारित चिकित्सा सूचकों को ध्यान में रखते हुए आहार भिन्नता के कारणों को स्पष्ट नहीं किया जा सका।

स्थल का निर्णय लेने में विलम्ब के कारण रसोई का आधुनिकीकरण नहीं हुआ।

यह भी देखने में आया कि संस्थान के मुख्य रसोई के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रस्ताव 1993-94 में आया जो कि अक्टूबर 1994 में आहार सलाहाकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। नई रसोई को बनाने के लिए खर्चा 2.07 करोड़ रूपए आंका गया। फिर भी विद्यमान रसोई को स्थानान्तरित करने के लिए वैकल्पिक स्थान को अंतिम रूप न देने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई (दिसम्बर 2000)। इस प्रकार वैकल्पिक जगह के फैसले में देरी के कारण आधुनिक रसोई के आधुनिकीकरण करने में छः वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ। इस बीच रसोई अनाधुनिक और अस्वस्थ कार्य प्रबन्धों के साथ कार्य करती रही।

#### 1.6.5 गरीब मरीज लेखा/मरीजों के उपचार का लेखा

व्यक्तिगत गरीब मरीजों के इलाज हेतु संस्थान को अनुदान/ वित्तीय सहायता, संस्थान के निदेशक के पक्ष में देय चैक द्वारा अन्य अभिकरणों के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री राहत कोष से प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्राप्त धन मरीजों के ईलाज के उपचार खाते में रखा जाता है। इसके अलावा धन नकद दान के रूप में व्यक्तियों से, धार्मिक संस्थानों से और अस्पताल के विभिन्न वार्डों और बा.रो.वि. में रखे गए दानपात्रों के माध्यम से आता है जिसके लिए संस्थान गरीब मरीजों का खाता रखता है।

नवम्बर माह 1993 के नकद की कमी के मामले में अंतिम कार्यवाही अभी प्रतीक्षित है

(1) संस्थान (मुख्य) के गरीब मरीज उपचार लेखा देखने से यह पाया गया कि उसमें माह नवम्बर 1993 में 1.17 लाख रूपए की कमी दर्शायी गई थी। अभी तक इस दुर्विनियोजित राशि की वसूली नहीं की गई। मई 1999 में संस्थान ने बताया कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो गई है तथा उसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अंतिम निर्णय के लिए सौंप दी गई है।

- (ii) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों के जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक रा.रू.स.नि.<sup>3</sup> की स्थापना जनवरी 1997 में हुई। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक को 10 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान देती है ताकि वह 25000 रु. प्रति योग्य अधिकारी संस्थान में इलाज हेतु तुरन्त संस्वीकृत कर सके। 25000 रुपये से ज्यादा जरूरत वाले मामले रा.रू.स.नि. की प्रबंधन कमेटी को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजा जाना था। सरकार को इस राशि का उपयोग प्रमाण पत्र/रिपोर्ट देने के बाद इसे पुनः पूरा किया जा सकता था। वित्तीय सहायता केवल मरीज के अपेक्षित प्रारूप में प्रार्थना पत्र पर सभी दस्तावेजों के साथ, इलाज कर रहे चिकित्सक की सिफारिश पर उप-समिति की छटनी के बाद दी जानी थी। गरीबी रेखा का निर्धारण उप-समिति द्वारा मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय उसके द्वारा अधिसूचित सूची से किया जाना था।

गरीब मरीजों के लिए वित्तीय सहायता का अक्टूबर 1999 तक उपयोग नहीं किया गया था।

यह देखने में आया कि रा.रू.स.नि. की योजना के अर्न्तगत परिवार एवं कल्याण मंत्रालय से दिसम्बर 1997 में प्राप्त 10 लाख की राशि अक्टूबर 1999 तक बैंक में जमा पड़ी रही। संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा मार्च 2000 की समाप्ति पर 5.15 लाख रु. के क्रेडिट शेष को छोड़कर 4.85 लाख रुपए नवम्बर 1999 से मार्च 2000 के बीच इस्तेमाल किए गए।

#### 1.6.6 मशीनरी तथा उपस्कर

मशीनरी तथा उपस्कर की खरीद व निपटान के मामले में विभिन्न अनियमितताएं देखने में आयीं।

- (i) रेडियो डाइग्नोजिज विभाग के कमरा न. 75 में एक एस.एम. 100 एक्सरे जेनरेटर स्थापित किया गया जिस पर कुछ परीक्षण किये गये थे। उसी विभाग के कमरा न. 44 में उसी प्रकार के परीक्षण, ऐसी ही दूसरी स्थापित मशीन पर किये गये। अप्रैल 1999 में विभाग ने उक्त उपस्कर (कमरा सं.75) जो कि 1982 में 12.33 लाख रु. की कीमत पर खरीदा गया था, यह कहकर अनुपयोगी घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह बिल्कुल घिसा पिटा था। उक्त उपस्कर का उन्नत रूपान्तर 30.27 लाख रु. की लागत से खरीदा गया और अगस्त 1999 में अधिष्ठापित किया गया था। सर्विस रिपोर्ट (मार्च 1999) तथा मार्च 1999 से अगस्त 1999 के दौरान विभिन्न मशीनों

क्रियाशील अवस्था में उपस्कर की नीलामी

<sup>3</sup> राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि

की सांख्यिकीय पंजिका के अनुसार मशीन अच्छी प्रचालन अवस्था में थी और उस मशीन पर परीक्षण किए जाते रहे थे। टिप्पणी के उत्तर में विभाग ने बताया कि अभिलेखों की निरन्तरता बनाए रखने के लिए अनुसंधानों की संख्या पूर्ववत् बनाए रखी गई। परन्तु तुलना करने पर यह देखा गया कि बेकार घोषित मशीन ने कमरा सं.44 में अधिष्ठापित मशीन की अपेक्षा मार्च 1999 से अगस्त 1999 के दौरान अच्छा कार्य किया।

निधि की उपलब्धता के बिना आदेश देने के कारण 23.97 लाख रू. का फालतू व्यय हुआ।

(ii) सामान्य वित्तीय नियमावली, के परिशिष्ट 8 नियम 7 के अनुसार भण्डारों की प्राप्ति के लिए आदेश देते समय निधि की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित है। यह देखा गया कि प्रत्येक 2.75 करोड़ रू. की कीमत पर कैंथ लेब I और II, 11 करोड़ रू. की कीमत पर गामा नाइफ और 2 करोड़ रू. की कीमत पर कैंथ लेब III संस्थान ने भारतीय स्टेट बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए 2.20 करोड़ रूपए की अदायगी की और शेष राशि का भुगतान सरकार से निधि प्राप्त होने पर किया जाना था। बैंक ने 23.97 लाख रू. ब्याज वसूल किया। अतः निधि उपलब्ध हुए बिना आदेश देने और साख-पत्र खोलने के कारण 23.97 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

1994-95 में 46.55 लाख रू. की लागत पर प्राप्त की गई मशीन इसके अधिष्ठापन के समय से ही उपयोग में नहीं लाई गई और स्टॉक में भी नहीं ली गई।

(iii) संस्थान ने 1994-95 में जर्मन अनुदान में से 46.55 लाख रू. की कीमत पर औषध-शास्त्र विभाग में नमूना विश्लेषक के रूप में प्रयोग होने वाला “काऊंटर चैम्बर” नामक एक मशीनरी/उपस्कर खरीदा। ऐसा बताया गया कि मशीन कार्य नहीं कर रही है। मशीन को न तो विभाग के भण्डार पंजिका में दर्ज किया गया और न ही कोई उसके कार्य चालन और स्थानीय एजेंट के पते-ठिकाने के विषय में जानता है। विभाग के भण्डार में इस मशीन का लेखाकरण न किया जाना यह दर्शाता है कि मशीन के निर्दिष्ट परिचालन और अभिलेखन के लिए अपनाई जाने वाली निर्धारित क्रियाविधि को सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के पास कोई समुचित प्रणाली नहीं है। मशीन द्वारा कार्य न किए जाने के कारण न केवल 46.55 लाख रू. की परिसम्पत्तियां अनुपयोगी रही बल्कि वास्तविक रोगियों को भी महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित रहना पड़ा।

आवश्यकताओं के अनुसार उपस्कर का चयन नहीं हुआ।

(iv) त्वचा विज्ञान और रतिजरोग विज्ञान विभाग ने 18 लाख रू. की कीमत पर डॉई लेजर सहित कॉपर लेजर वैपरज प्राप्त किए। जब फरवरी 1994 में विभाग में उपस्कर प्राप्त हुए तो यह अनुभव किया गया कि यह लेजर त्वचारोग के उपचार के लिए अपर्याप्त थे, इसे उच्च चालू लागत और शोर की

अधिक तीव्रता के कारण परिचालन के लिए पृथक जगह की आवश्यकता थी। उपस्कर छः वर्ष तक पैक अवस्था में पड़ा रहा और भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र को समझौता ज्ञापन के माध्यम से अन्तर्गत कर दिया जिसका विरुद्ध 15.50 लाख रू. प्राप्त हुए।

(v) निश्चेतन विज्ञान विभाग के लिए बगैर निविदाएं आमन्त्रित किए मई 1996 में की गई खरीद के आधार पर “नॉन-इन्वेसिव कन्टीनवस हिमोडायनमिक मोनिटरिंग प्रणाली” के लिए 13.86 लाख रू. का एक पुनरादेश अगस्त 1997 में दिया। अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि 1996 में खरीदे गए पहले उपस्कर का विभाग द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा था। दूसरी खरीद करने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अतिरिक्त उपस्कर प्रक्रिया सामग्री पर आधारित थी और प्रक्रिया सामग्री में तेजी से सुधार को दृष्टिगत रखते हुए न केवल कीमत ही कम होती अपितु एक नया और उन्नत रूपान्तर उपलब्ध होता। एक साल से अधिक की हुई खरीद के आधार पर कीमत का पता लगाए बिना उपस्कर की खरीद को विभाग द्वारा उचित सिद्ध नहीं ठहराया जा सका।

उपस्कर की खरीद का कोई औचित्य नहीं था।

(vi) मुख्य संस्थान के भण्डार अनुभाग द्वारा संस्थान (मुख्य) के अलग-अलग विभागों के लिए विदेशी उपस्करों की खरीद की जा रही थी। साखपत्र खोलने के लिए भुगतान करने और आपूर्ति आदेश देने के पश्चात उपस्कर की प्राप्ति और अधिष्ठापन पर निगरानी रखने के लिए कोई केन्द्रीकृत अभिलेख नहीं रखे गए थे। बैंक को भुगतान करते समय भण्डार प्रविष्टि/ विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण राशि के उतार को दर्शाते हुए कोई समायोजन बिल लेखा शाखा को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। संस्थान द्वारा समुचित और पूर्ण अभिलेख के रखरखाव की अनुपस्थिति में उपस्करों की प्राप्ति और उस सम्बन्ध में किए गए भुगतान को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि डिशमार्क 20,000 लगभग पांच लाख रू. की तुल्यराशि की कीमत पर एक मुश्त 2-डी हार्डवेयर/सोफ्टवेयर खरीदने के लिए साख पत्र मार्च 1996 में खोला गया था और आपूर्ति आदेश मई 1996 में दिया गया। बताया गए भारत तीन डिब्बों में से केवल एक डिब्बा मार्च 1997 में प्राप्त हुआ। संस्थान ने एयर-इण्डिया के नौभार को फरवरी 1998 में अनुस्मारक भेजा, उसके पश्चात कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उपस्करों की प्राप्ति और कार्यचालन पर निगरानी रखने के लिए समुचित अभिलेख नहीं रखे गये।

परेषणों की निकासी  
में विलम्ब 448  
दिनों तक का था ।

(vii) 1998-99 और 1999-2000 की चालान फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि 851 परेषण प्राप्त हुए थे । इनमें से 655 मामलों में निकासी बहुत विलम्ब से कराई गई और निकासी में विलम्ब 448 दिनों तक का था जिसके कारण 17.25 लाख रू. के विलम्ब शुल्क की अदायगी करनी पड़ी ।

#### 1.6.6.1 उपस्कर के उपयोग, अधिष्ठापन और चालू होने में विलम्ब

संस्थान ने अस्पताल खण्ड के विभिन्न विभागों को चलाने के लिए बहुमूल्य उपस्कर और मशीने खरीदी/आयात की । इन उपस्करों की प्राप्ति, अधिष्ठापन और उपयोग को देखने के लिए कोई केन्द्रीयकृत परीक्षण नहीं किया गया । लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर संस्थान चार महीनों में केवल 19 विभागों से सूचना एकत्र कर सका । उस सूचना और अन्य अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं: -

#### 1.6.6.2 उपस्करों का अधिष्ठापन न किया जाना

1993 से मार्च 2000 के दौरान 2.30 करोड़ रू. की लागत से खरीदे /आयात किए गए चार अत्यावश्यक उपस्कर, तन्त्र को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पूर्णों की आपूर्ति न किए जाने और अपेक्षित उपस्करों के अतिरिक्त अन्य उपस्करों की आपूर्ति किए जाने के कारण, अधिष्ठापित नहीं किए गए थे ।

#### 1.6.6.3 उपस्करों द्वारा कार्य न किया जाना

सितम्बर 1989 से मार्च 1998 के दौरान अधिष्ठापित किए गए 34.70 लाख रू. की लागत के चार और 42650 स्विस फ्रैन्कस की लागत का एक उपस्कर जून 2000 तक काफी समय के लिए खराब रहे ।

#### 1.6.6.4 उपस्कर के अधिष्ठापन में विलम्ब

23.11 करोड़ रू.+ 131400 अमरीकी डालर की लागत के 28 उपस्कर अगस्त 1993 से सितम्बर 1998 के दौरान खरीदे/आयात किए गए और फरवरी 1995 से अप्रैल 2000 के दौरान अधिष्ठापित किए गए । उपस्करों के अधिष्ठापन में विलम्ब चार से इकत्तीस महीनों का रहा ।

#### 1.6.6.5 पुनर्वास और कृत्रिम अंग विभाग

पुनर्वास और कृत्रिम अंग विभाग विकलांग रोगियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, और भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा सेवाएं और कृत्रिम अंग प्रदान करके सामान्य जीवन में लौटने के लिए उनकी सहायता करता है । अंगों, केलिपर्स, जूतों के उत्पादन और वितरण के लिए, मरम्मत और संशोधन के लिए विभाग के साथ कृत्रिम अंग और ओर्थोटिक

कार्यशाला संलग्न थी। पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों के साथ बी.एस.सी. (उपचर्या) और भौतिक चिकित्सा के विद्यार्थियों को भी रोग-विषयक प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 1995-96 से रोगियों की संख्या विशेषतया पुराने रोगियों की संख्या में वृद्धि दिखाई गई थी, परन्तु उपकरणों का उत्पादन (कृत्रिम अंग, कैलिपर जूते आदि ) सिवाए 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्थिर रहा है जिसने उत्पादन की प्रवृत्ति अधोमुखी दर्शाई जैसा कि नीचे विवरण में दिखाया गया है:-

**तालिका 1.6.6.5**

वर्ष	रोगियों की संख्या			उपकरणों का उत्पादन
	नये	पुराने	जोड़	
1995-1996	7518	20212	27730	1195
1996-1997	10720	18604	29324	1,226
1997-1998	17340	29665	47005	1228
1998-1999	12266	31116	43382	928
1999-2000	17755	36091	53846	975

अभिलेखों की नमूना जांच से आगे पता चला कि:

- (क) डाक्टरों, पराचिकित्सा और कार्यशाला के कर्मचारियों की तैनाती के कोई मानक निश्चित नहीं किए गए थे । इसके अतिरिक्त, विभाग के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे ।
- (ख) कृत्रिम अंग कार्यशाला में रोगियों की प्रतीक्षा अवधि 12 महीनों से 15 महीनों के बीच थी ।
- (ग) 43.35 लाख रू. के उपस्करों को भी अधिष्ठापित किया जाना शेष था क्यों कि या तो महत्वपूर्ण पूर्णों की आपूर्ति नहीं की गई थी या जो उपस्कर आपूर्त किया गया, विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था और क्षतिग्रस्त दिखाई दिया।

### 1.6.7 रोटरी कैंसर अस्पताल की स्थापना

संस्थान ने कैंसर फाऊन्डेशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया के सहयोग से एक रोटरी कैंसर अस्पताल की स्थापना की । प्रस्तावित आठ मंजिला भवन के पहली मंजिल तक का निर्माण कार्य (केवल सिविल निर्माण - कार्य) मई 1981 में पूर्ण हुआ था । फोड़े फुंशी के ज्ञान के क्षेत्र में सेवाओं के लिए बढ़ती हुई जनसाधारण की मांग, रोग निदान की आवश्यकता, कैंसर की रोकथाम और इलाज और राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आई. आर.सी.एच. का विस्तार पूर्ण विकसित कैंसर केन्द्र में किया जाना आवश्यक समझा गया था। 1992 में उत्तर भारत में आई.आर.सी.एच. को एक विस्तृत कैंसर केन्द्र के

आठ मंजिला भवन की केवल दो मंजिलें ही पूर्ण हुई थी ।

रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर संस्थान ने कार्य किया क्यों कि उस समय पश्चिम मण्डल में 1100 बिस्तारों, दक्षिण मण्डल में 787 बिस्तारों, पूर्वी मण्डल में 370 बिस्तारों और मध्य मण्डल में 65 बिस्तारों की तुलना में उत्तरी मण्डल में क्षेत्र के एक मात्र कैंसर केन्द्र आई. आर.सी.एच. में केवल 35 बिस्तर थे। आई. आर.सी.एच. में आने वाले रोगी देश के भिन्न भिन्न भागों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, और कभी कभी पड़ोसी देशों से भी आते हैं परन्तु कैंसर के रोगियों के प्रवेश और उपचार की प्रतीक्षा अवधि अत्यधिक लम्बी थी। अतः वर्तमान ब्लाक के ऊपर छः अतिरिक्त मंजिले और एक अतिरिक्त ब्लाक के निर्माण का निर्णय लिया गया। पूर्ण विकसित क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र की स्थापना की दृष्टि से ई.एफ.सी. के अनुमोदन के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करते समय संस्थान ने 1992 में भवन का निर्माण पूरा होने की अवधि तीन वर्ष और अस्पताल के चालू होने की अवधि आठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक बताई थी। आई.आर.सी.एच. के विस्तार का प्रस्ताव इ.एफ.सी. द्वारा अनुमोदित हो गया था और संस्थान द्वारा 1992-93 के दौरान 2.85 करोड़ रु. की प्रथम किस्त और 1993-94 के दौरान 1.65 करोड़ रु. की द्वितीय किस्त प्राप्त की गई थी।

यह देखा गया कि ई.एफ.सी. ज्ञापन प्रस्तुत करते समय संस्थान ने निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि 1995 तक बताई, परन्तु वास्तुशिल्पीय परामर्शदाता जिसे वास्तविक लागत का चार प्रतिशत प्रभार दिया जाना था, के अनुसार भवन के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि जनवरी 1997 थी। भवन की योजनाएं नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिसम्बर 1995 में अनुमोदित कर दी गई थीं परन्तु निर्माण कार्य केवल जनवरी 1999 में आरम्भ किया गया। परियोजना जिसकी 1992 में 4.60 करोड़ रु. से पूर्ण होने की प्रत्याशा थी, 14.91 करोड़ रु. की लागत पर दी गई और निर्माण की वास्तविक लागत, बड़ी हुई कीमत आदि, भवन के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही पता चल सकता है। विलम्ब के कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताए गए थे। परिसमाप्त क्षतियों के पूर्वोपायों का ठेके में कोई प्रावधान नहीं था। इसी बीच सुविधाओं की कमी के कारण पिछले पांच वर्ष से गम्भीर रूप से बीमार तीन से चार रोगियों को प्रतिदिन प्रवेश से इन्कार किया जाता रहा। इसका संचित प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता था।

#### 1.6.8 मानसिक आघात केन्द्र की स्थापना

तेजी से बढ़ते हुए औद्योगीकरण, वाहन यातायात में वृद्धि, मशीनरी और उपस्कर का प्रयोग और बढ़ते हुए सामाजिक तनाव के परिपेक्ष्य में अ.भा.आ.सं. ने दिल्ली शहर के लिए

तीन से चार  
गम्भीर रूप से  
बीमार रोगियों को  
प्रतिदिन प्रवेश के  
लिए मना किया  
गया था।

के.दु.मा.से.<sup>4</sup> की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की जिसमें शीर्ष केन्द्र और परिधीय अस्पताल भी शामिल होंगे जिनका उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- (i) घायलों को मानसिक आघात उपचार की सेवाएं प्रदान करना, अधिमानतः उपचार घटना स्थल पर शुरू किया जाना ;
- (ii) ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना;
- (iii) नियत आंकड़ों के मूल्यांकन, और सार्वजनिक शिक्षा द्वारा दुर्घटनाएं रोकने के लिए परिवहन, संचार, कानून और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना, और
- (iv) कम से कम समय में प्रभावकारी उपचार करने के लिए स्वास्थ्य लाभ सम्बन्धी तकनीक का प्रयोग करना और दुर्बल रोगी को सुयोग्य नागरिक बनाना ।

16.65 करोड़ रू० की लागत से, अ.भा.आ.सं. के संरक्षण में, के.दु.मा.से. परियोजना की स्थापना के लिए, सरकार का अनुमोदन मई 1984 को, अन्य बातों के साथ साथ, इस शर्त के अधीन दे दिया गया था, कि केन्द्रीयकृत दुर्घटना अस्पताल (शीर्ष केन्द्र) का निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ किया जाए और केन्द्र पांच वर्ष के अन्दर कार्य करना आरम्भ कर दे । सफदरजंग अस्पताल के नजदीक लगभग 14.5 एकड़ भूमि का कब्जा जनवरी 1986 में ले लिया गया था । बहुत सी, अधिकांशतः दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत, एजेन्सियों के साथ बहुखण्डीय समन्वय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, मंत्रालय द्वारा 1989 में योजना का पुनरीक्षण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि योजना को केन्द्रीय क्षेत्र से दिल्ली प्रशासन को अंतरित कर दिया जाए और इसका क्रियान्वयन इस उद्देश्य के लिए पंजीकृत और दिल्ली प्रशासन द्वारा समर्थित समिति द्वारा किया जाए । तथापि 1991 में यह अनुभव किया गया कि लागत और उपयोग के पहलुओं पर विचार करते हुए यह सम्भव नहीं होगा कि के.दु.मा.से. की स्थापना दिल्ली प्रशासन करे । केन्द्र का यह विचार था कि के.दु.मा.से. अ.भा.आ.सं. या सफदरजंग अस्पताल की तरह बहु अनुशासकीय अस्पताल का एक आवश्यक अंग था । नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली शहरी कला आयोग ने 1995 में मानसिक आघात केन्द्र के नक्शे को अनुमोदित कर दिया । अभी तक (नवम्बर 2000) निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, यद्यपि भूमि प्रभार और परामर्शदात्री फीस के रूप में 13.56 करोड़ रू. पहले ही व्यय हो चुके थे ।

<sup>4</sup> केन्द्रीयकृत दुर्घटना और मानसिक आघात सेवा



## 1.6.9 नशा मुक्ति केन्द्र

दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में संस्थान के तत्वावधान के अर्न्तगत एक नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी और सातवीं योजना में निम्न उद्देश्यों के लिए संस्थान को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई गयी :

- (i) लगातार मॉनिटरिंग हेतु पद्धति स्थापित करने के लिए, जो लम्बे समय पश्चात् मुख्य रूप से सुमेद्य विभाग में, सार के दुरुपयोग में बदलती प्रवृत्ति का मूल्यांकन कर सके :
- (ii) मादक द्रव्य एल्कोहल सम्बन्धित अक्षमताओं को कम करने और रोकने के लिए औचित्य पूर्ण तरीके विकसित करना ताकि केन्द्र एक सुन्दर केन्द्र और एस.ए.ए.आर.सी. और दक्षिण - पूर्व देशों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान व अन्य सम्बन्धित स्वरूपों के लिए साधन बन सके ।

इनपुट में स्टाफ शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान तथा स्वास्थ्य शिक्षा को भी सुदृढ़ करना शामिल है । उपयुक्त प्रशासनिक स्टाफ, क्लिनिकल प्रयोगशालाएं और अन्य स्टाफ भी लगाया गया था ।

केन्द्र के पास अपना आपातकालीन/दुर्घटना और ग.दे.क. सुविधाएं नहीं है। आपातकाल/दुर्घटना के मरीजों को इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के दुर्घटना विभाग में भेजा जा रहा था । आन्तरिक रोगियों के इलाज हेतु लगायी गई नर्सों की संख्या, स्वीकृत संख्या तथा कमी निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.6.9(i)

वर्ष	स्वीकृत संख्या	वास्तविक तेनाती	रिक्त
1993-94	41	20	21
1994-95	41	18	23
1995-96	41	16	25
1996-97	41	16	25
1997-98	41	20	21
1998-99	41	20	21

नर्सों की तेनाती में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी।

1993-94 से 1998-99 के दौरान कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी जिसने देखभाल को बुरी तरह से प्रभावित किया ।

1993-94 से 1998-99 के दौरान बा.रो.वि. मामले व आन्तरिक रोगी प्रवेश की संख्या निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.6.9(ii)

वर्ष	बा.रो.वि. रोगी			प्रवेश (आन्तरिक रोगी)
	नये	पुराने	कुल	
1993-94	2,664	8,160	10,824	492
1994-95	2,103	7,263	9,366	495
1995-96	2,434	8,234	10,668	499
1996-97	2,713	10,105	12,818	478
1997-98	3,393	13,565	16,928	529
1998-99	3,927	15,438	19,365	458

आन्तरिक रोगियों की संख्या लगभग स्थिर रही।

यद्यपि 1995-96 से नये व पुराने रोगियों की संख्या में ध्यानोचित बढ़ोत्तरी थी, परन्तु आन्तरिक रोगियों का प्रवेश लगभग स्थिर रहा। संस्थान ने 1999-2000 के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये थे।

#### 1.6.10 लेखे

##### 1.6.10.1 असमाधानित व्यय

मार्च 2000 के तुलन पत्र में संस्थान (मुख्य) के मशीनरी एवं उपकरण शीर्ष के अंतर्गत विदेशी खरीद के लिए 21.98 करोड़ रु. अग्रिम रूप में दिए गए दर्शाए गए थे। लेकिन अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष के दौरान केवल 21.39 करोड़ रु. के अग्रिम दिए गए थे। संस्थान 59 लाख रु. के अंतर का समाधान नहीं कर सका।

##### 1.6.10.2 मार्च 2000 में 18.73 करोड़ रु. का व्यय गलत दर्ज करना

31 मार्च 2000 को लेखे में उपरोक्त 21.39 करोड़ रु. में से 18.73 करोड़ रु. डेबिट किये गए थे। लेकिन अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान करने के लिए उसके साखपत्र अप्रैल से अगस्त 2000 तक खोले गए थे। इस प्रकार व्यय को 1999-2000 में किया गया गलत दर्शाया गया था क्योंकि उस खाते के प्रति आहरित किये गये चेक संस्थान के पास ही रहे।

##### 1.6.10.3 लेवी स्टाम्प

संस्थान ने अप्रैल 1995 से बा.रो.वि.<sup>2</sup> में नए रोगियों के लिए 10रु. का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया। यह संस्थान द्वारा पंजीकरण पत्रक पर लेवी स्टाम्प लगाकर एकत्र किया जाता है। ये स्टाम्प पंजीकरण के एक वर्ष के पश्चात पुराने पत्रकों पर भी लगाये जाते हैं। इन विशेष सुविधाओं के लिए अपने औषधालयों से भेजे गए ई.एच.एस. रोगियों तथा एक बा.रो.वि. से दूसरे में भेजे गए रोगियों को 10 रु. का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के लिए लेवी स्टाम्प संस्थान द्वारा मुद्रित कराए जाते हैं तथा संस्थान के कोषाध्यक्ष के पास रखे जाते हैं जो पंजीकरण पत्रकों पर लगाने के लिए बा.रो.वि./ केन्द्रों को स्टाम्प जारी करता है। विभिन्न केन्द्रों में नए बा.रो.वि. रोगियों के आंकड़ों का लेवी

<sup>2</sup> बाह्य रोगी विभाग

स्टाम्प के स्टॉक तथा निकासी रजिस्टर की प्रति जांच से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

**तालिका 1.6.10.3 : स्टाम्प खाते में विसंगति**

वर्ष	बा.रो.वि. में नए मामलों की सं.	10 रु. प्रति रोगी की दर से प्रभार्य लेवी स्टाम्प की राशि	अभिलेखानुसार बेचे गए लेवी स्टाम्प (रु. में)
1995-96	708641	7086410	2575740
1996-97	759971	7599710	2931150
1997-98	770370	7703700	2818850
1998-99	732474	7324740	2450280
1999-2000	827828	8278280	2958460
<b>जोड़</b>		<b>37992840</b>	<b>13734480</b>

**2.43 करोड़ रु. का राजस्व छोड़ा गया।**

इस प्रकार इसमें 2.43 करोड़ रु. का अंतर है जिसे संस्थान स्पष्ट नहीं कर सका। चूंकि लेवी स्टाम्प से संस्थान को राजस्व प्राप्त होता है, प्रभार्य राशि तथा वास्तव में संग्रहीत राशि के बीच अंतर, छोड़े गए राजस्व की मात्रा (करीब करीब 63.68 प्रतिशत) की पुष्टि करता है।

#### **1.6.10.4 निजी फर्मों के प्रति बकाया अग्रिम**

संस्थान सामग्री भण्डार आदि की खरीद हेतु विभागों/भण्डार के माध्यम से विभिन्न फर्मों को अग्रिम भुगतान कर रहा था। विभाग/ भण्डार इन अग्रिमों के संबंध में लेखे प्रस्तुत करता है। संस्थान ने इन अग्रिम भुगतानों के अभिलेख नहीं भेजे। तथापि, संस्थान द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार 31 मार्च 2000 को बकाया अग्रिम निम्नानुसार थे -

**तालिका 1.6.10.4 : बकाया अग्रिम**

(लाख रु.में)

वर्ष	राशि
1990-91	4.52
1991-92	1.74
1992-93	48.37
1993-94	8.58
1994-95	6.40
1995-96	14.83
1996-97	13.69
1997-98	27.39
1998-99	30.13
1999-2000	102.14
<b>कुल</b>	<b>257.79</b>

2.57 करोड़ रु. के अग्रिम वार्षिक लेखे में नहीं दर्शाये गए ।

संस्थान ने उपरोक्त बकाया के लिए कोई कारण नहीं भेजे। तथापि लम्बे समय से बकाया अग्रिम इस तथ्य के सूचक थे कि संस्थान द्वारा इन बकाया अग्रिमों को समायोजित/वसूलने के लिए ईमानदारी से कोई कदम नहीं उठाए गए थे । आगे काफी समय पश्चात उनके अप्राप्य ऋण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । यह और देखा गया था कि अग्रिम वार्षिक लेखे में नहीं दर्शाये गये थे । इस प्रकार तैयार किए गए वार्षिक लेखे संस्थान की सही और उचित स्थिति नहीं दर्शाते हैं ।

**1.6.10.5 कार्डियोथोरेसिस वैसकुलर सर्जरी लेखे के अंतर्गत 14.69 लाख रु. की असमाधानित राशि ।**

14.69 लाख रु. प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध न होने से उसे लेखाओं में असमाधानित शेष के रूप में दर्शाया गया था ।

संस्थान के वर्ष 1990-91 के लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि हृदय शल्यचिकित्सा रोगियों से प्राप्त नकद प्राप्ति को कार्डियोथोरेसिस वैसकुलर सर्जरी (का.वै.स.) के प्रारंभ होने अर्थात् 1979 से संस्थान के लेखाओं में लेखाबद्ध नहीं किया जा रहा था । इन लेनदेनों को समाविष्ट करने तथा वर्ष 1991-92 के लेखाओं को संशोधित करने के लिए मामला फरवरी 1993 में मंत्रालय के साथ उठाया गया था। तदनुसार संस्थान ने अपने पास उपलब्ध रोकड़ रजिस्ट्रों तथा रोगियों की फाइल आदि से परिकलित करके उसमें कुल प्राप्तियों तथा व्यय को समाविष्ट करने के बाद अपने लेखे संशोधित किए जिससे 25.47 लाख रु. के अंतर का पता चला । इसमें से 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान 14.69 लाख रु. का असमाधानित अंतर छोड़ते हुए क्रमशः 3.64 लाख रु. तथा 7.14 लाख रु. का समाधान कर लिया गया था । चूंकि 14.69 लाख रु. की शेष राशि प्रत्यक्ष रूप से संस्थान के पास उपलब्ध नहीं थी, लेखाओं में इसे असमाधानित शेष के रूप में दर्शाया गया था ।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2000) कि संबंधित कर्मचारी को सी.सी.एस. (सी सी ए) नियमावली के नियम 14 के अधीन आरोपपत्र दिया गया था । विभागीय जांच कराई गई थी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी (निदेशक अ.भा.आ.सं.) ने सितम्बर 1990 से उसकी वेतनवृद्धि रोककर जुर्माना लगाया तथा वह कर्मचारी 30.9.1997 को उसी मूल वेतन पर सेवानिवृत्त हुआ । संस्थान उस कर्मचारी के विरुद्ध दुर्विनियोजन हेतु कोई मुकदमा नहीं कर सका तथा निर्णय किया गया कि सी.टी.रोगी निधि के अल्प कालिक निवेशों द्वारा अर्जित ब्याज में से इस 14.69 लाख रु. की असमाधानित राशि को पूरा किया जाए । यह स्थायी वित्त समिति द्वारा उसकी बैठक में (अगस्त 1998) प्राधिकृत किया गया था तथा मुख्य कार्डियोथोरेसिस केन्द्र द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था (दिसम्बर 1999) ।

## 1.6.11. विविध

### 1.6.11.1 भूमि का अनाधिकृत कब्जा

1966-69 के दौरान संस्थान को मस्जिद मोठ पर 32.09 एकड़ जमीन आंबटित की गयी थी, चूंकि भूमि निधियों की कमी के कारण परियोजनाओं के निर्माण न होने से खाली पड़ी रही, इसमें से 22 एकड़ पर झु.झो.<sup>5</sup> वालों ने कब्जा कर लिया था। 1992-93 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (अब दि.न.नि.)<sup>6</sup> के स्लम विभाग के अधिकारियों तथा संस्थान के अधिकारियों द्वारा इस झोपड़ पट्टी का संयुक्त सर्वेक्षण कराया गया था जिससे पता चला कि झु.झो. वालों की संख्या 2456 थी जो वैकल्पिक स्थान के पात्र थे। पुनः स्थापना का खर्च जो कि दि.न.नि. ने अप्रैल 1993 से प्रति झुग्गी 10,000 रु. से संशोधित करके 29,000 रु. कर दिया था, जमीन की मालिक अभिकरणों (संस्थान) को भुगतान करना था। संस्थान ने पुनर्स्थापना लागत (सितम्बर 1993 तक) के रूप में अपने भाग की पहली किस्त 2.97 करोड़ रुपये दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग के पास जमा करा दी। दि.न.नि. के स्लम खण्ड द्वारा किये गये एक क्षिप्रगणन परीक्षण सर्वेक्षण में पाया गया कि 2,456 पात्र झुग्गी झोपड़ी वालों के अतिरिक्त उस झोपड़ पट्टी में 4500 अपात्र झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे। दिसम्बर 1996 में सचिव (शहरी विकास), शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई बैठक में गहन विचार विमर्श के पश्चात् यह फैसला किया गया कि संस्थान की जमीन से 2456 पात्र झुग्गी झोपड़ी परिवारों को तथा लगभग 4500 अपात्र झुग्गी झोपड़ी परिवारों को (मार्च 1996 में) स्थानान्तरित करने की आवश्यकता थी। संस्थान 4.28 करोड़ रुपये (7.25 करोड़ रु.- 2.97 करोड़ रु. जो पहले ही भुगतान कर दिए गये थे) पात्र झुग्गी झोपड़ी परिवारों के वापस अदायगी हेतु तथा 9.90 करोड़ रुपये अपात्र झुग्गी झोपड़ी परिवारों को भुगतान करेगा। इस प्रकार संस्थान पुनर्स्थापना मूल्य के रूप में दि.न.नि. को कुल 17.15 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। अतिरिक्त राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जा सकता था। तदनुसार संस्थान ने दि.न.नि. को 7.00 करोड़ रुपये का भुगतान अगस्त 1997 में कर दिया था। झोपड़ पट्टी के स्थानान्तर का समय दि.न.नि. के स्लम विभाग में 7.00 करोड़ रुपये जमा करने की तारीख से 12 महीने या मार्च 1998 निर्धारित किया गया था। तब संस्थान की भूमि की सुरक्षा तथा विकास आरम्भ करना था। इस प्रकार संस्थान को भूमि का कब्जा देने के लिए दि.न.नि. को 9.97 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। हालांकि न तो भूमि खाली हुई और न ही भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ (जुलाई 2000)।

9.97 करोड़ रु. की वापस अदायगी लागत के भुगतान के बावजूद भूमि का कब्जा अभी लिया जाना था।

<sup>5</sup> झुग्गी झोपड़ी

<sup>6</sup> दिल्ली नगर निगम

इसके परिणामस्वरूप न केवल 9.97 करोड़ रुपये की निधियों का अवरोधन हुआ बल्कि इससे क्वार्टर निर्माण का उद्देश्य प्राप्त करना भी प्रभावित हुआ ।

**1.6.11.2 बाहरी एजेन्सियों से 13.23 लाख रुपये के बिजली के बिलों की उगाही न होना**

13.23 लाख रु.  
का भुगतान प्राप्त  
नहीं किया गया ।

कुछ निजी एजेन्सियां संस्थान प्रांगण में अपना व्यापार चला रही है । इन एजेन्सियों को बिजली और पानी की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । यह देखने में आया कि भारतीय स्टेट बैंक के मई 1993 से अगस्त 2000 के समय के 9.29 लाख रु. के तथा सुपर बाजार की दवाई की दुकान के मार्च 1994 से जनवरी 2000 के समय के 3.94 लाख रु. के बिजली के बिल नवम्बर 1998 और सितम्बर 2000 के बीच प्रस्तुत किए थे लेकिन यथा तारीख तक (नवम्बर 2000) भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था । इसके परिणाम स्वरूप 13.23 लाख रुपये के बिजली के बिलों की उगाही नहीं हुई । संस्थान द्वारा बिलों को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण नहीं बताये गये ।

**1.6.11.3 लाइसेन्स शुल्क पर 55.38 लाख रुपये के राजस्व की हानि**

(क) संस्थान ने 1975 में, निजी वार्ड के भूतल पर पानी तथा बिजली के कनेक्शन सहित दो गैरेज सुपर बाजार को मैडिकल का सामान तथा दवाइयों की दुकान खोलने के लिए एक रूपया प्रतिमाह के नाममात्र की लाइसेन्स शुल्क पर दिए। लाइसेन्स शुल्क लेने के मामले पर 1977 में पुनः विचार किया गया और यह फैसला किया गया कि सुपर बाजार से एक रूपया प्रति माह लाइसेन्स शुल्क के बजाय 400 रुपये प्रतिमाह लाइसेन्स शुल्क लिया जाय । सुपर बाजार ने मई 1997 तक 400 रुपये प्रति माह का लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किया । मई 1997 के बाद सुपर बाजार से कोई लाइसेन्स शुल्क वसूल नहीं किया गया। दिसम्बर 1993 में दवाई की दूसरी दुकान खोलने के लिए प्रस्ताव रखा गया। एक निजी पार्टी ने सुपर बाजार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र से कम स्थान के लिए चार लाख रुपये प्रतिमाह लाइसेन्स शुल्क उद्धृत किया । सुपर बाजार ने भी उसी स्थान के लिए 25000 रुपये प्रतिमाह लाइसेन्स शुल्क उद्धृत किया । तथापि संविदा को इस दलील पर कि अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा यातायात के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित दुकान का स्थान उपयुक्त नहीं था, अन्तिम रूप नहीं दिया गया हालांकि वर्तमान सुपर बाजार की दवाई की दुकान उसी स्थान पर चल रही थी । लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से यद्यपि संविदा को उपरोक्त कारणों से अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका सुपर बाजार से उसके द्वारा पहले ही अधिग्रहित स्थान के लिए 25000 रुपये प्रतिमाह का लाइसेन्स शुल्क लिया जाना चाहिए

था। सुपर बाजार से प्रतिमाह 25000 रुपये का लाइसेन्स शुल्क वसूलने के कोई प्रयास नहीं किए गये जिसके फलस्वरूप 18.59 लाख रुपये की हानि हुई (मार्च 2000)।

दिसम्बर 1997 से आगे संस्थान ने 400 रु. प्रतिमाह की दर पर लाइसेन्स शुल्क स्वीकार नहीं किया था तथा सुपर बाजार को परिसर खाली करने के लिए कहा था (जनवरी 1998) जिसे अभी तक खाली नहीं किया गया था। संस्थान द्वारा किसी वैकल्पिक स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

(ख) सुपर बाजार को ऑपरेटिव स्टोर्स लि. द्वारा आयुर्विज्ञान नगर में 200 रु. प्रतिमाह के नाममात्र लाइसेन्स शुल्क पर एक प्रोजेक्शन स्टोर का प्रबन्ध किया जा रहा है। सुपर बाजार से 50 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से सितम्बर 1994 से लाइसेन्स शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 50,600 रुपये प्रतिमाह लाइसेन्स शुल्क का आंकलन किया गया जिसे संस्थान के निदेशक ने अनुमोदित कर दिया। तथापि जुलाई 1997 में निदेशक ने अपना पहला आदेश रद्द कर दिया तथा पूर्वनिर्धारित 200 रु. प्रति मास वसूल करने का निर्णय लिया तथा समस्त अवधि को करार मान लिया गया और वर्तमान दर पर करार को दिसम्बर 1997 तक बढ़ा दिया। संविदा को जनवरी 1998 से सितम्बर 2000 तक के समय के लिए सितम्बर 2000 में पूर्व व्यापी प्रभाव से बढ़ाया गया था। सुपर बाजार से एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते के.लो.नि.वि. के मानकों के अनुसार वसूल करना चाहिए था। इस प्रकार प्रचलित दरों पर लाइसेन्स शुल्क वसूल करने के आदेश वापिस लेने के फलस्वरूप सितम्बर 2000 तक 36.79 लाख रुपये की हानि हुई। सुपर बाजार से सितम्बर 2000 को या उससे पहले अधिग्रहित आयुर्विज्ञान नगर के प्रांगण को खाली करने के लिए कहा गया था। स्टोर अक्टूबर 2000 तक खाली नहीं हुआ था।

इस प्रकार लाइसेन्स शुल्क पर कुल 55.38 लाख रुपये (18.59 लाख रु.+ 36.79 लाख रु.) की हानि हुई।

#### 1.6.11.4 परिवहन भत्तों का अधिक भुगतान

सरकारी आदेशों के विरुद्ध 1.30 करोड़ रु. के परिवहन भत्ते का अधिक भुगतान

वित्त मंत्रालय, के दिनांक 3.10.97 के आदेश के अनुसार जो 1.8.97 से प्रभावी था, परिवहन भत्ता उन कर्मचारियों को ग्राह्य नहीं होगा जिन्हें एक कि.मी. की दूरी के अन्दर-अन्दर सरकारी आवास या परिसर जहां कार्य और आवास का स्थान स्थित है, में सरकारी आवास मिला हुआ है और उन लोगों को भी जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान की गई है। तो भी यह प्रकाश में आया कि संस्थान इन नियमों के विरुद्ध उन कर्मचारियों को एक कि.मी. के अन्दर सरकारी आवास या संस्थान परिसर में रह रहे थे तथा उन कर्मचारियों को भी जो सरकारी परिवहन की सुविधा ले रहे थे परिवहन भत्ते की अदायगी करता रहा

था। संस्थान ने उन कर्मचारियों की पूरी विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी। तो भी मार्च 2000 को 938 कर्मचारी सरकारी परिवहन की सुविधा लेते पाये गये और संस्थान अपने अन्सारि नगर स्थित कैम्पस में 888 क्वाटरों को बनाए हुए था। अगस्त, 1997 से अक्टूबर 2000 के समय के दौरान 1.30 करोड़ रुपये के परिवहन भत्तों का अधिक भुगतान परिकलित किया गया था।

#### 1.6.11.5 कम्प्यूटरीकरण पर 3.99 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय

अप्रैल 1989 में संस्थान ने 2.03 करोड़ रुपये की लागत पर एक कम्प्यूटर प्रणाली प्राप्त की। रोगियों को देखभाल का यह साफ्टवेयर (कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के मापदण्डों में से एक) टाटा परामर्शदात्री सेवा द्वारा, मई 1990 में 25 लाख रुपये की लागत से विकसित किया गया था। अगस्त 1996 में संस्थान ने यह महसूस किया कि परेशानियाँ और रोगी देखभाल प्रणाली के लागू करने में संगठनिक प्रयासों और उचित मार्ग दर्शन के अभाव में, रोगी देखभाल प्रणाली का सफलता पूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सका। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि वार्षिक रखरखाव की संविदा को न बढ़ाया जाये। यह दर्शाने के लिए कोई रिकार्ड नहीं था कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ तक हुई थी जिन्हें कम्प्यूटरीकरण करते समय दर्शाया गया था। कम्प्यूटर प्रणाली, जो मई 1996 से बेकार पड़ी हुई थी, तथा उसके रखरखाव पर किये गये खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार था :

#### तालिका 1.6.11.5 : कम्प्यूटर प्रणाली पर खर्च का ब्यौरा

(लाख रु. में)

कम्प्यूटर प्रणाली की खरीद	202.64
पी.सी.एस.साफ्टवेयर का विकास	25.00
वार्षिक अनुक्षण प्रभार	143.26
टर्मिनल की खरीद (स्टाक रजिस्टर के अनुसार मार्च 1988 से मार्च 1996 तक 27 टर्मिनल की कीमत निकालकर)	27.64

संस्थान द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली को समय पर बदलने के अपने निर्णय को लागू न कर पाने के कारण इसकी कार्य प्रणाली के दौरान संग्रहित आंकड़े भी आगे प्रयोग नहीं किये जा सके। इस प्रकार 3.99 करोड़ रुपये खर्च करने पर भी संस्थान कम्प्यूटरीकरण का लाभ न ले सका।

#### 1.6.12 मूल्यांकन और परिवीक्षण

##### 1.6.12.1 निष्पादन संवीक्षा न करना


सामान्य वित्तीय नियमावली 150 के नीचे भारत सरकार के निर्णय 5(ग) में विचारित है कि अनुदानित संस्थान की निष्पादन संवीक्षा सहायता अनुदान के संदर्भ में संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा तीन से पांच वर्ष में कम से कम एक बार की जायेगी। मंत्रालय द्वारा ऐसी निष्पादन संवीक्षा कभी नहीं की गयी।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।



मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर



## अध्याय III : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### शिक्षा विभाग

#### 2.1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर

जैसाकि मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था, भा.प्रौ.सं. विद्यार्थियों के प्रवेश में वृद्धि करने में विफल रहा। दान की उपलब्धता के बावजूद भी प्रतिष्ठित विद्वानों की पीठें खाली रही। भा.प्रौ.सं. ने सरकार से अनुरूप अनुदान प्राप्त करने के अतिरिक्त अपनी निवल आप से एक विन्यास निधि की स्थापना की तथापि संस्थान ने कोई सापेक्ष योजना नहीं बनाई थी और न ही इसने विन्यास निधि की आय का उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की। इसके स्थान पर मार्च 2000 तक उपलब्ध 83.79 करोड़ रु. के शेषों का वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश कर दिया। भा.प्रौ.सं. ने संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1995-99 के दौरान 13.80 करोड़ रु. की राशि की विशिष्ट उद्देश्य अनुदानें प्राप्त की। इसका उपयोग भी बहुत कम हुआ।

मंत्रालय ने इस विषय पर निर्णय लिए बिना कि क्या अवरोध अनुदान प्रणाली जारी रखी जाए या नहीं भा.प्रौ.सं. खडगपुर को 1997-98 से निधियां देनी जारी रखी। उत्तरवर्ती वर्षों में भा.प्रौ.सं. के निर्माचनों के विरुद्ध विन्यास निधि की प्राप्तियों का उपयोग नहीं किया गया। इस प्रकार आठ वर्षों तक भा.प्रौ.सं. द्वारा विन्यास निधि का उपयोग नहीं किया गया।

#### विशिष्टताएं

- 1995 तथा 1999 के बीच प्राप्त 13.80 करोड़ रु. के विशिष्ट उद्देश्य योजना अनुदानों में से भा.प्रौ.सं. ने केवल 6.95 करोड़ रु. का उपयोग किया।
- भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत भा.प्रौ.सं. ने इसके विकास कार्य के लिए विन्यास निधि से मार्च 2000 तक 83.79 करोड़ रु. का उपयोग नहीं किया।
- मंत्रालय 1996 से अब तक अवरोध अनुदान प्रणाली को जारी रखने के बारे में निर्णय लेने में विफल रहा।
- 1993-97 के दौरान 3.82 करोड़ रु. के अधिक अनुरूपयोजी अनुदान का दावा किया।

- भा.प्रौ.सं. की अन्तर्ग्रहण क्षमता लक्ष्य के अनुसार नहीं बढ़ी थी निधियां अप्रयुक्त पड़ी रही।
- भा.प्रौ.सं. प्रसिद्ध विद्वानों के लिए पीठ की स्थापना नहीं कर सका तथा विभिन्न संगठनों से प्राप्त हुये अनुदान अनुपयोजित रह गये।
- प्रौद्योगिकी विकास मिशन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए उनके अंशदान के लिए उद्योगों के साथ सम्पर्क बनाने में भा.प्रौ.सं. की विफलता के कारण 1.17 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

#### 2.1.1 प्रस्तावना

भा.प्रौ.सं.<sup>1</sup> खड़गपुर, पश्चिम बंगाल अप्रैल 1950 में स्थापित किया गया था इसे 1962 में प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के अन्तर्गत “राष्ट्रीय महत्व के संस्थान” के रूप में घोषित किया गया था।

इस संस्थान के उद्देश्य पूर्ण तथा प्रायोगिक विज्ञान एवं इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर उत्कर्ष शिक्षा प्रदान करना, पूर्ण तथा प्रायोजित विज्ञान व इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान संचालन के माध्यम से ज्ञान की और अधिक प्रगति करना तथा भारतीय उद्योग तथा अन्य प्रयोक्ता क्षेत्रों के लाभ के लिए ज्ञान का प्रचार तथा अन्तर्ण करना है।

#### 2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

सभी भा.प्रौ.सं. की गतिविधियों के समन्वयन के लिए अधिनियम के अन्तर्गत परिषद के रूप में घोषित किये गए केन्द्रीय निकाय की स्थापना की गई थी। प्रत्येक भा.प्रौ.सं. बो.आ.ग.<sup>2</sup> तथा अधिसभा द्वारा नियंत्रित होता है। परिषद की गतिविधियां अन्य बातों के साथ साथ ये हैं, पाठ्यक्रम की अवधि से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देना, भरती के कैंडिड तथा विधियों के सम्बन्ध में नीति तैयार करना, प्रत्येक संस्थान की विकास योजना की जांच करना, प्रत्येक संस्थान के वार्षिक बजट अनुमान की जांच करना, आगस्तिक, भारत के राष्ट्रपति को उसके द्वारा अधिनियम के अधीन सम्पन्न किये जाने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में सलाह देना, यदि ऐसा आवश्यक हो।

संस्थान का कार्यकारी नियंत्रण बो.आ.ग. में निहित है।

<sup>1</sup> भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

<sup>2</sup> बोर्ड आफ गवर्नर्स

### 2.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

भा.प्रौ.सं. खड़गपुर की 1995-96 से 1999-2000 की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण अगस्त-सितम्बर 2000 में किया गया था।

### 2.1.4 वित्त

2.1.4.1 संस्थान मुख्यतया भारत सरकार से अनुदानों द्वारा वित्तपोषित होता है। इसकी, शुल्कों, परामर्श, सीट किराया, परिकलन प्रभारों तथा दान आदि से भी अपनी आय है। 1995-2000 की अवधि के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 2.1.4.1 व्यय की तुलना में अनुदान एवं दूसरी आय

( करोड़ रु में )

वर्ष	अनुदान		अन्य आय <sup>3</sup>	कुल आय	राजस्व व्यय	पूजीगत व्यय <sup>3</sup>	कुल व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूजीगत व्यय
	योजनेतर	योजनागत							
1995-96	25.61	4.25	9.16	39.02	29.21	5.48	34.69	84.21	15.79
1996-97	34.51	4.80	13.92	53.23	32.08	7.86	39.94	80.32	19.68
1997-98	34.90	7.75	16.02	58.67	35.49	6.15	41.64	85.23	14.77
1998-99	59.50	10.00	20.97	90.47	56.43	9.81	66.24	85.19	14.81
1999-00	60.25	21.80	23.59	105.64	57.69	10.94	68.63	84.06	15.94

इस प्रकार कुल व्यय बढ़ता हुआ कुल आय से कम हो रहा है तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण पर कुल व्यय का औसतन 16.03 प्रतिशत खर्च किया गया जबकि 83.97 प्रतिशत अनुसंधान लागत पर खर्च किया गया था।

### 2.1.4.2 विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान (योजनागत)

योजना गत अनुदान के केवल 50.36 प्रतिशत का अनुप्रयोग

संस्थान को 1995 से 2000 के बीच विशिष्ट उद्देश्य अनुदान के 30.60 करोड़ रु. संस्वीकृत किये गये तथा इसने 1995-99 के बीच 13.80 करोड़ रु. प्राप्त किये। ये अनुदान मंत्रालय द्वारा संस्थान के बजट प्रस्ताव के प्रति संस्वीकृत किये गये थे। भारी मांग का प्रक्षेपण करने के बावजूद संस्थान मार्च 2000 तक 6.95 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका जैसा परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है। 6.85 करोड़ रु. के अप्रयुक्त अनुदान को लघु अवधि निवेश में रखा गया था तथा उस पर अर्जित ब्याज को राजस्व

<sup>3</sup> अन्य आय-कुल आय जैसे कि आय एवं व्यय लेखे में दर्शाई गई घटायें लेखे को क्रेडिट किया गया सरकारी अनुदान

लेखे में जमा किया जा रहा था जिसका संस्थान द्वारा परिमाण नहीं बताया गया क्योंकि निवेश, संस्थान की कुल उपलब्ध निधि में से किया जा रहा था तथा अप्रयुक्त विशिष्ट उद्देश्य योजना अनुदानों से किये गये निवेश का संबंधित ब्यौरा नहीं बनाया गया था। निम्नतम औसत दर से उपयोग में नहीं लाई गई अवधि व्यय अनुदान पर ब्याज की कल्पना की जाये तो लेखापरीक्षा द्वारा गणना 8६.06 लाख रू. होती है।

### 2.1.5. निधियन का संशोधित तरीका

अवरोद्ध अनुदान  
योजना 1993-94 स  
लागू हुई ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मई 1994 में अवरोद्ध अनुदान के नाम से जानी जाने वाली संशोधित पैटर्न पर निधियन की पद्धति, सभी भा.प्रा.सं. (सिवाय भा.प्रो.सं., गोहाटी) में 1993-94 से लागू की । इस योजना में भा.प्रौ.सं. के प्रबन्धन में अधिक मितव्ययिता और स्वायत्तता तथा भारत सरकार के वित्तीय दायित्वों को सीमित करने पर विचार किया गया। इस योजना को 8वीं योजना के बचे हिस्से यानि 96-97 तक की अवधि में पूरा करना था।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं।

- 1993-94 से आरम्भ हुए वित्तीय वर्ष से योजनेत्तर भा.प्रो.सं. में योजनागत अनुदान, 92-93 के वित्तीय वर्ष के संशोधित बजट अनुमान में दस प्रतिशत जोड़कर अनुदानों के स्तर पर ही नियत होगा और इसको अगले चार वर्षों तक (1996-97 के अन्त तक) उसी स्तर पर बनाए रखा जाएगा।
- एक विन्यास निधि के निर्माण के प्रोत्साहन हेतु संस्थान द्वारा योजनेत्तर अनुदानों और राजस्व प्राप्तियों से बचतों को रोका जायेगा और आगे ले जाया जायेगा ।
- योजनेत्तर अनुदानों, राजस्व प्राप्तियों एवं परामर्श और अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों से निवल आयों से किसी प्रकार की बचतों के लिए, जिस सीमा तक थे प्रत्येक संस्थान द्वारा बनाये गये विन्यासनिधि में हस्तांतरण की गई थी, 100 प्रतिशत अनुउपयोजी अनुदान का प्रावधान
- संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार से प्राप्त दानों को सम्बन्धित विन्यास निधि में मामले दर मामले के आधार पर अनुरूपयोजी अनुदान में प्रावधान।
- महंगाई भत्ते में वृद्धि, वेतन आयोग की संस्तुतियों पर व्यय करने के लिए तथा महत्वपूर्ण अवमूल्यन के लिए अनिवार्य बाध्यता अनुदान का प्रावधान ।

<sup>4</sup> पूंजीगत व्यय- चूंकि पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय लेखाओं में पृथक रूप से दर्शाये नहीं जाते तुलनपत्र के परिसम्पत्तियों के निवल परिवर्धन को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

तदनुसार भा.प्रौ.सं., खड़गपुर के लिए प्रथम चरण ब्लोक अनुदान 23.73 करोड़ रु. नियत कर स्वीकृत किया गया तथा 1993-94 से 1996-97 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष जारी किया गया।

मई 1996 में मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया जिसने प्रथम चरण संशोधित पैटर्न पर निधियन के संचालन का अध्ययन किया इसने नौवीं योजना अवधि तक विस्तार की सिफारिश भी की। यद्यपि इसकी सिफारिशों को मंत्रालय ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। 1997-98 से आगे के बजट मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए और संस्थान की विन्यास निधि में उपलब्ध निधियों का समयोजन किए बिना निधियां जारी की।

### 2.1.5.1 विन्यास निधि

भा.प्रौ.सं. ने 1993-94 में संग्रह निधि बनाई जिसका नामकरण बाद में विन्यास निधि हुआ जैसा कि अवरोद्ध अनुदान योजना के अन्तर्गत करना अपेक्षित था। इस निधि में अंतरित की गई राशि और परिसम्पत्तियां परिशिष्ट-III में दी गई हैं।

2.1.5.1.1 मई 1994 में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विन्यास निधि की परिसम्पत्तियों से उपाजित ब्याज और अन्य आय सामान्यतः विकास के प्रयोजन, यदि आवश्यक हुआ तो, संस्थान के संचालन खर्चों के उपयोग में लाया जा सकता है। यह आदेश आगे बताता है कि विन्यास निधि में सम्मिलित निक्षेप, ब्याज और परिसम्पत्तियों की स्थिति को संस्थान के बजट में एक पृथक भाग में, निधि की आय से उपयोग के प्रस्ताव के साथ सम्मिलित करना चाहिए।

यद्यपि मार्च 2000 में इस निधि में 83.79 करोड़ रूपए जमा थे तब भी निदेशक ने इसकी आय से न ही विकास कार्य के लिए कोई कार्ययोजना बनाई और न ही विन्यास निधि और इसकी आय को बजटीय प्रस्तावों में परिलक्षित किया। यह इस कारण था कि दिसम्बर 1996 में संस्थान के निदेशक ने निधि और इसकी परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया पर इसका अनुसमर्थन बो.आ.ग. ने नहीं किया और न ही इसने पुनरीक्षण की अवधि के दौरान कोई कार्य किया। समस्त निधि शेष का निवेश वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक बैंकों में किया गया। इस प्रकार मार्च 2000 तक विन्यास निधि की आय का कोई लाभ न ही संस्थान ने उठाया और न ही सरकार ने उठाया।

इसके परिणामस्वरूप समुचित वित्तीय साधनों की उपलब्धता के बावजूद विभिन्न विभागों के संकारापन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अभिव्यक्त की गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया।

विन्यास निधि का प्रयोग भा.प्रौ.सं. के विकास के लिए नहीं किया गया था।

भा.प्रौ.सं., खड़गपुर के 18 विभाग थे और 5 केन्द्रों के साथ 357 प्रयोगशालाएं थीं। इनमें से 175 शैक्षिक प्रयोगशालाएं थी, 125 अनुसंधान प्रयोगशालाएं थी और 57 प्रयोगशालाओं का उपयोग दोनों यानि शैक्षिक और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए होता था।

निधियों के समुचित प्रावधान होने के बावजूद विभागों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया।

दस विभागों और दो केन्द्रों की नमूना जांच में यह पाया गया कि यद्यपि विभागों और केन्द्रों द्वारा पुराने अप्रयुक्त उपकरणों को हटाने के लिए कोई पहल नहीं की परन्तु सात विभागों और केन्द्रों द्वारा 4.56 करोड़ रूपयों की निधियों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए मांग की जिसमें से केवल चार विभागों को 59 लाख रु. की राशि दी गई। विभाग ने बताया कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण आधुनिकीकरण के कार्य में बाधा पड़ी।

2.1.5.1.2 मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 100 प्रतिशत समतुल्य अनुदान किसी भी प्रकार की योजनेत्तर अनुदानों में बचतों, राजस्व प्राप्तियों और परामर्श तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों से प्राप्त निवल आय, को विन्यास निधि में अन्तरण कराने की सीमा तक उपलब्ध कराना था। 1993-94 से 1996-97 तक के लेखों की संवीक्षा से आगे यह प्रकट हुआ कि संस्थान ने इस निधि की निवल आय जिसमें ब्याज और लाभांश आय भी सम्मिलित थी, को संस्थान के आय और व्यय खाते में निम्नप्रकार अन्तरण कर दिया।

2.1.5.1.2 आय एवं व्यय खाते में अन्तरित विन्यास निधि की निवल आय

( करोड़ रु. में )

वर्ष	व्यय से आय का आधिक्य	ब्याज और लाभांश आय की राशि सम्मिलित
1993-94	3.45	
1994-95	3.98	0.58
1995-96	4.23	1.21
1996-97	14.82	2.03
जोड़		3.82

टिप्पणी: विन्यास निधि का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा नहीं बनने के कारण, ब्याज आय का आय व्यय खाते में किया गया अंतरण एक पृथक विशिष्ट प्राप्ति और भुगतान खातों में नहीं हुआ।

इस प्रकार 1994-95 से 1996-97 तक के व्यय से आय के आधिक्य 3.82 करोड़ रु. से बढ़ाकर दिखाया गया जिसे मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत समतुल्य अनुदान प्राप्त करने के दावे के रूप में सम्मिलित किया गया।



## 2.1.6.1. निवेश

भा.प्रौ.सं. को  
अनुचित निवेश  
के कारण  
20.33 लाख  
रु. की हानि  
हुई।

मंत्रालय के 1995 और 1996 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निधिकरण के संशोधित प्रतिरूप के अन्तर्गत स्थापित अधिशेष निधि के निवेश में कोई अनुमान का तत्व नहीं होना चाहिए। अतः इक्विटी आधारित निवेश अनुमत नहीं थे और ऐसी योजनाओं में वर्तमान धृति परिसमाप्त की जानी थी।

(i) संस्थान के निवेश अभिलेखों ने यह प्रकट किया कि मार्च, 1995 में भा.प्रौ.सं. ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट से 123.50 रु. प्रति यूनिट की दर से सी.आर.टी.एस-81 योजना की 161900 यूनिट खरीदने के लिए विन्यास निधि से 2 करोड़ रु. का निवेश किया। यद्यपि निवेश की तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि मार्च 1998 में समाप्त हो गई थी, परन्तु संस्थान ने 20 महीनों के विलम्ब के पश्चात दिसम्बर 1999 में 106 रु. प्रति यूनिट की दर से धृति का विनिवेश किया। संस्थान को 1.72 करोड़ रु. पुनः क्रय मूल्य के रूप में, 1.13 करोड़ रु. ब्याज और 1.81 लाख रु. प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हुए। मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार तीन वर्षों की न्यूनतम अवधि के पश्चात मार्च 1998 में धृति के विनिवेश में संस्थान की असफलता के कारण ब्याज के रूप में 15.20 लाख रु. की हानि हुई।

रोध अवधि के  
समाप्त होते ही  
धृतियों के निवेश  
में असफलता

(ii) संस्थान ने मंत्रालय के आदेश के विपरीत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 83330 यूनिटें खरीदने के लिए विन्यास निधि से अगस्त 1995 में 1.00 करोड़ रु. की राशि का और निवेश किया। अगस्त 1998 में भा.प्रौ.सं. को 95 लाख रु. मूलधन और 39.16 लाख रु. लाभांश के रूप में प्राप्त हुए। मंत्रालय के निदेशों के अनुसार अगस्त 1995 से अगस्त 1998 की अवधि के दौरान डाकघर में अधिशेष निधि के निवेश से 5.13 लाख रु. के अतिरिक्त ब्याज का उपार्जन हुआ होता।

1999-2000 की निवेश अनुसूची, निवेश रजिस्टर और निवेश अभिलेखों से आगे प्रकट हुआ कि निम्नलिखित निवेश आई.सी.आई. सी.आई.<sup>8</sup> के असुरक्षित बांडों में किया गया जिनमें बाजार जोखिम था, अतः मार्च 1996 में जारी सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विपरीत था।

<sup>8</sup> भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम

## तालिका 2.1.6.1 निवेश असुरक्षित बांडो में किया गया

( करोड़ रु. में)

क्र.सं.	निधि का नाम	आई.सी.आई.सी.आई. बांड में निवेश की राशि
i)	विन्यास	12.20
ii)	संस्थान विन्यास छात्रवृत्ति पुरस्कार निधि	0.21
iii)	भा.प्रौ.सं. मुख्य लेखा	3.00
iv)	संस्थान विन्यास निधि	2.00
v)	अनुदत्त पीठ	0.15
vi)	प्रौद्योगिकी आधार	0.12
vii)	जी.एस. सन्याल दूर संचार विद्यालय	1.10

## 2.1.7 अन्तर्ग्रहण क्षमता

1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान संस्थान की अन्तर्ग्रहण क्षमता निम्न प्रकार थी:-

## तालिका 2.1.7 अन्तर्ग्रहण क्षमता के विरुद्ध विद्यार्थियों का नामांकन

वर्ष	पूर्व स्नातक		स्नातकोत्तर	
	अन्तर्ग्रहण क्षमता	भर्ती/छंटनी	अन्तर्ग्रहण क्षमता	भर्ती/छंटनी
1995-96	493	487/31	405	395/76
1996-97	493	512/47	405	448/54
1997-98	493	520/17	405	485/47
1998-99	571	525/22	405	532/44
1999-00	580	549/21	405	451/ शून्य

संस्थान ने बताया कि मंत्रालय के निदेशों के अनुसार संस्थान की अन्तर्ग्रहण क्षमता प्रति वर्ष 20 प्रतिशत बढ़ाई जानी थी ताकि 1998 से 5 वर्ष के अन्दर संस्थान की क्षमता दोगुनी हो जाए।

निधि की उपलब्धता के बावजूद अन्तर्ग्रहण क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई।

तदनुसार भा.प्रौ. संस्थान खड़गपुर ने विद्यार्थियों की जनसंख्या बढ़ाने, नए शैक्षणिक कार्यक्रमों को आरम्भ करने, परामर्शदात्री सेवाओं/संयुक्त उद्यम/उद्यमवृत्ति कार्यक्रमों और सुदूर शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए नवीं योजना की अवधि के दौरान 300 करोड़ रु. के अतिरिक्त संसाधन आवश्यकताओं का प्रक्षेपण किया। विद्यार्थियों का प्रवेश दोगुना करने का प्रस्ताव था ताकि नवीं योजना के अन्त तक पूर्व स्नातकों, स्नातकोत्तरों और अनुसंधान छात्रों की कुल छात्र जनसंख्या 6000 हो जाए।

मंत्रालय ने मार्च 1998 में विद्यार्थियों के प्रवेश में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस शर्त के साथ कि अनुदान के वास्तविक उपयोग से पूर्व संस्थान एक कार्य योजना तैयार करेगी, 2 करोड़ रु. संस्वीकृत किये। अगस्त 2000 तक संस्थान द्वारा इसे तैयार नहीं किया गया था। अतः तमाम राशि अप्रयुक्त पड़ी रही। अतः संस्थान की योजना बनाने में कमी और निष्क्रियता के कारण विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ाने का मंत्रालय का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। संस्थान ने यद्यपि संसाधनों की कमी और आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव का कारण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निवेश क्षमता को न बढ़ाया जाना बताया। मंत्रालय ने उसी उद्देश्य के लिए मार्च 2000 में 10.70 करोड़ रु. का अनुदान पुनः संस्वीकृत किया।

### 2.1.8 अनुदत्त पीठ निधि

भा.प्रौ.सं. खडगपुर को अनुदत्त पीठ की स्थापना के लिए निजी दानकर्ताओं द्वारा इच्छित अन्वेषण और विकास कार्य करने के लिए विभिन्न निजी और सार्वजनिक संगठनों से निधियां प्राप्त हुईं। संस्थान ने दान दी हुई राशि का निवेश कर दिया और अर्जित ब्याज को पीठ प्राचार्यों के व्यय को वहन करने के लिए अनुदत्त पीठ निधि में क्रेडिट कर दिया।

1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान प्राप्त हुई अनुदत्त राशि और पीठ प्राचार्यों की नियुक्ति की स्थिति निम्न प्रकार थी।

तालिका 2.1.8 प्राप्त हुई अनुदत्त राशि एवं पीठ प्राचार्यों की नियुक्ति की स्थिति  
(करोड़ रु. में)

संगठन का नाम	निधि प्राप्ति की तिथि	प्राप्त राशि	व्यय	अभिग्रहण की अवधि
हि.कम्प. नि. <sup>9</sup>	नवम्बर 1986 अक्टूबर 1988	0.07 0.01	0.08	जनवरी 1996 से दिसम्बर 1998
टिस्को <sup>10</sup>	जनवरी 1988 जुलाई 1988	0.07 0.03	0.06	मई 1996 से दिसम्बर 1997
भा.स्टी.प्रा. <sup>11</sup>	जनवरी 1989	0.08	0.04	जनवरी 1998 से मार्च 1999
वि.सं.नि.ले. <sup>12</sup>	जुलाई 1994 मई 19978	0.15 0.15	0.09	जनवरी 1996 से दिसम्बर 1998
प्रेसमैन लि. <sup>13</sup>	दिसम्बर 1994 अक्टूबर 1995	0.05 0.10	शून्य	कोई नियुक्ति नहीं
भा.अ.अ.सं. <sup>14</sup>	अप्रैल 1997	0.30	शून्य	-वही-
जोड़		1.01	0.27	

<sup>9</sup> हिन्दुतान कम्प्यूटर्स लिमिटेड

<sup>10</sup> टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लि.

<sup>11</sup> भारतीय स्टील प्राधिकरण

<sup>12</sup> विदेश संचार निगम लि.

<sup>13</sup> प्रेसमैन लि.

<sup>14</sup> भारतीय अन्तरिक्ष अन्वेषण संगठन

भा.प्रौ.सं. ने प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए पीठों का सृजन नहीं किया।

तालिका से यह पता चलता है कि भा.प्रौ.सं. को दान के रूप में 1.01 करोड़ रु. प्राप्त हुए। जैसा कि भा.प्रौ.सं. ने बताया कि इस पर अर्जित ब्याज 1.21 करोड़ रु. था और उसमें से केवल 26.40 लाख रु. उस उद्देश्य के लिए खर्च किए गए जिसके लिए निधियां प्राप्त हुई थी। अतः भा.प्रौ.सं. निधियों की उपलब्धता के बावजूद पीठों के सृजन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि व्यय का व्यक्तिगत पीठवार विवरण भा.प्रौ.सं. के पास उपलब्ध नहीं था।

संस्थान ने बताया कि उपयुक्त प्रार्थी की अनुपलब्धता के कारण पीठ खाली थी।

### 2.1.9 अनुसन्धान कार्यक्रम

वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान संस्थान ने 285 अनुसन्धान परियोजना आरम्भ की थी और 234 पूर्ण की जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.9(ii) आरम्भ किये गये अनुसन्धान कार्यक्रम

( करोड़ रु. में )

क्र. सं.	विषय	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
		संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय
1.	आरम्भ की गई परियोजनाएं	63	11.30	50	12.88	36	16.21	84	12.86	53	9.97
2.	पूर्ण की गई परियोजनाएं	42	2.11	32	1.60	65	3.25	16	0.81	79	0.59

234 परियोजनाओं में से 218 अपूर्ण रही।

मार्च 2000 को 218 अनुसन्धान परियोजनाएं पूर्ण होनी थी। इन परियोजनाओं में से 27 को छः महीने से नौ वर्ष तक की अवधि का विस्तार प्रदान किया गया क्योंकि ये अपने कार्यक्रम में पीछे चल रही थी।

25 लाख रु. से अधिक की अनुमानित लागत से पूर्ण हुई पांच परियोजनाओं की नमूना जांच से पता चला कि एस.आर.आई.सी. नियमों के अनुसार 15 प्रतिशत की दर से ऊपरी खर्च प्रभारित नहीं किए जा रहे थे।

तालिका 2.1.9(ii) ऊपरी खर्चों की कम वसूली

( लाख रु. में )

परियोजना कोड	वास्तविक लागत	वास्तविक लागत के 15 % की दर से देय ऊपरी खर्च	प्रभारित ऊपरी खर्च	अल्प प्रभारित ऊपरी खर्च
आर.टी.डी.	93.94	14.09	10.98	3.11
ई.एम.पी.	42.35	6.35	4.20	2.15
एम.एफ.पी.	46.88	7.04	4.18	2.86
जे.बी.पी.	237.86	35.68	12.78	22.90
पी.एम.एल.	42.77	6.41	शून्य	6.41
जोड़	463.80	69.57	32.14	37.43

अतः यह स्पष्ट है कि एस.आर.आई.सी. नियमों के अनुसार ऊपरी खर्च प्रभासित न किए जाने के कारण संस्थान को 37.43 लाख रू. की हानि हुई। यह संस्थान द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

### 2.1.9.1 प्रौद्योगिकी विकास मिशन परियोजना

उद्योग एवं संस्थान साझेदारी के बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना आयोग ने वर्ष 1994 में प्रौ.वि.मि.<sup>15</sup> की स्थापना की, जिससे प्रौद्योगिक विकास हो और ऐसी प्रौद्योगिकी की उद्योगों में वाणिज्यिक कार्यों के लिये स्थानांतरण किया जा सके। भा.प्रौ.स. खडगपुर को चार परियोजनाएं जिनके नाम खाद्य प्रक्रिया अभियांत्रिकी फोटोनिक पद्धति और प्रौद्योगिकी, संचार नैटवर्किंग एवं इंटीलैजेंट आटोमेशन तथा जैनिटिक अभियांत्रिकी एवं बायोटेक्नोलोजी थे, आबंटित की गई थी। वर्ष 1993-94 से 1998-99 के बीच प्रौ.वि.मि. प्रथम चरण के लिए मंत्रालय से 9.46 करोड़ रू. प्राप्त किये। परियोजना की लागत 80 : 20 के अनुपात में सरकार एवं सहयोगिक उद्योगों द्वारा वहन की जानी थी। इस मिशन हेतु, 1994-97 तक का समय नियत किया गया था, जिसकी समाप्ति तिथि 31 मार्च 1997 थी। सहयोगिक उद्योगों के साथ प्रतिपत्ति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब एवं वित्त व्यय समिति के प्रतिक्रियात्मक विलम्ब के कारण परियोजना को सशर्त मार्च 1998 तक बढ़ा दिया गया।

योजना  
आयोग ने  
वर्ष 1994 में  
त.वि. प्रे.  
शुरू किया।

चूंकि परियोजना का प्रथम चरण विलम्बित हो गया था, योजना आयोग ने, इस शर्त के साथ कि, पुनः समय बढ़ाने की कोई सम्भावना नहीं है, सभी प्रयासों सहित परियोजना को हर हाल में मार्च 1999 तक सम्पन्न किया जाय क्योंकि इसके पश्चात कोई व्यय नहीं उठाया जायेगा, पूर्ण होने की तारीख मार्च 1999 तक बढ़ा दी थी। आयोग ने यह भी अनुबद्ध किया कि 31 मार्च 1998 के बाद कोई भी पूंजीगत उपस्कर नहीं मंगवाया जायेगा। तथापि भा.प्रौ.स. खडगपुर ने आठवीं योजना के अंतर्गत परियोजना के प्रथमचरण का लिया गया उत्तरदायित्व 31 मार्च 2000 में पूर्ण कर लिया। हालांकि संस्थान ने बताया कि मिशन प्रबन्ध बोर्ड के अन्तर्गत प्रौ.वि.मि. परियोजना के प्रथम चरण को मार्च 2000 तक कार्य करने की अनुमति दी गई थी, इसकी औपचारिक सूचना प्रतीक्षित थी।

भा.प्रौ.स. ने  
1.46 करोड़  
रू. दूसरी  
निधि में  
परिवर्तित कर  
दिये।

परियोजना के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला।

➤ मार्च 1998 के बाद पूंजीगत उपस्करों की अधिप्राप्ति पर प्रतिबन्ध के बावजूद संस्थान ने अप्रैल 1998 एवं मार्च 1999 के बीच 21.87 लाख रू. के पूंजीगत उपस्कर अधिप्राप्त किये।

<sup>15</sup> प्रौद्योगिकी विकास मिशन

- वर्ष 1993-99 के दौरान मंत्रालय ने अतिरिक्त सहयोगिक उद्योगों से प्राप्त 89.80 लाख रु. के योगदान के 9.46 करोड़ रु. परियोजनाओं के लिए जारी किये। वर्ष 1999-2000 में प्रौ.वि.मि. के लेखे 1.48 करोड़ रु. की अधिशेष निधि दर्शाते थे जिनमें 27.91 लाख रु. का ब्याज शामिल था। परियोजना के प्रथम चरण के समाप्त होने पर अनुदान संस्वीकृति प्राधिकारी की सहमति प्राप्त किये बिना संस्थान ने 1.46 करोड़ की राशि संस्थान के एस.आर.आई.सी. लेखे में स्थानान्तरित कर दी और 1.31 लाख रु. की शेष राशि प्रौ.वि.मि. लेखे में छोड़ दी।
- मंत्रालय से प्राप्त अधिशेष निधि, स्पष्ट रूप से प्रौ.वि.मि. लेखे में दर्शाई जानी चाहिए थी बजाये इसके कि वह राशि असम्बन्धित लेखाओं की ओर मोड़ दी जाये।
- इस संदर्भ में संस्थान का यह जवाब कि जो राशि खर्च नहीं हो पाई थी वह ब्याज समेत एस.आर.आई.सी. लेखे में थोड़े समय के लिए, द्वितीय चरण के काम में लाने हेतु, अलग से रख दी गई थी, स्वीकार्य नहीं था।
- परियोजना की लागत 80:20 की अनुपात में सरकार एवं सहयोगिक उद्योगों ने वहन करनी थी। तथापि योगदान प्रतिशतता 91.3:8.7 थी। संस्थान ने कहा कि कुछ उद्योगों को 20 प्रतिशत से कम योगदान देने की अनुमति थी, क्योंकि वे इससे ज्यादा योगदान नहीं दे सकते थे। यह जवाब योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार मान्य नहीं था।


भा.प्रौ.सं. के उद्योगों के संचालन में विफलता के परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस प्रकार संस्थान द्वारा उद्योगों के साथ उनके योगदान अंश के लिये मामले को आगे बढ़ाने में विफलता के कारण राजकोष पर 1.17 करोड़ रु. का अतिरिक्त भार पड़ा।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2000 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, श्रीनगर





## 2.2 क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय श्रीनगर

### विशिष्टताएं

- क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय श्रीनगर के अव्ययित शेष, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा महाविद्यालय में अवसंरचना के विकास के लिए जारी की गई मुख्य योजनागत निधियों को निरूपित करते थे, मार्च 1995 के अन्त में 74 लाख रु. से बढ़कर मार्च 2000 में 5.27 करोड़ रु. हो गये थे।
- महाविद्यालय के पास कोई निवेश नीति नहीं थी जिसके कारण 1995-2000 के दौरान 0.42 करोड़ रु. से 1.61 करोड़ रु. के बीच की सा.भ.नि./अं.भ.नि. प्राप्तियों को दीर्घ अवधि जमा में निवेश नहीं किया गया था। अविवेकपूर्ण निधि प्रबन्धन के कारण 53.99 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।
- महाविद्यालय के पास उपयुक्त मानवशक्ति प्रबन्धन नीति की कमी थी। शिक्षण से गैर शिक्षण स्टाफ (1: 4) शिक्षण स्टाफ तथा छात्रों (1: 5 से 1: 9) तथा कुल स्टाफ से छात्रों (1:11) का अनुपात अन्य क्षे.इ.वि. में 1: 2, 1:10, से 1: 13 तथा 1: 2 से 1: 4 के अनुपात से काफी अधिक था। यह अधिक स्टाफ रखने तथा घटिया मानवशक्ति प्रबन्धन का संकेत देता था।
- अवसंरचना, जैसे, कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना, कम्प्यूटरों तथा अन्य उपकरणों की खरीद आदि के विकास के लिए किया गया 3.17 करोड़ रु. का व्यय भवनों के त्रुटिपूर्ण निर्माण तथा उपकरणों की स्थापना/चालू न होने के कारण निष्क्रिय हो गया था।
- कुल 3.68 करोड़ रु. के अग्रिम 1 से 28 वर्षों की अवधि से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के प्रति बकाया पड़े थे।

### 2.2.1 प्रस्तावना

क्षे.इं.म.<sup>1</sup> श्रीनगर, देश के प्रत्येक मुख्य राज्य में तकनीकी शिक्षा में उत्कर्ष संस्थान के रूप में स्थापित (1960) सत्रह क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालयों में से एक है। क्षे.इं.म. जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, करीर विश्वविद्यालय, जो परीक्षायें आयोजित करता है तथा डिग्रियां एवं अन्य अकादमी उपाधियां प्रदान करता है, से सम्बद्ध है। संस्थान भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम 250 एकड़ भूमि के प्रति 67 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ है।

<sup>1</sup> क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय

महाविद्यालय के मुख्य उद्देश्य हैं (i) इंजीनियरी की ऐसी शाखाओं, जिन्हें अनुरूप माना जाए, में शिक्षा प्रदान करना (ii) अध्ययन तथा अनुसंधान गतिविधियों में प्रगति तथा तकनीकी ज्ञान का प्रसार तथा (iii) छात्रों की रिहायश के लिए छात्रावासों की स्थापना, प्रबन्धन तथा अनुरक्षण करना ।

### 2.2.2 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

1995-96 से 1999-2000 की अवधि के लिए महाविद्यालय के क्रियाकलापों की पुनरीक्षण नि.म.ले.प. (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत नवम्बर 1999 से जनवरी 2000 तथा अगस्त 2000 के दौरान किया गया था। नमूना जांच के दौरान पता चले महत्वपूर्ण विषयों को उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

### 2.2.3 संगठनात्मक ढांचा

विद्यालय के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण, अध्यक्ष, एक पदेन सदस्य जो कि प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता है तथा 15 अन्य सदस्यों से बने बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है। संस्थान का प्रधानाचार्य इसका अकादमिक एवं कार्यकारी अधिकारी है तथा वह महाविद्यालय के दिन प्रति दिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

### 2.2.4 वित्तीय पैरामीटर

#### 2.2.4.1 वित्त एवं व्यय

महाविद्यालय की निधियों का स्रोत केन्द्र सरकार से योजनागत तथा योजनेत्तर अनुदान, राज्य सरकार से योजनेत्तर अनुदान तथा अन्य प्राप्तियां जैसे शुल्क, निवेशों से ब्याज, जुर्माना तथा भवनों का किराया था। 1995-2000 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान महाविद्यालय की प्राप्तियां तथा व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

## तालिका 2.2.4.1 प्राप्तियां तथा व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आरम्भिक अव्ययित शेष	से प्राप्त अनुदान			अन्य प्राप्तियां	उपलब्ध कुल निधियां	किया गया व्यय	अव्ययित शेष
		केन्द्र		राज्य				
		योजनागत	योजनेत्तर	योजनेत्तर				
1995-96	0.74	1.95	1.91	2.90	0.27	7.77	5.61 (0.71 <sup>*</sup> )	2.16
1996-97	2.16	2.13	3.33	1.73	0.45	9.79	6.94 (1.43)	2.85
1997-98	2.85	2.85	2.07	1.98	1.46	11.21	7.26 (0.97)	3.95
1998-99	3.95	1.80	3.04	3.45	0.59	12.83	9.56 (1.44)	3.27
1999- 2000	3.27	3.37	6.15	5.73	0.20	18.72	13.45 (1.98)	5.27
<b>जोड़</b>	<b>12.97</b>	<b>12.10</b>	<b>16.50</b>	<b>15.79</b>	<b>2.97</b>	<b>60.33</b>	<b>42.82</b>	<b>17.51</b>

अप्रयुक्त अनुदान जो मार्च 1995 के अन्त में 73.76 लाख रु. थी मार्च 2000 के अन्त तक 5.27 करोड़ रु. तक बढ़ गयी ।

नकद तिजोरी में भारी शेषों का अवधारण

अव्ययित शेष जो मार्च 1995 के अन्त में 73.76 लाख रु. था मार्च 2000 के अन्त तक बढ़ कर 5.27 करोड़ रु. हो गया। निधियों के कम उपयोग को अंशान्त परिस्थितियों, निर्माण कार्यक्रमों के अनुमोदन में विलम्ब आदि पर आरोपित किया गया । इसके अतिरिक्त 1995-2000 के दौरान 12.10 करोड़ रु. के केन्द्रीय योजनागत अनुदान के प्रति केवल 6.53 करोड़ रु. (54 प्रतिशत) योजनागत विकास गतिविधियों जैसे प्रयोगशालाओं के निर्माण/नवीकरण, केन्द्रीय तापन प्रणाली तथा रिहायशी मकानों के निर्माण आदि पर उपयोग किये गये थे। ये केन्द्र/ राज्य सरकारों द्वारा स्टाफ के वेतन पर व्यय को वहन करने तथा प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए उपभोज्यों की खरीद हेतु महाविद्यालय को योजनेत्तर निधियों के निर्गम में विलम्ब पर आरोपित था जिसके कारण विपथन करना अनिवार्य हो गया था।

## 2.2.4.2 लेखाओं के अनुरक्षण में कमियां

महाविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि वित्तीय नियमावली में निर्धारित विभिन्न जांचें/नियंत्रण जैसे कि समय के अन्तराल पर नकदी का वास्तविक सत्यापन, बैंक समाधान इत्यादि 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान नहीं किये गये थे और न ही रोकड़ से सम्बद्ध व्यक्तियों से नकद प्रतिभूति प्राप्त की गई थी। चैक बुकों का स्टोर लेखा, भी नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त अप्रैल 1995 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान 51 माह में प्रत्येक माह के अन्त में कार्यालय की

\* पैरे में दर्शाये गए आंकड़े योजनागत व्यय को दर्शाते हैं ।

तिजौरी में 50 हजार रु. से 6.77 लाख रु. भारी नकद शेष, रखा गया था। भारी नकद शेष के अवधारण से हानि/नकदी की चोरी के जोखिम की सम्भावना के अतिरिक्त महाविद्यालय को ब्याज के रूप में आय की भी हानि हुई।

### 2.2.5 निवेश प्रबन्धन

महाविद्यालय कोई निवेश नीति/नियम बनाने में विफल रहा।

### 2.2.5 कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबन्धन

महाविद्यालय ने न तो सा.भ.नि./अं.भ.नि. लेखाओं के प्रबन्धन को निर्धारित करने वाले नियम बनाए है और न ही सा.भ.नि./अं.भ.नि. में उपलब्ध शेषों को जमा कराने के सरकारी नियमों का पालन कर रहा है। निधि को क्रेडिट की गई राशियों को पृथक रूप से रखने की बजाए महाविद्यालय की सामान्य निधि में मिला दिया गया था। नमूना जांच से पता चला कि सा.भ.नि./अं.भ.नि. प्राप्तियों के भारी हिस्से को दीर्घ अवधि जमा में निवेश नहीं किया गया था। इससे भी अधिक, जमा सा.भ.नि./अं.भ.नि. पर अर्जित किये गए ब्याज को महाविद्यालय के राजस्व के रूप में माना गया था। निवल उपलब्ध जमा में से किये गए निवेश सहित सा.भ.नि./अं.भ.नि. जमा तथा निवेश न की गई राशि का 1999-2000 को समाप्त हुये पिछले पांच वर्षों का विवरण निम्न प्रकार था:-

तालिका 2.2.5.1 निवेश न की गई राशि की स्थिति

( करोड़ रु. में )

वर्ष	अथ शेष	निवल जमा <sup>१</sup>	जोड़	दीर्घ अवधि निवेश	निवेश न की गई राशि
1995-96	2.74	0.19	2.93	1.58	1.35
1996-97	2.93	0.32	3.25	1.64	1.61
1997-98	3.25	0.31	3.56	3.14	0.42
1998-99	3.56	0.52	4.08	3.14	0.94
1999-2000	4.08	0.92	5.00	4.03	0.97

सा.भ.नि./अं.भ.नि. के अन्तर्गत चालू खाते में भारी शेष

निधियों के घटिया प्रबन्धन के कारण 53.99 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

1995-2000 वर्ष के दौरान चालू खाते में 0.42 करोड़ रु. से 1.61 करोड़ रु. तक की राशियां रखी गई थी जिसने अनुपयुक्त वित्तीय प्रबन्धन तथा वित्तीय अनुशासन की कमी का संकेत दिया। 1996-97 से 1998-99 के दौरान निधि से मासिक निकासी की प्रकृति (2.71 लाख रु. तथा 17 लाख रु. के बीच) ने संकेत दिया कि निधि से प्रत्याशित निकासी को कवर करने के लिए चालू खाते में प्रति माह 15 लाख रु. का अवधारण पर्याप्त था तथा शेष राशि का उपयोग अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने के लिए दीर्घावधि निवेश में किया जा सकता था। महाविद्यालय द्वारा घटिया निधि प्रबन्धन के कारण 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 53.99<sup>k</sup> लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

<sup>१</sup> निधि में अंशदान जमा ब्याज घटाये निधि से निकासी

<sup>k</sup> (महाविद्यालय द्वारा पहले किये गए निवेश पर अर्जित किये गए ब्याज पर आधारित)

### 2.2.6.1 मानव शक्ति प्रबन्धन

(क) शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या को बनाए रखने के लिए महाविद्यालय को वेतन/मजदूरी पर वार्षिक अनिवार्य व्यय करना था। यह देखा गया था कि 1995-2000 के दौरान वेतन/मजदूरी पर व्यय भारी था तथा इस अवधि के दौरान कुल व्यय का 61 से 66 प्रतिशत बनता था। 1995-96 से 1999-2000 के दौरान शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी एवं छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी:-

तालिका 2.2.6.1 शिक्षण, गैर-शिक्षण स्टाफ तथा छात्रों का अनुपात

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
शिक्षण कर्मचारी	128	130	126	127	127
गैर शिक्षण कर्मचारी	543	512	496	579	567
छात्र	659	784	888	1,036	1,188
शिक्षण कर्मचारियों का गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच अनुपात	1:4	1:4	1:4	1:5	1:4
शिक्षण कर्मचारियों का छात्रों से अनुपात	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9
शिक्षण/गैर शिक्षण कर्मचारियों का छात्रों से अनुपात	1:1	1:1	1:1.43	1:1.47	1:1.71

शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता के मानदण्ड तैयार नहीं किये गये थे।

शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों का छात्रों के साथ 1:1 का अनुपात था।

महाविद्यालय में अधिक स्टाफ

भर्ती की क्षमता के आधार पर विभिन्न विभागों में शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए मानदण्ड नहीं बनाए गये थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षण कर्मचारियों का गैर शिक्षण कर्मचारियों से 1:2 का अनुपात बनाए रखने का परामर्श दिया था (जनवरी 1994) तथा उच्चतर अनुपात को 3 से 5 वर्ष के भीतर कम करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तथापि, यह अनुपात 1995-2000 के दौरान 1.4/5 पर स्थिर था जिसने अधिक गैर-शिक्षण कर्मचारियों का संकेत दिया तथा 1:2 के वांछित स्तर पर अनुपात लाने पर निष्क्रियता को दर्शाया। शिक्षण कर्मचारियों तथा छात्रों के बीच अनुपात 1:5 से 1:9 (क्षे.इ.म. राऊरकेला, वारंगल/इलाहाबाद के 1:10 से 1:13 के अनुपात के प्रति) था जिसने अधिक मानवशक्ति उपलब्धता को दर्शाया। इसी प्रकार शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों का छात्रों के बीच 1:1 का अनुपात अन्य क्षे.इ.म. में 1:2 से 1:4 के अनुपात की तुलना में बहुत अधिक था। इस प्रकार मानवशक्ति लागत को कम करने तथा उपलब्ध निधियों का अवसंरचना पर उपयोग करने के लिए शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाने की तुरन्त आवश्यकता थी।

### 2.2.6.2 अकादमिक गतिविधियां

#### 2.2.6.2.1 छात्रों की भर्ती

महाविद्यालय 6 इंजीनियरी शिक्षणों में जल संसाधन इंजीनियरी में चार वर्ष (8 सत्रों) की अवधि का अनुदेश/शिक्षा तथा 18 माह (3 सत्रों) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। नमूना जांच से पता चला कि विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों विशेषतया सूचना प्रौद्योगिकी

तथा कम्प्यूटर विज्ञान इत्यादि में त्वरित प्रगति होने के बावजूद पिछले 10 से 15 वर्षों के दौरान स्नातक स्तर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर कोई नया इंजीनियरी शिक्षण आरम्भ नहीं किया गया था। अभिलेखों में इसके कारण उपलब्ध नहीं थे।

जबकि 1995 तथा 1998 के वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 छात्रों की अन्तर्ग्रहण क्षमता के प्रति केवल क्रमशः नौ तथा पांच छात्र ही भरती किये गये थे। 1997 में केवल नौ छात्रों ने कोर्स पूरा किया था। 1995-99 के वर्षों के दौरान बी.ई. पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की वास्तविक अन्तर्ग्रहण क्षमता, भरती की वास्तविक संख्या तथा पास करने वालों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

तालिका 2.2.6.2.1: बी.ई. पाठ्यक्रम के छात्रों की स्थिति

वर्ष	अन्तर्ग्रहण क्षमता	वास्तविक अन्तर्ग्रहण	प्रतिशतता कमी	छात्रों की संख्या जो अंतिम सत्र में बैठे	छात्रों की संख्या जिन्होंने परीक्षा पास की (प्रतिशतता कोष्ठक में)
1995	280	123	56	शून्य	शून्य
1996	280	120	57	54	50 (93)
1997	280	150	46	67	55 (82)
1998	280	214	24	64	31 (48)
1999	280	200	29	57	50(88)

बी.ई. पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की क्षमता के प्रति अन्तर्ग्रहण में कमी की प्रतिशतता 24 तथा 57 प्रतिशत के बीच थी। इसका कारण प्रबन्धन द्वारा घाटी में अशांति बताया जिसके कारण राज्य से बाहर के छात्रों की भरती रुक गई थी। इसके अतिरिक्त जबकि 1995 में अंतिम सत्र परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी नहीं बैठा, पास होने वालों की प्रतिशतता जो 1996 में 93 थी, गिरकर 1998 में 48 तथा 1999 में 88 रह गई। पास होने वालों की प्रतिशतता में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था।

### 2.2.6.3 पाठ्यक्रमों के पूरा होने में विलम्ब

छात्रों द्वारा डिग्री पाठ्यक्रमों के पूरा करने में काफी विलम्ब था जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2.6.3 (i): पाठ्यक्रमों के पूरा होने की प्रगति की स्थिति

बैच	अंतिम सत्र परीक्षा के लिए नियत तिथि	माह जिसमें परीक्षा हुई थी	विलम्ब (माह में)	घोषित परिणाम
दिसम्बर 1996/जनवरी 1997	जुलाई/अगस्त 1995	दिसम्बर 1996/जनवरी 1997	17	जुलाई 1997
सितम्बर 1992	जुलाई/अगस्त 1996	अगस्त 1998	24	मार्च 1999

दिसम्बर 1993	जुलाई/अगस्त 1997	जून 1999	22	नवम्बर 1999
अक्तूबर 1994	जुलाई/अगस्त 1998	मई 2000	21	उ.न.
सितम्बर 1995	जुलाई/अगस्त 1999	दिसम्बर 2000 में सम्भावित	16	उ.न.

सितम्बर 1995 के पश्चात् की गई भर्ती के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमों के पूरा होने की प्रगति की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

**तालिका 2.2..6.3 (ii): पाठ्यक्रमों के पूरा होने की प्रगति की स्थिति**

भर्ती का माह तथा वर्ष	अक्तूबर 1999 को पूरा होने के लिए नियत सत्र	वास्तव में पूरा हुआ सत्र
सितम्बर 1996	सातवां	चौथा
सितम्बर 1997	पांचवां	दूसरा
अप्रैल 1998	चौथा	पहला

विलम्ब राज्य में अशांत परिस्थितियों के कारण था जिसके कारण कश्मीर विश्वविद्यालय समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सका तथा 1998 के दौरान प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में लगभग 8 माह विलम्ब के कारण भी। तथापि प्रबन्धन ने बताया कि यदि महाविद्यालय को अकादमिक स्वायत्तता प्रदान की जाती तो पाठ्यक्रमों के पूरा होने तथा परीक्षाएँ आयोजित करने में विलम्ब को रोका जा सकता था।

**2.2.7 अवसंरचना विकास/प्रबन्धन**

5.49 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर आरम्भ किए जाने वाले कार्य पूरा होने में अत्यधिक के विलम्ब के कारण 4-15 वर्षों की समय में तथा 84.01 लाख रु. की लागत में वृद्धि हुई।

1.48 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रही।

महाविद्यालय के निर्माणकार्य तथा विस्तार कार्यक्रम करने के लिए महाविद्यालय के पास अधिशासी अभियन्ता की अध्यक्षता में एक अलग निर्माण खण्ड था। नमूना जांच से पता चला कि 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान 5.94 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के 15 निर्माणकार्य किये गये थे जिसमें पिछले वर्षों के 6 अधिप्लावन कार्य शामिल थे। तथापि क्योंकि केवल 8 कार्य पूरे हुये थे, (अगस्त 2000) चल रहे कार्यों के पूरा होने पर लागत बढ़ सकती है। इन कार्यों में 4-15 वर्षों के समय तथा 84.01 लाख रु. की लागत की भारी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 7 कार्य जिनके लिए 1998-99 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कुल 1.48 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई थी आरम्भ नहीं किये गये थे। नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित बातों का पता चला:-

भारत सरकार तथा इटली के बीच द्विपक्षीय परियोजना के अन्तर्गत अनुसूक्षण आदि के क्षेत्र में उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए प्रासंगिकता एवं अनुसन्धान कार्यों की विशिष्ट प्रौद्योगिक समस्याओं को सम्बोधित करने हेतु भारत सरकार ने क्षेत्रीय

इंजीनियरी महाविद्यालय श्रीनगर को ज्ञान की प्राप्ति तथा सूचना के प्रसार के एक संसाधन केन्द्र के रूप में नामजद किया था (1988)।

1.97 करोड़ रु.  
का निवेश निष्फल  
हो गया।

इटली सरकार ने 1990 में 1.50 करोड़ रु. के मूल्य की निःशुल्क वस्तुयें/उपकरणों का अंशदान किया तथा उपकरणों के संचालन के लिए महाविद्यालय के 17 तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। भारत सरकार ने भी सम्बद्ध अवसंरचना के विकास, जैसे भवन का निर्माण, विद्युत प्रणाली स्थापना, जुड़नार आदि के लिए महाविद्यालय को 1988-97 की अवधि के दौरान 56.12 लाख रु. की निधियां उपलब्ध करवाईं। परियोजना के लिए इंजीनियरी अनुसंधान के निर्माण का मार्च 1989 में आरम्भ किया गया कार्य 25.98 लाख रु. की लागत पर जून 1992 में पूरा हुआ था। संस्थान में 1993-94 में 18.88 लाख रु. की लागत डीजल जनरेटर सैट, जुड़नार टूल तथा कार्यालय उपकरण तथा 1995-96 में 1.76 लाख रु. की लागत का एक कम्प्यूटर भी खरीदा। तथापि इटली सरकार से उपकरण प्राप्त न होने के कारण परियोजना आरम्भ नहीं की गई थी (अगस्त 2000)। 1998 में आई.आई.टी. दिल्ली, कानपुर तथा अ.मु.वि. अलीगढ़ से सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पर्क को छोड़कर जिसका अनुसरण नहीं किया गया था, संस्थान द्वारा कोई भारी प्रयास नहीं किये गये थे। इस प्रकार उपकरण (1.50 करोड़ रु.) भवन (25.98 लाख रु.) डीजल जेनरेटिंग सैट तथा कम्प्यूटर इत्यादि (20.64 लाख रु.) के रूप में किया गया 1.97 करोड़ रु. का निवेश महाविद्यालय प्राधिकारियों की अकर्मण्यता/आलस्य के कारण अनुसंधान इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना करने का उद्देश्य अधूरा रह गया।

#### 2.2.7.1 विद्यमान कम्प्यूटर सुविधाओं की उन्नति तथा मजबूती

कम्प्यूटर  
सुविधाओं को  
सुदृढ़ बनाने के  
लिए 4 करोड़  
रु. संस्वीकृत  
किये।

1996-97 में खरीद  
गए 62.12 लाख  
रु. मूल्य के  
कम्प्यूटर उपकरण  
तथा नेटवर्क  
प्रणाली अगस्त  
2000 तक  
स्थापित नहीं की  
गई थी।

क्षे.इं.म. का श्रेष्ठता के क्षेत्र के रूप में विकास करने तथा प्रशिक्षण अनुसंधान तथा परामर्श आदि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विद्यमान कम्प्यूटर सुविधाओं की उन्नति तथा उनको मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय ने 1994-97 के दौरान 4 करोड़ रु. का विशेष अनुदान जारी किया। कम्प्यूटर नेटवर्क केन्द्र के निर्माण का कार्य 10 लाख रु. की लागत पर ठेकेदार को जून 1995 में आबंटित किया गया जो सितम्बर 1995 में पूरा होना था 22.43 लाख रु. की लागत पर मार्च 1997 में पूरा हुआ था। तथापि बीमों में दरारें आ जाने के कारण भवन का उपयोग नहीं किया जा सका। भवन के पूरा होने की प्रत्याशा में एक करोड़ से अधिक मूल्य के कम्प्यूटर उपकरण तथा नेटवर्क प्रणाली 1996-97 के दौरान खरीदी गई थी। तथापि भवन के त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण कम्प्यूटर नेटवर्क केन्द्र के उद्देश्य के लिए 62.12 लाख रु. मूल्य के उपकरण स्थापित नहीं किये गये थे (अगस्त 2000)।



1995-98 में दो पैंटियम कम्प्यूटर तथा एक लेजर प्रिंटर तथा अन्य परिधीय सहित साफ्टवेयर सहित 9.26 लाख रु. की लागत पर खरीदे गये थे तथा प्रशासन तथा लेखा खण्ड में कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया था। तथापि अगस्त 2000 तक अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया था।

पुस्तकालय की गतिविधियों तथा सूचना सेवाओं को यंत्रवत करने के लिए अर्थात् मार्च 1999 को उपलब्ध 54869 पुस्तकों, 5479 पत्रिकाओं, 10785 पैम्फलैट तथा 335 तकनीकी फिल्मों के प्रलेखन अधिप्रापण तथा उधार इत्यादि के लिए महाविद्यालय ने 1991-98 की अवधि के दौरान 22.47 लाख रु. के मूल्य के 14 कम्प्यूटर, एक यू.पी.एस.<sup>3</sup> लेजर प्रिंटर एवं पुस्तकालय साफ्टवेयर खरीदा। तथापि अगस्त 2000 तक प्रणाली बिना चालू किये रही थी। इस प्रकार कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद पर 22.47 लाख रु. का निवेश निष्क्रिय रहा तथा शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी तथा छात्र सुधरे प्रलेखन तथा पुस्तकालय सेवा की सुविधा से वंचित रह गये।

छात्रों को प्रदर्शन प्रायोजित कार्य के लिए सितम्बर 1989 तथा मार्च 1993 के बीच 19.58 लाख रु. मूल्य के खरीदे गए प्रयोगशाला उपकरण अगस्त 2000 तक स्थापित/चालू नहीं किये गये थे।

#### 2.2.8. बकाया अग्रिम

आपूर्ति कर्ताओं/ठेकेदारों तथा कर्मचारियों को उपकरणों की खरीद तथा यात्रा व्यय वहन करने के लिए अस्थाई अग्रिम दिये गये थे। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अग्रिम, पिछले अग्रिमों का समायोजन किये बिना दिये गये थे जिसके परिणाम स्वरूप दिसम्बर 1999 तक 3.68 करोड़ रु. के बकाया अग्रिम एकत्रित हो गये थे। इससे 1.13 करोड़ रु. (31 प्रतिशत) 5 वर्षों से बकाया तथा 6.13 लाख रु. 1971-72 से 1989-90 की अवधि से संबंधित 29 कर्मचारी जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी से बकाया थे। इन मामलों में बकाया अग्रिमों की अवसूली/समायोजन के कारणों की जांच नहीं की गई थी।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2000 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।


कुल 3.68 करोड़ रु. के अग्रिम 1 से 28 वर्षों की विभिन्न अवधियों के लिए बकाया थे।

<sup>3</sup> अन इन्टरप्टेड पावर सप्लाई



लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग



### अध्याय III : लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

#### 3. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

पिछले वर्षों में खा.ग्रा.उ.आ.<sup>1</sup> भारत सरकार से अनुदानों तथा बैंकों की सहायता संघ से क्रेडिट सुविधाओं पर अधिकतर आश्रित होने की ओर प्रेरित हुआ। रोजगार उत्पादन में इसके योगदान के बारे में इसके दावे विश्वसनीय नहीं हैं। स.बैं.क्र.<sup>2</sup> जि.वि.रो.का.<sup>3</sup> खं.वि.का.<sup>4</sup> योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार उत्पादन में इसका प्रदर्शन अत्यधिक घटिया था। यद्यपि, खां.ग्रा.उ.आ. बैंक वित्तों से वहन किये गये कर्जों की वसूली के लिए पूरी तरह उत्तरदायी था, उसने वसूलियों की निगरानी के लिए प्रणाली का घटिया प्रबन्धन किया। स.बैं.क्र. योजना को लागू करने में बहुत सी कमियाँ थीं। इसने निधियों को योजनागत से योजनेतर में विपथित किया तथा भारत सरकार से अनुमोदन के बिना जि.वि.रो.का. तथा खं.वि.का. दोनों के अन्तर्गत लाभभोगियों के लक्षित वर्ग में परिवर्तन किया। ऋण देने तथा वसूलियों की निगरानी करने के लिए परियोजनाओं तथा संस्थाओं के मूल्यांकन हेतु आयोग के मुख्यालय अथवा विभिन्न राज्य कार्यालयों में कोई उपयुक्त प्रणाली विद्यमान नहीं थी। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित किसी विपणन नीति को लागू करने के लिए खा.ग्रा.उ.आ. ने बहुत कम प्रयास किये। अन बिके भण्डार तथा क्रेडिट नीतियों की कमी के कारण इसने भारी हानियाँ उठानी जारी रखी।

पुनरीक्षण में प्रकट हुए तथ्यों के कारण लक्ष्यों की उपलब्धि के बारे में खा.ग्रा.उ.आ. के दावे सन्देहपूर्ण हैं। योजनावार तथ्यों को देखने पर उत्पन्न हुये विक्षिप्त दृश्य के कारण भी ये सन्देहास्पद हैं।

#### विशिष्टताएं

जि.वि.रो.का. तथा 125 खं.वि.का. के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये थे, सहायता संघ बैंक क्रेडिट योजना के अन्तर्गत रोजगार के लिए लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुये थे।

कर्जों की वसूली बहुत कम थी तथा स.बैं.क्र. योजना के अन्तर्गत कर्जों लेने वालों के कुल 108.77 करोड़ रु. के कर्जों की वापसी

- 1 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग
- 2 सहायता संघ बैंक क्रेडिट
- 3 जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम
- 4 खण्ड विकास कार्यक्रम

अदायगी की किश्तों तथा 236.88 करोड़ रु. के ब्याज की वसूली करने में खा.ग्रा.उ.आ. की विफलता के परिणामस्वरूप बैंकों की 345.65 करोड़ रु. की वापस अदायगी के लिए खा.ग्रा.उ.आ. को इसने बजटीय संसाधनों (कर्जा लेखा तथा ग्रा.रो.उ.का. लेखा) से आहरण करना पड़ा।

➤ सावधि अथवा संयुक्त कर्जा जैसी कि ख.बैं.क्रै. योजना के अन्तर्गत परिकल्पना की गई थी, के बजाए ख.ग्रा.उ.आ. द्वारा 272.27 करोड़ रु. की राशि की कार्यशील पूंजी के लिए कर्ज अनुमत किए गए।

➤ दिये जाने वाले कर्जों तथा वसूली की निगरानी के लिए परियोजनाओं तथा संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने में खा.ग्रा.उ.आ. विफल रहा। मार्च 1999 तक संवितरित की गई 2260.86 करोड़ रु. की ऋण राशि में से मार्च 2000 तक 1752 करोड़ रु. (78 प्रतिशत) वसूली हेतु लम्बित थे।

➤ ढेर सारा अन बिका भण्डार 1994-95 में 30.96 करोड़ रु. से बढ़कर मार्च 2000 के अन्त तक 49.02 करोड़ रु. हो गया , खा.ग्रा.उ.आ. अन्त भण्डार का अवधि/मदवार विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा।

➤ इसकी विपणन नीति को सुदृढ करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की गई थी, खा.ग्रा.उ.आ. की व्यापारिक इकाइयां जिनमें, 89.57 करोड़ रु. का निवेश किया गया था, घाटे में चल रही थीं।

➤ कार्यान्वयन संस्थाओं को क्रेडिट की व्यवस्था करने के इसके कार्यक्रम के लिए खा.ग्रा.उ.आ. ने भारत सरकार से कर्जा की बजाए अनुदानों की बढ़ौतरी पर अधिक भरोसा किया।

➤ प्रशासनिक व्यय संस्वीकृत व्यय से 118 प्रतिशत बढ़ गया, खा.ग्रा.उ.आ. ने मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना 135.21 करोड़ रु. योजनागत से योजनेत्तर निधियों को विपथित किये।

➤ खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा मार्च 2000 को संवितरित की गई 2315.51 करोड़ रु. की राशि के कर्ज पर वसूली योग्य ब्याज तथा शास्ति ब्याज परिकलित नहीं किया गया।

➤ खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा सीधे वित्तपोषित 381 बन्द पड़ी संस्थाओं में 11.91 करोड़ रु. की निधियों तथा राज्य बोर्डों द्वारा वित्तपोषित 41714 बन्द पड़ी संस्थाओं में 217.24 करोड़ रु. की निधियों को लेखे में नहीं लिया गया था।

➤ 34 संस्थाओं को जारी 4.48 करोड़ रु. का दुरुपयोग किया गया था।

➤ चार बिना बटी ऊन तथा पूर्ण निर्माण उत्पादन परियोजनाओं पर 5.55 करोड़ रु. का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

### 3.1 प्रस्तावना

खा.ग्रा.उ.आ. की स्थापना मुम्बई में इसके मुख्यालय के साथ, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1957 को की गई थी।

खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास का कार्यक्रम खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा इसके द्वारा सीधे सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

कार्यक्रम के निष्पादन के लिए आयोग निर्धारित नियमों/शर्तों तथा कर्जा नियमों के आधीन राज्य बोर्डों तथा सीधे सहायता प्राप्त संस्थाओं/सहकारी समितियों को कर्जें तथा अनुदान प्रदान करता है। राज्य बोर्ड बदले में संस्थाओं तथा सहकारी समितियों को, जो गतिविधियों का निष्पादन करती है, कर्जें तथा अनुदान प्रदान करते हैं। राज्य बोर्डों के लेखाओं की आयोग द्वारा सीधे संवीक्षा नहीं की जाती है। राज्य बोर्ड सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा राज्य विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी है।

खा.ग्रा.उ.आ. के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य हैं:

- रोजगार उपलब्ध करवाने का सामाजिक उद्देश्य ;
- बिक्रीयोग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य ;
- लोगों के बीच आत्म विश्वास पैदा करने का व्यापक उद्देश्य तथा स्वस्थ ग्रामीण सामुदायिक विचारधारा की स्थापना ;
- ग्रामीण औद्योगिकीकरण ;
- कौशल का सुधार ;
- प्रौद्योगिकी का अन्तरण आदि।

### 3.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1994-95 से 1999-2000 की अवधि के लिए आयोग की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण, केन्द्रीय कार्यालय तथा विभिन्न राज्य/क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित अभिलेखों की जुलाई से सितम्बर 2000 के दौरान नमूना जांच द्वारा किया गया था।

### 3.3 संगठनात्मक ढांचा

➤ जैसा कि खा.ग्रा.उ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 4 तथा 5 द्वारा अपेक्षित है, जिसे जुलाई 1987 में संशोधन किया गया था, खा.ग्रा.उ.आ. मत देने के अधिकार सहित आठ गैर सरकारी तथा मताधिकार के बिना दो पदेन सदस्यों, नामतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार/खा.ग्रा.उ.आ. के मुख्य लेखा अधिकारी सहित, दस सदस्यों से बना है। खा.ग्रा.उ.आ.अपने कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालय एवं उप कार्यालयों तथा साथ-साथ राज्य बोर्डों के माध्यम से भेजी गयी सहायता से कार्यान्वित करता है। इसके 22 विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा 27 विपणन भवन हैं।

### 3.4 वित्तीय संसाधन

आयोग इसके विकास कार्यक्रम के वित्तपोषण हेतु विभिन्न साधनों के माध्यम से निधियां प्राप्त करता है। मुख्य स्रोत भारत सरकार से बजटीय सहायता, बैंकों के सहायता संघ से क्रेडिट तथा ब्याज आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सांस्थानिक वित्त हैं।

### 3.5 लक्ष्य तथा उपलब्धियां

आयोग द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार खा.ग्रा.उ.आ. अथवा राज्य बोर्डों द्वारा वित्तपोषित समस्त इकाइयों को उत्पादन तथा रोजगार के सम्बन्ध में लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाते हुये त्रैमासिक तथा वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिन्हें आगे सम्बद्ध राज्य कार्यालयों/राज्य बोर्डों तथा उद्योग निदेशकों द्वारा संवीक्षा के पश्चात् संकलित किया जाता है। लो.ले.स.<sup>5</sup> ने 1980-81 की अपनी 52वीं रिपोर्ट में खा.ग्रा.उ.आ. को त्रैमासिक रिपोर्टों के एकत्रण के लिए अपनी मशीनरी को सुदृढ़ बनाने तथा कार्यक्रम की प्रगति के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक राज्य में परीवीक्षण बोर्डों की स्थापना के निर्देश दिये थे। परवीक्षण बोर्ड को प्रगति का त्रैमासिक पुनरीक्षण करना था। 1994-95 से 1998-99 तक पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां जो कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाई गई थी निम्न प्रकार थी:

---

<sup>5</sup> लोक लेखा समिति



तालिका 3.5 वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु. में)		रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1994-95	3645.00	3624.06	57.55	53.46
1995-96	4585.00	4026.45	61.30	56.72
1996-97	4880.00	4516.25	60.22	58.17
1997-98	6091.32	4519.31	65.72	56.50
1998-99	5763.00	5112.37	65.50	58.29

आयोग की  
वार्षिक रिपोर्ट में  
स्थिति का सही  
तथा विशुद्ध  
चित्रण नहीं था।

आयोग द्वारा  
कोई प्रत्यक्ष  
सत्यापन/  
सर्वेक्षण नहीं  
किया गया था।

विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि उपर्युक्त दर्शाये गये लक्ष्य तथा उपलब्धियों के आंकड़ों ने खा.ग्रा.उ.आ. के निष्पादन का सही तथा विशुद्ध चित्रण प्रस्तुत नहीं किया। ऊपर दी गई तालिका की स्थिति में वित्तपोषित सभी संस्थाओं तथा/अथवा कार्यरत सभी संस्थाओं के निष्पादन को शामिल नहीं किया गया था।

24 उद्योगों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की नमूना जांच से पता चला कि खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा वित्तपोषित 8.51 लाख संस्थाओं में से केवल 5.81 लाख संस्थायें कार्यरत सूचित की गई थी तथा शेष 2.70 लाख संस्थाओं को वार्षिक प्रगति रिपोर्टों में दर्शाया नहीं गया था। कार्यरत सूचित की गई 5.81 लाख संस्थाओं में से 1.24 लाख संस्थाओं से सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी तथा ऐसे मामलों में केवल अनुमानित आंकड़े लिये गये थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर अंतिम रूप से प्राप्त लक्ष्य तथा उपलब्धियों को आयोग द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष सत्यापन सर्वेक्षण के स्वीकार किया गया था। खा.ग्रा.उ.आ. मुख्यालय द्वारा अनुरक्षित किये गए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के विवरण की कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ प्रति जांच से निम्नलिखित असंगतियों का पता चला।

- कर्नाटक में 1994-95 से 1998-99 की अवधि में वास्तविक रोजगार उत्पादन खा.ग्रा.उ.आ. को सूचित किये गए 8551 के प्रति 4275 व्यक्ति था।
- बिहार में राज्य कार्यालय ने आयोग को आवधिक रिपोर्ट भेजने में समर्थ बनाने के लिए संस्थाओं के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं रखे थे।
- यद्यपि विभिन्न राज्यों में परिवीक्षण बोर्डों की स्थापना की गई थी, वे प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि की गई प्रगति के परिवीक्षण अथवा मूल्यांकन तथा आयोग को कोई प्रगति सूचित करने के लिए कोई नियमित बैठक नहीं की गई थी।

विभिन्न रोजगार उत्पादन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार उत्पादन के लक्ष्य केवल 0.89 प्रतिशत से 13 प्रतिशत थे।

सहायता संघ बैंक क्रेडिट योजना के अन्तर्गत 20लाख व्यक्तियों के लक्ष्य के प्रति मार्च 1999 तक कुछ अतिरिक्त उत्पादित रोजगार केवल 1.79 लाख व्यक्ति था। जिला त्रिशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 71 जिलों में 7.10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पादन के लक्ष्य के प्रति 45 जिलों में वास्तविक उपलब्धि केवल 10826 व्यक्तियों की थी जो कि नियत लक्ष्य का केवल 2 प्रतिशत था। इसी प्रकार खण्ड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 खण्डों में 1.25 लाख व्यक्तियों के लक्ष्य के प्रति 23.87 करोड़ रु. का व्यय करने के पश्चात 97 खण्डों में उपलब्धि 15831 व्यक्ति था जो कि निर्धारित लक्ष्य का केवल 13 प्रतिशत था।

इस प्रकार खा.ग्रा.उ.आ. लगातार देश में रोजगार उत्पादन के इसके योगदान का बहुत अधिक अतिरंजित चित्रण प्रक्षेपित करता रहा।

### 3.6 वित्त एवं लेखा

खा.ग्रा.उ.आ. का वित्त पोषण मुख्य रूप से उद्योग मंत्रालय से ऋण तथा अनुदानों द्वारा होता है। खा.ग्रा.उ.आ. को जारी किया गया अनुदान तथा ऋण एवं किए गए व्यय को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: जारी किए गए अनुदान एवं कर्जे तथा किये गये व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	संस्वीकृत राशि				किया गया व्यय			
	योजनागत		योजनेत्तर		योजनागत		योजनेत्तर	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1994-95	109.27	85.00	43.00	0.30	91.21	102.67	52.60	0.23
1995-96	283.82	45.00	43.00	0.30	106.22	70.98	57.96	0.21
1996-97	278.61	25.00	37.86	0.30	264.87	41.87	59.98	0.23
1997-98	405.62	29.98	48.00	0.30	312.83	11.28	68.89	0.18
1998-99	318.67	29.98	49.60	0.30	318.76	34.33	84.10	0.99
1999-00	180.15	29.98	48.10	0.30	307.41	67.83	81.24	0.48
<b>जोड़</b>	<b>1576.14</b>	<b>244.94</b>	<b>269.56</b>	<b>1.80</b>	<b>1401.30</b>	<b>328.96</b>	<b>404.77</b>	<b>2.32</b>

उपरोक्त का विश्लेषण निम्न को इंगित करता था:

आयोग सरकारी अनुदान पर अधिक से अधिक आश्रित था

(क) ऋणों की अपेक्षा अनुदानों के अनुपात में हर वर्ष वृद्धि, प्रारम्भ की गई गतिविधियों के आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होने का संकेत देती थी। 1997-98 तक योजनागत संस्वीकृत अनुदान भी आयोग द्वारा व्यय नहीं किया जा सका। दूसरी ओर अनुदानों से योजनेत्तर व्यय, संस्वीकृत राशि की अपेक्षा निरन्तर अधिक था।

(ख) योजनागत से योजनेत्तर निधि में अनियमित विपथन:

योजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत 269.56 करोड़ की समग्र बजट सहायता प्रशासकीय ऊपरी व्यय वहन करने तथा छूट के भुगतान के लिए थी। योजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत 404.77

करोड़ रु. का वास्तविक व्यय था जो बजटीय आबंटन से 50 प्रतिशत अधिक था। इस कमी को अनुदान की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना सरकार के अनुमोदन के योजनागत निधियों का योजनेत्तर निधियों में विपथन करके पूरा किया गया। 1995 से 2000 तक की अवधि का केवल प्रशासनिक व्यय का विश्लेषण करने से पता चला कि 106.56 करोड़ रु. के बजट आबंटन के विपरीत वास्तविक व्यय 232.17 करोड़ रु., वास्तविक संस्वीकृत राशि से 118 प्रतिशत अधिक व्यय था। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1995 और 2000 के बीच 23 लाख रु. की राशि अपात्र स्टाफ के हवाई यात्रा के किराए पर खर्च की गई जो कि यात्रा भत्ता नियमावली में दिए गए नियमों और शर्तों की अवहेलना करते हुए सामान्य रूप से संस्वीकृत की गई थी।

### 3.7 स.बैं.क्रे. योजना के अन्तर्गत अनियमित निधियन तथा निधियों का विपथन:

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से एक उच्चाधिकार समिति ने 1994 में सिफारिश की कि आठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा 20 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न किया जाना चाहिए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खा.ग्रा.उ.आ. को बैंकिंग क्षेत्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करनी चाहिए। तदनुसार सहायता संघ बैंक से 1000 करोड़ आन लाईन क्रेडिट सुविधा लेने के लिए, 1995 में भारत सरकार ने एक नई योजना बनाई। 1000 करोड़ रु. की ऑन लाईन क्रेडिट सुविधा में से खा.ग्रा.उ.आ. ने मार्च 2000 तक खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले इसके विभिन्न लाभार्थियों को केवल 718 करोड़ रु. का संवितरण किया।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि:

कमजोर वित्तीय तथा प्रशासकीय नियंत्रण के कारण आयोग कुल संवितरित ऋण का केवल 10 प्रतिशत तक ही वसूल सका।

- (i) यद्यपि योजना में नई व्यवहार्य परियोजनाओं को दिए जाने वाले आवधिक ऋण या संयुक्त ऋण की परिकल्पना की गई थी न कि विशुद्ध कार्यशील पूंजीगत ऋण की, तथापि 1995 से 1997 की अवधि में विद्यमान खादी संस्थाओं को 272.27 करोड़ रु. विशुद्ध रूप से कार्यशील पूंजीगत ऋण के रूप में संवितरित किए गए।
- (ii) यद्यपि 1995-96 में 295.35 करोड़ रु. की राशि का संवितरण किया गया था, किन्तु वसूली कक्ष की स्थापना बहुत विलंब के बाद 1997 में हुई।
- (iii) अपर्याप्त कार्यवाही के कारण, खा.ग्रा.उ.आ. विभिन्न खादी ग्रामोद्योग अभिकरणों से 77.31 करोड़ रु. ही वसूल कर सका जो कि कुल संवितरित किए गए 718 करोड़ रु. के ऋण का 10 प्रतिशत था।

(iv)

खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा कर्जदारों से 108.77 करोड़ रु. की ऋण की किरतें तथा 236.88 करोड़ रु. के ब्याज की वसूली में विफलता के कारण उसको अपने बजटीय संसाधनों अर्थात् खा.ग्रा.उ. ऋण खाते और ग्रा.रो.उ.का. अनुदान खाते को विपथित करने पर बाध्य होना पड़ा तथा बैंक को 1995 से 2000 के दौरान भुगतान करना पड़ा।

आयोग के पास संस्थावार वसूली योग्य ब्याज तथा शास्तिक ब्याज का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

(v)

खा.ग्रा.उ.आ. को अभी तक उपरोक्त ऋणों पर संस्थावार वसूलीयोग्य ब्याज तथा शास्तिक ब्याज की संगणना करनी थी।

इस प्रकार रोजगार उत्पादन के विषय में स.बैं.क्रै. योजना की उपलब्धि दुर्बल वित्तीय एवं प्रशासकीय नियंत्रण सहित निधियों के विपथन के कारण अत्यधिक कम था।

### 3.8 विशेष रोजगार योजना का कार्यान्वयन न किया जाना

सरकार ने 1994-95 में गहन रोजगार उत्पादन कार्यक्रम का दो योजनाओं अर्थात् (i) जि.वि.रो.का. तथा (ii) खं.वि.का. को चयनित पिछड़े क्षेत्रों में आरम्भ किया।

जि.वि.रो.का. के अन्तर्गत 71 पिछड़े जिलों में 10000 व्यक्ति प्रति जिला रोजगार देने के लिए पहचान करनी थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ख.वि.का. के लिए 125 खण्डों को नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (न.सा.वि.प्र.) के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु खण्ड सूची से 1000 व्यक्ति प्रति खण्ड का चयन करना था। 1994-95 से 1998-99 के दौरान सरकार द्वारा अनुदान के रूप में 358.85 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया। भारत सरकार के दिशानिर्देशों (1994) के अनुसार उपरोक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अनिवार्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) के परिवारों से सम्बन्धित होने चाहिए। तथापि, खा.ग्रा.उ.आ. ने अनुदेश जारी करते समय (1995) निर्णय लिया कि लाभार्थियों की ग.रे.नी. की शर्त आवश्यक तथा अनिवार्य नहीं थी।

सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों से विचलन

खा.ग्रा.उ.आ. के ऐसे अनुदेशों ने योजना के निश्चित उद्देश्य तथा भारत सरकार द्वारा सूत्रबद्ध दिशानिर्देशों को विफल कर दिया एवं रोजगार उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति निष्प्रभाव हो गई जैसा कि उपरोक्त पैरा 3.5 में पहले ही उल्लेख किया गया है।

### 3.9 कार्यक्रम कार्यान्वित न होने के कारण निधियों का अवरोधन

खा.ग्रा.उ.आ. के नियमों के अनुसार पूंजीगत व्यय के लिए ऋण वहिर्गृहों के निर्माण तथा मशीनों के प्रतिस्थापन के प्रयोजन से जारी किया जाता है। इसका उपभोग प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर करना होता है तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है अन्यथा ऋण की राशि को ब्याज सहित लौटाना होता है। ऋण की चुकौती 10 वर्षों के अन्दर 9 बराबर किस्तों में वापस करनी होती है।

ऋण जारी करने तथा संवितरण के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संगठन का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह संभाव्यता का अध्ययन करे तथा संस्था की प्रामाणिकता सत्यापित करे एवं कार्यक्रम के उपयुक्त अनुश्रवण लिए प्रत्यक्ष के निरीक्षण भी करे। लेखापरीक्षा की संवीक्षा से पता चला की:

(I) नमूना जांच किए गए 284 मामलों में 9.76 करोड़ रु. की राशि ऋण के रूप में 1972 से 1997 के दौरान विभिन्न संस्थाओं को जारी की गई। इन संस्थाओं ने न तो कोई उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और न ही ऋण की किश्त वापस लौटाई।

(II) 27 मामलों में यह बताया गया कि वसूली कार्यवाही की जा रही है और शेष मामलों में आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार, वर्णित नियमों एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखे बिना अविवेकपूर्ण रूप से जारी किए गए कर्जों के परिणामस्वरूप सरकारी निधियों की हानि हुई तथा योजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

### 3.10 निधियों का दुरुपयोग:

ऋणों एवं अनुदानों को नियंत्रित करने की एक मुख्य शर्त यह है कि निधियों का उपयोग उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होना चाहिए जिसके लिए वे संस्वीकृत होती हैं।

नमूना जांच में प्रकाश में आया कि 34 संस्थाओं के मामले में 1992 और 1997 के बीच जारी 448.81 लाख रुपये की राशि का दुरुपयोग/अन्य उद्देश्यों के लिए विपथन हुआ तथा ऊपर दर्शाये गए 7 मामलों में, खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा उन इकाइयों को ऋण जारी करने के पश्चात कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जो बाद में जाली/छद्म पाई गयी। खा.ग्रा.उ.आ. ने बताया कि वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी। एक मामले में 33.70 लाख रुपये का सम्पूर्ण ऋण तीन महीने की अवधि में जारी किया गया था। बादमें, यह पाया गया कि संस्था ने ऋण का दुरुपयोग किया था तथा मामला के.अ.व्यू. की जाँच के अधीन बताया गया।

इस प्रकार खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन और समसामयिक अनुवर्ती कार्यवाही किए बिना ऋणों के लगातार जारी रहने के परिणामस्वरूप निधियों का दुरुपयोग हुआ।

### 3.11 निष्क्रिय इकाइयों द्वारा लेखा में न ली गयी राशि:

खा.ग्रा.उ.आ. विभिन्न राज्य बोर्डों पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों एवं अन्य को विभिन्न खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ऋण एवं अनुदान देता है।

जाली/छद्म  
इकाइयों को  
जारी ऋण ।

217.24 करोड़ रु.  
की ऋण राशि  
41714 निष्क्रिय  
बताई गई इकाइयों  
के पास अवरुद्ध  
पड़ी रही ।

12 राज्यों में, 381 प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थाओं को 11.91 करोड़ रु. की राशि तथा 14 राज्य-बोर्डों द्वारा सहायता प्राप्त 41714 संस्थाओं, जो निष्क्रिय बताई गयी थी, द्वारा 217.24 करोड़ रु. की राशि खाते में नहीं ली गई थी। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि यद्यपि कुछ मामलों में खा.ग्रा.उ.आ. ने इकाइयों के निष्क्रिय होने की अवधि का विवरण अनुरक्षित किया था किन्तु इसके पास ऋण जारी करने की तिथि एवं पुनर्दायगी यदि कोई थी, का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। खा.ग्रा.उ.आ. ने यह सत्यापित करने के लिए कोई जाँच नहीं की थी कि ये संस्थाएँ क्यों निष्क्रिय हो गयी या ये प्रारम्भ से ही छद्म थीं ।

यदि खा.ग्रा.उ.आ. ने इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का निधियों के जारी करने से पूर्व सत्यापन किया होता या संस्थाओं के निष्क्रिय होने से पूर्व देयताओं की वसूली की कार्यवाही की होती तो सरकारी निधियों का अवरोधन रोका जा सकता था।

### 3.12 बकाया ऋण

खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की शर्त के अनुसार इनकी वसूली दूसरे वर्ष के अन्त में प्रारम्भ होनी थी तथा ऋण पांच से दस वर्ष के भीतर वापस अदा किए जाने थे। खादी कार्यशील पूंजीगत ऋण ईकाई के चालू रहने तक वसूल नहीं किए जाने थे।

मार्च 2000 को संवितरित ऋण तथा की गई वसूली की वर्ष-वार स्थिति निम्न थी:

तालिका 3.12 : संवितरित ऋण एवं की गई वसूली की स्थिति

(करोड़ रु. में)

वर्ष	संवितरण				जोड़	वसूली				जोड़
	खा.ग्रा.उ.आ. बजटीय स्रोत		स.वे.क्रै.स्रोत			खा.ग्रा.उ.आ. बजटीय स्रोत		स.वे.क्रै.स्रोत		
	खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.		खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.	
1995-96 तक	611.34	912.76	232.98	62.37	1819.45	131.11	195.24	शून्य	शून्य	326.39
1996-97	29.04	12.83	31.39	127.00	200.26	9.44	24.23	6.32	3.82	43.82
1997-98	4.77	6.51	शून्य	71.14	82.42	15.15	24.21	2.10	7.29	48.75
1998-99	7.37	5.44	शून्य	145.92	158.73 2260.86	6.69	11.54	5.61	28.85	52.69
1999-00	6.09	1.27	शून्य	47.29	54.65	2.77	11.15	1.48	21.86	37.26
जोड़	658.61	938.81	264.37	453.72	2315.51	165.16	266.37	15.51	61.82	508.91

मार्च 1999 तक संवितरित 2260.86 करोड़ रू. के कुल ऋण में से मार्च 2000 तक कुल पुनर्प्राप्ति मात्र 508.91 करोड़ रू. थी जिससे शेष 1752 करोड़ रू. की वसूली बकाया थी। बकाया ऋणों का वर्षवार तथा ऋणीवार अद्यतन विवरण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, ऋण संवितरण के बाद खा.ग्रा.उ.आ. ने वसूली पर निगरानी के दायित्व से स्वयं को मुक्त कर लिया जिसकी परिणति अपर्याप्त वसूली, अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही तथा बड़े चुककर्ताओं के रूप में थी।

बकाया ऋणों का वर्षवार एवं अद्यतन ऋणीवार विवरण आयोग के पास उपलब्ध नहीं था।

### 3.13 व्याज की गणना न करना

खादी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिए गये ऋण व्याज मुक्त थे, जबकि ग्रामीण उद्योग से संबंधित ऋणों पर 4 प्रतिशत व्याज देय था। सहायता संघ बैंक क्रेडिट योजना के अधीन खादी तथा ग्रामोद्योग दोनों के लिए ऋणों पर चालू बैंक ब्याज देय था।

भारत के नि.म.ले.प. के 1995 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन के पैरा संख्या 26 में बकाया ऋणों पर व्याज की गणना न किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया था तथा खा.ग्रा.उ.आ. ने भी आश्वासन (1995) दिया था कि व्याज गणना को अद्यतन करने की कार्यवाही की जाएगी। अभिलेखों की छानबीन से पता चला कि मार्च 2000 तक संवितरित 2315.51 करोड़ रू. की राशि के ऋण के संबंध में सितम्बर 2000 तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। इस प्रकार खा.ग्रा.उ.आ. व्याज गणना को अद्यतन किए जाने के 1995 के अपने आश्वासन को कार्यान्वित करने में सितम्बर 2000 तक असफल रहा।

आयोग बकाया ऋणों पर व्याज की राशि को अद्यतन करने के अपने वचन को निभाने में विफल रहा।

### 3.14 923.14 करोड़ रू. के बकाया उपयोग-प्रमाण पत्र

निर्धारित समय में अनुदानों का उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए इन्हें स्वीकृत किया गया था, समुचित उपयोग तथा प्रत्येक अनुदान/ऋण के लिए अव्ययित शेष वापस लौटाने की बाध्यता है। उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना और अनुदान प्राप्तकर्ता/ऋणी से अप्रयुक्त उपयुक्त समय में वापसी संस्वीकृत प्राधिकारी का उत्तरदायित्व था। लो.ले.स. ने अपनी 52वीं रिपोर्ट (1981-82) के पैरा 1.10 में संसृति दी थी कि खा.ग्रा.उ.आ. को उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा पिछले बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने के अथक प्रयास करने चाहिए और सुझाव भी दिया कि आयोग उन राज्य बोर्डों तथा संस्थाओं की सहायता बन्द कर जो उन्हें दी जाने वाली राशि का हिसाब नहीं रखते तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते।

31.3.2000 तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

## तालिका 3.14 : बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उपयोग प्रमाणपत्र		अप्रयुक्त/आपत्ति की गई वसूली हेतु लम्बित राशि
	बकाया	प्रक्रियाधीन	
1993-94	228.37	317.37	189.04
1994-95	48.33	35.29	4.43
1995-96	235.85	66.49	0.09
1996-97	289.31	सूचना उपलब्ध नहीं	
1997-98	121.28	-वही-	-वही-
जोड़	923.14	419.15	193.56

टिप्पणी: इसमें वर्ष 1998-99 के लिए सूचना शामिल नहीं थी जिसके लिए अभी आयोग द्वारा विवरण परिकल्पित किये जाने थे।

उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त प्रयास करने की लो.ले.स. की सिफारिशों के बावजूद उ.प्र. के समय पर प्रस्तुतीकरण पर निगरानी के लिए आयोग ने लापरवाही दिखानी जारी रखी।

मार्च 2000 को 923.14 करोड़ रु. की संस्वीकृतियों के उपयोग प्रमाण पत्र बकाया थे, 419.15 करोड़ रु. के उपयोग प्रमाणपत्रों पर अभी कार्यवाही की जानी थी तथा 193.53 करोड़ रु. की अनुपयोजित राशि की अभी वसूली लम्बित थी। इसमें से 148.67 करोड़ रु. दस से अधिक वर्षों से लम्बित थे। उपयोग प्रमाण पत्रों के समय पर अधिप्रापण पर निगरानी रखने में आयोग द्वारा दिखाई गई शिथिलता के परिणामस्वरूप भारी अनुपयोजित राशि की अवसूली हुई।

## 3.15 विपणन

खादी तथा ग्रा.उ. उत्पादों की बिक्री में सहायता के लिए आयोग ने विपणन अवसंरचना का सृजन किया है। विक्रय केन्द्रों के तंत्र में 27 भवन तथा पूरे देश में फैली 91 विभागीय व्यापारिक इकाइयां शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के व्यापारिक गतिविधियों के तुलनात्मक अध्ययन से निम्नलिखित अभ्युक्तियां उत्पन्न होती हैं।

## तालिका 3.15 :

(लाख रु. में)

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
1. अथ स्टॉक	3058.71	3095.56	3419.04	4542.78	4066.86	4156.24
2. खरीद	7272.19	12285.98	11995.75	8707.79	9129.11	7874.50
3. बिक्री	8040.04	12824.81	11909.75	10174.93	9943.53	8383.36
4. अन्त स्टॉक	3095.56	3419.04	4542.78	4066.86	4156.24	4902.37
5. निवल लाभ-हानि	खादी (-) 9.33 ग्रा.उ. (-) 6.87	(+) 13.60 (-) 13.17	(+) 36.59 (-) 8.24	(-) 47.92 (-) 17.85	(-) 124.92 (-) 34.66	(-) 214.36 (-) 60.48
6. विविध देनदार	6480.17	9892.28	11549.91	10280.74	9365.97	9860.20
7. विविध लेनदार	3493.77	3721.26	4773.57	4458.89	4402.49	5204.78
8. स्था. व्यय	536.18	591.05	626.66	746.98	806.97	837.86



ग्रामोद्योग द्वारा वहन की गई हानियाँ 1994-95 में 6.87 लाख रु. से बढ़ कर 1999-2000 में 60.48 लाख रु. हो गई थी।

अन्त स्टाक वर्षानुवर्ष बढ़ रहा था

क) मार्च 2000 को व्यापारिक इकाइयों में प्रगामी निवेश 8957.27 लाख रु. का था जबकि व्यापारिक गतिविधियों ने वर्षानुवर्ष सीमांत लाभ तथा भारी हानियाँ दर्शाई। ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में हानि 1994-95 में 6.87 लाख रु. से बढ़कर 1999-2000 में 60.48 लाख रु. तथा खादी में हानि 1997-98 में 47.92 लाख रु. के प्रति 1999-2000 में 214.36 लाख रु. थी। ऐसी भारी हानियों के लिए मुख्य कारण घटिया बिक्री निष्पादन तथा ऊपरीशीर्ष व्यय में वृद्धि सूचित किये गये थे।

ख) अन्त स्टाक वर्षानुवर्ष बढ़ रहा था तथा मार्च 2000 को अन्त स्टाक में अवरुद्ध हुई राशि 4902.37 ~~करोड़~~ रु. थी। अन्त स्टाक का अवधि वार तथा मद वार विवरण आयोग के पास उपलब्ध नहीं था। इसलिए अन्त स्टाक का लेखापरीक्षा में उपयुक्त विश्लेषण नहीं किया जा सका।

ग) विविध लेनदारों तथा विविध देनदारों की स्थिति ने दर्शाया कि खा.ग्रा.उ.आ. के पास क्रेडिट बिक्री के बारे में कोई नीति नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप एक तरफ तो संस्थाओं को भुगतान करने के लिए भारी राशि बकाया थी तथा दूसरी ओर क्रेडिट के अन्तर्गत भी भारी राशि बकाया थी।

घ) विभिन्न विशेषज्ञ निकायों द्वारा अनुभव किये गए व्यापारिक इकाइयों के विकृत निष्पादन के मुख्य कारण थे:

- i) बिक्री योग्य उत्पादों के प्रकार, उत्पादित किये जाने वाले उत्पाद के प्रकार, उनकी गुणवत्ता, रूपरेखा तथा बनावट आदि सुनिश्चित करने के लिए विपणन निदेशालय, भवन प्रबन्धक तथा कार्यक्रम निदेशालय के बीच प्रभावी समन्वयन की कमी ;
- ii) बिक्री नीति तथा विपणन सुविधाओं की कमी ;
- iii) प्रदर्शन, उत्पादन प्रस्तुतीकरण तथा उपयुक्त भण्डारण की कमी ;
- iv) गुणवत्ता नियन्त्रण, पैकेजिंग तथा प्रचार की कमी ।

इस प्रकार, यद्यपि खा.ग्रा.उ.आ. अधिनियम, इसकी धारा 15(1)(ग) के अनुसार संगठन को बिक्री, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के लिए अनुमति प्रदान करता है, उत्पाद सूचना, बाजार सर्वेक्षण, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग, गुणवत्ता तथा मानकीकरण, बिक्री में वृद्धि, बिक्री में तैनात जनशक्ति के मा.सं. विकास आदि के रूप में इसके विपणन के विकास के लिए खा.ग्रा.उ.आ. को अभी भी सार्थक प्रयास करने थे। सुव्यवस्थित विपणन तथा उपर्युक्त कमियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी।

### 3.16(i) छूट का अनियमित भुगतान (2.52 करोड़ रु.)

खा.ग्रा.उ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 2(घ) के अनुसार खादी, भारत में हाथ का कता कपास, रेशम, ऊनी धागे का उपयोग करते हुए अथवा उपयुक्त दो या सभी के मिश्रण से हथकरघे पर बुने गए किसी कपड़े के रूप में पारिभाषित की जाती है।

तमिलनाडु में खा.ग्रा.उ.आ. की संस्थाओं ने विद्युत करघे पर कता कच्चा रेशम तानसिल्क से खरीदना जारी रखा तथा अपने उत्पादन में उसका उपयोग किया जबकि तानसिल्क अप्रैल 1990 से एक अप्रमाणित संस्था थी तथा विद्युत चरखी निर्मित धागे से उत्पादित रेशम खादी उत्पाद नहीं था। संस्थाओं ने इसके उत्पादन पर छूट का दावा भी किया।

खा.ग्रा.उ.आ. ने अप्रैल 1999 में तमिलनाडु की संस्थाओं द्वारा तानसिल्क धागे से तैयार किये गए उत्पादों के दावों से 10 प्रतिशत वसूली करने का निर्णय लिया तथा तदनुसार राज्य कार्यालय/खा.ग्रा.उ.बो. को अनुदेश दिये। तथापि अभी तक राज्य कार्यालय/खा.ग्रा.उ.बो. द्वारा राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, जो कि 1994-95 तथा 1995-96 की अवधि के लिए तमिलनाडु में खा.ग्रा.उ.बो. तथा खा.ग्रा.उ.आ. की सीधे सहायता प्राप्त 8 संस्थाओं से 2.52 करोड़ रु. परिकलित की गई थी।

2.52 करोड़ रु. की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

### 3.16(ii) छूट के भुगतान के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन न करना

दिसम्बर 1996 में जारी किये गए आयोग के परिपत्र के अनुसार छूट केवल संस्थाओं से बकाया प्राप्यों के समायोजन के पश्चात् ही जारी की जानी थी जिसका अनुसरण उपयुक्त समयावधि के भीतर तत्काल लेखापरीक्षा करके किया जाना चाहिए। तथापि 6 राज्यों के मामले में यह सूचित किया गया था कि 1018 संस्थाओं की तत्काल लेखापरीक्षा 1 से 10 वर्षों तक लम्बित थी। तथापि 52.76 करोड़ रु. की राशि की छूट के दावों के भुगतान की सत्यता की जांच की जानी शेष है तथा तत्काल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 1987-88 से 1998-99 से सम्बन्धित 2.01 करोड़ रु. की अस्वीकृत छूट की वसूली अभी लम्बित थी। उपर्युक्त मामलों में यह सूचित किया गया था कि अस्वीकृत दावों की वसूली पर निगरानी के लिए राज्य कार्यालयों द्वारा वसूली रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था।

1987-99 से सम्बन्धित 2.01 करोड़ रु. की अस्वीकृत छूट की वसूली अभी प्रतीक्षित थी।

### 3.17. पूनी संयंत्रों की कार्यप्रणाली

#### 3.17(क) छः पूनी संयंत्रों का निराशापूर्ण निष्पादनः

नया प्रतिमान चरखा के आरम्भ होने से कच्ची सामग्री के रूप में पूनी तथा/अथवा बटे हुए रेशों का उपयोग अनिवार्य हो गया। चूंकि संस्थायें पूनी रूपान्तरण प्रणाली प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं कर सकी, खा.ग्रा.उ.आ. ने इसकी विभागीय

व्यापारिक गतिविधियों के अन्तर्गत पूनी तथा बटे हुए रेशों की उत्पादन सुविधा केन्द्रीय रूप से स्थापित करने का निर्णय लिया। 1986-1999 के दौरान खा.ग्रा.उ.आ. ने कुल 22.23 करोड़ रु. की लागत पर छः पूनी तथा रेशा बटने के संयंत्रों की स्थापना की।

कार्यप्रणाली के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि 1997-98 के लिए सभी छः संयंत्रों का क्षमता उपयोग केवल 27 प्रतिशत था, तथापि चित्रदुर्ग में संयंत्र का क्षमता उपयोग 1995-96 से 1997-98 की अवधि में 9 से 42 प्रतिशत के बीच था। मार्च 1999 को चित्रदुर्ग में संयंत्र के पास 122.90 लाख रु. के मूल्य के बटे हुए रेशों का भारी अन्त स्टॉक पाया गया, इथा में 1994-95 से 1998-99 की अवधि के लिए संयंत्र लगातार घाटे में चल रहा था।

### 3.17(ख) पूनी संयंत्र पर निष्फल व्यय

रेसा बंटने के विद्यमान संयंत्रों की घटिया निष्पादन क्षमता के बावजूद आयोग ने 5.54 करोड़ रु. की लागत से चार और संयंत्र लगाए

यद्यपि घटिया क्षमता उपयोग, लगातार घाटे लक्ष्य में कमी आदि जैसे कारणों से छः संयंत्रों का निष्पादन सन्तुष्टि से बहुत पीछे था। आयोग ने 1990-91 तथा 1996-97 में सहरसा (बिहार), चौधवार (उड़ीसा), बहरामपुर (पश्चिम बंगाल) तथा दौसा (राजस्थान) में चार और संयंत्र लगाने का निर्णय लिया तथा 1996-97 तक 554.50 लाख रु. का व्यय किया। आयोग तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित किये गए अभिलेखों की संवीक्षा से चार संयंत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्थिति का पता चला।

(i) भूमि, भवन, मशीनरी इत्यादि की लागत पर 316.50 लाख रु. का व्यय करने के पश्चात् आयोग ने समस्त अतिरिक्त संयंत्र लगाने का विचार (उड़ीसा को छोड़कर) सितम्बर 1999 में छोड़ दिया और इस प्रकार व्यय निष्फल हो गया।

(ii) 1996-97 के दौरान आयोग द्वारा दौसा परियोजना के लिए जारी की गई 60 लाख रु. की राशि में से मुख्यतया रजिस्ट्री और स्थापना के खर्चों के प्रति मार्च 1999 तक केवल 11.50 लाख रु. की राशि खर्च की गई तथा शेष राशि आयोग को वापिस किए बिना अप्रयुक्त रही। 11.50 लाख रु. का विविध व्यय करने से पहले पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की आयोग की विफलता के कारण अपव्यय हुआ और इसके अतिरिक्त 49.50 लाख रु. की शेष राशि अप्राधिकृत रूप से पड़ी रही।

(iii) 295 लाख रु. का व्यय करने के पश्चात् सहरसा (बिहार) में निर्मित परियोजना, जिसमें मशीनरी की प्राप्ति के लिए 1992 में 15 लाख रु. का अग्रिम भुगतान भी शामिल था, विशेष रोजगार कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारण छोड़नी पड़ी।

(iv) निदेशक (खादी समन्वय) ने अपनी अगस्त 1999 और अप्रैल 2000 के प्रतिवेदन में चौधवार (उड़ीसा) परियोजना की अव्यवहार्यता को प्रकट किया था और यह आशंका व्यक्त की थी कि उड़ीसा में यदि सम्पूर्ण खादी एवं पोलिवस्त्र का कार्यक्रम द्वारा इस

संयंत्र से पूनी बनाने और/या पूनी चीरने का पूरा कार्य किया जाए तो भी प्रस्तावित संयंत्र की उपयोग क्षमता 9.95 प्रतिशत के लगभग होगी। फिर भी, आयोग ने केवल इस कारण कि 238 लाख रु. की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है, कार्यक्रम के कार्यान्वयन को जारी रखा। निदेशक (खा.सं.) तथा निदेशक (वित्त) की सिफारिशों की अवहेलना करते हुए बिना किसी वैध कारण के आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अविवेकपूर्ण एवं गलत था जिस कारण 238 लाख रु. का अपव्यय हुआ।

### 3.18 बजट-टीम/प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई बकाया राशि की वसूली न होना:

(i) खा.ग्रा.उ.आ. की बजट-टीम ने निष्पादन में कमी के कारण एक संस्था से एक महीने के भीतर 24.63 लाख रु. की वसूली के निदेश जुलाई 1998 में दिए थे।


राज्य कार्यालय, चण्डीगढ़ ने जुलाई, 1999 में खा.ग्रा.उ.आ. को सूचित किया कि 12.63 लाख रु. वसूल किए जा चुके हैं और संस्था के 1997-98 के छूट के दावे में से जमा करा दिए हैं। 12 लाख रु. की शेष राशि की वसूली राज्य कार्यालय ने अपने आप आस्थगित कर दी।

तथापि अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर, 1999) से पता चला कि 12.63 लाख रु. की राशि सम्बन्धित संस्था से वास्तव में वसूल नहीं की गई। बताए जाने पर (अक्टूबर 1999), निदेशक, राज्य कार्यालय ने बताया कि असावधानी के कारण 12.63 लाख रु. की वसूली नहीं की जा सकी जिससे यह पता चलता है कि वसूलियों पर निगरानी रखने के लिए निदेशालय में कोई प्रणाली नहीं है।

(ii) राज्य कार्यालय, चण्डीगढ़ ने 1991-92 के दौरान शहद की एक व्यापारिक इकाई प्रारम्भ की तथापि जिसे मार्च 1993 से बन्द कर दिया गया। इसके बन्द करने के समय विभिन्न पार्टियों से 18.07 लाख रु. वसूल किए जाने थे। इसी प्रकार, शहद संसाधित करने वाले संयंत्र की मशीनरी के अन्तरण के कारण पंजाब राज्य मधुमक्खी पालन संघ, बस्सी पठाना से 7.07 लाख रु. वसूल किए जाने थे। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर, 1999) कि सात से आठ वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी 25.14 लाख रु. की उक्त राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त वसूल की जाने वाली राशि के अतिरिक्त 6.34 लाख रु. की अव्ययित राशि राज्य कार्यालय के पास पड़ी रही और खा.ग्रा.उ.आ. मुम्बई को वापस नहीं लौटाई गई। निदेशक, खा.ग्रा.उ.आ. राज्य कार्यालय, चण्डीगढ़ ने उत्तर में (अक्टूबर, 1999) में बताया कि संस्थाओं से राशि वसूल करने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

मामला मन्त्रालय को नवम्बर, 2000 में भेजा गया था। उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

भाग ख - लेनदेन लेखापरीक्षा पैराग्राफ



## अध्याय IV : कृषि मंत्रालय

### कृषि एवं सहकारिता विभाग

### राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

### 4.1 अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त करने में विफलता

**3.19 करोड़ रु. के निष्फल निवेश के अतिरिक्त, एकीकृत जलाशय मछली विकास परियोजना के अपर्याप्त परियोजना मूल्यांकन के कारण असन्तोषजनक निष्पादन ।**

लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर में फैले देश के छोटे जलाशय, जो सबसे अधिक संभावित मछली उत्पादन संसाधनों का एक साधन बनते हैं, अधिकतर परित्यक्त थे जिसमें उत्पादन संभावनाएं अनुपयुक्त रहीं। मछली पालन जलाशय के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय के अधीन रा.स.वि.नि.<sup>1</sup> ने, मार्च 1992 में, 5.66 करोड़ रु. (5.40 करोड़ रु. कर्ज के रूप में तथा 26.28 लाख रु. आर्थिक सहायता के रूप में) की वित्तीय सहायता के साथ महाराष्ट्र में अकोला तथा भण्डारा में ए.ज.म.वि.प.<sup>2</sup> की स्थापना के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार को योजना की संस्वीकृति दी। परियोजना मार्च 1998 तक पूरी की जानी थी। योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत/जारी राशि निम्न प्रकार थी:

**तालिका 4.1 (i) : संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि**

(लाख रु. में)

	अकोला			भण्डारा		
	संस्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	निर्गम की प्रतिशतता	संस्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	निर्गम की प्रतिशतता
कर्ज	231.89	125.01	54	307.68	177.93	58
आर्थिक सहायता	11.36	8.08	71	14.92	8.42	56

<sup>1</sup> राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

<sup>2</sup> एकीकृत जलाशय मछली विकास परियोजना

यद्यपि परियोजना के पूरा होने की अभिकल्पित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, 5.66 करोड़ रु. की संस्वीकृत सहायता में से केवल 3.19 करोड़ रु. (60 प्रतिशत) ही जारी किये जा सके।

इसके अतिरिक्त, जबकि अकोला तथा भण्डारा में परियोजनाओं के लिए कर्जा घटक के सम्बन्ध में निर्गम की प्रतिशतता क्रमशः 54 तथा 58 थी, परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता घटक के लिए यह 71 तथा 56 प्रतिशत थी।

यह भी देखा गया कि दोनों परियोजनाओं में उपलब्धियों में 2 से 100 प्रतिशत के बीच भारी कमियां थी जैसा कि नीचे की तालिका से देखा जा सकता है:-

तालिका 4.1 (ii) : उपलब्धियों में कमी

क्र.सं.	घटक का नाम	अकोला			भण्डारा		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी में प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी में प्रतिशतता
1(क)	पिंजरे (संख्या)	100	41	59	120	120	
(ख)	नर्सरी	16	12	25			
(ग)	मछली स्क्रीन(संख्या)	47	10	79			
2(क)	मछुवाई नाव	180	104	42	256	251	2
(ख)	नायलोन जाल	8790	6417	27	10275	10275	
(ग)	महाजाल	10	2	80	68	68	
(घ)	यान्त्रिक नाव	6	4	33			
3(क)	शीत संयंत्र	1		100	1	0	100
(ख)	मछली संचालन संयंत्र	34	1	97	71	8	89
(ग)	कियोस्क	10	5	50	10	5	50
(घ)	परिवहन वाहन	2	1	50	3	2	33

क्योंकि कोई भी शीत संयंत्र स्थापित नहीं किया जा सका, मछली संचालन संयंत्र के प्रति स्थिति कम या अधिक एक जैसी थी।

योजना के अन्तर्गत विचार किये गए कुछ पैरामीटर के सम्बन्ध में निष्पादन तथा वास्तव में प्राप्ति निम्न प्रकार थी :

तालिका 4.1 (iii) : वास्तव में प्राप्त निष्पादन पैरामीटर

पैरामीटर	अकोला			भण्डारा		
	प्रक्षेपित	प्राप्ति	कमी (प्रतिशत में)	प्रक्षेपित	प्राप्ति	कमी (प्रतिशत में)
मछली उत्पादन (टन में) प्रतिवर्ष	1516	448	70	2,379	1048	56
प्रशिक्षण (संख्या)	1572	358	77	2218	1071	52
मछुवारों के लिए आय. (रु.)	7270	3000	59	7270	2800	61



उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि अभिकल्पित उद्देश्यों से उपलब्धियों में भारी कमी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि वर्ष में चार से छः माह तक तालाबों/जलाशयों में जल की धारण क्षमता न होने, सिंचाई प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त न होने के कारण मछली स्क्रीनों तथा मछली संचालन संयंत्रों के घटकों के उपयोग न होने तथा लघु पुनर्भुगतान अवधि जिसने घटक को अव्यवहारिक बना दिया था, के कारण परियोजना पर निवेश रोक दिया गया था।

इसके अतिरिक्त रा.स.वि.नि. द्वारा निम्नलिखित जांच-पड़तालों की अनदेखी करते हुये किया गया मूल्यांकन भी परियोजना की व्यवहारिकता से सम्बन्धित था।

(i) मछली तालाबों/जलाशयों की उर्वरता तथा उत्पादकता तथा जल की धारण क्षमता के निर्धारण के लिए मिट्टी विश्लेषण अनिवार्य था। यह नहीं किया गया था।

उत्तर में, रा.स.वि.नि. ने बताया कि मिट्टी विश्लेषण का सीमित प्रभाव था तथा मछली उत्पादन निर्धारण के लिए यही एक घटक नहीं था तथा इसलिए उत्पादन प्रतिमान के आधार पर प्रत्याशित उत्पादन आरम्भ किया गया था। आगे यह बताया गया था कि मूल्यांकन के समय मिट्टी विश्लेषण अनिवार्य करने से बहुत समय लगता जिसका परियोजना पर प्रभाव पड़ता। रा.स.वि.नि. का दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मछली तालाबों की क्षमता के निर्धारण में मिट्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(ii) रा.स.वि.नि. द्वारा किया गया मूल्यांकन प्राथमिक डाटा अर्थात् जलाशय रूपविज्ञान तथा जल निवास समय जल तथा मिट्टी इत्यादि की भौतिक रसायन विशेषता जिसे के.म.अ.स.<sup>3</sup> बैरकपुर, पश्चिम बंगाल से प्राप्त किया जा सकता था, के बजाए गौण डाटा पर आधारित था। रा.स.वि.नि. ने बताया कि के.म.अ.सं. चुनिन्दा जलाशयों पर अनुसंधान करता है तथा जलाशयों के भौतिक रसायन संबंधी पैरामीटर को मॉनीटर नहीं करता है। तथापि, रा.स.वि.नि. यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयास किये गये थे।

(iii) मूल अवसरचना अर्थात् मछली स्क्रीनों तथा मछली संचालन शैलों की स्थापना/निर्माण, जो कि पकड़ी गई मछलियों के भण्डारण के लिए अनिवार्य थी, के लिए महाराष्ट्र सरकार के सिंचाई विभाग से रा.स.वि.नि. द्वारा अनुमति सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसे रा.स.वि.नि. द्वारा स्वीकार किया गया था।

<sup>3</sup> केन्द्रीय मछली अभिग्रहण एवं अनुसन्धान संस्थान

इसके अतिरिक्त, सितम्बर 1998 में आयोजित रा.स्त.स.स.<sup>4</sup> की 14वीं बैठक के विचार विमर्श के कार्यवृत्त की संवीक्षा से भी परियोजना की वास्तविकताओं की अनदेखी करने का पता चला जो कि इसकी सफलता के लिए सर्वोपरि था। यह इस बात का द्योतक था कि रा.स.वि.नि. द्वारा किया गया मूल्यांकन कमजोर था। अन्ततः इसके परिणामस्वरूप 3.19 करोड़ रू. का निवेश निष्फल हुआ।

परियोजना संस्वीकृत सहायता का केवल 60 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी लेकिन अभिप्रेत उद्देश्य/परिणाम प्राप्त करने में विफल रही।

रा.स.वि.नि. ने सितम्बर 1999 में अपने उत्तर में योजना में पहचानी गई कमियों को स्वीकार किया तथा कहा कि किये गए निवेश को ध्यान में रखते हुये परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति की सम्भावना नहीं थी। उत्तर युक्ति संगत नहीं है क्योंकि योजना के अन्तर्गत अभिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

अगस्त 2000 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

## नारियल विकास बोर्ड

### 4.2 अविवेकपूर्ण निवेश के कारण हानि

अधिशेष निधियों के चालू खाते/अल्पावधि जमा में प्रतिधारण के कारण 21.87 लाख रू. के ब्याज की हानि हुई।

ना.वि.बो.<sup>1</sup> के पास 31 मार्च 1998 को 6.80 करोड़ रू. की अधिशेष आय थी। 1 अप्रैल 1998 से 28 जून 1998 तक यह राशि चालू खाते में अवधारित की गई थी। ना.वि.बो. ने 11 जनवरी 1999 तक 30 दिनों, 46 दिनों तथा 51 दिनों की लघु अवधियों के लिए क्रमशः छः प्रतिशत, सात प्रतिशत तथा आठ प्रतिशत ब्याज उपार्जक अल्प अवधि जमा में 29 जून 1998 से 11 जनवरी 1999 तक 5 करोड़ रू. की राशि जमा करवायी। चूंकि निकट भविष्य में निधियों के उपयोग की बहुत कम सम्भावना थी, ना.वि.बो. को राशि उच्चतर ब्याज दर प्राप्त करने वाले दीर्घ अवधि जमा में निवेश करनी चाहिए थी। यदि अप्रैल 1998 से जनवरी 1999 के दौरान निवेश, 10.5 प्रतिशत के ब्याज युक्त सावधि जमा में किया गया होता तो ना.वि.बो. को 39.37 लाख रू. के ब्याज की आय

<sup>4</sup> राज्य स्तरीय समन्वय समिति

<sup>1</sup> नारियल विकास बोर्ड

हुई होती। जुलाई-दिसम्बर 1998 के दौरान अल्पावधि जमा पर वास्तव में प्राप्त किया गया ब्याज केवल 17.50 लाख रू. संगणित किया गया था। इस प्रकार, अधिशेष निधियों के घटिया प्रबन्धन के कारण ना.वि.बो. को 21.87 लाख रू. की आय की हानि हुई।

सितम्बर 2000 में मंत्रालय ने बताया कि निधियां चालू खातों में स्थापना व्यय वहन करने तथा राज्य सरकारों, जो अनुदान जारी करने की पूर्व शर्तों को पूरा करती हैं, को 1998-99 की पहली तिमाही में अनुदान जारी करने के लिए रखी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बजट आबंटन तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों को निधियों का निर्गम नियमित मामला था जिसके लिए वर्ष के अन्त में अधिशेष निधियों को रिजर्व में रखना तथा चालू खाते एवं अल्पावधि जमा में रखने की आवश्यकता नहीं थी। ना.वि.बो. के नकद प्रवाह की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी पता चला कि अल्पावधि जमा में रखी गई निधियां राज्य सरकारों को धन जारी करने के लिए अपेक्षित नहीं थी। 1998-99 के दौरान अनुदानों का निर्गम जुलाई 1998 में 7.60 करोड़ रू. के अनुदान की पहली किश्त की प्राप्ति के पश्चात आरम्भ हुआ था। जुलाई तथा दिसम्बर 1998 में भारत सरकार से प्राप्त 17.60 करोड़ रू. के प्रति फरवरी 1999 तक राज्य सरकारों को जारी अनुदान केवल 16.55 करोड़ रू. राशि का था। राज्य सरकारों को अनुदानों का भारी निर्गम तीसरी तथा चौथी तिमाही में हुआ था। इस प्रकार मार्च 1998 को ना.वि.बो. के पास उपलब्ध अधिशेष निधियां, जो कि पूर्णतः ना.वि.बो. की अपनी गतिविधियों से अर्जित राजस्व था (6.80 करोड़ रू. के अधिशेष में से केवल 5.81 लाख रू. का अव्ययित अनुदान), को अधिक आय अर्जित करने वाले जमा में निवेश किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, चालू खाते/अल्पावधि जमा में निधियों के नेमी निवेश से ना.वि.बो. 21.87 लाख रू. के अतिरिक्त ब्याज से वंचित रह गया।

## अध्याय-V : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

### स्वास्थ्य विभाग

#### स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़

##### 5 विलम्ब शुल्क प्रभारों का परिहार्य भुगतान

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान द्वारा शुल्क छूट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र पूर्णवस्था में प्रस्तुत करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 12.86 लाख रु. के विलंब शुल्क प्रभारों का परिहार्य भुगतान ।

भारत में अस्पतालों में उपयोग के लिए अस्पताल उपस्करों के आयात पर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत सीमा शुल्क प्रभारों के भुगतान में छूट प्राप्त है। सरकारी अस्पतालों को अस्पताल उपस्कर आयात करने के लिए, सी.शु.छू.प्र.<sup>1</sup> जारी करने में समय देने तथा स्थगन, विलंबशुल्क आदि से बचने के लिए वांछित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों जैसे प्रपत्र बीजक, साहित्य इत्यादि के साथ पूर्णरूपेण तैयार आवेदन सा.प.<sup>2</sup> पत्र खोलने के तुरन्त बाद म.नि.स्वा.से.<sup>3</sup> के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

निदेशक, स्ना.चि.शि.अ.सं.<sup>4</sup> चण्डीगढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 1999) यह पता चला कि अक्टूबर 1997 में एक्सरे इकाई (उच्चशक्ति) का आपूर्ति आदेश चण्डीगढ़ की भारतीय फर्म के माध्यम से विदेशी संभरक को दिया (अक्टूबर 1997) जिसके लिए सा.प. मार्च 1998 में खोला गया। सी.शु.छू.प्र. जारी करवाने के लिए म.नि.स्वा.से. को प्रस्तुत किया गया (फरवरी 1998) आवेदनपत्र अपूर्ण पाया गया। मई 1998 में, स्ना.चि.शि.अ.सं. द्वारा पुनः एक नया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपूर्ति किए जाने वाले उपस्करों का विवरण प्रपत्र बीजक के अनुरूप नहीं था और यह प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं था कि यह उपस्कर/पुर्जे केवल रोगी परिचर्या के लिए थे, जिसके परिणामस्वरूप म.नि.स्वा.से. द्वारा आवेदन पत्र संसाधित करने में विलम्ब हुआ। अन्ततः सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र सितम्बर 1998 में जारी किया गया और स्ना.चि.शि.अ.सं.

<sup>1</sup> सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र

<sup>2</sup> साख पत्र

<sup>3</sup> महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ

<sup>4</sup> स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

द्वारा अक्टूबर 1998 में प्राप्त किया गया। जून 1998 में परेषित माल भा.वि.प्रा.<sup>5</sup> में पहुँचा और जनवरी 1999 में 26.63 लाख रू. के विलंब शुल्क प्रभारों का भुगतान करने के पश्चात छोड़ा लिया गया। तथापि, भ.वि.प्रा. द्वारा जनवरी 1999 में अन्ततः 26.63 लाख रू. के स्थान पर 19.72 लाख रू. के विलंब शुल्क प्रभारों का निर्धारण किया गया जिसमें से स्ना.चि.शि.अ.सं. की प्रार्थना पर 6.86 लाख रू. छोड़ दिए गए तथा प्रत्यर्पण जुलाई 1999 में प्राप्त हुआ, किन्तु 6.91 लाख रू. का प्रत्यर्पण (26.63 लाख रू.- 19.72 लाख रू.) जिसका अन्तिम निर्धारण करने से पहले ही अधिक भुगतान किया जा चुका था, के लिए स्ना.चि.शि.अ.सं. ने फरवरी 2000 में आवेदन किया जिसकी प्राप्ति अभी तक (नवम्बर 2000) प्रतीक्षित है।

इस प्रकार विभाग द्वारा अपेक्षित सूचना, प्रमाणपत्रों और सहायक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विफलता के कारण परेषित माल छोड़ाने में विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप 12.86 लाख रू. के विलम्ब शुल्क प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 1999 और दिसम्बर 1999) स्ना.चि.शि.अ.सं. ने बताया (फरवरी 2000) कि जिन परिस्थितियों के कारण विलंब शुल्क प्रभारों का भुगतान करना पड़ा उनकी जाँच की जा रही थी।

मामला जून 2000 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

<sup>5</sup> भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## अध्याय VI: मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### संस्कृति विभाग

### राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता

#### 6.1 परियोजना पर अपव्यय

महानिदेशक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा त्रुटिपूर्ण योजना से जुड़ने के फलस्वरूप वास्तुशिल्पीय योजना को अंतिम रूप देने में आसाधारण विलंब से 1.24 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

भारत सरकार के छः विभागों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित "जीवन में ऊर्जा" नामक ऊर्जा मण्डप की सलाहकार समिति ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 5000 वर्ग मीटर भूखण्ड पर ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के स्थाई ऊर्जा मण्डप की स्थापना का जून 1987 में निर्णय लिया। जुलाई 1987 में रा.वि.सं.प.<sup>1</sup> को परियोजना के लिए कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में चुना गया। परियोजना प्रस्तावों के अनुसार, संग्रहालय की वास्तुशिल्पीय योजना 1988-89 के भीतर पूरी की जानी थी, निर्माण कार्य 1991-92 के भीतर पूरा किया जाना था तथा पूरी परियोजना 1992-93 के भीतर पूरी की जानी थी। म.नि.<sup>2</sup>, रा.वि.सं.प. ने इस परियोजना के लिए भारत सरकार के 10 प्रायोजित विभागों से 1988-94 के दौरान 7.50 करोड़ रु. प्राप्त किये।

प्रगति मैदान के नियन्त्रण प्राधिकरण के रूप में भा.व्या.प्रो.सं.<sup>3</sup> के नियमन के अनुसार प्रगति मैदान में निर्मित किये जाने वाले भवन की ऊंचाई 13 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, त.क्षे.अ.<sup>4</sup> एक एक होना चाहिए तथा भवन योजना दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। रा.वि.सं.प. ने प्रतिबंधों के उल्लंघन में भवन की ऊंचाई 22.75 मीटर तथा ल.क्षे.अ. 1.409 दर्शाते हुये तथा मार्च 1991 में योजना, क्रमशः दिल्ली शहरी कला आयोग तथा दिल्ली नगर निगम को प्रस्तुत की। मुख्य वास्तुकार, भा.व्या.प्रो.सं. ने मार्च 1991 में परिषद को सूचित किया कि प्रगति मैदान में सभी निर्माण कार्यों के लिए प्रचलित प्रतिबंधों का पालन किया

<sup>1</sup> राष्ट्रीय व्यापार संग्रहालय परिषद

<sup>2</sup> महानिदेशक

<sup>3</sup> भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन

<sup>4</sup> तल क्षेत्र अनुपात

जाना चाहिए। म.नि., रा.वि.सं.प. ने अन्ततः बहुत से संशोधनों के पश्चात् फरवरी 1993 में प्रतिबन्धों के अनुसार योजना प्रस्तुत की।

रा.वि.सं.प. ने त.क्षे.अ. को एक तक लाने के लिए 2622 वर्ग मीटर माप के अतिरिक्त भूखण्ड के आबंटन के लिए भा.व्या.प्रो.सं. को सितम्बर 1991 में आगे अनुरोध किया। भा.व्य.प्रो.सं. ने रा.वि.सं.प. को अक्टूबर 1993 में सूचित किया कि पहले भूखण्ड के बदले में उसी परिमाण का एक पृथक भूखण्ड उन्हें आबंटित किया गया था जिसे अभी तक रा.वि.सं.प. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। परियोजना 1996-97 से निलम्बित रखी गई तथा अक्टूबर 2000 तक भा.व्या.प्रो.सं. से अनुमोदन के अभाव में परियोजना पुनः प्रारम्भ नहीं की गई है। इस बीच रा.वि.सं.प. ने भा.व्या.प्रो.सं. के किसी अंतिम अनुमोदन के बिना परियोजना पर 1.97 करोड़ रु. खर्च किये जिसमें से 82.82 लाख रु. वेतन भत्तों, आकस्मिकताओं तथा विकास के लिए 20.97 लाख रु. निर्माण कार्य के लिए तथा 64.09 लाख रु. प्रतिरूप तथा प्रदर्शनी के लिये थे। परियोजना के लिए प्राप्त निधि से शेष राशि का सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में निवेश किया गया था। इसके अतिरिक्त यद्यपि भूखण्ड के संपुष्ट स्वामित्व के लिए रा.वि.सं.प. ने भा.व्या.प्रो.सं. के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया था, म.नि. ने मार्च 1991 तक भूमि किराये के रूप में 20.61 लाख रु. का भुगतान किया तथा इसके अतिरिक्त भूखण्ड जो कि भा.व्या.प्रो.सं. द्वारा वापस लिया जा चुका था, के लिए मार्च 2000 तक भूमि किराये के रूप में 1.73 करोड़ रु. का दायित्व वहन किया।

तथापि, रा.वि.सं.प. की शा.नि.<sup>5</sup> द्वारा गठित समिति ने जून 2000 में मण्डप का निर्माण बन्द करने तथा प्रतिरूपों एवं प्रदर्शों को रा.वि.सं.प. के नियन्त्रणाधीन विभिन्न संग्रहालयों को संवितरित करने की अनुशंसा की।

इस प्रकार म.नि.रा.वि.सं.प. के प्रतिमानों के अनुसार संग्रहालय के लिए वास्तुशिल्पीय योजना को अन्तिम रूप देने में विफलता के कारण वेतन, भूमि किराए तथा मण्डप का निर्माण, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था, पर 1.24 करोड़ रु. का अपव्यय किया तथा भूमि किराए के भुगतान के प्रति 1.73 करोड़ रु. का अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न हुआ।

मंत्रालय ने दिसम्बर 2000 में बताया कि रा.वि.सं.प. योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं था। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि रा.वि.सं.प. द्वारा आरम्भ में भा.व्या.प्रो.सं. के प्रतिमान न मानने के कारण असाधारण विलम्ब हुआ और बाद में योजना को बन्द कर दिया।

<sup>5</sup> शासी निकाय

विक्टोरिया मेमोरियल हाल

6.2 व्यर्थ अग्रिम भुगतान

स्थाई वित्त समिति से अनुमोदन के बिना आवास प्राप्त करने हेतु एक करोड़ रु. के अग्रिम भुगतान के परिणामस्वरूप व्यर्थ निवेश एवं 61.57 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

वि.मै.हॉ.<sup>1</sup> कलकत्ता की न्यासी परिषद ने क.न.नि.<sup>2</sup> से कार्यालय तथा कर्मचारी आवास हेतु दो करोड़ रु. की लागत पर 20,100 वर्ग फुट स्थान प्राप्त करने के लिये अक्टूबर 1996 में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रालय ने प्रारंभ में मार्च 1997 में वि.मै.हॉ. को स्थाई वित्त समिति से स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया क्योंकि स्था.वि.स.<sup>3</sup> की विशिष्ट स्वीकृति के आभाव में वि.मै.हॉ. पर व्यय वहन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परन्तु वि.मै.हॉ. के सचिव एवं संग्रहपाल ने मार्च 1997 में स्था.वि.स. की स्वीकृति प्राप्त किये बिना अग्रिम के रूप में क.न.नि. को एक करोड़ रु. का भुगतान किया।

वि.मै.हॉ. के सचिव एवं संग्रहपाल द्वारा भुगतान करने से पहले कार्य के समापन हेतु विशिष्ट समय अनुसूची भी परिकल्पित नहीं की गई थी। क.न.नि. ने जनवरी 1998 में बताया कि पहले आबंटित स्थल में वि.मै.हॉ. की स्थल-आवश्यकता को पूरा करना संभव नहीं था। अतः इसने 3.06 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर वि.मै.हॉ. के लिये अगस्त से निर्मित किए जाने वाले भवन में 25,000 वर्ग फुट का स्थान आबंटित करने का प्रस्ताव रखा। सचिव एवं संग्रहपाल द्वारा प्रस्ताव नवम्बर 1998 में स्वीकार किया गया। तथापि उन्होंने स्था.वि.स. के साथ अनुमोदन हेतु केवल सितम्बर 1999 में सम्पर्क स्थापित किया चूंकि स्था.वि.स. से ~~अनुमोदन~~ 2000 तक निर्वाधन प्राप्त नहीं किया गया है। वि.मै.हॉ., क.न.नि. के साथ कोई अनुबन्ध नहीं कर सका। परिणामस्वरूप क.न.नि. ने ~~अनुमोदन~~ 2000 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया।

अतः वि.मै.हॉ. द्वारा स्था.वि.स. के अनुमोदन के बिना एक करोड़ रु. के अनियमित अग्रिम भुगतान के फलस्वरूप एक करोड़ रु. तीन साल से अधिक तक व्यर्थ पड़ा रहा एवं 61.57 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई। फ्लैटों को प्राप्त करने का प्रयोजन भी पूरा नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने जनवरी 2001 में बताया कि एक करोड़ रु. का भुगतान सहमति से हुआ। परन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने व्यय करने से पूर्व स्था.वि.स. के

<sup>1</sup> विक्टोरिया मेमोरियल हॉल

<sup>2</sup> कलकत्ता नगर निगम

<sup>3</sup> स्थाई वित्त समिति



अनुमोदन की शर्त पर एक करोड़ रु. का अनुदान संस्वीकृत किया था, जो कि वि.मै.हॉ. द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

### शिक्षा विभाग

#### 6.3 परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के आदेशों के उल्लंघन में विविध शिक्षण कर्मचारियों का दीर्घावकाश/30 दिनों से अधिक के अवकाश के दौरान तथा कर्मचारी जिन्हें विश्वविद्यालय परिसर में आवास आबंटित था, 88.93 लाख रु. के परिवहन भत्ते का भुगतान किया गया।

भारत सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के अनुसरण में अपने कर्मचारियों को उनके आवास तथा कार्यस्थल के बीच आवागमन पर किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 1 अगस्त 1997 से परिवहन भत्ता संस्वीकृत किया। उपर्युक्त आदेशों की शर्तों के अनुसार अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे आदि के कारण कार्यस्थल से 30 दिन से अधिक की अवधि की अनुपस्थिति के मामले में कर्मचारियों को परिवहन भत्ता अनुमत नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन आदेशों के उल्लंघन में निम्नलिखित शैक्षिक संस्थाओं ने उनके व्यावसायिक/अव्यावसायिक कर्मचारियों को निम्न प्रकार से दीर्घावकाश तथा अवकाश की अवधि के दौरान परिवहन भत्ते का भुगतान किया:

#### तालिका 6.3(i) दीर्घावकाश की अवधि के दौरान भुगतान किया गया परिवहन भत्ता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	शैक्षिक संस्थान का नाम	शिक्षण कर्मियों की संख्या जिन्हें दीर्घावकाश के दौरान प.भ.का भुगतान किया गया	दीर्घावकाश का वर्ष	दीर्घावकाश के दिनों की संख्या जिसके लिए परिवहन भत्ता अनुमत नहीं था	भुगतान किये गए अग्राह्य परिवहन भत्ते की राशि
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	695	1998-1999	76	14.09
		648	1999-2000	76	13.13
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय (दक्षिण परिसर)	55	1998-1999	60	0.88
3.	मिरांडा हाउस महाविद्यालय दिल्ली	91	1998-1999	76	1.81
		91	1999-2000	76	1.80
4.	किरोडी मल महाविद्यालय दिल्ली	117	1998-1999	76	2.33
		117	1999-2000	76	2.32
5.	दिल्ली क्षेत्र के 56 केन्द्रीय विद्यालय	3262	1998-1999	501	16.12
		3262	1999-2000	521	
		<b>जोड़</b>			<b>52.48</b>

तालिका 6.3(ii) 30 दिन से अधिक की अवकाश अवधि के लिए भुगतान किया गया परिवहन भत्ता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	शैक्षिक संस्थान का नाम	वर्ष	कर्मचारियों की संख्या जिन्हें अवकाश की अवधि के दौरान प.भ. का भुगतान किया गया	अग्राह्य परिवहन भत्ते की राशि
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1997-1998 से 1999-2000	35	2.68
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय (दक्षिण परिसर)	1997-1998 से 1998-99	15	0.48
3.	मिरांडा हाउस महाविद्यालय दिल्ली	1997-1998 से 1999-2000	27	1.07
4.	किरोड़ी मल महाविद्यालय दिल्ली	1997-1998 से 1998-1999	9	0.10
		जोड़		4.33

भारत सरकार के उपर्युक्त आदेशों के अनुसार वे कर्मचारी जिन्हें कार्य परिसर के भीतर सरकारी आवास आबंटित हों, को भी परिवहन भत्ता अनुमत नहीं था। तथापि दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि इन आदेशों के उल्लंघन में विश्वविद्यालय ने 313 कर्मचारियों को 32.12 लाख रु. के परिवहन भत्ते का भुगतान किया जिन्हें विश्वविद्यालय परिसर में सरकारी आवास आबंटित किया गया था।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के अनुसार विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा 88.93 लाख रु. के परिवहन भत्ते का भुगतान अनियमित था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने जनवरी 2001 में बताया कि मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया था कि जो स्टाफ 30 दिन से अधिक छुट्टी पर हो उसे परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा तथा तदनुसार देश में सभी केन्द्रीय विद्यालयों को परिवहन भत्ता के नियमन के निदेश जारी किये गये थे। आगे बताया गया कि 30 दिन के अधिक की अवकाश अवधि के दौरान किए गये परिवहन भत्ते के भुगतान की वसूली कर ली गई थी।

## जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

### 6.4 ज.ने.वि.<sup>1</sup> के कर्मचारी आवासों को बिजली की आपूर्ति पर परिहार्य अधिक व्यय

ज.ने.वि. ने कर्मचारी आवासों के लिए पृथक विद्युत संयोजन के लिए विकल्प/व्यवस्था न करके 1997-2000 के दौरान 1.63 करोड़.रु. की राशि का परिहार्य व्यय/हानि उठाई।

ज.ने.वि. एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने कर्मचारी आवासों को न्यूनतम दरों पर विद्युत की आपूर्ति से भारी हानि उठाता रहा है तथा बिजली खपत पर 1.63 करोड़. रु. का व्यय 1997-2000 की अवधि में घरेलू खपत के लिए पृथक बिजली संयोजन की व्यवस्था करके बचाया जा सकता था।

1997-2000 के दौरान कर्मचारी आवासों में बिजली का उपभोग प्रति वर्ष 15.17 लाख इकाइयों से 16.69 लाख इकाइयों के बीच रही। यह औसतन ज.ने.वि. द्वारा उपभोग की गई कुल बिजली का 17.37 प्रतिशत था। विश्वविद्यालय दि.वि.बो.<sup>2</sup> से वाणिज्यिक दरों पर थोक में बिजली प्राप्त करता है परन्तु यह परिसर के भीतर अपने कर्मचारी आवासों में आवासीय खपत के लिए दि.वि.बो. की दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को लागू बहुत कम दर पर बिजली की आपूर्ति करता है।

1997-2000 की अवधि में ज.ने.वि. द्वारा भुगतान की गई बिजली की इकाई दर 3.50 रु. थी, परन्तु मांग प्रभारों, बिजली करों आदि के कारण कुल लागत 4.98 रु. से 5.19 रु. प्रति इकाई के बीच रही जबकि कर्मचारी आवासों को प्रभार योग्य घरेलू इकाई दर 400 इकाई तक 1.00 रु. से 2.50 रु. तथा 400 इकाई से अधिक के लिए तीन रु. प्रति इकाई प्रति माह थी। इस प्रकार, ज.ने.वि. प्रारंभ से ही बिजली की लागत के अन्तर की हानि उठा रहा था तथा यह 1997-2000 की अवधि के लिए कुल लागत पर 1.54 करोड़ रु. थी।

ज.ने.वि. अपने कर्मचारी आवासों के लिए एकल वितरण बिन्दु के आधार पर, जिसके लिए रियायती दर लागू थी, को विकल्प के रूप में मानकर तथा पृथक विद्युत संयोजन उपलब्ध करवा कर हानि से बच सकता था। तथापि, विश्वविद्यालय अगस्त 2000 तक पृथक संयोजन उपलब्ध करवाने में विफल रहा तथा 1997-2000 के दौरान 1.63 करोड़. रु. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया क्योंकि कर्मचारी आवासों में उपभोग की

<sup>1</sup> जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

<sup>2</sup> दिल्ली विद्युत बोर्ड

गई इकाईयों का मूल्य रियायती दर पर उन पर व्यय की गई 2.42 करोड. रू. की कुल लागत के प्रति 0.79 करोड. रू. था।

ज.ने.वि. ने अगस्त 2000 में बताया कि दि.वि.बो. ने कर्मचारी आवासों के लिए पृथक संयोजन के लिए इसके प्रस्ताव को <sup>1973-2000</sup> स्वीकार कर लिया था तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर इनके अगस्त 2001 तक स्थापित हो जाने की सम्भावना थी।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था

### मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल

#### 6.5 स्वीकृत अस्थायी पेशगियों की गैर-वसूली और ब्याज की हानि

**30.23 लाख रू. की अस्थायी पेशगियों की समय पर वसूली में असफलता के कारण 15.65 लाख रू. के ब्याज की हानि ।**

मध्य प्रदेश कोष संहिता खण्ड-I के अनुपूरक नियम 53(4) के उपबन्धों के अनुसार अस्थायी पेशगियां यथाशीघ्र 3 महीनों के भीतर समायोजित/वसूल की जानी चाहिए।

मौ.आ.प्रौ.म.<sup>1</sup> के अभिलेखों (सितम्बर 2000) की संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्वीकृत 30.23 लाख रूपए की अस्थायी पेशगियां मार्च 2000 को समायोजन/वसूली के लिए बकाया थी। ये पेशगियां भारत सरकार के सहायता अनुदान से दी गई थी। उपर्युक्त में से 0.69 लाख रू. की राशि 1973-74 से पूर्व अवधि की है जिसके ब्यारे विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे अतः विभाग राशि को वसूल करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 1996-97 तक बकाया पेशगियां 6.75 लाख रू. की थी और 1997-98 से 1999-2000 के दौरान बकाया पेशगियों में 23.48 लाख रू. और जमा हो गए जो इन पेशगियों के असमायोजन की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। चूंकि उपर्युक्त पेशगियों में से 3.63 लाख रू. छुट्टी के वेतन, यात्रा भत्ते की पेशगियों से सम्बन्धित थे, इनके दावे, यदि कोई थे, तो एक वर्ष की अवधि के पश्चात जब्त हो जाते हैं। अन्य पेशगियों की वसूली 6 महीनों से 26 वर्षों की अवधि से लम्बित थी और समय बीतने के साथ साथ वसूली की सम्भावना क्षीण थी। इसके अतिरिक्त मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय को बकाया पेशगियों पर शास्ति ब्याज के रूप में 15.65 लाख रू. की हानि हुई।

विभाग ने उत्तर में टिप्पणी दी कि " भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया" ।

<sup>1</sup> मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2000 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

### राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

#### 6.6 कागज की लागत की वसूली न करना

मुद्रक से 17.27 लाख रुपए की वसूली न करना ।

रा.शै.अ.प्र.प.<sup>1</sup> ने दो पुस्तकों अर्थात (क) "अभ्यास पुस्तिका बाल भारती, भाग-I" (198000 प्रतियाँ) और (ख) "देश और उनके निवासी-I" (70000 प्रतियाँ) के मुद्रण का कार्य आदेश के साथ संलग्न आबंटन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों और विनिर्देशों के अनुसार मैसर्स परम्परा आफसेट प्रिन्टर्स, दिल्ली को क्रमशः 25.10.1994 और 26.12.1994 को सौंपा। समझौते की शर्तों के अनुसार किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला प्रकाशन विभाग प्रमुख, रा.शै.अ.प्र.प. के एक मात्र विवाचन को भेजा जायेगा। इस प्रकार नियुक्त विवाचन का अधिनिर्णय अंतिम होगा तथा सभी दल इसको मानने के लिए बाध्य होंगे।

यह देखा गया कि मुद्रक पहली पुस्तक की केवल 45300 प्रतियों का मुद्रण तथा आपूर्ति कर सका और इस पुस्तक की शेष प्रतियों तथा दूसरी पुस्तक (70000 प्रतियाँ) की सम्पूर्ण मात्रा का मुद्रण करने में असफल रहा। रा.शै.अ.प्र.प. ने मुद्रक को विभिन्न आकार के कागज के 3365 रिम और 1070 शीटों की आपूर्ति की, जिसमें से 881707 रु. की लागत के 2129 रिम और 1036 शीटें मुद्रक के पास अप्रयुक्त छोड़ दी।

रा.शै.अ.प्र.प. ने मुद्रक से अप्रयुक्त कागज लौटाने अथवा उसकी लागत की वसूली के लिए मामला फरवरी 1996 में उठाया परन्तु मुद्रक ने न तो कागज लौटाया और न ही उसकी लागत प्रत्यर्पित की।

रा.शै.अ.प्र.प. ने विवाचन एवं समाधान अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दावे के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की और 9 जनवरी 1997 के नोटिस द्वारा मुद्रक को सूचित किया। रा.शै.अ.प्र.प. ने कागज की कीमत के चार गुणा के बराबर राशि का दावा किया, परन्तु मध्यस्थ ने परिनिर्णय सं ए टी/97/01 दिनांक 31.7.97 की मद संख्या 10(ख) के द्वारा कीमत के दो गुणा के बराबर अर्थात 1763414 रु. के दावे का निर्णय किया। इसके अतिरिक्त मुद्रक से विवाचन कार्य के लिए 6430 रु. और कार्यवाही में विलंब उत्पन्न करने के लिए 1000 रु. भी वसूल किए जाने थे।

<sup>1</sup> राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

पुस्तकों आदि के मुद्रण के लिए मुद्रक को 43759 रू. देय थे। रा.शै.अ.प्र.प. लगभग तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी 17.27 लाख रू. की शेष राशि वसूल नहीं कर सकी, हालांकि अनुबंध विलेख के अनुसार विवाचक का अधिनिर्णय अंतिम था तथा मुद्रक इसके लिए बाध्य था। रा.शै.अ.प्र.प. ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए फरवरी 2000 में सूचित किया कि मुद्रक अधिनिर्णय को मानने में असफल रहा।

मंत्रालय ने नवम्बर 2000 में बताया कि मुद्रक विवाचक के अधिनिर्णय का पालन करने में असफल रहा, इसलिए रा.शै.अ.प्र.प. ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वसूली के लिए मुकद्दमा दायर किया जो अभी तक लम्बित था।

#### 6.7 निष्फल व्यय

##### अप्रचलित पुस्तकों के भण्डारण पर 15.96 लाख रू. का निष्फल व्यय

रा.शै.अ.प्र.प.<sup>1</sup> प्रति वर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के आदेश पर शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता है। ये पुस्तकें विद्यार्थियों द्वारा खरीदी जाती हैं जो कि पूरे देश में फैली विभिन्न विद्यालय प्रणाली द्वारा अनुशंसित की जाती हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आरम्भ होने पर परिषद ने 1987-88 से 1990-91 की अवधि में नई पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया। इसके परिणामस्वरूप 3508717 पाठ्य पुस्तकें अप्रचलित हो गईं जो कि परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति के आरम्भ होने से प्रकाशित की गई थीं। मार्च 1992 में यह प्रस्तावित किया गया था कि गोदाम में नई पुस्तकों के लिए स्थान बनाने के लिए इन पुस्तकों को “रद्दी” के रूप में बेचा जाए। इसके साथ-साथ यह निर्णय भी लिया गया कि इन पुस्तकों का रद्दी के रूप में निपटान करने की बजाए कि ये पुस्तकें शैक्षिक संस्थाओं को निःशुल्क वितरित की जाएं यदि वे पुस्तकें गोदाम से अपनी लागत पर उठा लें। सचिव, रा.शै.अ.प्र.प. ने सभी राज्य आवासीय आयुक्तों को पुस्तकों को निःशुल्क उठाने के लिए मई 1993 में लिखा तथा फरवरी 1994 में अनुस्मारक भी भेजे गये थे। इसके पश्चात् कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी। किसी भी राज्य से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, 1992-93 तथा 1993-94 के बीच परिषद ने 1138234 पुस्तकें सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को निःशुल्क वितरित कर दी।

शेष 2370483 पुस्तकों के भण्डारण के लिए परिषद ने फरवरी 1995 से अक्टूबर 1996 तक कीर्ति नगर में तथा जुलाई 1996 से आगे के लिए साहिबाबाद में गोदाम किराये पर लिए। क्योंकि किसी भी राज्य से इन अप्रचलित पुस्तकों के लिए कोई मांग नहीं थी इन

<sup>1</sup> राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

पुस्तकों के भण्डारण के लिए गोदाम किराये पर लेने का कोई औचित्य नहीं था। अगस्त 1999 तक इन पुस्तकों का निपटान प्रतीक्षित था।

इस प्रकार फरवरी 1995 तथा मार्च 1999 के बीच परिषद ने कीर्ति नगर तथा साहिबाबाद में गोदामों के किराये पर 15.96 लाख रु. का निष्फल व्यय किया जिसे पुस्तकों को समय पर निपटान अथवा वितरित करके बचाया जा सकता था।

मंत्रालय ने तथ्य स्वीकार करते हुये मार्च 2000 में बताया कि पाठ्यपुस्तकों के अप्रचलित भण्डार के नीलामी द्वारा निपटान की प्रक्रिया रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है तथा इसके शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

### योजना एवं वास्तुकला विद्यालय

#### 6.8 नए परिसर की स्थापना न होना

1988 में भूमि खरीदने के पश्चात पट्टाविलेख तैयार करने, वास्तुशिल्पीय डिजाइन इत्यादि तैयार करने के लिए विद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप 1.99 करोड़ रु. का निष्क्रिय निवेश हुआ तथा भूमि किराये तथा उस पर ब्याज के सम्बन्ध में 99.37 करोड़ रु. के बकाया का संग्रहण हुआ।

दिसम्बर 1979 में 1956 के वि.अ.आ. के अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत माने गए विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने पर विद्यालय<sup>1</sup> की गतिविधियां बढ़ गई तथा विद्यमान भौतिक गतिविधियां जैसे सांस्थानिक भवन, छात्रावास, खेल का मैदान परिसर आदि पर्याप्त नहीं पाये गये। इन सुविधाओं को बढ़ाने तथा भविष्य के बिस्तार कार्यक्रम के लिए वर्ष 1983 में नया कैम्पस बनाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार फरवरी 1983 में इस उद्देश्य के लिए 50 एकड़ भूमि के आबंटन के लिए विद्यालय ने दि.वि.प्रा.<sup>2</sup> से अनुरोध किया। दि.वि.प्रा. ने दिसम्बर 1983 में भूमि के प्रीमियम की 2 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर वार्षिक भूमि किराये के साथ 6 लाख रु. प्रति एकड़ की अनंतिम दर पर चिरस्थायी पट्टा-धारिता के आधार पर ज.ने.वि.<sup>3</sup> कैम्पस के निकट 20 एकड़ भूखण्ड की पेशकश की। आरम्भ में यह अनुभव किया गया था कि विद्यालय प्रति एकड़ 10000 रु. की रियायती दर का हकदार होगा परन्तु तत्पश्चात नवम्बर 1987 में यह पता चला कि रियायती दर अनुदान सहायता प्राप्त पूर्व संस्थाओं पर ही लागू थी। इसी दौरान (नवम्बर 1987) दि.वि.प्रा. ने भूमि की दरें आठ लाख रु. प्रति एकड़ (अनंतिम) तक संशोधित कर दी, तथा तदनुसार विद्यालय को संशोधित दर पर मांग नोटिस जारी किया। दिसम्बर 1987 में मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विद्यालय ने दि.वि.प्रा. के

<sup>1</sup> योजना एवं वास्तुकला विद्यालय

<sup>2</sup> दिल्ली विकास प्राधिकरण

पास जनवरी 1988 में 1.64 करोड़ रु. (एक वर्ष के लिए 0.04 करोड़ रु. के भूमि किराये सहित) जमा कराये। सितम्बर 1988 में भूमि का कब्जा भी ले लिया गया।

फरवरी 1992 में दि.वि.प्रा. ने भूमि की दर को 9.50 लाख रु. प्रति एकड़ (अनंतिम) तथा अग्रिम में 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को अर्धवार्षिक देय 2 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर भूमि किराया संशोधित कर दिया। 30.75 लाख रु. के अन्तर की राशि (एक वर्ष के लिए भूमि किराये सहित) का भी मार्च 1992 में दि.वि.प्रा. को भुगतान कर दिया गया था। दि.वि.प्रा. ने जून 1992 ज.ने.वि. कैम्पस के पश्चिम में स्थानापन्न स्थल विद्यालय के सुपुर्द कर दिया क्योंकि पहला स्थल पालम हवाई अड्डा चिमनी के अन्तर्गत आ रहा था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जून 2000) कि भूमि के आबंटन की शर्त के अनुसार भूमि का कब्जा लेने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर विद्यालय को भवन का निर्माण पूरा करना था, परन्तु 12 वर्ष के दौरान नए कैम्पस की स्थापना के लिए पट्टा विलेख निष्पादित करने, स्थल का विकास करने, वास्तुशिल्पीय डिजाइन की तैयारी इत्यादि के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा भूमि खाली पड़ी थी। इस प्रकार 1.99 करोड़ रु. (बाड़ लगाने तथा चौकीदारी आदि पर 0.04 करोड़ रु. सहित) का सम्पूर्ण निवेश निष्क्रिय हो गया। यह भी पता चला कि सितम्बर 1989 के पश्चात भूमि किराये का भी भुगतान नहीं किया गया था जिससे मार्च 2000 तक 50 लाख रु. के बकाया का संग्रहण हुआ तथा भूमि किराये के बकाया पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 49.37 लाख रु. का परिहार्य ब्याज दायित्व भी उत्पन्न हुआ था। इंगित किये जाने पर विद्यालय ने जुलाई 2000 में बताया कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही थी।

इस प्रकार परियोजना के निष्पादन तथा भूमि किराया नियमित रूप से जमा कराने में विद्यालय की ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 1.99 करोड़ रु. का निष्फल निवेश हुआ तथा 50 लाख रु. के बकाया का संग्रहण हुआ इसके अतिरिक्त इस पर ब्याज के रूप में 49.37 लाख रु. का परिहार्य दायित्व उत्पन्न हुआ। विद्यालय की गतिविधियां निरूद्ध रही तथा वृद्धि का उद्देश्य अधूरा रह गया।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा गया , फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

---

<sup>3</sup> जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय



## महिला एवं बाल विकास विभाग

### अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

#### 6.9 किराए की कम तथा असमान दरों के कारण हानि

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को दोषपूर्ण पट्टा विलेख और अनुबंधों के कारण किराया और सेवा प्रभारों की कम और असमान दर प्रभारित करने से 2.57 करोड़ रु.की हानि हुई।

अ.भा.म.सं.<sup>1</sup> जो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक कल्याण संस्था के रूप में पंजीकृत है, सरोजिनी हाऊस, नई दिल्ली के परिसर को औपचारिक पट्टा विलेख और अनुबंध के नियम व शर्तों के आधार पर पट्टे पर देकर अनुपूरक आय अर्जित करती है। चार पट्टाधारियों, नामतः फाउंडेशन आगा खान, कैनरा बैंक, सिडिकेट बैंक, तथा दलाल कंसल्टेंट एवं इन्जीनियर (प्रा.) लिमिटेड को अप्रैल 1979 से दिसम्बर 2003 तक दिए गया पट्टे विलेखों और अनुबंधों की लेखा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अ.भा.म.सं. को दोषपूर्ण योजना तथा अनुबंधों के कारण किराया और सेवा प्रभारों की कम और असमान दर प्रभारित करने से 2.57 करोड़ रु. की हानि हुई।

अ.भा.म.सं. द्वारा किराया और सेवा प्रभारों की दरों में वार्षिक वृद्धि का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि संस्था वार्षिक मुद्रास्फीति के प्रभाव, परिसर की मरम्मत तथा रखरखाव लागत में वृद्धि की कल्पना करने तथा उस पर विचार करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त उसने आने-वाले वर्षों में परिवर्तित स्थिति तथा किराए की बढ़ती प्रवृत्ति के अनुसार दर नियंत्रित करने एवं नियमित करने के लिए पट्टा अवधि समाप्त करने तथा विस्तार का अधिकार अपने पास सुरक्षित नहीं रखा। इसके विपरीत अ.भा.म.सं. ने नई दिल्ली के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित परिसरों का निश्चित दरों पर जो कि बाजार भाव से बहुत कम थी, पांच से दस वर्षों के लिए एक ही समय पर पट्टे पर दिया और पट्टाधारियों को 15 से 25 प्रतिशत नाममात्र वृद्धि की शर्त पर पट्टा अवधि को समान शर्तों पर इतनी ही अवधि के लिए बढ़ाने का पूर्ण विकल्प भी दिया। पट्टाधारियों को केवल तीन माह का साधारण नोटिस देकर अपने पट्टों को समाप्त करने का विकल्प दिया गया।

<sup>1</sup> अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

यद्यपि पट्टे की बढ़ी हुई अवधि के दौरान सेवा प्रभारों को बढ़ाने के लिए कोई रोक नहीं थी, अ.भा.म.स. ने दरों को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तथा इससे परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

चूंकि अ.भा.म.स. द्वारा निर्दिष्ट पट्टा अवधि के दौरान समय-समय पर निर्धारित की गई दरें वास्तव में प्रभारित दरों से अधिक थी, किराया और सेवा प्रभारों की दरों के अन्तर के कारण 2.57 करोड़ रू. के राजस्व की परिहार्य हानि हुई।

मामला अक्टूबर 2000 में मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय ने फरवरी 2001 में बताया कि यह संस्था लाभ के लिये वाणिज्यिक संस्था के रूप में काम नहीं करती और प्रश्नाधीन किरायेदारों ने इस भवन को बनाने के लिये व्यापक योगदान दिया था तथा किराये का निर्धारण आपसी सहमति के आधार पर हुआ था। तथापि, अ.भा.म.स. लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों को अस्वीकार करने में असमर्थ था।

## अध्याय VIII: श्रम मंत्रालय

### कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

#### 7.1 भूमि के अधिग्रहण तथा कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण में कुप्रबन्ध

भूमि के अधिग्रहण तथा निर्माण में 14.27 लाख रु. की वित्तीय अनियमितताएं

स्टाफ तथा समस्त भारत में स्थित कार्यालयों को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से क.भ.नि.सं.<sup>1</sup> ने विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया है।

भूमि तथा निर्माण के उपयुक्त प्रबन्ध के लिए क.भ.नि.सं. का अपना वास्तविक सुविधा मण्डल (पूर्व में निर्माण खण्ड) है जिसके संगठनात्मक ढांचे में मुख्यालय में एक मुख्य अभियन्ता, एक कार्यकारी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता तथा 16 विभिन्न क्षेत्रों में कनिष्ठ अभियन्ता शामिल हैं।

##### 7.1.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

सात क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बद्ध अभिलेखों की जून तथा सितम्बर 2000 के बीच नमूना जांच की गई थी जिससे पता चला कि अधिग्रहण की गई भूमि का विभिन्न स्थानों पर उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए इसका अधिग्रहण किया गया था।

##### 7.1.2 आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र

अहस्तान्तरित स्थल पर व्यर्थ निवेश

उ.क्षे.अ.<sup>2</sup> गुन्टूर ने कार्यालय भवन तथा स्टाफ के लिए आवासों के निर्माण के लिए 36.72 लाख रु. की लागत पर गुंजनगुण्डला टैंक में जिला समाहर्ता गुन्टूर से 7063 वर्ग गज भूमि का जून 1988 में आबंटन प्राप्त किया, जिसका मार्च 1998 में अन्ततः निर्णय लिया गया। इस राशि का भुगतान उ.क्षे.अ. द्वारा जिला समाहर्ता गुन्टूर को मार्च 1998 में भूमि का हस्तान्तरण प्राप्त किये बिना ही किया गया था। क.भ.नि.सं. ने स्थल के विकास पर भी 3.00 लाख रु. का व्यय किया।

<sup>1</sup> कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

<sup>2</sup> उप क्षेत्रीय अधिकारी

जून 1998 में जब उ.क्षे.अ. ने भवन योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की, नगर निगम गुन्डूर ने आरेखण अनुमोदित करने से इन्कार कर दिया क्योंकि स्थल जनउपयोगी सेवाओं हेतु प्रस्तावित था ।

दिसम्बर 2000 तक क.भ.नि.सं. के पक्ष में भूमि का हस्तान्तरण लम्बित है तथा उ.क्षे.का. 39930 रु. प्रतिमाह के किराये पर एक निजी भवन में निरन्तर स्थित है । इस प्रकार 12 वर्ष के पश्चात् भी भूमि, जो कि उसे बहुत समय पूर्व 1988 में आबंटित की गई थी, का हस्तान्तरण करने में उ.क्षे.अ. की विफलता के कारण उस पर मार्च 1998 से 39.72 लाख रु. का व्यर्थ निवेश हुआ । इसके अतिरिक्त, अप्रैल 1998 से अक्टूबर 2000 तक किराये के रूप में 12.37 लाख रु. का भुगतान किया गया था ।

### 7.1.3 असम क्षेत्र

#### (क) परिहार्य व्यय

कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये क्षे.भ.नि.आ.<sup>3</sup>, गुवाहाटी को असम सरकार द्वारा कामरूप जिले में 6.18 लाख रु. की लागत पर 16000 वर्ग गज भू-खण्ड आबंटित किया गया था । भूमि का अधिग्रहण क.भ.नि.सं. द्वारा जून 1986 में लिया गया था तथा भूखण्ड के चारों ओर कंटीली तार की घेराबन्दी के लिए 0.90 लाख रु. का व्यय किया गया था । इस प्रकार 1987-88 तक कुल 7.08 लाख रु. का व्यय किया गया था ।

निर्माण कार्यों में असाधारण विलम्ब (1986-1995) तथा स्थल पर निगरानी हेतु स्टाफ की व्यवस्था न करने के कारण पूरे भूखण्ड का अतिक्रमण हो गया था । इसके परिणामस्वरूप फरवरी 1994 में क्षे.भ.नि. आयुक्त को उसी उद्देश्य के लिए 46.79 लाख रु. मूल्य का एक अन्य भूखण्ड आबंटित करना पड़ा ।

#### (ख) अतिरिक्त लागत

उ.क्षे.अ. अगरतला द्वारा उसके अपने कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि के आबंटन के लिए आग्रह किये जाने पर, जिला दण्डाधिकारी (पश्चिमी त्रिपुरा) ने 1.21 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने की अक्टूबर 1988 में सूचना दी । भूमि के आज़ाप्ति संबंधी मूल्य के रूप में 11.36 लाख रु. की राशि, जिसकी जिला दण्डाधिकारी तथा समाहर्ता द्वारा दिसम्बर 1988 में मांग की गई थी, 12 मई 1989 को जमा कराई गई थी । इस विलम्बित भुगतान के लिए अभिलेख में कारण नहीं होने के परिणामस्वरूप 2.60 लाख रु. (1.40 लाख रु. क्षतिपूर्ति के रूप में तथा 1.20 लाख रु. शास्ति ब्याज के रूप में) की और मांग की गई जिसका भुगतान किया गया था । इस

<sup>3</sup> क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

प्रकार समय पर भूमि के मूल्य का भुगतान न करने के कारण क.भ.नि.सं. को 2.60 लाख रु. का परिहार्य अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा ।

यद्यपि भूमि का मई 1989 में अधिग्रहण कर लिया गया था, मार्च 1993 तक कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय अक्टूबर 1994 तक 13717 रु. प्रति माह के किराये पर निजी भवन में आवासित रहा । आगे यह देखा गया कि 148.48 लाख रु. का मूल अनुमान, जैसा कि रा.भ.नि.नि.<sup>4</sup> द्वारा तैयार किया गया था तीन बार 197.31 लाख रु. तक संशोधित किया गया । जुलाई 2000 तक केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कोई भी संशोधित अनुमान अनुमोदित नहीं किया गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि 48.83 लाख रु. (अर्थात् 197.31 लाख रु.-148.48 लाख रु.) का व्यय जो कि संस्वीकृत राशि से अधिक था, अप्राधिकृत रह गया । इसके अतिरिक्त मई 1989 से अक्टूबर 1994 की अवधि के लिए किराये के रूप में 9.05 लाख रु. का भुगतान किया गया था ।

मूल अनुमान में जल के स्रोत के लिए 11.08 लाख रु. का प्रावधान शामिल था । तथापि 22 जून 1994 को प्रस्तुत किये गये संशोधित अनुमानों से पता चला कि जल के स्रोत के प्रावधान के लिए 11.08 लाख रु. पहले ही खर्च किये गये थे के अतिरिक्त 11.10 लाख रु. की अतिरिक्त राशि, जिसमें 4.00 लाख रु. के वृद्धि प्रभार शामिल थे "गहरे नलकूपों" की व्यवस्था पर खर्च की गई थी । ऐसे अतिरिक्त व्यय के लिए क्षे.भ.नि.आ. अगस्तला द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किये गये थे (जुलाई 2000) ।

#### 7.1.4 गुजरात क्षेत्र

##### (क) निधियों का अवरोधन

क.भ.नि.सं. ने कर्मचारी आवास/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु मई 1988 में बिना कोई अनुबन्ध निष्पादित किए 36.92 लाख रु. के अधिमूल्य पर अहमदाबाद में 3692 वर्गमीटर का एक भूखण्ड का 99 वर्षों के पट्टे पर निगम<sup>5</sup> से अधिग्रहण किया । यद्यपि भुगतान मई 1988 में कर दिया गया था, भूमि का स्वामित्व निगम ने नौ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् मई 1997 में सौंपा । क.भ.नि.सं. ने विलम्ब का कारण निगम द्वारा संबंधित भूमि के उपयोग में परिवर्तन पर आरोपित किया । इसके अतिरिक्त, क.भ.नि.सं. ने जून 1998 में चारदीवारी के निर्माण के लिए के.लो.नि.वि.<sup>6</sup> को 2.99 लाख रु. का भुगतान भी किया । तथापि चारदीवारी के निर्माण का कार्य अवैध स्वामित्व तथा स्थानीय लोगों द्वारा बाधा के कारण प्रारम्भ न होने के परिणामस्वरूप 2.99 लाख रु. की राशि जून 1998 से के.लो.नि.वि. के पास अव्ययित पड़ी रही । इसके फलस्वरूप

<sup>4</sup> मै. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

<sup>5</sup> अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद

<sup>6</sup> केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

36.92 लाख रु. की निधि का बारह वर्षों तक अवरोधन हुआ तथा जिस प्रयोजन के लिए भूमि का अभिग्रहण किया गया था वह पूरा नहीं हो सका ।

**(ख) व्यर्थ निवेश**

दिसम्बर 1992 में बड़ोदरा में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु निगम<sup>7</sup> से 1296 वर्गमीटर का एक भूखण्ड 99 वर्ष के पट्टे पर 28.71 लाख रु. के अधिमूल्य पर प्राप्त किया गया । भूमि के अधिमूल्य के अलावा, प्रति वर्ष एक रु. प्रति 100 वर्गमीटर की दर से पट्टा किराए का भुगतान भी किया जाना था । बड़ोदरा निगम के साथ कोई अनुबन्ध पट्टा निष्पादित किए बिना भुगतान किया गया । क्षे.भ.नि.आ. बड़ोदरा ने जुलाई 2000 में बताया कि फरवरी 1995 से प्रधान कार्यालय में पट्टे के विलेख का प्रारूप अनुमोदन के लिए पड़े होने के कारण पट्टे के विलेख का निष्पादन नहीं किया जा सका । मार्च 1993 में चार दिवारी के निर्माण के कार्य को के.लो.नि.वि. को सौंपा गया जो 1.31 लाख रु. की लागत पर जनवरी 1994 में पूर्ण हुआ । कार्यालय भवन के निर्माण की योजना तथा अनुमानों का अनुमोदन प्रधान कार्यालय द्वारा केवल दिसम्बर 1998 में अर्थात् भूमि के स्वामित्व की तिथि के 6 वर्ष बाद किया गया ।

तदन्तर 179.78 लाख रु. की अनुमानित लागत की 33.18 प्रतिशत 59.66 लाख रु. की राशि (अगस्त 1999 में 35.96 लाख रु., फरवरी 2000 में 23.70 लाख रु.) के.लो.नि.वि. को कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में जारी की गई ।

तथापि के.लो.नि.वि. द्वारा अगस्त 2000 तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था । लेखापरीक्षा को के.लो.नि.वि. द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए । इस प्रकार भूमि की खरीद पर 8 वर्ष तक 28.71 लाख रु. के व्यर्थ निवेश के अतिरिक्त 59.66 लाख रु. के.लो.नि.वि. के पास अवरुद्ध पड़े रहे ।

**(ग) परियोजना के अनुमोदन में विलम्ब**

रैया, राजकोट में 817.12 वर्गमीटर तथा नाना मावा, राजकोट में 480 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवास निर्माण हेतु सितम्बर 1990 में 5.26 लाख रु. की कुल लागत पर प्राप्त किए गए । नगरीय सीमा नियमन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन अक्टूबर 1990 में किया गया तथा भूमि का स्वामित्व नवम्बर 1990 में प्राप्त किया गया । दोनों स्थलों पर चार दिवारी का निर्माण 1.71 लाख रु. की कुल लागत पर फरवरी 1993 में पूरा किया गया । कार्यालय भवन तथा कर्मचारी के आवास निर्माण के लिए योजना तथा अनुमान के.भ.नि.आ. द्वारा केवल दिसम्बर 1998 में, अर्थात् भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के पांच वर्ष बाद अनुमत किए गए । इसके अतिरिक्त 156.20 लाख रु. की अनुमानित लागत के 33.33 प्रतिशत के रूप में 52

<sup>7</sup> बड़ोदरा नगर निगम, बड़ोदरा

लाख रु. (दिसम्बर 1999 में 31.24 लाख रु. मई 2000 में 20.76 लाख रु.) का, एक अग्रिम कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवास निर्माण हेतु के.लो.नि.वि. को जारी किया गया। फिर भी के.लो.नि.वि. द्वारा जुलाई 2000 तक निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप 52 लाख रु. के.लो.नि.वि. के पास जमा रखने के अतिरिक्त भूमि की खरीद पर 10 वर्ष तक 5.26 लाख रु. की निधि का निवेश व्यर्थ रहा।

#### 7.1.5 कर्नाटक क्षेत्र

##### (क) दो दशकों तक 7.76 लाख रु. की राशि का अवरोधन

क्षे.भ.नि.आ., कर्नाटक ने 1978 में बैंगलोर की बाहरी सीमा पर पाल्या की मुख्य सड़क के पास एक निजी भूस्वामी तथा उसके परिवार के अन्य ग्यारह सदस्यों से 7.76 लाख रु. की लागत पर 2 एकड़ 39 गुंटा आकार का एक भूखण्ड क्रय किया।

स्वामित्व में विवाद के कारण प्रभावित पक्षों के बीच पुनर्विचार याचिकाओं की श्रृंखला प्रारंभ हुई जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति आ गई कि क्षे.भ.नि.आ. को भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएँ दाखिल करनी पड़ी।

इस प्रकार दाखिल की गई याचिकाएँ (2166/90 और 2929/91) निरस्त कर दी गई तथा के.भ.नि.आ. ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (प्रमाणपत्र सं. 2352-53/96) दाखिल की जो लम्बित है। इस प्रकार क्षे.भ.नि.आ. द्वारा स्वामित्व के अधिकारों के सत्यापन करने में विफलता के कारण क.भ.नि.सं. को न केवल दीर्घकालीन वैधानिक संघर्ष में पड़ना पड़ा बल्कि दो दशकों की अवधि से भी अधिक समय तक 7.76 लाख रु. की निधि का अवरोधन रहा।

##### (ख) हुबली में कर्मचारी आवासों का निर्माण

कर्नाटक सरकार द्वारा 1984 में एम.टी. सागर हुबली में 0.89 लाख रु. में उप क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 3 एकड़ 11 गुंटा माप की भूमि आबंटित की गई।

यह पाया गया कि 1990 में तैयार किए गए 77.62 लाख रु. के मूल अनुमान फरवरी 1993 में 145.10 लाख रु. तथा मार्च 1997 में 191.16 लाख रु. के रूप में संशोधित किए गए।

जुलाई 1999 में के.लो.नि.वि. द्वारा क्षे.भ.नि.आ. को आवास सौंपे गए। तथापि के.भ.नि.आ. द्वारा के.लो.नि.वि. को विलम्ब से धन जारी करने के कारण तथा राजस्व प्राधिकरणों से दीर्घकालिक पत्राचार के कारण भी, कर्मचारी आवासों को पूर्ण करने का कार्य 2 वर्षों (1997 से 1999 तक) से भी अधिक के विलम्ब से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 46.06 लाख रु. (1997 में 191.16 लाख रु. घटा 1993 में 145.10 लाख रु.) की लागत वृद्धि हुई।

### 7.1.6 मध्य प्रदेश क्षेत्र

**निर्माण कार्य के आरम्भ होने में विलम्ब के कारण भूमि में बेकार निवेश**

1998-99 में क्षे.भ.नि.आ. मध्य प्रदेश ने उ.क्षे.का. रायपुर तथा उ.क्षे.का. उज्जैन के लिए क्रमशः 96.76 लाख रु. एवं 60.15 लाख रु. की भूमि का अधिग्रहण किया। कार्य के न दिये जाने के कारण, निर्माण कार्य अर्थात् (i) उ.क्षे.का. रायपुर के कार्यालय भवन का निर्माण एवं (ii) उ.क्षे.का. उज्जैन के कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण मार्च 2000 तक प्रारम्भ नहीं हो सका। इसलिए 1998-99 में भूमि की खरीद में निवेश की गई क्रमशः 96.76 लाख रु. तथा 60.15 लाख रु. तक की निधियां मार्च 2000 तक बेकार रही। कार्यों के वैचारिक आरेखण के अनुमोदन के तहत होने के कारण, कार्य समय पर आरम्भ न हो सके।

### 7.1.7 महाराष्ट्र क्षेत्र

#### (क) निष्फल व्यय

क.भ.नि.सं. ने जुलाई 1990 में कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण हेतु 38.25 लाख रु. की अधिमूल्य लागत पर 2125 वर्ग मीटर भूमि को आर्थिक विकास निगम गोवा, दमन तथा दीव लिमिटेड से पट्टे पर अधिप्राप्त किया। 1993 में मामला निर्माण हेतु के.लो.नि.वि. को भेजा गया था। क्षे.भ.नि.आ. मुम्बई ने यह निर्णय लिया कि कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य रा.भ.नि.नि. को दिया जाये। यद्यपि, के.लो.नि.वि. ने कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर्स दोनों के अनुमान क्रमशः अगस्त तथा नवम्बर 1995 में दे दिये थे तो भी सितम्बर 1997 में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 269.51 लाख रु. की लागत पर अन्ततः रा.भ.नि.नि. को तथा स्टाफ क्वार्टर्स का 259.16 लाख रु. की लागत पर के.लो.नि.वि. को दिया गया था। जबकि भवन निर्माण का कार्य जनवरी 2000 में पूरा हो गया था, स्टाफ क्वार्टर्स का कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि यद्यपि भूखण्ड की अधिप्राप्ति जुलाई 1990 में की गयी थी, कार्य को देने के लिए सात वर्षों से अधिक लिए गये। इस दौरान कार्यालय किराये के परिसर में चलता रहा। यदि कार्य, भूमि की अधिप्राप्ति के बाद जुलाई 1990 में ही दे दिया होता और निर्माण कार्य दो वर्षों में अर्थात् जुलाई 1992 तक पूरा हो गया होता तो तब से अब तक किराये पर किया गया व्यय बचाया जा सकता था। क.भ.नि.सं. की, कार्य के उचित समय पर देने में दूरदर्शिता की कमी के कारण अगस्त 1992 से मार्च 2000 के दौरान दिये गये किराये के रूप में 38.34 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ।



**(ख) कार्यालय भवन का कब्जा लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप किराये का परिहार्य भुगतान**

उ.क्षे.का., नासिक के कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण का कार्य 208.37 लाख रु. की लागत पर अप्रैल 1993 में, मै. हिन्दुस्तान प्रिफैब लि. को दिया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य, परियोजना की लागत के 15 प्रतिशत के भुगतान को जमा करने के बाद 24 माह के अन्दर पूरा किया जाना था। भुगतान मार्च 1994 में किया गया था और तदनुसार कार्य सम्पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 1996 थी। यद्यपि कार्य चार माह की देरी से जुलाई 1996 में लगभग पूरा हो गया था परन्तु भवन का कब्जा, निम्नलिखित कारणों से नहीं लिया गया था:

- (i) एक ट्रांसफार्मर स्थापित करने की आवश्यकता थी तथा चार दीवारी का निर्माण होना था।
- (ii) निर्माण में कुछ त्रुटियों को सुधारने की आवश्यकता थी।

जबकि चार दीवारी के निर्माण की संस्वीकृति अगस्त 1996 में प्राप्त कर ली थी, वहीं ट्रांसफार्मर की संस्थापना की संस्वीकृति केवल फरवरी 1998 में प्राप्त हुई थी। उसके बाद त्रुटियां दीर्घकालिक पत्र व्यवहार के बाद एजेंसी द्वारा मई 1999 में सुधारी गई थी तथा अन्ततः कार्यालय भवन का कब्जा जून 1999 में लिया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्य में 3 वर्षों से अधिक का विलम्ब हुआ जिसके मुख्य कारण थे: (i) ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं चार दीवारी के निर्माण के लिए अनुमान को मूल अनुमान में शामिल न करना तथा (ii) अनुबन्ध में, कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति में एजेंसी से परिसमाप्ति क्षति वसूली की शास्ति दण्ड का अभाव।

कार्यालय निरन्तर किराए के परिसरों में ही कार्य कर रहा था। यदि क.भ.नि.सं. की ओर से उचित भूमि/कार्य प्रबंधन किया गया होता तो अप्रैल 1996 से जून 1999 की अवधि के लिए किराए पर किये गए 44.23 लाख रु. के व्यय से बचा जा सकता था।

**7.1.8 उड़ीसा क्षेत्र**

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय स्थान तथा उ.क्षे.का. राऊरकेला के लिए स्टाफ क्वार्टरों तथा कार्यालय स्थान की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1993-94 से 1999-2000 के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी ली गई थी

- क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर स्थित वर्तमान भवन की अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण
- उ.क्षे.का. राऊरकेला में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण
- उ.क्षे.का. राऊरकेला के कार्यालयी भवन का निर्माण

अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(क) क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में, वर्तमान भवन में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण की लागत में असाधारण वृद्धि

वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण से संबंधित कार्य जुलाई 1996 से पहले भु.वि.प्रा.<sup>8</sup> को सौंपा गया। नवम्बर 1992 में 149.87 लाख रु. के अनुमान को दिसम्बर 1997 में 227.39 लाख रु. तक अंतिम रूप से संशोधित किया गया था। लागत में कुल मिलाकर 77.52 लाख रु. की वृद्धि थी जो मूल अनुमान का 52 प्रतिशत थी। के.भ.नि.आ. द्वारा जनवरी 1995 में यह सूचित किया गया था कि वित्त उप समिति बढ़े हुए अनुमान से संतुष्ट नहीं थी तथा यह पाया कि भु.वि.प्रा. ने अपेक्षाकृत उच्च दर पर ठेकेदार को कार्य सौंपा था। भु.वि.प्रा. से पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त किए बिना के.भ.नि.आ.<sup>9</sup> द्वारा संशोधित अनुमान स्वीकार कर लिए गए थे। के.भ.नि.आ. ने केन्द्रीय कार्यालय की अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप लागत में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- निर्माणकार्य के सर्वेक्षक के.लो.नि.वि. ने सितम्बर 1990 में समझाया कि वर्तमान भवनों के ऊपर और अनुलम्ब विस्तारण सुरक्षा के मुद्दे को देखते हुए व्यवहार्य नहीं था। यद्यपि अगस्त 1993 में हुई बैठक में संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने का मामला भु.वि.प्रा. के साथ उठाया गया था, निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले निर्माण अभिकरण से ऐसा कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
- गुणवत्ता नियंत्रण जांच के लिए कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था हालांकि गुणवत्ता नियंत्रण जांच के लिए 0.91 लाख रु. राशि का भुगतान कर दिया गया था।
- अनुबंध की शर्त 8 के अनुसार, निर्माण कार्य आरंभ होने की तिथि से 26 माह की निर्धारित अवधि के बाद भु.वि.प्रा. द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन में विलम्ब होने के संबंध में के.भ.नि.आ. द्वारा अनुमानित लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रति सप्ताह अनुमानित लागत के 0.25 प्रतिशत की दर पर क्षतिपूर्ति उद्ग्राह्य होगी। निधियां जारी करने में विलम्ब को देखते हुए कार्य समापन की निर्धारित तिथि को 31 दिसम्बर 1997 तक की छूट दे दी गई थी जिसके लिए भु.वि.प्रा. ने जुलाई 1997 में हुई बैठक में विशेष रूप से आश्वासन दिया था। चूंकि निर्माण कार्य फरवरी 2000 में पूर्ण करके सौंप दिया

<sup>8</sup> भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण

<sup>9</sup> केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

गया था, भु.वि.प्रा. जनवरी 1998 से जनवरी 2000 तक के विलम्ब की अवधि के लिए 11.37 लाख रु. राशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार था जिसे वसूल नहीं किया गया था ।

- भवन उप समिति, जिसने नवम्बर 1997 में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, द्वारा यह पाया गया था कि उपयोग किया गया सीमेंट 43 ग्रेड की बजाय 33 ग्रेड का था जो निर्माण प्रतिमानों के अनुसार उपयुक्त नहीं था । निर्माण कार्य सही नहीं था क्योंकि दिवार के दोनों ओर रिसाव के निशान पाए गए थे, ग्रेनाइट टाइलों का फर्श बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया था, जल सह अभिक्रिया नहीं की गई थी, आर.सी.सी. के जोड़ सीमेन्ट मिश्रण की बजाए सीमेन्ट गारा से भरे गए थे जिनकी अवधि अधिक नहीं थी । इन त्रुटियों का सुधार नहीं किया गया था यद्यपि कार्यकारी अभियन्ता तथा सदस्य (अभियान्त्रिकी), भु.वि.प्रा. ने त्रुटियों को स्वीकार कर लिया था ।

**(ख) उप क्षेत्रीय कार्यालय, राऊरकेला के कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण**

144.43 लाख रु. के मूल अनुमान तथा 214.56 लाख रु. के संशोधित अनुमान क्रमशः जुलाई 1992 और मई 1998 में संस्वीकृत किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप लागत में 70.13 लाख रु. की वृद्धि हुई जो मूल अनुमान से 49 प्रतिशत अधिक थी । आरंभ करने की तिथि, समाप्ति की तिथि तथा निबन्धन और शर्तों को नियत करने वाला कोई कार्य आदेश के.लो.नि.वि. को जारी नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप निर्माण अभिकरण ने कार्य निष्पादन के लिए अपना समय लिया जिसके कारण अन्ततः पांच वर्ष से अधिक का समय लगा और लागत में 70.13 लाख रु. की राशि की वृद्धि हुई ।

**(ग) उप क्षेत्रीय कार्यालय राऊरकेला के कार्यालय भवन का निर्माण**

- उप क्षेत्रीय कार्यालय, राऊरकेला के कार्यालय भवन के निर्माण का मामला के.लो.नि.वि. के साथ 1991 में उठाया गया था । तदनुसार, 'मिट्टी' की जांच की गई, योजना की तैयारी तथा अनुमान पूर्ण किए गए तथा मई 1994 में प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया परन्तु आरम्भ करने की तिथि तथा समाप्त करने की तिथि को नियत करने वाला कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया गया था । जिसके परिणामस्वरूप के.लो.नि.वि. ने बिना किसी समय अनुसूची का पालन किए कार्य निष्पादन के लिए अपना समय लिया और निष्पादन अभिकरण ने मूल अनुमानों को 86.85 लाख रु. से 164.07 लाख रु. तक संशोधित कर दिया जिसके कारण लागत में 77.22 लाख रु. की वृद्धि हुई ।

- कार्यालय भवन के निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप उप क्षेत्रीय कार्यालय जो मार्च 1998 में नए परिसर में स्थानान्तरित किया जाना था, राऊरकेला विकास न्यास के किराए के भवन में कार्य करता रहा। क.भ.नि.सं. ने, अपने कार्यालयी भवन के निर्माण में विलम्ब करने के लिए अप्रैल 1998 से जून 2000 की अवधि के दौरान 46065 रु. प्रति माह की दर पर किराए के भुगतान के प्रति 12.44 लाख रु. का व्यय किया जिससे बचा जा सकता था।

**(घ) के.लो.नि.वि. तथा भु.वि.प्रा. के प्रति अग्रिम**

के.लो.नि.वि. तथा भु.वि.प्रा. के प्रति 1992-93 से 1999-2000 की अवधि से संबंधित क्रमशः 300.80 लाख रु. तथा 220.97 लाख रु. राशि के अग्रिम बकाया थे।

**7.1.9 निष्कर्ष**

यद्यपि क.भ.नि.सं., अपने स्वयं के कार्यालयी भवन/स्टाफ क्वार्टर प्राप्त करने का उत्सुक था, पूर्व में दर्शायी गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विश्लेषण, क.भ.नि.सं. के विशेष रूप से उसके वास्तविक सुविधा मंडल जिसमें मुख्य अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता तक कार्यरत सभी मुख्य अधिकारी तथा सामान्य रूप में क्षे.भ.नि.आ. थे, में कई मामलों में उपेक्षा को सीमाबद्ध करने में अनुचित पहुंच, को दर्शाता है। नकारात्मक दृष्टिकोण, उचित योजना बनाने तथा समन्वय की कमी, बिगड़े हुए वित्तीय प्रबंध से 1427.74 लाख रु. राशि की वित्तीय अनियमितताएं हुईं जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

	(लाख रु. में)
1. निष्फल व्यय/किराए पर व्यय	124.42
2. निधियों का अवरोधन/व्यर्थ निवेश	238.36
3. के.लो.नि.वि. के पास रखी हुई निधियां	114.65
4. लागत में वृद्धि	270.93
5. भूमि अतिक्रमण के कारण हानि	83.71
6. परिहार्य व्यय	13.70
7. शास्ति का अनुद्ग्रहण	11.37
8. अननुमोदित व्यय	48.83
9. बकाया अग्रिम	521.77
<b>जोड़</b>	<b>1427.74</b>

## 7.2 अप्राधिकृत व्यय

विधायिका द्वारा प्राधिकृत न किये गये उद्देश्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 18.61 लाख रू. की राशि के संसाधनों का मंत्रालय द्वारा अप्राधिकृत विपथन ।

सरकार के 100 दिन पूरे होने की पूर्व संध्या पर श्रम मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के सम्बन्ध में विज्ञापनों/ प्रकाशनों का कार्य एक निजी ठेकेदार को सौंपा गया था। चूंकि 1998-99 के दौरान इस प्रकार के कार्य के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं था, सचिव, श्रम मंत्रालय ने क.भ.नि.सं. को फर्म के दावे का भुगतान करने को कहा तथा इस प्रकार किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति मंत्रालय द्वारा नये बजट के पारित होने पर की जाएगी। तदनुसार क.भ.नि.सं. ने जुलाई 1998 तथा अगस्त 1999 के बीच 18.61 लाख रू. का भुगतान किया। क.भ.नि.सं. ने न तो प्रतिपूर्ति के लिए मंत्रालय से दावा किया और न ही क.भ.नि.सं. द्वारा किये गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए मंत्रालय द्वारा अगले वर्ष में बजट प्रवधान किया गया था। इस प्रकार क.भ.नि.सं. द्वारा ऐसा विषय जो इसके अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं था, पर 18.61 लाख रू. का व्यय किया गया था।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2000 में भेजा गया था; फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

### 7.3 दिल्ली सरकार से प्राप्ति का वसूल न किया जाना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चिकित्सा देखभाल पर व्यय किए गए 93.87 करोड़ रूपए की दिल्ली सरकार से गैर-वसूली ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार निगम<sup>1</sup> राज्य सरकार से परामर्श करके बीमाकृत व्यक्तियों और जहां यह चिकित्सा लाभ उनके परिवारों तक बढ़ाया गया है को, राज्य में ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व ले सकती है बशर्ते की राज्य सरकार और निगम के बीच आपस में सहमति हो, कि राज्य सरकार किस अनुपात में इस चिकित्सा लाभ की लागत में साझीदार होगी । अधिनियम में आगे यह भी प्रावधान है कि इस उद्देश्य के लिए निगम, बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को दिए जाने वाले चिकित्सा उपचार के स्वरूप और परिमाण के सम्बन्ध में राज्य सरकार से करार भी कर सकता है ।

<sup>1</sup> कर्मचारी राज्य बीमा निगम

दिल्ली में अप्रैल 1962 में क.रा.बी.<sup>2</sup> योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देखभाल का प्रबन्ध लेते समय यह समझौता हुआ था कि दिल्ली प्रशासन क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देखभाल के व्यय के प्रावधान के 1/8वें अंश को चुकाता रहेगा, परन्तु इस आशय का कोई लिखित औपचारिक करार नहीं हुआ था। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार, क.रा.बी.नि. ने नियमित रूप से 1989-90 तक दिल्ली प्रशासन से 1/8 वें अंश के साथ उच्चतम सीमा से अधिक व्यय वसूल किया। दिल्ली प्रशासन ने 1990-91 से भुगतान बन्द कर दिया। क.रा.बी.नि. के काफी अनुनय के बाद दिल्ली सरकार ने 1.63 करोड़ रु. की वार्षिक दर से 1993-94 से 1995-96 के वर्षों के लिए, 1996-97 के लिए 2.19 करोड़ रु. और 1997-98 के लिए दो करोड़ रूपए का तदर्थ भुगतान किया जो कि व्यय के 1/8वें अंश के अनुरूप नहीं था।

इस प्रकार दिल्ली सरकार द्वारा अप्रैल 1990 से मार्च 1999 तक भुगतान के लिए देय कुल 102.94 करोड़ रूपए में से केवल 9.07 करोड़ रूपए ही प्राप्त हुए और 93.87 करोड़ रूपए की एक बहुत बड़ी राशि बकाया रह गई। रोके रखने के कारण बहुत धन इकट्ठा हो गया क्योंकि दिल्ली सरकार ने 1990-91 से अपने अंश का भुगतान बन्द कर दिया। निगम ने मार्च 1997 में दिल्ली सरकार को करार का प्रारूप विलेख प्रेषित किया जिसकी वापसी अभी तक प्रतीक्षित थी। मार्च, 1997 तक क.रा.बी.नि. की चिकित्सा शाखा और दिल्ली सरकार के बीच मामले पर पत्राचार होता रहा। क्योंकि इस नेमी पत्राचार से कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सके, क.रा.बी.नि. के बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा देखभाल पर हुए व्यय की साझेदारी के सम्बन्ध में अक्टूबर, 1997 में मामला पहली बार रा.म.<sup>3</sup> के स्तर पर उठाया गया। इसके पश्चात जनवरी 1998 में मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया, राज्य मंत्री के स्तर पर मई, 1998 दिसम्बर 1999 और जून 2000 में अर्ध शासकीय अनुस्मारक जारी किए गए परन्तु मामले का अभी तक निपटान नहीं हुआ है।

दिल्ली सरकार के साथ करार प्रारूप जो कि अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य था, के निष्पादित न होने के परिणामस्वरूप 93.87 करोड़ रु. वसूल नहीं हुए जो अगर उपलब्ध होते तो लाभभोगियों, जिनके लिए योजना चालू की गई थी, की दशा को सुधारने के लिए उपयोग में लाए जा सकते थे।

मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए दिसम्बर 2000 में बताया कि श्रम मन्त्रालय से दिल्ली के मुख्य मन्त्री को यह जोर देते हुए कि 93.87 करोड़ रु. के प्रायों की शीघ्र प्रतिपूर्ति तथा क.रा.बी.नि. द्वारा प्रस्तुत प्रारूप करार को अन्तिम रूप देने के लिए एक पत्र जारी किया जा रहा था।

<sup>2</sup> कर्मचारी राज्य बीमा

<sup>3</sup> राज्य मंत्री

#### 7.4 ब्याज की हानि

##### अप्रभावी निवेश प्रबंधन के कारण 6.77 करोड़ रु. की राशि के ब्याज की हानि

क.रा.बी.नि. भारतीय रिजर्व बैंक के पास वि.ज.ले.<sup>1</sup> में प्रति वर्ष 31 मार्च को भुगतान योग्य 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर पर अगस्त 1988 से निवेश कर रहा है। अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज की दर वि.ज.ले. में प्रभावी 12 प्रतिशत दर से अधिक थी। क.रा.बी.नि. ने मार्च 1992 में सरकार को भा.रि.बैं. के वि.ज.ले. पर ब्याज की दर बढ़ाने का अनुरोध किया परन्तु सरकार क.रा.बी.नि. के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई। इसके बजाए सरकार ने जून 1992 में क.रा.बी.नि. को वर्ष 1992-93 से अपनी नई बचत राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखने की अनुमति दे दी तथा बाद में क.रा.बी.नि. को अप्रैल 1994 से वि.ज.ले. में से प्रति वर्ष प्रोद्भूत ब्याज निकालने की भी अनुमति दे दी।

तथापि, क.रा.बी.नि. ने सरकार द्वारा दी गई इन छूटों का लाभ नहीं उठाया और प्रोद्भूत ब्याज को वि.ज.ले. में ही रखा, जबकि 1998-99 के दौरान ओ.बैं.का.<sup>3</sup> और भा.स्टे.बैं.<sup>4</sup> में 12.5 प्रतिशत ब्याज की उच्च दर (त्रैमासिक चक्रवृद्धि दर पर 13.10 प्रतिशत) उपलब्ध थी।

ओ.बैं. का. और भा.स्टे.बैं. में उपलब्ध उच्च ब्याज दर पर निवेश के लिए वि.ज.ले. में से ब्याज को न निकालने के परिणामस्वरूप दो वर्षों के लिए 6.77 करोड़ रु. के ब्याज की परिहार्य हानि हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका: 7.4

(करोड़ रु. में)

न निकाली गई राशि के प्रकार	वर्ष	राशि	न निकाली गई राशि पर ब्याज की हानि 1.10 प्रतिशत की दर पर (13.10 प्रतिशत-12 प्रतिशत) 1.4.98 से 31-3-2000
वि.ज.ले. पर प्रोद्भूत ब्याज	1998-99	288.66	3.18
	1999-2000	323.31	3.59
		जोड़	6.77

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 2000 की प्रतिवेदन संख्या 4 में इसी प्रकार का पैरा (संख्या: 9.2) "ब्याज की हानि" के

<sup>1</sup> विशेष जमा लेखा

<sup>3</sup> ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स

<sup>4</sup> भारतीय स्टेट बैंक

2001 की रिपोर्ट सं.4 (सिविल)

शीर्षक से दिखाया गया है। मंत्रालय ने इस पर की गई कार्यवाही टिप्पणी के विषय में तर्क किया था कि क.रा.बी.नि. कोई निवेश संगठन नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है तथा क.रा.बी.नि. के निवेश के लिए केवल ब्याज की दर ही मापदण्ड नहीं था बल्कि उसकी निधियों की सुरक्षा ही सर्वोच्च बात थी ।

मंत्रालय की सुरक्षा की चिन्ता महत्वपूर्ण है परन्तु उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी जमा उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि भा.रि.बैं. में । सरकार ने वर्ष 1994 में मामले पर समुचित विचार करने के पश्चात् इन परिवर्तनों को अनुमति प्रदान करके इसका प्रमाण दिया है परन्तु क.रा.बी.नि. अपने दोषपूर्ण निवेश निर्णय में संशोधन करने में विफल रहा ।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।



## अध्याय VIII : ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय

### ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन विभाग

#### 8.1 इ.आ.यो. मकानों के निर्माण पर निष्फल व्यय

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण पर 1.53 करोड़ रु. का व्यय करने के बावजूद 10 वर्षों के बाद मकान अधूरे रहे ।

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, ग्रामीण क्षेत्र में मुक्त बन्धुआ मजदूरों के सदस्यों को निशुल्क तथा गरीबी की रेखा के नीचे के गैर अ.जा./अ.ज.जा. ग्रामीण गरीबों को क्षेत्र की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रति मकान 14000 रु. से 15800 रु. तक की लागत सीमा के मकान उपलब्ध करवाने के लिए इ.आ.यो. आरम्भ की। योजना में यह व्यवस्था थी कि खण्ड स्तर अधिकारियों की तकनीकी सहायता तथा भवन सामग्री की आपूर्ति के साथ मकान लाभभोगियों द्वारा स्वयं तैयार किये जाएं तथा भुगतान लाभभोगियों को कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों में किया जाना चाहिए। निर्माण के समन्वयन के लिए लाभभोगियों की समिति के गठन पर भी योजना में विचार किया गया है।

8 ख.वि.अ. के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 1990-91 से 1997-98 के दौरान उन्होंने 5278 इ.आ.यो. मकानों के निर्माण के लिए जि.ग्रा.वि.ए., सुन्दरगढ़ झासुगुडा तथा सम्बलपुर/बांगढ़ से 8.76 करोड़ रु. प्राप्त किये।

इनमें से 1079 मकान अधूरे रह गए जिनके लिए लाभभोगियों को 1990-91 से 1997-98 के दौरान 1.80 करोड़ रु. की संस्वीकृत लागत के प्रति नकदी तथा सामग्री के रूप में 1.53 करोड़ रु. का भुगतान किया गया था। यद्यपि मकानों का निर्माण दो वर्षों में पूरा किया जाना था, पूरा न करने के कारणों की जांच न तो जि.ग्रा.वि.ए. और खण्डों के अधिकारियों द्वारा की गई थी और न ही मध्यवर्ती संशोधन के लिए मामला उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था। दोषी लाभभोगियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी। जैसा कि योजना के अन्तर्गत अपेक्षित था लाभभोगी परिवार के किसी महिला सदस्य अथवा पति पत्नी दोनों के नाम से कोई मकान आर्बिटि नहीं किया गया था। योजना में विचार किया गया मूल्यांकन तथा मानीटरिंग भी नहीं की गई

1 इंदिरा आवास योजना

थी। इन अधूरे मकानों में निष्पादित किये गए कार्य के मूल्य का यह सन्तुष्टि करने के लिए कि अग्रिम के रूप में दी गई राशि का वास्तव में निर्माण पर उपयोग किया गया था निर्धारण भी नहीं किया गया था। यद्यपि सबडेगा को छोड़कर इन सभी खण्डों में लाभभोगी समिति का गठन किया गया था उन्होंने मकानों के निर्माण के समन्वय तथा मॉनीटर के लिये कोई कार्य नहीं किया। खं.वि.अ., लाठीकाटा द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से यह पता चला कि अधूरे 116 मकानों (1995-96) में से, 11 मकान विद्यमान नहीं थे, 4 मकान गिर गये थे तथा 2 मकान (कुल सुख्या 17) जीर्णशीर्ण अवस्था में थे। उन 17 मकानों पर किया गया व्यय 1.93 लाख रू. था।

फरवरी 2000 तक कुल 1079 अधूरे मकानों में से 605 मकानों का निर्माण 1990-91 से 1995-96 के दौरान आरम्भ हुआ था तथा उनका पूरा होना कठिन लगता है। इस प्रकार इन मकानों पर किया गया 1.53 करोड़ रू. का व्यय निष्फल हो गया।

इंगित किये जाने पर सम्बद्ध खं.वि.अ. ने पूरे न होने पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। तथापि, अगस्त 2000 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था तथा मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2000) में मकानों के पूरा होने में विलम्ब को स्वीकार किया तथा कहा कि यह क्षेत्रीय कर्मचारियों जैसे ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं आदि की कमी के कारण था। मंत्रालय की कार्यवाही अपव्यय के लिए गंभीरता तथा उत्तरदायित्व के अभाव की सूचक है।

**ग्रामीण विकास विभाग**  
(जि. ग्रा. वि. ए. नौपाडा तथा सुन्दरगढ़)

**8.2 निष्फल व्यय**

विभिन्न रोजगार उत्पादन योजनाओं के अंतर्गत रोपित वृक्ष घटिया अनुरक्षण तथा अनुश्रवण की कमी के कारण नष्ट हो गए जिससे 41.44 लाख रू. का निष्फल व्यय हुआ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न रोजगार उत्पादन योजनाओं के अंतर्गत आरंभ किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृ.मं.<sup>1</sup> ने अनुदेश/ दिशानिर्देश जारी किए (मई 1983) जिनमें प्रजातियों का उचित चुनाव, पौध का आकार, वृक्षारोपण कार्यों का सामयिक निष्पादन तथा उत्तरजीविता दर में सुधार के लिए पर्याप्त संरक्षण आदि पर बल दिया गया। ऐसा माना गया कि वृक्षारोपण की कम से कम 75 प्रतिशत उत्तरजीविता सफल रहे तथा इससे कम उत्तरजीविता दर होने से धन तथा समय की क्षति होगी। आगे यह अनुदेश दिए गए कि वृक्षारोपण का अनुश्रवण कुछ

<sup>1</sup> कृषि मंत्रालय

स्वतंत्र संगठनों/ अभिकरणों जैसे विश्वविद्यालय आदि द्वारा किया जा सकता है ताकि इन अभिकरणों द्वारा उपलब्धियों की पुष्टि की जा सके।

उद्यान विशेषज्ञ खरियार/लाहुनीपाड़ा के अभिलेखों की जांच (फरवरी 1999-जनवरी 2000) से प्रकट हुआ कि 1994-95 तथा 1996-97 के बीच नौ स्थानों में 41.44 लाख रु. की लागत पर 208 हैक्टेयर में आम, लीची तथा मिश्रित फलदार पौधे लगाए गए थे। वि.के.स.<sup>2</sup> रो.आ.यो.<sup>3</sup> तथा ज.रो.यो.<sup>4</sup> के अंतर्गत जि.ग्रा.वि.ए. नौपाड़ा द्वारा 29.50 लाख रु तथा जि.ग्रा.वि.ए. सुन्दरगढ द्वारा 11.94 लाख रु की निधियां जारी की गई थी। संयुक्त सत्यापन रिपोर्टों के अनुसार छः स्थानों में उत्तरजीविता की प्रतिशतता शून्य थी जबकि तीन स्थानों में यह केवल 7 से 27 प्रतिशत के बीच थी। आगे यह और देखा गया कि खरियार में जि.ग्रा.वि.ए. नौपाड़ा के अंतर्गत मिश्रित फल दार वृक्षारोपण के वर्ष से तीन वर्ष के अनुक्षण के प्रावधान के प्रति एक वर्ष के अनुक्षण के पश्चात लाभभोगियों को सौंपे गए थे। लाहुनीपाड़ा में अनुक्षण चौथे वर्ष जिसके दौरान वृक्ष नष्ट हो गए थे, तक जारी रहा।

इस प्रकार, उत्तरजीविता की प्रतिशतता निदेशों का पालन न करने के कारण कृ.मं. के प्रतिमानों से कहीं कम थी जिससे उस पर किया गया 41.44 लाख रु में से 40.36 लाख रु के बड़े भाग का व्यय निष्फल हो गया।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी 1999/जनवरी 2000) उद्यान विशेषज्ञ, लाहुनीपाड़ा तथा परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि.ए. नौपाड़ा ने कोई विशिष्ट टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2000 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

<sup>2</sup> विशेष केन्द्रीय सहायता

<sup>3</sup> रोजगार आश्वासन योजना

<sup>4</sup> जवाहर रोजगार योजना

## अध्याय IX : भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन खण्ड)

### कलकत्ता पत्तन न्यास

#### 9.1 निकर्षण पर निष्फल व्यय

स्वेजमैक्स तेलपोतों को स्थान देने के लिए जलमार्ग की अपेक्षित चौड़ाई प्राप्त नहीं की जा सकी और इस उद्देश्य के लिए किया गया 29.90 करोड़ रु. का व्यय निष्फल हो गया।

अक्तूबर 1997 से स्वेजमैक्स तेलपोतों को स्थान देने के लिए क.प.न्या. के अध्यक्ष ने हल्दिया तेल घाट के उन्नयन का निर्णय लिया जिससे तेल उद्योग को उच्चतम सीमा तक लाभ पहुंचे। इससे हल्दिया लंगरगाह के प्रवेश जलमार्ग की चौड़ाई को 670 मीटर करना अपेक्षित था।

क.प.न्या. ने हल्दिया पर अपने नियमित निकर्षण कार्यक्रम के रखरखाव के भाग के रूप में जलमार्ग को चौड़ा करने के लिए मई 1997 और दिसम्बर 1997 के बीच भा.नि.नि. को तैनात किया। 1.03 मि.घ.मी. की प्रक्षेपित आवश्यकता के निकर्षण की तुलना में भा.नि.नि. 0.228 मि.घ.मी. निकर्षण कर सका क्योंकि इसके निकर्षक साथ-साथ अन्य स्थानों पर निकर्षण के लिए तैनात किए गए थे। जलमार्ग की चौड़ाई आरम्भ में 470 मीटर से 549 मीटर बढ़ाई गई थी परन्तु दिसम्बर 1997 में 488 मीटर की गिरावट आ गई।

इसके पश्चात क.प.न्या के मु.ज.अ.<sup>1</sup> ने 1.8 मि.घ.मी. की अनुमानित मात्रा का निकर्षण करके जलमार्ग की 670 मीटर की चौड़ाई के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पांच महीने का गहन निकर्षण कार्यक्रम बनाया।

कार्य जून 1998 में आरम्भ हुआ। मु.ज.अ. ने जुलाई 1998 में पुष्टि की कि लक्षित चौड़ाई अत्यधिक उथले जल की पुनरावृत्ति के बावजूद नियत समय पर प्राप्त कर ली जाएगी। भा.नि.नि. ने 29.90 करोड़ रु. के व्यय के बाद केवल 533 मीटर चौड़ाई प्राप्त करके नवम्बर 1998 में 1.8 मि.घ.मी. निकर्षण पूर्ण किया।

<sup>1</sup> मुख्य जलीय अभियंता

क.प.न्या. के अध्यक्ष के अनुरोध पर क.प.न्या. के सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर मार्च, 2000 में विशेषज्ञों द्वारा एक अध्ययन कराया गया। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार असन्तोषजनक परिणाम के निम्नलिखित कारण थे।

- (i) गाद तत्व की समयावधि की वैधता पर निकर्षण मात्रा का अनुमान लगाते समय विचार नहीं किया गया।
- (ii) निकर्षण अवधि के दौरान पाई गई गाद अनुमानित 80 प्रतिशत की तुलना में 200 प्रतिशत थी।
- (iii) सतह की ढाल को कम महत्वपूर्ण अनुमानित करने के कारण मिट्टी का बहाव हुआ जिससे अन्ततोगत्वा भारी गाद उत्पन्न हो गई।
- (iv) निकर्षण अवधि में प्रबल हुई गाद की गति अनुमानित निकर्षण गति की अपेक्षा बहुत कम थी।

अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान शर्तों के समुचित विश्लेषण के बिना मु.ज.अ. ने कार्य के लिए अर्थार्थवादी मापदण्ड निश्चित किए थे।

इस प्रकार एक परियोजना जो तेल उद्योग को लाभ पहुंचाती मु.ज.अ. की आयोजन असफलता के कारण लागू नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप 29.90 करोड़ रु. का निष्फल निवेश हुआ।

दिसम्बर 2000 में मंत्रालय ने बताया कि निकर्षण ने रेत के बहाव को रोकने में प्रत्यक्ष सहायता की थी इसके अलावा क्षेत्र में कुछ सीमा तक चौड़ाई में बढ़ोत्तरी हुई। परन्तु वास्तविकता यही रही कि जलमार्ग को चौड़ा करने के उद्देश्य से लिया गया गहन निकर्षण कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सका।

#### 9.2 जहाज के निराकरण में देरी

जीर्ण जहाज को तिरस्कृत करने में अत्यधिक देरी के कारण कलकत्ता पत्तन न्यास को 1.29 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय और 2.54 करोड़ रु. का निराधार व्यय करना पड़ा।

1963 में निर्मित डिसपैच जहाज सेवा ने 1983 में सामान्य आर्थिक जीवन पूर्ण किया। 1991-92 में आखिरी निरीक्षण मरम्मत के बाद जहाज अप्रैल 1993 और सितम्बर 1995 की अवधि में केवल 387 दिनों तक ही इस्तेमाल किया जा सका। शिपिंग चैनल में अतिरूढ़ सफाई व्यवस्था कार्य को करने के लिए, क.प.न्या. ने अक्टूबर 1995 में बिना आर्थिक जीवन योग्यता का ध्यान रखते हुए जहाज का निरीक्षण मरम्मत करने का निश्चय किया। यद्यपि जहाज को निरीक्षण मरम्मत के लिए अक्टूबर 1995 में रखा गया था, लेकिन इस कार्य के लिए समयावधि तय नहीं की और न ही कार्य के लिए लागत

परिकल्पना तैयार की। अतिरिक्त सामान और बकाया जिम्मेदारियों की वजह से क.प.न्या. विभागीय मरम्मत नहीं कर सका और न ही अधिक लागत और खराब कारीगरी के डर से मरम्मत कहीं दूसरी जगह से करवाई। अतः जबकि जहाज को अक्टूबर 1995 में ही रख लिया था परन्तु मार्च 1998 तक उसकी मरम्मत करने और चालू करने का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। तो भी क.प.न्या. को बंकर तेल और रखरखाव के लिए 1.29 करोड़ रू. और श्रमिक दल के सदस्य के वेतन, भण्डार अन्य सुविधाएं तथा सामान्य व्यय के लिए 2.54 करोड़ रू. अक्टूबर 1995 से मई 1998 के दौरान सहन करना पड़ा।

बोर्ड<sup>1</sup> ने मार्च 1998 में जहाज को जिसकी व्यवसायिक जीवन योग्यता पूर्ण हो चुकी थी, तिरस्कृत करने का फैसला किया। बोर्ड के इस निर्णय के तहत स्थापित कमेटी ने मरम्मत में लगाने वाले अधिक व्यय और अनिश्चित समय, ज्यादा क्रियान्वयन खर्च और लाभदायक इस्तेमाल की कम सम्भावना को ध्यान में रखते हुए जहाज को अगस्त 1998 में बेकार घोषित किया। अगर जहाज को मरम्मत के लिए रखने से पहले ही तिरस्कृत कर दिया जाता तो तेल और रखरखाव, वेतन आदि का 3.83 करोड़ रू. का व्यय बचाया जा सकता था और जहाज के श्रमिक दल को भी लाभदायक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था।

अतः तिरस्करण में अस्वाभाविक देरी के कारण अक्टूबर 1995 से मई 1998 तक की अवधि में 1.29 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय हुआ और 2.54 करोड़ रू. का निराधार व्यय करना पड़ा। जहाज के गैर इस्तेमाल के कारण इस अवधि के दौरान रात्रि परिवहन तथा बचाव सहायता कार्यों में रुकावट हुई।

मामला जुलाई 2000 में मंत्रालय को भेजा था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

### 9.3 कम्प्यूटरीकृत नौभार प्रणाली चालू करने में विलम्ब

कलकत्ता पत्तन न्यास की कम्प्यूटरीकृत नौभार प्रणाली 42.82 लाख रू. का व्यय करने के पश्चात् भी चालू नहीं हुई है।

प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए शीघ्रता से नौभार लेखांकन तथा प्रलेखन प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.) ने नवम्बर 1992 में कम्प्यूटरीकृत नौभार लेखांकन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। प्रणाली आनलाइन नौभार संचालन प्रक्रिया, बिल बनाने की प्रक्रिया, जलयान योजना तैयार करने के लिए बनी थी। प्रणाली लागू करने के लिए क.प.न्या. ने जनवरी 1995 में टाटा इलेक्सी (इंडिया) लिमिटेड से 42.82 लाख रू. की कुल लागत पर सुपर मिनी आर आई

<sup>1</sup> कलकत्ता पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड

एस.सी. आधारित कम्प्यूटर प्रणाली अधिप्राप्त की। प्रणाली जनवरी 1995 में क.प.न्या. के भूतघाट कम्प्यूटर केन्द्र के अस्थाई स्थल पर स्थापित की गई थी। कन्टेनर फ्रेट केन्द्र भवन पर स्थाई स्थल अगस्त 1996 में तैयार हुआ था तथा वहां प्रणाली सितम्बर 1996 में स्थापित की गई थी। जलीय अध्ययन विभाग क.प.न्या. को एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास करना था क्योंकि यह बाजार में सुगमता से उपलब्ध नहीं था। साफ्टवेयर के विकास के लिए सम्भावित समय स्थापना की तिथि से लगभग छः माह थी।

साफ्टवेयर के विकास में (i) प्रयोक्ता विभाग की विशिष्टताओं में बारम्बार परिवर्तनों (ii) क.प.न्या. के दरों के मान, जिस पर पूरी वाणिज्यिक प्रणाली तथा सम्बद्ध वसूली आधारित थी, को लेखे में लेने में प्रणाली कर्मियों की विफलता के कारण विलम्ब हुआ। साफ्टवेयर के विकास में विलम्ब के कारण अक्टूबर 2000 तक भी कम्प्यूटर प्रणाली चालू नहीं की जा सकी। इसी दौरान स्थापित प्रणाली की वारन्टी अवधि जनवरी 1996 में समाप्त हो गई।

इस प्रकार क.प.न्या. के दो विभागों के बीच समन्वयन की कमी तथा अपर्याप्त योजना बनाने के कारण 42.82 लाख रू. का व्यय करने के बावजूद अधिप्रापण के पांच वर्ष के पश्चात भी कम्प्यूटर प्रणाली चालू नहीं की जा सकी। नोभार लेखांकन के कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

#### कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

#### 9.4 न्यूनतम प्रत्याभूत श्रमवृत्तिका का अधिक भुगतान

नियमों को अनियमित रूप से लागू करने के परिणामस्वरूप कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड में 94.85 लाख रू. के न्यूनतम प्रत्याभूत श्रमवृत्तिका का अधिक भुगतान।

कलकत्ता गोदी मजदूर (रोजगार विनियम) योजना 1956 के प्रावधानों के अनुसार क.गो.श्र.बो.<sup>1</sup> मजदूरों को, जिन्हें कलकत्ता गोदी प्रणाली में यातायात में गिरावट के कारण एक माह में 30 दिन कार्य प्रदान नहीं किया जा सकता, दैनिक आधार पर न्यूनतम श्रमवृत्तिका भुगतान करता है। कम से कम दिनों की संख्या जिसके लिए किसी श्रमिक को वृत्तिका प्रत्याभूत होती है, श्रमिक द्वारा पूर्व वर्ष में प्राप्त किए गए मासिक औसत रोजगार के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित की जाती है। इस प्रकार निश्चित की गई संख्या किसी भी स्थिति में 21 दिनों से अधिक तथा 12 दिन से कम नहीं होनी चाहिए।

<sup>1</sup> कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

सितम्बर 1999 में श्रमवृत्तिका बिलों की नमूना जांच से यह विदित हुआ कि 1998-99 में क.गो.श्र.बो. ने श्रमिकों की 1997-98 में प्राप्त की गई वास्तविक मासिक औसत वृत्तिका पर विचार किए बिना श्रमिकों को 14 से 21 दिन की न्यूनतम प्रत्याभूत वृत्तिका का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ग्राह्य वास्तविक वृत्तिका की तुलना में अधिक न्यूनतम प्रत्याभूत वृत्तिका का भुगतान हुआ तथा 1998-99 में 94.85 लाख रू. अधिक भुगतान हुआ।

अतः क.गो.श्र.बो. द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम प्रत्याभूत सुसंगत वृत्तिका के भुगतान के दौरान नियमों को अनियमित रूप से लागू करने के कारण 1998-99 में 94.85 लाख रू. का अधिक भुगतान किया गया।

मई 2000 में लेखापरीक्षा द्वारा व्यक्त विचारों को स्वीकार करते हुए क.गो.म.बो. ने यह बताया कि कुछ प्रशासनिक समस्याओं के कारण वृत्तिका कम नहीं की जा सकी।

मामला अगस्त 2000 में मंत्रालय को भेजा गया, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

#### चेन्नई पत्तन न्यास

#### 9.5 वृद्धि प्रभारों के गलत परिकलन के कारण अधिक भुगतान

वृद्धि प्रभारों की गणना करते समय ठेकेदार के बिल के कुल मूल्य में वैगन प्रभारों को गलत शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप 10.09 करोड़ रू का अधिक भुगतान हुआ।

भू.प.मं.<sup>1</sup> ने चेन्नई के निकट एन्नोर में 593.90 करोड़ रू की अनुमानित लागत पर एक नए उपाश्रित पत्तन के निर्माण हेतु अप्रैल 1993 में संस्वीकृति प्रदान की। परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ एकमात्र पूरी विषयवस्तु के रूप में तरंगरोध का निर्माण करना शामिल था। अक्टूबर 1994 के दौरान चे.प.न्या.<sup>2</sup> ने तरंगरोध के निर्माण कार्य को दो पूर्ण विषयवस्तुओं अर्थात् (i) चट्टान उत्खनन तथा एन्नोर स्थित कार्यस्थल तक ढुलाई तथा (ii) तरंगरोध का निर्माण, में कार्य विभाजन का निर्णय किया। चट्टान उत्खनन तथा ढुलाई का कार्य मुम्बई की एक कम्पनी को सौंपा गया तथा इस उद्देश्य के लिए उनसे जून 1996 में एक अनुबंध किया गया था। बोली की शर्तों के अनुसार रेल भाड़ा प्रभार प्रारंभ में चे.प.न्या. द्वारा वहन किए जाने थे तथा पत्तन न्यास द्वारा ठेकेदार से संचालित प्रत्येक फेरे पर 5500 रू. प्रति रेल वैगन की दर पर प्रभार वसूल करना था।

<sup>1</sup> भूतल परिवहन मंत्रालय

<sup>2</sup> चेन्नई पत्तन न्यास



तदनुसार पत्तन न्यास ने प्रचालन की सम्पूर्ण अवधि में ठेकेदार से इस नियत दर पर वैगन प्रभार वसूल किए यद्यपि बाद में पत्तन न्यास को रेलवे द्वारा नियत उच्चतर दरों पर वैगन प्रभारों का भुगतान करना पड़ा ।

अनुबंध में अन्य बातों के साथ कार्य की सामग्रियों, श्रम तथा कार्य में अन्य निवेशों की मूल लागत में समय-समय पर घटित परिवर्तन के निर्वाह हेतु मूल्य असंगति के समायोजन की व्यवस्था थी । मूल्य विभिन्नता घटक विशिष्ट सूत्र का उपयोग करने पर प्राप्त होना था । यह घटक मूल्य विभिन्नता की अनुमति देने के लिए कार्य के कुल मूल्य पर लागू किया गया था ।

चे.प.न्या. द्वारा भुगतान किए गए चल लेखा बिलों (जुलाई 1999 तक) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष के कुल मूल्य जिस पर लागत वृद्धि की अनुमति दी गई थी, की पत्तन न्यास द्वारा रेलवे को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किए गए तथा नियत दरों पर ठेकेदार से वसूल किए गए वैगन प्रभारों की कटौती किए बिना गणना की गई थी । यह देखा गया था कि जब रेलवे द्वारा वैगन प्रभार अप्रैल 1988 से 5500 रु से 7055 रु तथा अप्रैल 1999 से 8185 रु तक बढ़ाया गया था, समय समय पर परिबर्धन/वृद्धि चे.प.न्या. द्वारा वहन की गई थी तथा ठेकेदार से प्रारंभ में तय हुई 5500/ रु प्रति वैगन की नियत दर पर ही वसूली की गई थी । अतः ठेकेदार को इस मद पर किसी मूल्य विभिन्नता की अनुमति नहीं दी जानी थी तथा वैगन प्रभारों की लागत को उस प्रक्रिया के समान जिसके अनुसार ठेकेदार को निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट आदि की विभागीय आपूर्ति की जाती है, को मूल्य विभिन्नता घटक को लागू करने से पहले किए गए कार्य के कुल मूल्य से निकाल देना चाहिए था ।

इस प्रकार लागत वृद्धि के गलत परिकलन के परिणामस्वरूप ठेकेदार को मई 1996 से जुलाई 1999 के दौरान निष्पादित किए गए कार्य के लिए 10.09 करोड रु का अधिक भुगतान हुआ ।

जनवरी 2001 में मंत्रालय ने अपने उत्तर में केवल अध्यक्ष, चे.प.न्या की प्रति अग्रेषित की जिसने वृद्धि प्रभारों को निकालते समय वैगन प्रभारों को छोड़ देने की आवश्यकता पर कोई विरोध नहीं किया था परन्तु बताया कि ठेकेदार को भुगतान इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अभियंता की सहमति से किया गया था तथा अनुबंध की शर्तों में वृद्धि प्रभारों को निकालने से पहले वैगन प्रभारों को कम करने का प्रावधान नहीं था तथा इसलिए अधिक भुगतान नहीं हुआ ।

अध्यक्ष का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि अध्यक्ष उस राशि का भुगतान जो देय है के भुगतान के लिये सक्षम अधिकारी है। अभियन्ता एवं अध्यक्ष के खिलाफ गलत भुगतान करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

### चेन्नई गोदी श्रमिक बोर्ड

9.6 श्रमिकों को भुगतान की गई बकाया मजदूरी का नियोक्ताओं से एकत्रण न करने के कारण हात्ति ।

दो योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों को 6.18 करोड़ रु की मजदूरी के बकाया का नियोक्ताओं से एकत्रित करने की बजाए गलत ढंग से बोर्ड की निधियों से बहन किया गया ।

गोदी मजदूर (नियमन तथा रोजगार) अधिनियम के अन्तर्गत चेन्नई गोदी मजदूरों के लिए चार योजनाएं अर्थात् (I) मद्रास गोदी मजदूर (रोजगार नियमन) योजना 1956 (पंजीकृत योजना), (II) मद्रास अपंजीकृत गोदी मजदूर (रोजगार नियमन) योजना 1957 (सूचीबद्ध योजना), (III) मद्रास अपंजीकृत गोदी सामान्य पूल मजदूर रोजगार नियमन 1988 (सामान्य पूल योजना) तथा (IV) मद्रास अपंजीकृत गोदी निकासी एवं अग्रोषण मजदूर (रोजगार नियमन) योजना 1988 (निकासी एवं अग्रोषण) में परिकल्पना की गई थी कि योजना के संचालन की लागत चेन्नई गोदी मजदूर बोर्ड (बोर्ड) के पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा भुगतान से चुकाई जाएगी । योजना के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड को, पंजीकृत नियोक्ताओं से बोर्ड को प्रशासनिक प्रभारों सहित मजदूरों को देय सकल मजदूरी का एकत्रण करना होता है तथा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करना होता है केन्द्र सरकार के किसी अधिनिर्णय अथवा आदेश के अनुसरण में पूर्वव्यापी प्रभाव से मजदूरी अथवा अन्य भत्तों के किसी संशोधन के कारण बोर्ड की निधियों में से मजदूरी के बकायों के भुगतान पर विचार करने के लिए केवल पंजीकृत योजना (धारा 52 क) तथा सूचीबद्ध योजना (धारा 13ड) के बारे में विशेष प्रावधान किये गये थे ।

द्विपक्षीय श्रमवृत्तिका वार्ता समिति की अनुशंसाओं को अंतिम रूप प्राप्त होने तक जनवरी 1998 से गोदी मजदूर बोर्ड के सभी श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत अन्तरिम राहत (अ.रा.) के भुगतान के लिए मंत्रालय ने फरवरी 1999 में आदेश दिये । बोर्ड ने सभी योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरों को अपनी निधियों में से फरवरी 1999 तक बकाया अंतिम राहत का भुगतान किया तथा श्रमिकों को देय अ.रा. के भुगतान का एकत्रण नियोक्ताओं से केवल मार्च 1999 से आरम्भ किया गया । सामान्य पूल योजना तथा निकासी एवं अग्रोषण योजना के मामले में, चूंकि बोर्ड की निधियों से मजदूरी के बकायों को वहन करने का कोई प्रावधान नहीं था, इन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए अन्तरिम राहत के बकायों की वसूली नियोक्ताओं से की जानी चाहिए थी । तथापि, 35.85 लाख रु के बकायों की वसूली करने में बोर्ड विफल

रहा। बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2000) कि अन्तरिम राहत के बकायों को मजदूरी के बकायों के रूप में नहीं लिया जा सकता। उत्तर तर्क संगत प्रतीत नहीं होता था क्योंकि अन्तरिम राहत श्रमिकों को भुगतान योग्य मजदूरी का हिस्सा है तथा क्योंकि मार्च 1999 से नियोक्ताओं से वसूल किये जाने के लिए मजदूरी दरों की गणना करने के लिए बोर्ड ने अं.रा. की राशि को भी शामिल किया था।

मंत्रालय ने यह स्वीकार करते समय कि बोर्ड की निधियों में से मजदूरी के बकायों को वहन करने के लिए दो योजनाओं के अन्तर्गत कोई समर्थक प्रावधान नहीं था, आगे कहा (मई 2000) कि चूंकि नियोक्ताओं की आशंका थी कि सेवा लागत में वृद्धि व्यापार के वृहत्तर हित में नहीं थी इसलिए बोर्ड को अन्य योजनाओं की तरह ही बोर्ड की अतिरिक्त निधियों में से अं.रा. वहन करनी पड़ी।

इसके पश्चात भी अगस्त 2000 में द्विपक्षी श्रमवृत्तिका वार्ता समिति के मजदूरी समायोजन के अनुसरण में उपर्युक्त दो योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरों को जुलाई 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, पहले ही भुगतान किये गए अं.रा. का समायोजन करने के पश्चात बोर्ड की अपनी निधियों में से 5.82 करोड़ रू. के मजदूरी के बकायों का भुगतान किया गया था। बोर्ड ने 11 अगस्त 2000, भारतीय पत्तन संगठन द्वारा सूचित समझौते की तिथि, से ही संशोधित मजदूरी के आधार पर नियोक्ताओं से मजदूरी की वसूली आरम्भ की।

इस प्रकार अनियमित रूप से बोर्ड की अपनी निधि में से वहन किये गए मजदूरी के बकायों को नियोक्ताओं से वसूल करने में विफल रहा। इसके फलस्वरूप बोर्ड को (अन्तरिम राहत बकाया 0.36 करोड़ रू., अन्तरात्मक मजदूरी 5.82 करोड़ रू.) ब्याज की हानि के अतिरिक्त 6.18 करोड़ रू. की हानि हुई।

जनवरी 2001 में मंत्रालय ने उत्तर दिए कि निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत इस संबंध में कोई प्रावधान के बिना या सहित अं.रा. का बकाया के साथ-साथ मजदूरी का भुगतान गोदी मजदूर बोर्ड के अतिरिक्त निधि से किया जाना था। बोर्ड तथा चै.प.न्या. के विलयन के साथ, किसी भी समय चाहने पर, सभी योजनाएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए मंत्रालय ने बताया, बोर्ड निधि में से बकाया राशि के भुगतान के लिए योजनाओं के प्रावधान के लिए कोई संशोधन की मांग नहीं की गई थी। यद्यपि, वास्तविकता यह थी कि नियोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली नहीं की गई जिससे बोर्ड को 6.18 करोड़ रू. की हानि उठानी पड़ी।

**कोचीन पत्तन न्यास**

**9.7 सरकार के दिशानिर्देशों के विपरीत विलंबशुल्क की छूट के रूप में अनुचित वित्तीय सहायता**

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विपरीत कोचीन पत्तन न्यास<sup>1</sup> ने पोत स्वामियों को भुगतान करने में परेषिती की विफलता के कारण रोके गए माल पर लगाए गए 60.43 लाख रु. के विलम्ब शुल्क प्रभारों की छूट अनुमत की।

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 60(2) के अन्तर्गत आयातक द्वारा प्रभारों का भुगतान न करने की स्थिति में पोत स्वामी नौभार पर धारणाधिकार का प्रयोग करते थे। 24 दिसम्बर 1998 को पोतस्वामियों द्वारा अपने धारणाधिकार के उपयोग के कारण, अक्तूबर-दिसम्बर 1998 के दौरान उतारे गए 10,729 टन गेहूँ की मात्रा को.प.न्या. के पारगमन बहिर्गृहों/गोदामों से निकासी नहीं हो सकी। पोतस्वामियों ने प्रधान उप न्यायालय, कोच्ची से परेषिती को को.प.न्या. द्वारा नौभार परिदान पर रोक के लिए व्यादेश प्राप्त कर लिया (4 जनवरी 1999)। तदनंतर न्यायालय से बाहर समझौता होने के कारण न्यायालय का आदेश 21 जनवरी 1999 को उठा लिया गया। पत्तन बहिर्गृहों पर रोके गए माल पर परेषिती द्वारा को.प.न्या. को 1.89 करोड़ रु. का विलम्ब शुल्क भुगतान करने के पश्चात फरवरी 1999 में नौभार उठा लिया।

न्यासी परिषद ने 4 जनवरी से 21 जनवरी 1999 तक की न्यायालय आदेश अवधि से संबंधित 75.53 लाख रु. के विलम्ब शुल्क के 80 प्रतिशत के रूप में 60.43 लाख रु. छोड़ने का निर्णय लिया(सितम्बर 1999)।

विलम्ब प्रभारों में छूट के विषय में भा.स.<sup>2</sup> द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार 80 प्रतिशत विलंब प्रभारों की छूट पर केवल तब विचार किया जा सकता था जब माल रोकने का कारण आयातक/परेषिती के दोषों पर आरोपित न हुआ होता। आयातक दोषी था क्योंकि पोतस्वामियों द्वारा परेषिती से भुगतान न किए गए प्रभारों तथा अवरोधन विलम्ब प्रभारों की वसूली के लिए धारणाधिकार का उपयोग करने के कारण को.प.न्या. को नौभार रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 60(2) के अन्तर्गत जारी किया गया धारणाधिकार वैध रूप से प्रवर्तनीय था और को.प.न्या. इसका अनुपालन करने तथा लदान बिलों के धारकों (अर्थात परेषिती) के दायित्व एवं खर्च पर नौभार रोकने के लिए बाध्य था। इसके अतिरिक्त पोतस्वामियों के

<sup>1</sup> कोचीन पत्तन न्यास

<sup>2</sup> भारत सरकार

दावों को निपटाने में आयातक की भूल/विफलता के कारण न्यायालय का व्यादेश हुआ। इसलिए पत्तन परिसर में पड़े हुए माल की निकासी न करने के लिए एकमात्र उत्तरदायी परेषिती ही था अतः 60.43 लाख रू. के विलंब प्रभारों की छूट भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी, जिसके फलस्वरूप को.प.न्या. को 60.43 लाख रू. की हानि हुई।

मंत्रालय ने तर्क दिया (सितम्बर 2000) कि परेषिती को भारी पोतस्वामियों, पोत किराएदारों के मध्य विवाद से नोभार की निकासी में हुए विलम्ब के लिए भारी विलंब शुल्क भुगतान के कारण परेषिती को अनावश्यक कठिनाई हुई तथा छूट केवल न्यायालय व्यायादेश अवधि तक ही मान्य थी। चूंकि यह विवाद मुख्य रूप से पोतस्वामियों को पोत किराएदारों/परेषिती द्वारा भुगतानयोग्य राशियों का निपटान न करने के कारण उत्पन्न हुआ था तथा को.प.न्या. द्वारा उद्ग्रहीत विलंब शुल्क पोतस्वामियों द्वारा 24 दिसम्बर 1998 का उपयोग किए गए धारणाधिकार का सीधा परिणाम था। संग्रहित पत्तन विलंब शुल्क में परेषिती की छूट की मांग से सहमत होना बहुत कम न्यायोचित था। यह तथ्य कि परेषिती याचिका में प्रथम प्रतिवादी के रूप में आरोपी था तथा पोतस्वामी (याचिकाकर्ता) ने परेषिती से समस्त दातव्यों की प्राप्ति के लिए दावा किया, इस बात का स्पष्ट संकेत था कि परेषिती ही विलंब/हानि के लिए उत्तरदायी था। चूंकि पत्तन संचालन कार्य पारगमन बहिर्गृहों में माल के अवरोधन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ, अतः एकत्रित किए गए राजस्व में छूट देना पत्तन के आर्थिक हित में नहीं थी।

#### 9.8 संशोधित विद्युत शुल्क को विलम्ब से लागू करने के कारण राजस्व की हानि।

कोचीन पत्तन न्यास द्वारा विद्युत शुल्क के विलम्ब से संशोधन के फलस्वरूप उपभोक्ताओं से पूर्व संशोधित दरों पर विद्युत प्रभारों की कम उगाही तथा 29.10 लाख रू के राजस्व की अनुवर्ती हानि।

कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) द्वारा संशोधित विद्युत शुल्क दरों को विलम्ब से लागू करने और पूर्वनिश्चित राजस्व (39.98 लाख रू.) के सम्बन्ध में 1999 की प्रतिवेदन संख्या 4 के पैरा 11.9 में उल्लेख किया गया था। यद्यपि को.प.न्या. ने स्वीकार किया कि संशोधित शुल्क को विलम्ब से लागू किए जाने का कारण क्रियाविधि सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करने में विलंब था, मंत्रालय ने कार्यवाही टिप्पणी (जुलाई 2000) में तर्क दिया कि उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाले सुखद राजस्व को दृष्टि में रखते हुए संशोधन को शीघ्र लागू नहीं किया गया। लेखा परीक्षा की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि विलंब नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नवीनतम विद्युत शुल्क संशोधन के दौरान भी बना रहा।

के.रा.वि.बो.<sup>1</sup> ने 15 मई 1999 से उच्च दाब (उ.दा.) और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क के संशोधन को 14 मई 1999 को केरल राजपत्र में अधिसूचित किया। को.प.न्या. पत्तन परिसर में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए के.रा.वि.बो. का अनुज्ञापिधारी है और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत, को.प.न्या. को दरों में संशोधन करने के अपने निश्चय की कम से कम 60 सुस्पष्ट दिनों की अधिसूचना देनी चाहिए। ऐसी अनिवार्य अधिसूचना केवल 23 अगस्त, 1999 को जारी की गई और संशोधित दरें पहली नवम्बर 1999 से लागू की गई। पर्याप्त अवधि में अर्थात् तीन महीनों के भीतर समस्त अपेक्षित क्रियाविधि संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने तथा अपने उपभोक्ताओं को बिजली बेचने के लिए नई शुल्क दरें लागू करने में को.प.न्या. की आवर्ती असफलताओं के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1999 से 31 अक्टूबर 1999 की अवधि में 29.10 लाख रूपए के सम्भावित राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय ने अगस्त 2000 में कहा कि जब कभी भी के.रा.वि.बो. ने विद्युत शुल्क में संशोधन किया, को.प.न्या. ने कुछ महीनों के बाद ही उसका पालन किया तथा बताया कि ऐसे शुल्क संशोधनों को उच्च प्राथमिकता देने के लिए पत्तन न्यायालयों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

विद्युत शुल्क के आवधिक संशोधनों को लागू करने में आवर्ती विलम्ब को दृष्टि में रखते हुए को.प.न्या. को अपनी आन्तरिक क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाना चाहिए और पर्याप्त राजस्व की हानि को रोकने के लिए अपने प्रशासनिक संगठन को तेज करना चाहिए। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यायालय

#### 9.9 धूल नियंत्रण प्रणाली पर निष्फल व्यय

ठेकेदार से दोषपूर्ण प्रणाली का प्रतिग्रहण और प्रभावकारी अनुवर्ती कार्यवाही करने में असफलता के परिणामस्वरूप 5.25 करोड़ रु का निष्फल व्यय।

ज.ने.प.न्या.<sup>1</sup> ने नौभार की व्यवस्था के समय प्रचालन से निकलने वाली धूल को कम करने के उद्देश्य से अपने ठेकेदार में कोचनर रैक्सोन हुन्दई कन्सोर्टियम, कोरिया के माध्यम से मार्च, 1990 में 5.25 करोड़ रु (विदेशी मुद्रा के तत्व को शामिल करके) की लागत से धूल नियंत्रण प्रणाली प्राप्त की और उसे प्रतिष्ठापित किया। प्रणाली का

<sup>1</sup> केरल राज्य विद्युत बोर्ड  
<sup>2</sup> जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यायालय

अभिप्राय प्रदूषण को नियंत्रण में रखना भी था और श्रमबल को प्रदूषण रहित वातावरण प्रदान करना था ।

ठेके की शर्तों में परिकल्पना की गई थी कि ठेकेदार (i) कार्य पूर्ण रूपेण करे अभियन्ताओं की सन्तुष्टि हेतु पूर्व परीक्षण पूरा कर और पत्तन को यह सुविधा परिचालन अवस्था में प्रदान करे और (ii) दो वर्षों तक पत्तन को अतिरिक्त पुर्जा की निःशुल्क आपूर्ति करे ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि यद्यपि धूल नियंत्रण प्रणाली मार्च, 1990 में प्रतिष्ठापित की गई थी परन्तु चालू होने तक इसका सन्तोषजनक उपयोग नहीं किया जा सका । इसके मुख्य कारण थे कम्प्रेसर की असफलता, तापकों द्वारा कार्य न किया जाना, रूपरेखा में अनुपयुक्तता के कारण धूल संग्रहण प्रणाली द्वारा कार्य न किया जाना और अनुचित रख रखावा। इस प्रकार पत्तन ने ठेकेदार से ऐसी प्रणाली को स्वीकार किया जो अच्छी प्रचालन अवस्था में नहीं थी । पत्तन के ठेकेदार द्वारा प्रणाली की मरम्मत कराने के प्रयास किए परन्तु ठेकेदार द्वारा निम्नकोटि की मरम्मत के कारण इसके वांछित परिणाम नहीं निकले । पत्तन ने जून 1992 में मामले की जांच करने के लिए तकनीकी लेखा परीक्षा परामर्शदाताओं की नियुक्ति की, परामर्शदाताओं ने राय दी कि धूल नियंत्रण प्रणाली की अनुपयुक्त रूपरेखा और अनुचित रख रखाव के कारण इसका निष्पादन नहीं हुआ । उन्होंने प्रणाली के कुछ भागों को अनुपयुक्त मानने की सिफारिश की । अक्टूबर 1998 तक आगे की कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

नवम्बर 1998 में पत्तन ने वर्तमान प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने का निर्णय लिया । प्रत्युत्तर के अभाव में मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था । मार्च 1999 में पत्तन ने 1.09 लाख रू की लागत से धूल नियंत्रण प्रणाली के एक भाग को गिरा दिया ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर पत्तन ने उत्तर दिया कि विभिन्न त्रुटियों के कारण प्रणाली सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही थी और बुरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण प्रणाली के एक छोटे हिस्से को गिराना पड़ा ।

तथापि तथ्य यह है कि प्रचालन अवस्था में प्रणाली को सौंपने के संविदात्मक अनुबन्ध पत्र की बाध्यता का ठेकेदार द्वारा पालन न किए जाने के बावजूद पत्तन ने एक ऐसी प्रणाली प्राप्त की जो आरम्भ से ही दोषपूर्ण थी और तत्पश्चात पत्तन द्वारा समुचित अनुवर्ती कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप 5.25 करोड़ रू का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि प्रणाली को चालू नहीं किया जा सका ।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा गया था फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

### 9.10 पूंजी का अवरोधन और मरम्मत तथा विद्युतीकरण पर अधिक व्यय

जरूरत से ज्यादा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के कारण 2.73 करोड़ रु. का पूंजी का अवरोधन और 1.52 करोड़ रु. की मरम्मत तथा विद्युतीकरण पर अधिक व्यय।

ज.ने.प.न्या. ने रेल लाइन और अन्य दूसरी सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिक कार्य आदि, आधारिक संरचना सुविधाओं को बनाने के लिए 1983 से 1992 तक, दस वर्षों की अवधि में रेलवे के पास 64.61 करोड़ रु. जमा कराये। सिविल अभियांत्रिक कार्य में ज.ने.प.न्या. के लिए काम करने वाले रेलवे के प्रचालन तथा रख रखाव स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण शामिल था।

यद्यपि रेलवे ने 1982 में आरम्भ में 1512 आवासीय क्वार्टरों के लिए काल्पनिक अनुमान प्रस्तुत किए जिसको विचार-विमर्श के दौरान 1982 में संशोधित कर 762 किया और ज.ने.प.न्या. द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। अंत में कुल 514 मकान, जिसमें 336-टाईप-I, 132, टाईप-II, 40 टाईप-III और 6 टाईप-IV क्वार्टर, 4.15 करोड़ रु. की लागत से पनवल, जसाई तथा फुंदे में ऊपर उल्लेखित उद्देश्य के लिए बनाये गए।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि रेलवे ने 1990 तक 514 क्वार्टर्स निर्माण का कार्य पूरा कर लिया था, जो 2.73 करोड़ रु. की लागत से बने विभिन्न वर्ग के उनमें से 372 आवासीय क्वार्टर्स फूदें तथा जसाई में खाली पड़े हैं। ज.ने.प.न्या. ने इन 72.37 प्रतिशत मकानों के खाली पड़े रहने के कारणों को नहीं बताया। नवम्बर 1995 से ज.ने.प.न्या. ने बंदरगाह स्टाफ व उपभोक्ता के इस्तेमाल करने के लिए इन क्वार्टर्स को लेने के लिए मामले को रेल मंत्रालय में भेजने का प्रयास किए। सितम्बर 1998 में रेल ने फुंदे के मकान ज.ने.प.न्या. को दे दिये। इन मकानों को बड़े सिविल मरम्मत कार्य की जरूरत थी। यद्यपि मौलिक समझौता के अनुसार आंतरिक/बाहरी विद्युतीकरण तथा रख-रखाव का कार्य रेलवे को करना था, मकान आठ वर्षों बाद किसी विद्युतीकरण तथा रख-रखाव कार्य किए बिना दे दिये थे। बंदरगाह को विद्युतीकरण तथा सिविल निर्माण कार्य के लिए 1.52 करोड़ रु. का खर्च करना पड़ा।

अतः ज.ने.प.न्या. द्वारा किये गये अवास्तविक अनुमान के कारण जरूरत से ज्यादा बने 372 आवासीय मकान खाली पड़े रहे जिसके कारण 2.73 करोड़ रु. की पूंजी 10 वर्षों तक अवरुद्ध पड़ी रही। ज.ने.प.न्या. द्वारा 762 आवासीय मकानों के अनुमान की स्वीकृति देना, वास्तविक जरूरतों का विस्तृत विचार न करना दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जल्दी से कार्य न करने तथा रेलवे से कार्य को करवाने में असफलता के



कारण, पत्तन को विद्युतीकरण तथा मरम्मत कार्य पर 1.52 करोड़ रु. का अधिक व्यय करना पड़ा।

मामला सितम्बर 2000 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

**9.11 दो 'गतिशील तोलपटलों' पर निष्फल व्यय**

**प्रणाली को पूर्ण चालन अवस्था में स्वीकार करने में विफलता के परिणामस्वरूप 69.35 लाख रु. का निष्फल व्यय।**

ज.न.प.न्या. ने मार्च 1990 में 69.35 लाख रु. की लागत पर दो गतिशील तोल पटलों को प्राप्त कर प्रतिष्ठापित किया। ठेकेदार से की गई संविदा की शर्तों के अनुसार यह कार्य पूर्ण प्रचालन अवस्था में पत्तन को सौंपना था।

गतिशील तोलपटलों का ज.न.प.न्या. पर लादने के लिए आगता का निर्गामी रेक्स को तौलने के लिए उपयोग किया जाना था। सही तौल करने के लिए, रेक्स को 5 कि.मी./8 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चलना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में की गई संवीक्षा से पता चला यद्यपि यह प्रणाली पूर्ण चालन अवस्था में नहीं थी तो भी पत्तन को 1990 में सौंप दी गई थी। यह प्रणाली विडियों अनुश्रवण प्रणाली का कार्य न करना, स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में दोष तथा रेलवे द्वारा अपेक्षित गति का अनुक्षण न करना इत्यादि जैसी कमियों के कारण उपयोग में नहीं लाई जा सकी। दिसम्बर 1990 से मार्च 1992 के दौरान ज.न.प.न्या. ने क्रमशः ठेकेदारों और रेलवे से पत्राचार कर के दोषों को सुधारने का प्रयत्न किया जिससे कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं निकला। तथापि अप्रैल 1992 से मई 1997 के अभिलेखों में दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि ज.न.प.न्या. ने आगे कोई कार्यवाही की है।

जून 1997 में, मामले की जांच के लिए पत्तन ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने तोलपटलों को रद्दी माल के रूप में निपटाने की अनुशंसा की। पत्तन ने जून 2000 तक कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार संविदा के नियम व शर्तों के विपरीत तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण उपकरण को स्वीकार करने के कारण 69.35 लाख रु. का समस्त व्यय निष्फल हो गया।

पत्तन ने बताया कि डिजाइन में कमियों, तकनीकी प्रतिबंध तथा वांछित गति को बनाए रखने में रेलवे की विफलता के कारण आरम्भ से ही गतिशील तोल पटल अप्रयुक्त रहे।

2001 की रिपोर्ट सं.4 (सिविल)

पत्तन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन त्रुटियों को प्रणाली को लेने से पहले तथा प्रणाली को प्रचालन अवस्था में रखे जाने को सुनिश्चित करने तथा ठेकेदार को भुगतान करने से पहले दूर करवाया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

### मुम्बई पत्तन न्यास

#### 9.12 प्रांगण में रोधक प्रखण्डों की चोरी के कारण परिहार्य हानि

मुम्बई पत्तन न्यास प्रांगण से रोधक प्रखण्डों की चोरी के परिणामस्वरूप रेलवे को 1.36 करोड़ रु की परिहार्य अदायगी ।

भारतीय रेलवे तथा मु.प.न्या. के बीच एक अनुबंध के अनुसार पत्तन तथा रेलवे के बीच वैगनों का नियमित आदान प्रदान होता है। इसके अनुसार, पत्तन के साथ विनिमय किए गए वैगनों की जांच तथा प्रतिपूर्ति रेलवे द्वारा दोनों समय, वैगन सौंपते समय तथा लेते समय रेलवे द्वारा की जाएगी जिसके लिए पत्तन रेलवे को उसके लिए की गई वैगनों की मरम्मत की पूरी लागत का भुगतान करेगा। इस अनुबन्ध के अनुसार "प्रतिपूर्ति की लागत" में मु.प.न्या. रेलवे क्षेत्र में चोरी, विषय पार्श्वथथन तथा दुर्घटना को मिलाकर कमियों तथा क्षतियों की प्रतिपूर्ति करना शामिल था।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मु.प.न्या. रेलवे प्रांगण में रोधक प्रखण्डों की चोरी होना एक नियमित घटना थी। मु.प.न्या. ने वर्षों से घटित रोधक प्रखण्डों की चोरी के निवारण के लिये समुचित पूर्वाधारी कार्यवाही नहीं की। अप्रैल 1998 से मार्च 2000 की अवधि में मु.प.न्या. प्रांगण से 1.36 करोड़ रु मूल्य के 66,492 रोधक प्रखण्डों की चोरी की गई थी। अनुबन्ध के अनुसार इस हानि की पूर्ति के लिए पत्तन को रेलवे को इस राशि का भुगतान करना पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान दिलाए जाने पर मु.प.न्या. ने उत्तर दिया कि अप्राप्य रोधक प्रखण्ड तथा उनका मूल्य मध्य रेलवे से संबंधित है न कि मु.प.न्या. रेलवे से।

पत्तन द्वारा अप्रैल 1988 से मार्च 1999 की अवधि में चुराए गए रोधक प्रखण्डों की लागत सहित लंबित वैगन मरम्मत प्रभारों के प्रति मध्य रेलवे को 3.22 करोड़ रु की राशि का भुगतान किया गया था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा गया उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

### 9.13 समझौते के अनिष्पादन के कारण राजस्व की हानि

समझौते के अनिष्पादन के कारण बाह्य स्वामी प्रतिनिधि एवं पोत प्रबन्धक संघ, समुद्री संस्थान एवं अनुसंधान संगठन से किराये तथा शुल्कों हिस्से की अवसूला होने से मुम्बई पत्तन न्यास को 6.08 करोड़ रु के राजस्व की हानि हुई।

मु.प.न्या. ने बा.स्वा.प्र.पो.प्र.सं.<sup>1</sup> के साथ जनवरी 1992 में एक अनुबंध किया तथा समुद्री यात्री प्रशिक्षण (समुद्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) के लिए फौ.स.सं.अ.सं.<sup>2</sup> नामक एक संस्थान की स्थापना की। मु.प.न्या. द्वारा मुख्य लाभ विदेश जाने वाले जलयानों में कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार देने के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा देना तथा पत्तन न्यास कर्मचारियों के कौशल को उन्नत करना था।

संस्थान, मु.प.न्या. तथा बा.स्वा.प्र.पो.प्र.सं. द्वारा सयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाना था। प्रबन्ध के अनुसार आधारभूत अवसंरचना (परिसर-1000 वर्ग मीटर, उपकरण तथा 3 कर्मचारी) मु.प.न्या. द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी तथा बा.स्वा.प्र.पो.प्र.सं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। प्रत्येक समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण टोली में नामांकित प्रत्याशियों में से पचास प्रतिशत मु.प.न्या. के प्रत्याशी होने अपेक्षित थे। सभी मु.प.न्या. के प्रशिक्षित प्रत्याशियों को बा.स्वा.प्र.पो.प्र.सं. द्वारा रोजगार दिया जाना था तथा वस्तुतः मु.प.न्या. के प्रत्याशियों के प्रशिक्षण की लागत का 75 प्रतिशत नियोक्ता कम्पनी द्वारा वहन किया जाना था तथा 25 प्रतिशत मु.प.न्या. द्वारा प्रदत्त ऋण के रूप में प्रत्याशियों द्वारा वहन किया जाना था। समुद्र पूर्व प्रशिक्षण के अतिरिक्त फौ.स.सं.अ.सं. समुद्र पश्च तथा अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला सकता था तथा ऐसे मामलों में एकत्रित किये गए शुल्क का 50 प्रतिशत मु.प.न्या. को दिया जाना था।

उपर्युक्त आधार पर समुद्र पूर्व प्रशिक्षण की पहली टोली मार्च 1992 में आरम्भ हुई तथा अब तक कुल मिलाकर 673 प्रत्याशियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, इनमें से 198 प्रत्याशी मु.प.न्या. से सम्बंधित थे। प्रशिक्षित किये गए 198 प्रत्याशियों में से केवल 104 को रोजगार दिया जा सका।

नवम्बर 1999 में लेखपरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मु.प.न्या. ने नव नौका घाट पर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध करवाया था। चूंकि किसी प्रकार का अनुबन्ध नहीं था, उनके बीच कोई वैध दस्तावेज तथा उनके बीच हस्ताक्षरित कोई सहमति नियमावली भी उपलब्ध नहीं थी, फौ.स.सं.अ.सं. द्वारा मार्च 1992 से मार्च 1999 तक किराये का भुगतान नहीं किया गया था। 600 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की मितव्ययी दर के

<sup>1</sup> बाह्य स्वामी प्रतिनिधि एवं पोत प्रबंधक संघ

<sup>2</sup> फौसमा समुद्रीय संस्थान एवं अनुसंधान संगठन

आधार पर मार्च 1999 तक संगणित की गई राजस्व की हानि 5.10 करोड़ रु. थी। इसके अतिरिक्त मु.प.न्या. द्वारा 5.75 लाख रु. मूल्य के चल उपकरण उपलब्ध करवाये गये थे। संस्थान में स्थापित किये गए उपकरण, जैसे वातानुकूलक, टी.वी., विडियो टूल इत्यादि के संबंध में 7000 रु. प्रतिमाह तथा संस्थान में तैनात मु.प.न्या. के 3 कर्मचारियों के लिए 17000 रु. प्रतिमाह तक वेतन पर व्यय था। मार्च 1999 तक यह 20.40 लाख रु. संगणित किया गया। इस प्रकार मार्च 1999 तक कुल हानि 5.36 करोड़ रु. थी।

इसके अतिरिक्त समझौते के अनुसार सिविल/विद्युत सेवार्यें भी 1992 से अब तक मु.प.न्या. द्वारा वहन की जा रही थी। इस सम्बन्ध में किया गया व्यय मु.प.न्या. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त जुलाई 1999 तक समुद्र पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 11,230 प्रत्याशी प्रशिक्षित किये गये थे तथा संस्थान द्वारा 2.59 करोड़ रु. का शुल्क एकत्रित किया गया था। यद्यपि मु.प.न्या. ने उनके कुल संग्रहण के 50 प्रतिशत की मांग की थी, संस्थान ने केवल 57.96 लाख रु. का भुगतान किया था।

ड्राफ्ट पैरा के उत्तर में मंत्रालय ने नवम्बर 2000 में बताया कि अप्रैल 1994 तक बा.स्वा.प्र.पो.प्र.सं. द्वारा मु.प.न्या. कर्मचारियों के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया गया था तथा इस प्रकार संस्थान को दिये गए परिसर के लिए किराये की वसूली अथवा शुल्क की भागीदारी की परिकल्पना नहीं की गई। केवल अप्रैल 1994 से ही जब बा.स्वा.प्र.पो.प्र.सं. द्वारा समुद्र पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया था, एकत्रित किये गए शुल्क के 50 प्रतिशत के भुगतान की मांग की गई थी। शुल्क के 50 प्रतिशत के भुगतान के लिए बैठकों की श्रृंखला आयोजित की गई थी परन्तु उन्हें मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। संस्थान चलाने में वित्तीय बहिर्गम की जांच के पश्चात यह विचार बना कि 50 प्रतिशत की भागीदारी करना बा.स्वा.प्र.पो.प्र.सं. के लिए सम्भव नहीं होगा तथा तदनुसार अंतिम भुगतान के रूप में 25 प्रतिशत स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने अप्रैल 1999 से 600 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर पर किराया प्रभारित करने की सहमति भी दी थी।

उपर्युक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपना परिसर, उपकरण किराये पर देते समय तथा आरम्भिक चरण में अपने कर्मचारी उधार देते समय औपचारिक अनुबन्ध के अभाव में मु.प.न्या. को 6.08 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

### 9.14 विलम्ब शुल्क प्रभारों का संशोधन न किए जाने के कारण राजस्व की हानि

1.10.92 से विलम्ब शुल्क प्रभारों में संशोधन न किए जाने के फलस्वरूप 32.49 लाख रु. का परिहार्य भुगतान हुआ और 3.53 करोड़ रु. की हानि भी हुई।

मु.प.न्या. मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे से किराए पर लिए गए वैगनों पर जनता से वसूल किए गए विलम्ब शुल्क प्रभार मु.प.न्या. रेलवे को क्रेडिट किए जाएंगे। यदि किसी एक महीने में इस प्रकार से वसूल की गई राशि मध्य रेलवे को अदा किए जाने वाले किराए की राशि से अधिक हो जाती है तो ऐसे आधिक्य को मध्य रेलवे को क्रेडिट किया जाएगा। किसी एक माह विशेष में वसूल किए गए विलम्ब शुल्क प्रभारों के किराया प्रभारों से कम होने की दशा में मु.प.न्या. द्वारा अपने आन्तरिक राजस्व से रेलवे को अंतरीय राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने अप्रैल 1991 से किराया प्रभारों और अक्टूबर 1992 से विलम्ब शुल्क प्रभारों में संशोधन किया। 15.10.1992 से विलम्ब-शुल्क प्रभारों के संशोधन के आदेश की प्रति रेल मंत्रालय के सितम्बर, 1992 के पत्र द्वारा समस्त पत्तन न्यास रेलवे को अग्रेषित की गई थी। तथापि मु.प.न्या. ने संशोधन को जनवरी 1998 से ही लागू किया अर्थात् पांच वर्ष और ढाई महीनों के पश्चात् 1 अक्टूबर, 1992 से जनवरी, 1998 तक विलम्ब-शुल्क प्रभारों में संशोधन न किए जाने के कारण मु.प.न्या. द्वारा विलम्ब-शुल्क की वसूली आठ महीनों के लिए किराया प्रभारों की अपेक्षा बहुत कम थी। तदनुसार रेलवे ने मु.प.न्या. पर अन्तरीय शुल्क के रूप में रेलवे को देय 32.49 लाख रु. का दावा किया।

इस प्रकार मु.प.न्या. द्वारा शुल्क प्रभारों के संशोधन में पांच वर्ष से अधिक विलम्ब के फलस्वरूप सरकार को 3.53 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई तथा रेलवे द्वारा मु.प.न्या. पर 32.49 लाख रु. का परिहार्य दावा किया गया।

मामला मंत्रालय को जून 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

**9.15 मंत्रालय के आदेशों का पालन न करने के कारण राजस्व की हानि**

भारत सरकार द्वारा मार्च 1995 में जारी घाट किराया प्रभार की संशोधित दर न लगाने के परिणामस्वरूप 63.66 लाख रु. की हानि।

भू.प.मं. (पत्तन शाखा) ने घाट आरक्षण योजना के अन्तर्गत किसी जलयान को लंगर डालने के लिए एक दिन अथवा जलयान के वास्तविक ठहराव के लिए पच्चीस प्रतिशत जो भी अधिक हो, घाट किराया प्रभार लगाने के लिए जून 1992 में सभी मुख्य पत्तन न्यासों को सामान्य दिशानिर्देश जारी किये। इसे मार्च 1995 में मंत्रालय द्वारा पुनः संशोधित किया गया था जिसमें शुल्क की दर पचास प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी।

अग्रिम घाट आरक्षण योजना के अंतर्गत इंदिरा गोदी में जून 1995 से अप्रैल 1999 के दौरान पांच टेलियों को पांच घाट विविध अवधियों के लिए आबंटित किये गये थे।

1999 में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उपर्युक्त मामले में निविदा शर्तें तैयार करते समय पत्तन ने मार्च 1995 में मंत्रालय द्वारा जारी घाट किराया प्रभारों की संशोधित दर को शामिल नहीं किया तथा 25 प्रतिशत की दर पर पूर्व संशोधित घाट आरक्षण शुल्क प्रभारित करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप 26.6.1995 से 30.4.1999 की अवधि के लिए 63.66 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय ने उत्तर (अक्टूबर 2000) में गलती स्वीकार की तथा बताया कि मंत्रालय का दिनांक 8.3.95 का पत्र पत्तन को प्राप्त नहीं हुआ था तथा इसलिए संशोधित दर को लागू नहीं किया जा सका।

तथ्य इस प्रकार रहा कि न्यास ने संशोधित घाट आरक्षण प्रभारों के लागू न करने के कारण 63.66 लाख रु. की हानि उठाई।

**9.16 बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि**

पत्तन द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 23.42 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।

मु.प.न्या. ने अधिसूचित किया कि एक फरवरी 1988 से पोत के स्वामी/अभिकर्ता और अन्य उपभोक्ता जो पीरपाऊ और बूचर द्वीप गोदी में पोत की सफाई आदि के लिए अथवा लंगर स्थल के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें पोत सम्बन्धित प्रभार 5 दिन पूर्व जमा कराने पड़ेगे।

मु.प.न्या. ने एक जनवरी 1992 से पत्तन न्यास की विलम्बित देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करना भी आरंभ किया जहां इस बात का विशेष रूप से उल्लेख

किया गया था कि पत्तन सम्बन्धित प्रभारों के सम्बन्ध में ब्याज प्रभारित करने का समय सीमा बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिन होगा ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि फरवरी 1997 और नवम्बर 1999 के बीच पत्तन पर आए, 1140 पोतों में से 67 पोतों के स्वामियों/अभिकर्ताओं ने न तो समस्त पत्तन देय राशि का भुगतान पहले से किया और न ही पत्तन ने पोतों के आगमन पर तुरन्त बिल प्रस्तुत किए। देय राशि के भुगतान में पोत के प्रस्थान की तिथि से एक महीने से तीन साल तक का विलम्ब था। क्योंकि स्वामियों ने पत्तन को देय राशि का भुगतान पहले से नहीं किया था, पत्तन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि वह पोतों के आगमन के तुरन्त बाद बिल प्रस्तुत करता। इसके स्थान पर पत्तन ने पोत के स्वामियों/अभिकर्ताओं द्वारा पत्तन को देय राशि का भुगतान करने के पश्चात ही बिल प्रस्तुत किए। परिणामतः फरवरी 1997 से नवम्बर 1999 की अवधि में 67 पोतों पर 23.42 लाख रूपए का कुल शास्ति ब्याज लगने से रह गया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बतलाए जाने पर पत्तन ने अप्रैल 2000 में कहा कि तेल समन्वय समिति द्वारा संचालित तेल पा-1 के बारे में प्रक्रिया का अनुसरण करना कठिन था और यह भी बताया कि ब्याज, बिल प्रस्तुत करने की तिथि से उद्ग्राह्य होता है न कि पोतों की सफाई करने की तिथि से।

पत्तन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पत्तन पोतों के रूके रहने के दौरान अथवा पोतों के पत्तन से जलयात्रा के लिए रवाना होने के तुरन्त बाद बिल प्रस्तुत करने में असफल रहा। जबकि स्वामियों द्वारा पत्तन को देय राशि पेशगी में देने का प्रावधान था, पत्तन को पोतों के रूके रहने की अवधि के दौरान देय राशि को वसूल करने का ध्यान रखना चाहिए था। यदि पत्तन देय राशि को वसूल करने के लिए पहले से ही पर्याप्त ध्यान रखता या सफाई आदि करने की तिथि के तुरन्त बाद बिल प्रस्तुत कर देता तो ब्याज के रूप में 23.42 लाख रू. के राजस्व की हानि से बचा जा सकता था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

**नया मंगलौर पत्तन न्यास**

**9.17 वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान**

नया मंगलौर पत्तन न्यास मंगलौर ने भारतीय निकर्षण निगम को स्थाई मानदण्डों तथा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के विपरीत 1.34 करोड़ रु. के वृद्धि प्रभारों का भुगतान किया।

न.मं.प.न्या.<sup>1</sup> ने भा.नि.नि. को नांमाकन के आधार पर पहली अक्टूबर 1997 से छः माह के भीतर कार्य पूरा करने के अनुबन्ध के साथ वर्ष 1997-98 का अनुरक्षण निकर्षण कार्य सौंपा (सितम्बर 1997)। कार्य 25 अक्टूबर 1997 से आरम्भ हुआ तथा 21.84 करोड़ रु. की लागत पर मार्च 1998 में पूरा हुआ था। यद्यपि कार्य पूरा करने की अनुबंधित अवधि छः माह थी, कार्य वास्तव में पांच माह में पूरा किया गया था।

न.मं.प.न्या. की लेखा नियमपुस्तिका तथा फरवरी 1996 में भू.प.मं. द्वारा जारी दिशानिर्देश एक वर्ष के भीतर सम्पन्न न हुये कार्य के लिए वृद्धि धारा की व्यवस्था करते हैं। परन्तु भा.नि.नि. के साथ हुए अनुबन्ध में छः माह की समापन अवधि के लिए वृद्धि धारा जोड़ी गई थी। भा.नि.नि. ने जुलाई 1998 से मई 1999 के दौरान सामग्री (17.55 लाख रु.), श्रम (27.17 लाख रु.), ईंधन (88.84 लाख रु.) के लिए 1.34 करोड़ रु. के वृद्धि प्रभारों का दावा किया तथा पत्तन द्वारा भुगतान किया गया। अनुबन्ध करते समय मानदण्डों, नियमावली प्रावधानों तथा दिशा निर्देशों का अनुसरण करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 1.34 करोड़ रु. के वृद्धि प्रभारों का भुगतान हुआ।

न.मं.प.न्या. ने बताया (अप्रैल 1999) कि वृद्धि धारा भा.नि.नि. के आग्रह पर इस कारण शामिल की गई थी कि इसने पहली अप्रैल 1997 की नियत दरें उद्धृत की थी तथा उस तिथि से आगे वृद्धि घटकों को मूल दर में जोड़ा नहीं गया था। वृद्धि धारा पर के.लो.नि.वि. तथा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत सामान्य शर्तें इस कार्य पर लागू नहीं थी। न.मं.प.न्या. के उत्तर को मंत्रालय ने फरवरी 2000 में पृष्ठांकित किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भा.नि.नि. किराया अपने प्रभार वर्ष में एक बार नियत करता था, यह अन्तर्निहित था कि पूरे वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखा गया है तथा इस प्रकार पहली अप्रैल 1997 को निर्धारित दरें वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए लागू थी। इसके अतिरिक्त वृद्धि धारा शामिल करने का आधार, मानदण्डों, नियमावली प्रावधानों तथा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार इस बात पर ध्यान दिये बिना कि

<sup>1</sup> नया मंगलौर पत्तन न्यास



कार्य प्रतियोगी बोली अथवा आपसी मोल भाव पर सौंपा गया था, कार्य पूरा करने के लिए अनुबंधित समय था।

इसी प्रकार का पैरा वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया था। मंत्रालय ने का. टि. में बताया कि भा.नि.नि. ने स्पष्ट किया था कि वे निकर्षणों के लिए किराया प्रभार साधारणतया ईंधन, सामग्री तथा मजदूरी इत्यादि के मूल्यों को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को संगणित करते थे। मूल्य वृद्धि के कारण उस तिथि के पश्चात कोई भी भुगतान की क्षतिपूर्ति की जाती है तथा भा.नि.नि. ने अनुबन्ध में वृद्धि धारा शामिल करने के लिए जोर जाला इसलिए पत्तन द्वारा भुगतान किये गए वास्तविक प्रभार स्पष्ट रूप से पत्तन को लाभदायक थे तथा अतिरिक्त भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता।

आगे यह बताया गया कि भू.प.मं. द्वारा अनुबंधित दिशानिर्देश केवल उन कार्यों पर लागू थे जो प्रतियोगी बोली के पश्चात सौंपे गये थे तथा साधारणतया वृद्धि के नियमन हेतु निविदा की तिथि को मूल तिथि माना गया था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भविष्य के दिशानिर्देश हेतु स्वीकार करते हुये मंत्रालय ने यह भी बताया कि यदि वृद्धि धारा को अनुबन्ध से निकाल दिया जाए तो वृद्धि जोखिम को आवृत्त करने के लिए भा.नि.नि. उच्चतर दरे उद्धृत करेगा जो कि पत्तन को लाभकारी नहीं होगी। तथापि वर्ष 1998-99 के लिए निकर्षण अनुक्षण के लिए पत्तन ने भा.नि.नि. के साथ अनुबन्ध में वृद्धि धारा से मजदूरी तथा सामग्री को हटा लिया है।

#### टूटीकोरिन पत्तन न्यास

#### 9.18 घाट शुल्क वास्तव्यों के विलम्बित भुगतान के लिए शास्ति प्रभारों का गैर-संग्रहण

पत्तन न्यास द्वारा घाट शुल्क के विलम्बित भुगतान के लिए शास्ति प्रभार उपयुक्त रूप से नहीं लगाए गए तथा एकत्रित नहीं किये गए, एक फर्म के सम्बन्ध में दातव्यों को आंशिक रूप में जमा करवाना अन्यायोचित था, गैर-संग्रहण 1.89 करोड़ रु. की राशि का था।

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 58 के अनुसार उतारी जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में दरे वस्तुओं के उतारने पर तत्काल भुगतान योग्य होगी तथा बोर्ड के परिसर से उठाई जाने वाली वस्तुओं अथवा निर्यात हेतु जहाज पर चढ़ाने अथवा वाहनान्तरित करने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में, वस्तुओं की दरे, इस प्रकार वस्तुयें उठाये जहाज पर चढ़ाने अथवा वाहनान्तरित करने से पूर्व भुगतान योग्य है। चूंकि घाट शुल्क सभी नौभार पर मूल शुल्क है, अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार उतारे जाने पर तुरन्त भुगतान करना होगा। तथापि, "घाटों के उपयोग हेतु टूटीकोरिन पत्तन

दरें तथा उतारने के स्थानों की नियमावली” अधिनियम की धारा 58 का उल्लंघन करते हुये पत्तन से वस्तुओं के हटाने से पूर्व घाट शुल्कों के भुगतान की व्यवस्था करती है। लेखापरीक्षा के कहने पर (मई 1992 से अक्टूबर 1996) उपर्युक्त नियमों का कथित प्रावधान 17.10.1997 से संशोधित किया गया। संशोधित नियमों के अनुसार वस्तुओं के उतारे जाने पर घाट शुल्क का तुरन्त भुगतान होना चाहिए। विलम्बित भुगतान के मामले में प्रत्येक विलम्ब के लिए प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए 15 प्रतिशत की शास्ति लगाई जानी थी जैसा कि नियमों में व्यवस्था की गई थी।

यह देखा गया कि अक्टूबर 1997 में नियमों में संशोधन के पश्चात् भी टू.प.न्या.<sup>1</sup> ने विलम्बित भुगतानों के लिए शास्ति प्रभार एकत्रित किये बिना नौभार के हटाये जाने तक घाट शुल्क एकत्रित करना जारी रखा। ऐसे विलम्बित भुगतानों के लिए लगाए न गए तथा एकत्रित न किये गए शास्ति प्रभार दरों के संशोधित माप संचालित होने तक अक्टूबर 1999 की अवधि तक 1.89 करोड़ रु. संगणित किये गये थे। अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

पत्तन ने एक फर्म जिसने कोयला घाट में कोयला चढ़ाने उतारने का कार्य किया, के विरुद्ध अप्रैल 1998 से दिसम्बर 1998 की अवधि से सम्बन्धित शास्ति प्रभारों के लिए फरवरी 1999 में 1.11 करोड़ रु. की मांग की। फर्म के निवेदन (फरवरी 2000) के आधार पर पत्तन न्यास के बोर्ड ने इस फर्म द्वारा 1997-98 के दौरान किये गये कोयले की व्यवस्था के सम्बन्ध में घाट शुल्कों के विलम्बित भुगतान के मामले में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर शास्ति प्रभार लगाने का निर्णय लिया (मई 2000)। यह संकल्प, दर की कटौती के समान था तथा इसलिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता थी। परन्तु टू.प.न्या. द्वारा ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था जिस पर लेखापरीक्षा द्वारा जून 2000 में ध्यान आकर्षित किया गया था।

जून 2000 में पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये बोर्ड को पुनः जांच करने तथा अधिनियम की धारा 53 के अनुसार छूट के अधिकार का प्रयोग करने तथा विचाराधीन मामले में लगाए जाने वाले शास्ति प्रभारों में छूट निर्धारित करने का अनुरोध किया। बोर्ड ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया (जून 2000) तथा 80 प्रतिशत छूट प्रदान की। यह अनुमति 1997-98 के दौरान कोयले की व्यवस्था करने वाली विशेष एजेन्सी (जिसके निवेदन पर विचार किया गया था) तक ही सीमित थी।

तत्पश्चात् अगस्त 2000 में टू.प.न्या. ने इस फर्म से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सारी अवधि अर्थात् अक्टूबर 1997 से फरवरी 1999 तक शास्ति प्रभारों के लिए मांग करनी चाही। इस प्रक्रिया में टू.प.न्या. ने बोर्ड द्वारा इस फर्म को 1997-98 के लिए प्रदान की गई छूट (80 प्रतिशत) को पूरी अवधि (अक्टूबर 1997 से फरवरी 1999) तक लागू कर

<sup>1</sup> टूटीकोरिन पत्तन न्यास

दिया तथा इस प्रकार वसूली योग्य 20 प्रतिशत शास्ति प्रभारों का शेष 0.37 करोड़ रु. बना, वह भी अक्टूबर 2000 तक वसूल किया जाना बाकी था।

यह देखा गया था कि (i) दरों की कमी के लिए सरकार की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता को अनावश्यक बनाकर शास्ति प्रभारों की छूट पर बोर्ड का निर्णय अन्यायोचित था, (ii) एक फर्म के सम्बन्ध में 1997-98 के लिए लागू छूट आदेशों को अक्टूबर 1997 से फरवरी 1999 की पूरी अवधि तक लागू करने की टू.प.न्या. की कार्यवाही गलत तथा अप्राधिकृत थी तथा (iii) इस अवधि के लिए संचालित अन्य नौभारों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विलम्ब के लिए शास्ति प्रभार लगाने तथा एकत्रित करने के लिए टू.प.न्या. ने कोई कार्यवाही नहीं की।

इस प्रकार अक्टूबर 1997 से अक्टूबर 1999 के दौरान घाट शुल्क के विलम्बित मामलों में एकत्रित न किया गया शास्ति प्रभार 1.89 करोड़ रु. था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

#### 9.19 टैंक फार्म के निर्माण हेतु पत्तन भूमि का अनियमित आबंटन एवं देय राशि की अप्राप्ति

पत्तन की खाली भूमि पर टैंक फार्म के निर्माण हेतु निजी फर्म को भूमि का अनियमित आबंटन एवं पट्टानुबन्ध के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप खाली न्यास भूमि का अधिकतम उपयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति न होने के साथ साथ 89.43 लाख रु. के प्राप्यों का संग्रहण भी नहीं हुआ।

रिक्त भूमि का उपयोग करने तथा पत्तन क्रियाकलापों का आगे विकास करने के लिए टू.प.न्या.<sup>1</sup> ने पत्तन भूमि को पट्टे पर देने का निर्णय लिया तथा पत्तन से गुजरने वाले खाद्यतेल, शीरा इत्यादि जैसे अहानिकारक नौभार के भण्डार हेतु टैंक कार्य स्थापित करने लिए फरवरी 1993 में निविदाएं आमंत्रित की। चार निविदाकार जिन्होंने उत्तर दिया (क, ख, ग, तथा घ फर्म) में से फर्म क का 10 रु. प्रति वर्ग मी. प्रतिवर्ष का प्रस्ताव, जिसमें बातचीत के दौरान 5 प्रतिशत की वृद्धि पर सहमति हुई, बोर्ड द्वारा सितम्बर 1993 में 30 वर्ष की दीर्घावधि पर भूमि आबंटन हेतु स्वीकार किया गया। निविदायें बन्द होने के पश्चात फर्म ड., जिसने निविदा में भाग नहीं लिया, ने 10 रु. प्रति वर्ग मीटर की समान दर पर अहानिकारक नौभार के लिए टैंक सुविधा प्रदान करने हेतु पत्तन न्यास को भूमि आबंटन का अनुरोध किया (सितम्बर 1993) ।

इसी बीच फर्म ग, जिसने निविदा प्रस्तुत की थी, परन्तु बातचीत के लिये नहीं आई थी, अक्टूबर 1993 में क फर्म के द्वारा प्रस्तावित दर पर अपनी सहमति के साथ प्रस्तुत

<sup>1</sup> टूटीकोरिन पत्तन न्यास

हुई। पत्तन ने उपरोक्त तीनों फर्मों क, ग, ड. प्रत्येक को 10000 वर्ग मी. भूमि आबंटन का निर्णय लिया। परन्तु मंत्रालय ने सितम्बर 1999 में केवल फर्म ड. को 10000 वर्ग मीटर की भूमि के आबंटन का अनुमोदन संप्रेषित किया। टू.प.न्या. ने हानिकारक नौभार का निष्पादन तथा अहानिकारक नौभार के लिए अपना नलतंत्र बिछाने के बाद जुलाई 1995 में भूमि सौंप दी। निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की जाती हैं-

(i) टू.प.न्या. द्वारा फर्म ड. को भूमि का आबंटन, जिसने निविदा में भाग नहीं लिया था, अपने आप में अनियमित था तथा मंत्रालय द्वारा मार्च 1992 में जारी दिशानिर्देशों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त जब टू.प.न्या. ने तीनों फर्मों प्रत्येक को 10,000 वर्ग मी. आबंटन का प्रस्ताव रखा था, मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1994 में केवल फर्म ड. अनिविदाकार के चयन के सुस्पष्ट न्यायसंगत कारण सुलभ नहीं थे।

(ii) बाद में फर्म ड. को हानिकारक नौभार की व्यवस्था करने की भी अनुमति दी गई, वह भी उसी पट्टा किराए पर जो अहानिकारक नौभार की व्यवस्था के लिए अनुमत था, इस प्रकार सरकार के दिशानिर्देशों, जिनके अनुसार पट्टा किराया केवल प्रतियोगात्मक निविदा के आधार पर निश्चित होना था, का अतिक्रमण किया गया।

(iii) यद्यपि पट्टा अनुबन्ध के अनुसार, फर्म ड. को नलतंत्र पृथक रूप से अथवा अन्य के साथ मिल कर बिछाना था, फर्म ड. का यह तर्क कि वे संयुक्त आबंटि के अभाव में नलतंत्र नहीं बिछा सके, पत्तन द्वारा सहज रूप में, अनुबंध की शर्तों के बिना ही मान लिया गया।

(iv) टू.प.न्या. ने पट्टा समाप्त करने हेतु अनुबंध के तथा फिर से निविदा आमंत्रण के सुसंगत प्रावधान लागू नहीं किए बल्कि निष्पादन की शर्तों में परिवर्तन करना चाहा, उसके साथ ही न्यू.प्र.या.<sup>1</sup> से असुनिश्चित प्राप्य घाट शुल्क प्रभार, जो मार्च 2000 तक 89.43 लाख रु. बनता था, के आस्थगन का प्रस्ताव रखा।

इस प्रकार टू.प.न्या. निविदा प्रणाली का अनुसरण करने में विफल रहा जो मंत्रालय के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था। पट्टा अनुबंध के प्रावधान लागू करने में इसकी विफलता के परिणामस्वरूप 4 वर्ष से अधिक तक पत्तन की रिक्त भूमि का अनुकूलतम उपयोग तथा फर्म ड. के साथ पट्टा अनुबंध का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अनुबंध की शर्तों के अनुसार फर्म को प्रतिष्ठापन सुविधाएँ एक वर्ष के भीतर पूरी करनी थी तथा दूसरे वर्ष से आगे न्यू.प्र.या. की व्यवस्था प्रदान करनी थी। न्यू.प्र.या. में किसी प्रकार की कमी के लिए फर्म द्वारा पत्तन को दण्ड के रूप में निर्धारित दर पर घाट शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था।

<sup>1</sup> न्यूनतम प्रत्याभूत यातायात

अगस्त 1997 में फर्म ड. ने आबंटित भूमि में हानिकारक नौभार प्रबन्धन की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया था जिसके लिए टू.प.न्या. द्वारा फरवरी 1998 में अनुमति दी गई। फर्म ड. ने नवम्बर 1998 तक टैंक फार्म का निर्माण नहीं किया। फर्म द्वारा न्यू.प्र.या. की अनुपलब्धि के कारण देय घाट शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया। दिसम्बर 1998 में फर्म ने तर्क दिया कि अनुबंध की धारा के अनुसार मालवाहक नलतंत्र अन्य लाभभोगियों के साथ संयुक्त रूप से बिछाया जाना था तथा अन्य फर्मों को भूमि आबंटन के अभाव में टैंक कार्य के निर्माण में विलम्ब हुआ। फर्म ने भा.ते.नि.<sup>2</sup> के वर्तमान जलतंत्र के माध्यम से हानिकारक नौभार की व्यवस्था के लिए अनुमति मांगी। फर्म ने न्यू.प्र.या. की अनुपलब्धि के कारण उद्ग्रहणयोग्य घाट शुल्क प्रभार में छूट के लिए भी अनुरोध किया तथा फर्म ने हानिकारक एवं अहानिकारक नौभार को आवृत्त करते हुए न्यू.प्र.या. ढांचे में संशोधन का एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

टू.प.न्या. फर्म के संशोधित प्रस्ताव से सहमत हुआ (मार्च 1999) किन्तु न्यू.प्र.या. सुनिश्चित न होने के लिए दण्ड के रूप में घाट शुल्क प्रभारों में छूट हेतु सहमत नहीं हुआ। तथापि सितंबर 1999 में मंत्रालय के कहने पर टू.प.न्या. बोर्ड ने इस विषय में विचार किया तथा छूट सहित संशोधित प्रस्ताव भी मंत्रालय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया किन्तु टू.प.न्या. ने विशेष रूप से अभिमत व्यक्त किया कि अनुबंध में अथवा दिशानिर्देशों में बाद के किसी संशोधन के लिए कोई समर्थक प्रावधान नहीं था। मंत्रालय ने टू.प.न्या. के प्रस्ताव को मार्च 2000 में अनुमोदित किया। कार्यारंभ हेतु फर्म को इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन सूचित किया गया कि उसे भा.ते.नि. से उनके नलतंत्र का उपयोग करने की सहमति लेनी चाहिए, इसके अतिरिक्त देयताओं की वसूली न होने के कारण 89.43 लाख रु. की वित्तीय हानि हुई।

मामला मई 2000 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

#### 9.20 वृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान

टूटीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा सामग्री तथा श्रम पर लागत वृद्धि परिकलित करते समय किये गए कार्य के कुल मूल्य से सीमेंट की लागत अलग न करने के परिणामस्वरूप 46.64 लाख रु. के वृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

टूटीकोरिन पत्तन न्यास (टू.प.न्या.) ने नौभार घाट संख्या सात के निर्माण का कार्य अगस्त 1995 में ठेकेदार 'क' को दिया। समझौते के अनुसार कार्य के लिए वांछित सीमेंट टू.प.न्या. द्वारा ठेकेदार को 2400 रु प्रति टन की दर पर आपूर्त किया जाना था। समझौते के निर्धारित सूत्र तथा उस पर हुई सहमति के आधार पर सामग्री तथा श्रम मूल्य में भिन्नता के लिए संविदा मूल्य के समायोजन की भी व्यवस्था थी। अन्तर की

<sup>2</sup> भारतीय तेल निगम

राशि तिमाही के दौरान किये गए कार्य के मूल्य के आधार पर तिमाही संगणित की जानी थी ।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सामग्री तथा श्रम पर लागत वृद्धि के संबंध में अन्तर निकालते समय कार्य में उपयोग किये गए सीमेंट की लागत सहित कुल मूल्य संगणित किया गया था तथा तदनुसार दू.प.न्या. द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया गया था । चूंकि कार्य के लिए सीमेंट दू.प.न्या. द्वारा नियत दर पर आपूर्त किया गया था, इस मद पर किसी भी वृद्धि के लिए ठेकेदार पात्र नहीं था । दू.प.न्या. द्वारा आपूर्त सीमेंट की लागत को किये गए कार्य के मूल्य से अलग न करने के परिणामस्वरूप 46.64 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

#### **9.24 पट्टा किराए का गलत अंगीकरण**

कन्टेनर कापेरेशन आफ इंडिया को पत्तन भूमि, लागू “वाणिज्यिक” दरों के बजाए “सेवा उद्देश्य” के लिए लागू घटी दरों पर किराये पर दी गई, परिणामस्वरूप पत्तन को 36.92 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

पत्तन भूमि के पट्टे के लिए पट्टा किराये के संशोधन तथा पुनर्निर्धारण के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित दू.प.न्या. द्वारा गठित समिति ने तीन शीर्षों अर्थात् (i) सेवा तथा आवासीय उद्देश्य के लिए, (ii) औद्योगिक उद्देश्य के लिए तथा (iii) वाणिज्यिक उद्देश्य जिनके लिये वह पट्टे पर दी गई थी के अनुसार पत्तन भूमि के वर्गीकरण की सिफारिश की (दिसम्बर 1996) तथा जनवरी 1997 से लागू होने वाले पट्टा किराये की दरें पुनर्निर्धारित की। तदनुसार पत्तन क्षेत्र में सुस्था दीवार के बाहर भूमि के पट्टे की वार्षिक दर 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ, सेवा तथा आवासीय उद्देश्य के लिए 14 रू. प्रति वर्ग मीटर, औद्योगिक उद्देश्य के लिए 26 रू. प्रति वर्ग मीटर तथा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए 42 रू. प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी। मु.प.न्या.प्रा.¹ द्वारा अधिसूचित दरें अधिसूचना की तिथि (01.07.1997) से प्रभावी थी।

अगस्त 1997 में कौंकौर ने दू.प.न्या. से कन्टेनरों के संचालन तथा विसर्जन हेतु पत्तन क्षेत्र डिपो स्थापित करने के लिए समाहार प्रांगण में रेलवे पट्टरी के साथ 30,000 वर्ग मीटर पत्तन भूमि के आबंटन के लिए अनुरोध किये। चूंकि कौंकौर पूरे क्षेत्र में भारी ब्लाकों से खंडजा डाल रही थी, उन्होंने न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए भूमि पट्टे का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार करते हुये दू.प.न्या. ने वाञ्छित भूमि 5 वर्ष के लिए

¹ मुख्य पत्तन यातायात प्राधिकरण

आबंटित कर दी (दिसम्बर 1997) जिसका वार्षिक पट्टा किराया आरम्भिक 3 वर्ष की अवधि के लिए, तत्पश्चात संशोधित करने की शर्त पर सेवा तथा आवासीय उद्देश्य के पट्टे के लिए लागू दरों पर 14 रू. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष (5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ) निर्धारित कर दिया। गैर-वापसी योग्य अधिमूल्य (4.20 लाख रू.) तथा एक वर्ष के लिए अग्रिम किराया (4.20 लाख रू.) लेने के पश्चात् भूमि कम्पनी को अगस्त 1998 में सौंप दी गई थी। अनुबंधित 5 प्रतिशत वृद्धि लागू करने के पश्चात अगस्त 1998 से दर पुनः 14.70 रू. प्रति वर्ग मीटर संशोधित कर दी गई थी।

यह देखा गया था कि समिति की सिफारिशों के अनुसार, केवल सेवा प्रदान करने वालों (पत्तन हेतु सेवा) जैसे तमिलनाडु विद्युत बोर्ड का ताप विद्युत स्टेशन, सीमाशुल्क, वाणिज्य समुद्री विभाग, तट रक्षक इत्यादि के लिए आबंटित की गई भूमि को ही "सेवा तथा आवासीय उद्देश्य" में वर्गीकृत किया जाना था तथा कौंकौर इस श्रेणी में नहीं आता था। कौंकौर, एक वाणिज्यिक संगठन को कन्टेनरों के संचालन के लिए पत्तन के अन्दर डिपो स्थापित करने के लिए आबंटित की गई भूमि जो कि पत्तन की गतिविधियों से संबंधित थी, को वाणिज्यिक उद्देश्य के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। तथापि, पत्तन न्यास ने वाणिज्यिक उद्देश्यों पर लागू (42 रू. प्रति वर्ग मीटर) पट्टा किराया निर्धारित करने की बजाए केवल न्यूनतम दर (14 रू. प्रति वर्ग मीटर) जो सेवा तथा आवासीय उद्देश्य के लिए ही लागू थी, निर्धारित की। अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित पता चला।

- (i) फाइलों की संवीक्षा से, पट्टा अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए अनुरोध के सिवाय, क्योंकि उन्होंने भारी ब्लाकों के साथ पूरे क्षेत्र में खंडजा बिछाने का कार्य आरम्भ करना था, कोई और संकेत नहीं मिला कि कौंकौर ने पट्टा किराये के घटी दर पर निर्धारण के लिये कोई अनुरोध किया था।
- (ii) यद्यपि दू.प.न्या. को पता था कि कौंकौर के लिए पट्टा किराया "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए लागू दर पर ही निर्धारित किया जाना था, स्थल पर कौंकौर द्वारा किये जाने वाले निवेश तथा नए प्रांगण की स्थापना के लिए समय की आवश्यकता पर विचार करते हुये दू.प.न्या. ने आरम्भ में 3 वर्ष के लिए "सेवा उद्देश्य" (14 रू. प्रति वर्ग मीटर) दर लागू करने का निर्णय लिया।
- (iii) बोर्ड के लिए कार्यसूची टिप्पणी में यह बताया गया था कि ऐसा पूर्वानुमान था कि जब कौंकौर द्वारा पर्याप्त निवेश के साथ कन्टेनर डिपो स्थापित किया जाएगा यह रेल आधारित आई.सी.डी. कन्टेनरों की अधिक संख्या उत्पन्न करने में मदद करेगा, तथा कोयम्बटूर तथा बंगलौर क्षेत्रों, जहां से विद्यमान गति उत्साहजनक नहीं थी, से आइ.सी.डी. कन्टेनरों की गतिविधि पर भी ध्यान रखेगा। पत्तन क्षेत्र में कन्टेनर प्रांगण की स्थापना करने के कौंकौर के प्रस्ताव

को रेल आई.सी.डी. कन्टेनर सृजन के लिए सेवा के रूप में माना गया था तथा इसलिए सेवा तथा आवासीय उद्देश्य पर लागू पट्टा दर अपनाई गई थी। तथापि, आबंटन आदेशों अथवा कौंकौर के साथ किये गये अनुबन्ध में कोई शर्त नहीं थी कि न्यूनतम कन्टेनर यातायात सृजित किया जाना चाहिए।

"वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए लागू उच्चतर दरों के बजाए केवल "सेवा तथा औद्योगिक उद्देश्य" के लिए लागू न्यूनतर दर लागू करने के टू.प.न्या. के निर्णय के परिणामस्वरूप पत्तन को अगस्त 2000 तक की अवधि तक 36.92 लाख रु के राजस्व की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2000 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

#### 9.22 पत्तन के अन्दर निजी चल नौभार संचालित उपकरण के प्रचालन के लिए लाइसेंस फीस का वसूल न किया जाना

सुरक्षा दीवार के अन्दर निजी चल उपकरणों द्वारा नौभार संचालित प्रचालन भारत सरकार से अनुमोदित नहीं कराया गया था और अधिसूचित नहीं किया गया था। पृथक लाइसेंस फीस की भी वसूली नहीं की गई थी। 21.41 लाख रु. के राजस्व की न्यूनतम हानि हुई।

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 42(3) के अनुसार निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही होगी। इसकी पुनरावृत्ति भू.प.म.<sup>1</sup> द्वारा अपने जुलाई 1997 के पत्र में की गई थी। अतः बोर्ड द्वारा बनाई गई प्रत्येक माप दर और शर्तों की प्रत्येक विवरणी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और वे अधिनियम की धारा 52 के अनुसार स्वीकृत और अधिसूचित हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होंगी।

टूटीकौरिन पत्तन में, निजी चल नौभार संचालित उपकरणों को अधिनियम की धाराओं के अनुसार निर्धारित लाइसेंस फीस की अदायगी करने और अधिसूचित किए जाने पर ही केवल सुरक्षा दीवार से बाहर नौभार को संचालित करने की अनुमति थी। माप-दरों की शर्तों के अनुसार लाइसेंस फीस 12.9.95 तक 9400 रु. प्रति वर्ष और 13.9.95 से 11280 रु. प्रति वर्ष थी। निजी उपकरणों के प्रयोग द्वारा पत्तन की सड़कों के व्यापक नुकसान को दृष्टि में रखते हुए 1988 में लाइसेंस फीस लगाई गई थी। टू.प.न्या. ने स्वयं अपने चल नौभार संचालित उपकरणों से सुरक्षा दीवार के अन्दर नौभार संचालित किया और भाड़ा वसूल किया।

अगस्त 1992 में न्यासी बोर्ड ने सुरक्षा दीवार के बाहर प्रयुक्त उपकरणों पर लागू लाइसेंस फीस और अन्य शर्तों को ध्यान में रखकर निजी चल नौभार संचालित उपकरणों को सुरक्षा दीवार के अन्दर अनुमति देने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय

<sup>1</sup> भूतल परिवहन मंत्रालय



लिया गया कि बढ़ते हुए यातायात के अनुकूल पर्याप्त उपकरणों की अनुपलब्धता ऐसे उपकरणों पर न्यास के निवेश को कम करने और इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने की शर्त पर बल न दिया जाए। निजी चल नौभार संचालित उपकरणों को सुस्था दीवार के अन्दर अगस्त 1992 से अनुमति दे दी गई। यद्यपि बोर्ड ने ऐसी लाइसेंस फीस वसूल करने का निर्णय लिया था, तथापि कोई अतिरिक्त लाइसेंस फीस वसूल नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 1998 में बताया कि सुस्था दीवार के अन्दर चल नौभार संचालित उपकरणों के प्रयोग के लिए बड़ी हुई लाइसेंस फीस वसूल की जानी चाहिए थी क्योंकि यह नौभार संचालित उपकरणों के लिए थी, जब कि सुस्था दीवार के बाहर निजी उपकरणों के प्रयोग के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस इन उपकरणों द्वारा पत्तन न्यास की सड़कों को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए थी। दिसम्बर 1998 में माप दसों के सामान्य संशोधन के दौरान दू.प.न्या. के अध्यक्ष ने पत्तन क्षेत्र में सुस्था दीवार के अन्दर सहित नौभार संचालित उपकरणों के परिचालन के लिए 28200 रु. वार्षिक उच्चतर लाइसेंस फीस और सुस्था दीवार के बाहर परिचालन के लिए 14100 रु. की बड़ी हुई लाइसेंस फीस प्रस्तावित की। तथापि न्यासी बोर्ड ने वाहनों/उपकरणों के प्रवेश के लिए लाइसेंस फीस में 50 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि की सिफारिश की। पत्तन क्षेत्र सुस्था दीवार सहित में निजी नौभार संचालित उपकरण के प्रवेश हेतु टी.ए.एम.पी. ने दिसम्बर 1999 में 16920 रु. वार्षिक एकल लाइसेंस फीस अधिसूचित की।

निम्नलिखित टिप्पणी की जाती है:-

- (i) दू.प.न्या. ने सुस्था दीवार के अन्दर निजी नौभार संचालित उपकरण को अनुमति प्रदान करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। केवल दिसम्बर 1999 में ही 16920 रु. की विशेष वार्षिक दर अनुमोदित और अधिघोषित की। अतः दू.प.न्या. की कार्यवाही अधिनियम की धारा 42(3) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है।
  - (ii) 1992-93 से 1998-99 की अवधि के दौरान पत्तन ने सुस्था दीवार के बाहर उपकरणों के परिचालन के लिए जारी किए गए उसी लाइसेंस के आधार पर सुस्था दीवार के अन्दर परिचालन करने के लिए 205 निजी नौभार संचालित उपकरणों को अनुमति प्रदान की थी। बोर्ड के अगस्त 1992 के निर्णय के अनुसार सुस्था दीवार के अन्दर उपकरणों की प्रविष्टि के लिए पुनः लाइसेंस फीस वसूल करनी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अगस्त 1992 से मार्च 1999 के दौरान लाइसेंस फीस वसूल न किए जाने के कारण राजस्व की न्यूनतम हानि 21.41 लाख रु. बनती है।
- मामला मंत्रालय को अगस्त 2000 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

### विशाखापट्टनम पत्तन न्यास

#### 9.23 मत्स्य नौकाओं के स्वामियों से प्रायों की अवसूली

स्वामियों द्वारा दातव्यों का भुगतान न करने के लिए उनकी मत्स्य नौकाओं/नावों का अभिग्रहण करने तथा कम से कम आगामी वर्षों के लिए लाइसेंसों का नवीकरण करते समय उन्हें दातव्यों के निर्वाहन के लिए दबाव डालने हेतु विशाखापट्टनम पत्तन न्यास की विफलता के कारण 10 वर्ष में 81.49 लाख रू. का बकाया एकत्र हो गया।

8 अप्रैल 1988 से प्रभावी, विशाखापट्टनम मत्स्य बंदरगाह नियमावली 1986 के अनुसार मत्स्य नौका/नाव मत्स्य बंदरगाह क्षेत्र में वि.प.न्या.<sup>1</sup> के या.प्र.<sup>2</sup> द्वारा वर्षानुवर्ष प्रदान किये गए लाइसेंस के अन्तर्गत ही प्रचालन कर सकते हैं। मत्स्य नौका अथवा नाव के स्वामी को लाइसेंस के निर्गम के समय क्रमशः 10000 रू. अथवा 500 रू. जमा करना चाहिए जो कि लाइसेंस की समाप्ति के समय दातव्यों का समायोजन, यदि कोई हो, के पश्चात् वापसी योग्य है। स्वामी को मत्स्य नौका/नाव के लिए समय-समय पर घाट प्रभारों के असमायोजित दातव्यों को वहन करने के लिए वि.प.न्या. के साथ न्यूनतम 3000 रू./500 रू. का पृथक जमा रखना चाहिए। यह जमा मत्स्य नौका/नाव के पत्तन सीमा को अंतिम बार छोड़ते समय सभी बकाया दातव्यों के समायोजन के पश्चात् वापसी योग्य है। स्वामी के दातव्यों का भुगतान करने में विफल रहने पर मत्स्य नौका/नाव का अभिग्रहण अपरिहार्य है।

वि.प.न्या. द्वारा अनुरक्षित मत्स्य नौका/नाव जमा लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ~~977~~ मत्स्य नौकाओं के मामले में घाट प्रभार तथा अन्य प्राय अप्रैल 1990 तथा मार्च 2000 के बीच प्रत्येक मामले में न्यूनतम जमा से बहुत बढ़ कर 81.49 लाख रू. तक एकत्र हो गये थे। यह जलयानों के जब्त करने तथा दातव्यों के समायोजन होने तक उन्हें बन्दरगाह क्षेत्र में रोके रखने में या.प्र. की विफलता, जो कि बाद के वर्षों के लिए लाइसेंस के नवीकरण के समय कम से कम उन पर दातव्यों के निर्वाहन के लिए दबाव डालने में विफलता पूर्ण था, पर आरोप्य था।

यद्यपि 22 जलयान जब्त किये गये थे तथा वि.प.न्या. द्वारा नीलाम किये गये थे उनसे प्राप्त की गई राशि, उनके स्वामियों से प्राप्त 1.06 करोड़ रू. के प्रति केवल 41.69 लाख रू. थी शेष 64.72 लाख रू. की राशि अभी बिना वसूले रह गई जो कि प्रायों की वसूली के लिए कार्यवाही में विलम्ब को दर्शाता है।

<sup>1</sup> विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

<sup>2</sup> यातायात प्रबन्धक

वि.प.न्या. ने बताया (मई 2000) कि शेष को नोटिस जारी करके तथा सिविल मुकदमें दर्ज करके, यदि आवश्यक हो, प्राप्त किया जाएगा, परन्तु तथ्य यही है कि पत्तन 10 वर्षों की अवधि तक 81.49 लाख रू. की राशि के बकाया प्राप्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

#### 9.24 बोली मूल्यांकन की अनियमित प्रक्रिया अपनाने के कारण परिहार्य व्यय

निविदा समिति की ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन करने में विफलता तथा विकल्प के रूप में द्वितीय अल्पतम मूल्य निविदा उपलब्ध होने के बावजूद अध्यक्ष द्वारा नवीन निविदाएँ आमंत्रित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप 10.1 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

वि.प.न्या. ने जलबद्ध रोड़ी बिछे मार्ग पर डामर कार्य निष्पादन हेतु बोलियां (योग्यता मानदण्ड से संबंधित आंकड़े दर्शाते हुए) तथा मूल्य युक्त बोलियां दो भागों में प्रस्तुत की जाने वाली निविदाएं आमंत्रित (नवम्बर 1995) की। इसके प्रत्युत्तर में नौ निविदाएं प्राप्त हुई थीं। वि.प.न्या. की निविदा समिति द्वारा तकनीकी बोलियां 5 दिसम्बर 1995 को खोली गईं। समिति ने तकनीकी बोलियों के योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड पर कोई विशेष टीका-टिप्पणी नहीं की तथा 12 जनवरी 1996 को मूल्ययुक्त बोलियां (अलग लिफाफा) खोली। 8 फरवरी 1996 को मूल्ययुक्त बोलियों का मूल्यांकन करने के दौरान कमेटी ने पाया कि न्यूनतम बोलीदाता, जिसने 18.59 लाख रू. उद्धृत किया था, उसका पूर्व कीर्तिमान सन्तोषजनक नहीं था तथा इस प्रकार संस्तुति की कि इसे छोड़ दिया जाय तथा अगले न्यूनतम निविदाकार (उद्धृत दर: 18.98 लाख रू.) को बातचीत के लिए बुलाया जाय। तथापि, वि.प.न्या. के अध्यक्ष ने संस्तुति अस्वीकार कर दी (मार्च 1996) तथा अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने का नया आदेश दिया, साथ ही मु.अ.<sup>1</sup> को यह निदेश दिया कि भविष्य में मूल्ययुक्त बोलियां खोलने से पहले ठेकेदारों के निष्पादन पक्ष का आकलन करना चाहिए। वे विशेष कारण जिनसे प्रभावित होकर अध्यक्ष ने द्वितीय न्यूनतम निविदा पर विचार नहीं किया, अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। मार्च 1996 में निविदाओं का दूसरा आमन्त्रण लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि न्यूनतम निविदाकार निविदा प्रक्रिया अवस्था में ही पिछे हट गया। यह कार्य अन्ततः तीसरे आमन्त्रण के बाद ठेकेदार को अक्टूबर 1997 में 28.20 लाख रू. में सौंपा गया तथा जनवरी 1999 में 29.13 लाख रू. की लागत पर अधूरी अवस्था में एक मार्ग में प्रयोग से हुई टूट फूट ठीक करने पर कुछ अतिरिक्त व्यय सहित, सम्पन्न हुआ।

<sup>1</sup> मुख्य अभियन्ता

इस प्रकार निविदा समिति द्वारा ठेकेदारों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने से पहले मूल्य युक्त बोलियां खोलने की अनियमित प्रक्रिया अपनाने के साथ विकल्प के रूप में दूसरी निविदा उपलब्ध होने के बावजूद अध्यक्ष द्वारा नवीन निविदाएं आमंत्रित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप 10.15 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2000) कि जबकि वि.प.न्या. ने अतिरिक्त व्यय को मुद्रास्फीति पर आरोपित किया, उसने लेखापरीक्षा द्वारा इसके परिहार्य होने के विचार से भी सहमति प्रकट की।

तदनुसार मन्त्रालय ने सम्बन्धित अधिकारियों पर जिम्मेदारी नियत करने का फैसला लिया । आगे के परिणामों की फरवरी 2001 तक प्रतीक्षा थी ।

## अध्याय X: वस्त्र मंत्रालय

### भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता

#### 10 परियोजना प्रारम्भ करने में 12 वर्ष का विलम्ब

1.34 करोड़ रू. के व्यय के बावजूद भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ की त्रुटिपूर्ण योजना तथा प्रबन्धन विफलता के कारण पटसन विविधता परियोजना 12 वर्ष तक स्थगित रही।

भा.प.उ.अ.सं.<sup>1</sup> ने फरवरी 1987 में वि.प.वि.नि.<sup>2</sup> के अन्तर्गत सस्ते बायो-टी.के.पी. पर आधारित असंजक के विविध उपयोग के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा। मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल ने फरवरी 1987 में परियोजना का अनुमोदन किया। परियोजना का अनुमोदन करते हुए कार्यदल ने संस्तुत किया था कि परियोजना की गैर सरकारी संस्था द्वारा कड़ाई से परिवीक्षा होनी चाहिए तथा एक वर्ष बाद यदि प्रगति प्रस्तुत नहीं की गई तो निधियों पर रोक लगा दी जायेगी। बाद में भा.प.उ.अ.सं. ने एक पटसन मिल में पटसन स्तरिकायन मशीनरी स्थापित करने का निश्चय किया ताकि भा.प.उ.अ.सं. द्वारा मशीन का उपयोग अग्रगामी कारखाना परीक्षण के साथ साथ व्यापारिक उत्पादन हेतु पटसन उद्योग द्वारा किया जा सके। भा.प.उ.अ.सं. ने यह मूल सुविधा स्थापित करने के लिए चै.इं.लि.<sup>3</sup> का चयन किया। मंत्रालय ने मार्च 1988 में इस परियोजना के लिए, 34.55 लाख रू. की स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा कोई परिवीक्षा नहीं करवाई गई जैसा कि कार्यदल ने सिफारिश की थी, मंत्रालय ने मार्च 1989 तथा जुलाई 1994 के बीच 80.69 लाख रू. की राशि की और स्वीकृति प्रदान की।

भा.प.उ.अ.सं. के निदेशक ने निम्नलिखित मशीनें प्राप्त की तथा चै.इं.लि. को हस्तांतरित कर दी:

- (i) नवम्बर 1990 में एक बहुनिरूपक सूतीवस्त्र छपाई आवेदन एवं स्तरण मशीन
- (ii) नवम्बर 1989 में उपसाधन जैसे झुलसाने वाली मशीन एवं अतिरिक्त पुर्जे।

मशीनरी की कुल लागत 94.90 लाख रू. थी।

<sup>1</sup> भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ

<sup>2</sup> विशिष्ट पटसन विकास निधि

<sup>3</sup> चैम्पडैनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

भा.प.उ.अ.सं. एवं चै.इं.लि. के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार प्रतिष्ठापन, प्रारंभ करने, मरम्मत एवं अनुस्क्षण की लागत परियोजना उदायोगी जबकि उपयुक्त स्थल, तल क्षेत्र, संचालन पूर्व एवं संचालनोत्तर सामग्री कर्मचारी एवं सेवायें, चै.इं.लि. निःशुल्क प्रदान करेगी। अनुबन्ध में यह व्यवस्था भी थी कि संचालनात्मक उद्देश्य के लिए पुरोगामी संयंत्र में परियोजना कर्मचारियों की समुचित संख्या नियुक्त की जायेगी।

अनुबन्ध यहां तक अपूर्ण था कि इसमें उपस्कर की स्थापना के लिए कोई समयावधि तथा प्रयोगात्मक एवं वाणिज्यिक उत्पादन के लिए भा.प.उ.अ.सं. एवं चै.इं.लि. द्वारा वहनीय वित्तीय एवं तकनीकी उत्तरदायित्व की सीमा सुस्पष्ट नहीं की गई थी। अप्रैल 1991 में पुनः निर्णय लिया गया कि मशीनों की स्थापना तिथि से प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए प्रायोगिक चरण के सम्पन्न होने के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तिथि के लिए भा.प.उ.अ.सं. एवं चै.इं. लि. द्वारा संयुक्त रूप से प्रगति का पुनरीक्षण किया जाएगा।

डीजल विद्युत उत्पादक उपकरण से चालित झुलसाने वाली मशीन जून 1992 में प्रारंभ की गई। तथापि, आलेचन एवं स्तरण मशीनें, यद्यपि फरवरी 1993 में स्थापित की गई थी, आधारभूत अवसंरचना की अपूर्णता एवं अपेक्षित बिजली की एक साथ अनुपलब्धता के कारण, पन्द्रह माह के विलंब के बाद केवल अप्रैल 1994 में प्रारंभ की जा सकी। अप्रैल 1994 और अगस्त 1995 के बीच बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर की खराबी तथा मशीन पुर्जों की टूटफूट के कारण मशीन पूर्व परीक्षण पूरा नहीं कर सकी। यद्यपि पूर्व परीक्षण अक्टूबर तथा दिसंबर 1995 के बीच किए गए, मशीन की विद्युत एवं संचालनात्मक समस्याओं तथा इसके उपायों का समाधान नहीं हो सका। मशीन का उपयोग दिसम्बर 1995 तक केवल छोटे-छोटे नमूनों के निर्माण के लिए ही किया जा सका।

तथापि, भा.प.उ.अ.सं. ने पूर्व सहमति के अनुसार संयुक्त निरीक्षण के लिए दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षा नहीं की तथा फरवरी 1996 में चै.इं.लि. को सूचित किया कि वे तकनीकी दक्षता के अभाव तथा निधि व्यवरोध के कारण परियोजना को जारी नहीं रख पाएंगे। चै.इं.लि. ने बताया कि प्रयोगात्मक उत्पादन करने के पूर्व ही तथा चै.इं.लि. द्वारा पर्याप्त व्यय करने के पश्चात भा.प.उ.अ.सं. द्वारा परियोजना को जारी न रख पाने पर उन्हें आश्चर्य था। यद्यपि अनुबंध में प्रावधान था कि भा.प.उ.अ.सं. योग्य परियोजना कर्मी तथा संचालन एवं अनुस्क्षण लागत की व्यवस्था करेगा किन्तु उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया। नवंबर 1996 में भा.प.उ.अ.सं. ने मंत्रालय को सूचित किया कि प्रमुख उद्योगों को आवृत्त किए बिना सुविधाओं का व्यावसायिक संदोहन संभव नहीं था। मंत्रालय ने दो वर्ष बाद सितम्बर 1998 में मशीन का बि.प.नि.लि.<sup>4</sup> को स्थानान्तरित

<sup>4</sup> बिरला पटसन निर्माण लिमिटेड

करने का निर्णय लिया। उपांगों सहित मशीन उसी माह बि.प.नि.लि. को स्थानान्तरित कर दी गई। मशीन की लागत के अतिरिक्त, भा.प.उ.अ.सं. ने प्रतिष्ठापन तथा निर्माण प्रभारों, सामग्री लागत, परीक्षण व्यय तथा स्थानान्तरण प्रभारों पर 23.55 लाख रु. व्यय किए। इसके अतिरिक्त विद्युत पर 15.09 लाख रु. का व्यय किया गया। अनावृत्त मशीन उपांगों सहित अगस्त 2000 तक बि.प.नि.लि. परिसर में पुर्नप्रतिष्ठापन की प्रतीक्षा कर रही थी।

भा.प.उ.अ.सं. ने अपनी वित्तीय तथा तकनीकी क्षमताओं पर विचार किए बिना परियोजना को संचालन के लिए अपना लिया। अनुबन्ध के अनुसार, यद्यपि भा.प.उ.अ.सं. को उपयुक्त परियोजना कर्मियों की व्यवस्था करनी थी, वे प्रायोगिक उत्पादन के लिये अपेक्षित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहे। यद्यपि वि.प.वि.नि. द्वारा पूंजीगत व्यय किया जाना अपेक्षित था, भा.प.उ.अ.सं. विद्युत प्रभारों में सहभागिता हेतु सहमत था। यद्यपि, प्रयोगात्मक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पूर्व ही उन्होंने परियोजना जारी रखने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

इस प्रकार, 1.34 करोड़ रु. व्यय करने के 12 वर्ष बाद भी परियोजना के प्रारंभ न होने के लिए भा.प.उ.अ.सं. की अपर्याप्त योजना तथा प्रबंधन की विफलता उत्तरदायी है। पटसन उत्पादों के उपयोग के विविधकरण का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ था।

मामला सितम्बर 2000 में मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय XI : शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय

### शहरी मामलों का विभाग

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

#### भाग II

#### 11.1 परिधीय आक्रामी जल अपवाहिका के निर्माण पर हानि

ठेकेदार से जोखिम एवं लागत राशि की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ न करने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को परिधीय आक्रामी जल अपवाहिका के निर्माण पर 73.09 लाख रु. की हानि उठानी पड़ी।

दि.वि.प्रा.<sup>1</sup> ने फरवरी 1994 में 1.19 करोड रु. की लागत पर सैक्टर-15, रोहिणी में परिधीय आक्रामी जल अपवाहिका के निर्माण का कार्य ठेकेदार "क" को सौंपा। कार्य के पूरा होने की अनुबंधित तिथि नवम्बर 1994 थी।

पहले दो माह के दौरान ठेकेदार ने बिल्कुल कार्य नहीं किया तथा यहां तक कि इसके पश्चात् भी कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी एवं ठेकेदार केवल तीन प्रतिशत कार्य ही कर सका। जुलाई 1995 में अभियान्त्रिकी सदस्य के साथ की गई बैठक में एक पखवाड़े के भीतर ठेके को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। आदेश की अवज्ञा में का.अ.<sup>2</sup> ने ठेकेदार को मई 1996 तक कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी। अन्ततः कार्य जून 1996 में निरस्त किया गया था तथा शेष कार्य ठेकेदार "क" के जोखिम एवं लागत पर पूरा करने का निर्णय लिया गया था। ठेके के निरसन की अवधि तक ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य 14.48 लाख रु. का था जिसके प्रति उसे 11.42 लाख रु. का भुगतान किया जा चुका था।

दि.वि.प्रा. द्वारा शेष कार्य 1.69 करोड रु. की लागत पर दिसम्बर 1996 में ठेकेदार "ख" को सौंपा गया था। का.अ. को कार्य सौंपने की संस्वीकृति सूचित करते समय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रोहिणी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ठेकेदार "क" से पूरी राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

<sup>1</sup> दिल्ली विकास प्राधिकरण

<sup>2</sup> कार्यकारी अभियन्ता



इस कार्य पर कुल जोखिम एवं लागत की राशि 64.40 लाख रू. बनती है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 11.1

ठेकेदार "क" द्वारा किये गए कार्य की राशि	14,48,147 रू.
ठेकेदार "ख" द्वारा निविदा राशि	1,68,55,265 रू.
<b>जोड़</b>	<b>1,83,03,412 रू.</b>
घटायें : ठेकेदार "क" की निविदा राशि	1,18,63,536 रू.
<b>ठेकेदार "क" से वसूली योग्य राशि</b>	<b>64,39,876 रू.</b>

ठेकेदार "ख" द्वारा शेष कार्य जुलाई 1998 में पूरा किया गया था तथा उसके अंतिम बिल का भुगतान सितम्बर 1998 में किया गया था। मार्च 2000 में अर्थात् ठेके के निरसन के 45 माह के पश्चात् ही ठेके को विलम्ब से पूरा करने के लिए अ.अ. ने ठेकेदार "क" पर 8.69 लाख रू. का अर्थदण्ड लगाया।

चूंकि ठेके के निरसन की तिथि से पहले ही तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके थे ठेकेदार से जोखिम तथा लागत एवं 73.09 लाख रू. के आर्थिक दण्ड की वसूली दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिनिर्णय की दृष्टि से संदेहास्पद है जिसका उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुये समर्थन किया गया था कि ठेके के निरसन की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् वसूली के लिए दावा कालातीत हो जाता है।

इस प्रकार आर्थिक दण्ड लगाने में 45 माह के असाधारण विलम्ब तथा ठेकेदार "क" से ठेके के निरसन के तीन वर्ष के भीतर जोखिम एवं लागत की वसूली के लिए कोई कार्यवाही न करने के कारण दि.वि.प्रा. को सेक्टर 15 रोहिणी में परिधीय आक्रामी जल अपवाहिका के निर्माण पर 73.09 लाख रू. की हानि उठानी पड़ी।

## भाग II

### आक्रामी जल अपवाहिका पर निधियों का अवरोधन

मुख्य अभियन्ता के आदेशों के बावजूद कार्यकारी अभियन्ता द्वारा ठेके के निरसन में विलम्ब तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आक्रामी जल अपवाहिका के शेष कार्य का समापन न करने के परिणामस्वरूप 57.77 लाख रू. की राशि का निधियों का अवरोधन।

दि.वि.प्रा. द्वारा सितंबर 1996 में द्वारका के सेक्टर I तथा II में बाह्य आक्रामी जल अपवाहिका का निर्माण कार्य 1.47 करोड़ रू में एक निजी फर्म को सौंपा गया था। कार्य अक्टूबर 1997 तक पूरा होना अपेक्षित था। प्रारंभ से ही कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी तथा नवम्बर 1996 से मई 1997 तक इस बारे में ठेकेदार को बार-बार बताया गया था। तथापि, कार्य की प्रगति 50 प्रतिशत की अपेक्षा के विपरीत केवल 8 प्रतिशत

थी, मु.अ.<sup>1</sup> ने जुलाई 1997 में ठेके के निरसन का अनुमोदन किया तथा का.अ. से ठेकेदार को निरसन पत्र जारी करने के लिये कहा। अप्रैल 1998 में अ.अ.<sup>2</sup> ने भी ठेके के निरसन पर बल दिया।

का.अ. ने, मु.अ. तथा अ.अ. के आदेशों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए ठेकेदार को जुलाई 1998 तक कार्य करते रहने की अनुमति दी यद्यपि कार्य की प्रगति बहुत धीमी तथा अधोस्तर गुणवत्ता की थी। का.अ. ने अन्ततः एक वर्ष से अधिक के विलम्ब के बाद अगस्त 1998 में ठेकेदार को निरसन पत्र जारी किया। कार्य के समापन में विलम्ब के लिये ठेकेदार पर अर्थदण्ड लागू करने पर का.अ. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ठेकेदार से वसूल की जाने वाली जोखिम और लागत की राशि भी परिकलित नहीं की गई। जुलाई 1997 में ठेके के निरसन के अनुमोदन के समय ठेकेदार को 7.77 लाख रु का भुगतान किया गया था तथा एक वर्ष की अप्राधिकृत विस्तारण अवधि में ठेकेदार को अन्य 50 लाख रु का भुगतान किया गया। इसके विपरीत कार्य का समापन 44 प्रतिशत था।

शेष कार्य 24 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं सौंपा गया। इस प्रकार मु.अ. तथा अ.अ. के आदेशों के बावजूद का.अ. द्वारा ठेके के निरसन में किया गया जानबूझकर तथा अकारण विलम्ब एवं आक्रामी जल अपवाहिका का शेष कार्य सम्पन्न न करने के परिणामस्वरूप 57.77 लाख रु की निधियों का अवरोधन तथा कार्य समापन करने में तीन वर्षों का विलम्ब हुआ। अभी तक दोषी का.अ. के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2000 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

### 11.2 निष्क्रिय/क्षतिग्रस्त सामान में निधियों का अवरोधन

दिल्ली विकास प्राधिकरण भण्डार में पिछले छः से तेईस वर्षों से पड़े हुए सामान के उपयोग/निपटान न करने के कारण न केवल 67.14 लाख रु. की निधियों का अवरोधन हुआ, बल्कि 92.42 लाख रु. के ब्याज की भी हानि हुई।

दि.वि.प्रा. के भण्डार खण्ड-II में 67.14 लाख रु. मूल्य की एस.सी.आई. फिटिंग, सी.आई.पाइप, एम.एस.पाइप, आर.सी.स्टील पिछले छः से तेईस वर्षों तक अनुपयोजित/बिना निपटान के रही। इनमें सम्मिलित थी:-

<sup>1</sup> मुख्य अभियन्ता

<sup>2</sup> अधीक्षक अभियन्ता

- (i) वर्ष 1981-89 की अवधि में पहले से ही पूर्ण परियोजनाओं की आवश्यकताओं से अधिक प्राप्त की गई, 49.85 लाख रु. मूल्य की एस.सी.आई. फिटिंग और पाइप,
- (ii) 1976-95 की अवधि में 13 लाख रु. मूल्य पर खरीदी गई तथा संचालन एवं परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त सी.आई. पाइप ।
- (iii) 1993-94 के दौरान खरीदी गई 4.29 लाख रु. मूल्य की खराब उभरी हुई स्टील कमानी।

यद्यपि, ये वस्तुएं पिछले छः से तेईस वर्षों से भण्डार में पड़ी हुई थी, दि.वि.प्रा. द्वारा इनके उपयोग या निपटान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः दि.वि.प्रा. भण्डार में छ से तेईस वर्षों के लिए पड़ी हुई वस्तुओं के अनुपयोग/गैर-निपटान के कारण न केवल 67.14 लाख रु. की निधि अवरुद्ध रही बल्कि मार्च 2000 तक 92.42 लाख रु. के ब्याज की भी हानि हुई।

मामला अगस्त 2000 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

#### 11.3 आरेखणों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

आधार एवं अवसंरचना आरेखणों को अंतिम रूप न देने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय पर अनुबंधित सामग्री जारी न करने के कारण योजना पर 48.14 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

दि.वि.प्रा. ने सैक्ट्स-22, द्वारका फेस-I में 2.09 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 128 स्व वित्तपोषित योजना मकानों (60 श्रेणी III तथा 68 श्रेणी-II), 128 स्कूटर तथा 32 कार गैरेजों के निर्माण के लिए दिसम्बर 1993 में निविदायें आमंत्रित कीं। इसने दि.वि.प्रा. के का.स.बो.<sup>1</sup> के अनुमोदन के साथ 3.28 करोड़ रु. के समझौते की लागत पर ठेकेदार 'क' को मार्च 1994 में कार्य सौंप दिया कार्य के आरम्भ तथा समाप्ति की अनुबंधित तिथियां क्रमशः अप्रैल 1994 तथा फरवरी 1996 थीं।

का.स.बो. को मामला भेजते समय अ.अ. ने स्पष्ट रूप से अपने टिप्पण में कहा था कि स्थल, अनुबंधित सामग्री लेआउट/भवन योजना का अनुमोदन उपलब्ध हैं। तब भी अ.अ. को कार्य का अनुमोदन सूचित करते समय मार्च 1994 में मुख्य अभियन्ता ने इस बात पर बल दिया था कि कार्य के निष्पादन में विलम्ब से बचने के लिए अनुमोदित लेआउट प्लान तथा आरेखण ठेकेदार को उपलब्ध करवाये जायें।

<sup>1</sup> कार्य सलाहकार बोर्ड

कार्य वास्तव में नवम्बर 1998 अर्थात् 33 माह के विलम्ब से पूरा हुआ था। यह संशोधित आधार पर तथा अवसंरचना आरेखणों को अंतिम रूप न देने के कारण 12 माह तथा समय पर ठेकेदार को अनुबंधित सामग्री जारी न करने के कारण 21 माह के विलम्ब से हुआ था। कार्य के पूरा होने में हुये विलम्ब को अ.अ. द्वारा नियमित किया गया था जिसने क्षतिपूर्ति लगाए बिना ठेकेदार को समय वृद्धि प्रदान कर दी क्योंकि विलम्ब विभाग पर आरोप्य थे। इसके अतिरिक्त कार्य के पूरा होने में विलम्ब के कारण दि.वि.प्रा. को सामग्री तथा मजदूरी की सूची में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ठेकेदार को 48.14 लाख रू. का भुगतान करना पड़ा।

इस प्रकार, आधार तथा अवसंरचना आरेखणों को अंतिम रूप न देने, दि.वि.प्रा. द्वारा समय पर अनुबंधित सामग्री जारी न करने तथा अ.अ. द्वारा तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण के कारण योजना पर 48.14 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2000 में भेजा गया, उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था ।

#### **11.4 गलत रूपरेखा अपनाने और आरेखण को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय**

**भूस्तम्भ की गलत रूपरेखा अपनाने, आरेखण को अन्तिम रूप दिए जाने और स्थान को सौंपने में विलम्ब के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवास योजना पर 44.43 लाख रू. का परिहार्य व्यय करना पड़ा।**

दि.वि.प्रा. ने जसौला सेक्टर VIII में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए ठेकेदार " क" को मई 1993 में 2.20 करोड़ रू. का ठेका दिया। कार्य पूर्ण करने की अनुबद्ध तिथि दिसम्बर 1994 थी।

यद्यपि कार्य मई, 1993 में दिया गया था, परन्तु ठेकेदार को स्थान सितम्बर 1993 में सौंपा गया । करार में अन्डर रीम्ड बोर्ड कन्वेंशनल पाइल की व्यवस्था की गई थी जबकि मु.अ.अ.<sup>1</sup> ने अन्डर रीम्ड बोर्ड कोम्पैक्शन पाइल के अनुबन्ध के साथ आरेखण जारी की थी। अ.अ. ने अक्टूबर, 1993 में कन्वेंशनल पाइल को अपनाने का प्रस्ताव रखा और ठेकेदार को परीक्षण के लिए भूस्तम्भ के निर्माण की आज्ञा दी। सितम्बर 1994 में पेश की गई भूस्तम्भ की भार निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य अभिकल्प अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की गई और उन्होंने संघटन भूस्तम्भ के परीक्षण कराने की इच्छा व्यक्त की। संघटन भूस्तम्भ की रिपोर्ट मु.अ.अ. को जनवरी 1995 में प्रस्तुत की गई। अन्ततः संघटन भूस्तम्भ की रूपरेखा मु.अ.अ. द्वारा मार्च 1995 में जारी की गई। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप कार्य आरम्भ होने में 22 महीने का विलम्ब हो गया। कुर्सी स्तर और

<sup>1</sup> मुख्य अभिकल्प अधिकारी

विछिन्न स्तर, (चार महीने) वास्तुशिल्पीय और संरचनात्मक आरेखन (11 महीने) और विकास योजनाओं (13 महीने) को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण भी कार्य में विलम्ब हुआ। कार्य अन्ततः 31-12-1997 को अर्थात् 36 महीनों की देरी के साथ पूर्ण हुआ। क्योंकि उपरोक्त विलम्ब विभाग के कारण हुआ था, अधीक्षण अभियन्ता ने विलम्ब के लिए बिना मुआवजा लगाए ठेकेदार की समय अवधि में वृद्धि कर दी।

ठेकेदार ने अनुबन्ध के अनुसार श्रम और सामग्री में लागत सूची के अन्तर का दावा किया। तदनुसार कार्य की बढ़ी हुई अवधि (जनवरी 1995 से दिसम्बर 1998) के लिए ठेकेदार को 44.43 लाख रु. की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

इस प्रकार भूस्तम्भ की गलत रूपरेखा अपनाने, आरेखन को अन्तिम रूप दिए जाने और स्थान को सौंपने में विलम्ब के कारण दि.वि.प्रा. को आवास योजना पर 44.43 लाख रु. का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

मामला अगस्त 2000 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

#### 11.5 स्व.वि.यो. गृहों के निर्माण पर परिहार्य व्यय

ठेकेदारों को संशोधित रूप रेखा योजना तथा संरचनात्मक आधार आरेखनों की विलम्बित आपूर्ति के कारण स्वयं वित्तपोषित योजना गृहों के निर्माण पर दि.वि.प्रा. द्वारा 23.53 लाख रु का परिहार्य व्यय किया गया।

दि.वि.प्रा. ने 2.12 करोड़ रु की अनुमानित लागत पर सेक्टर I पॉकेट I द्वारा चरण I में भूमि के आन्तरिक विकास सहित 136 स्व.वि.यो. गृहों (66 श्रेणी III, 70 श्रेणी II) 136 स्कूटर गैरजॉं तथा 34 कार गैरजॉं के निर्माण के लिए मार्च 1994 में निविदायें आमंत्रित की। कार्य न्यूनतम बोलीदाता, ठेकेदार "क" को 3.39 करोड़ रु की समझौते की राशि पर सौंपा गया था।

ठेकेदार ने मार्च 1996 तक इसे पूरा करने के अनुबन्ध के साथ मई 1994 में कार्य आरम्भ किया। यह कार्य बाधा मुक्त स्थल की अनुपलब्धता के कारण पांच माह, संशोधित रूप रेखा योजना एवं संरचनात्मक आधार आरेखनों की विलम्बित आपूर्ति के कारण छः माह तथा ठेकेदार को विभागीय सामग्री की आपूर्ति के कारण पांच माह तक विलम्बित हुआ। निर्माण कार्य अन्ततः जनवरी 1998 अर्थात् 22 माह के विलम्ब के बाद पूरा हुआ था। निर्माण कार्य के पूरा होने में विलम्ब विभाग पर आरोप्य था तथा अ.अ. द्वारा ठेकेदार पर कोई क्षतिपूर्ति लगाए बिना समय वृद्धि प्रदान करके इसे नियमित किया गया था। निर्माण को पूरा करने में विलम्ब के कारण दि.वि.प्रा. को सामग्री एवं श्रम की बढ़ी लागत के कारण ठेकेदार को 23.53 लाख रु का भुगतान करना पड़ा।

2001 की रिपोर्ट सं.4 (सिविल)

यह इस तथ्य के बावजूद था कि कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते समय दि.वि.प्रा. के अभियंता सदस्य ने निर्देश दिये थे कि निविदायें आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि भूमि बाधा से मुक्त हो तथा वास्तुशिल्पिय तथा संरचनात्मक दोनों प्रकार के आरेखण कार्यसंचालन के लिए उपलब्ध हों। यहां तक कि मु.अ. द्वारा का.अ. को भेजे गए कार्य को सौंपने की संस्वीकृति में इस बात पर पुनः बल दिया गया था कि निर्माणकार्य के निष्पादन में विलम्ब से बचने के लिए ठेकेदार को अनुमोदित रूप रेखा योजना तथा आरेखण उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।

इस प्रकार कार्य सौंपते समय स्थल की उपलब्धता अनुबंधित सामग्री तथा रूप रेखा एवं भवन योजना के अनुमोदन के संबंध में गलत घोषणा के कारण योजना पर 23.53 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2000 में भेजा गया था, फरवरी 2001 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

#### 11.6 सीमेन्ट की प्राप्ति में अतिरिक्त व्यय

निदेशक (एम.एम.) की सिफारिशों की उपेक्षा कर फर्म "क" के निम्नतम प्रस्ताव को अस्वीकार करके दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीमेन्ट की प्राप्ति में 13.35 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया।

दि.वि.प्रा. ने फरवरी 1998 में 20000 टन सीमेन्ट की आपूर्ति करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की। निविदाएं मार्च, 1998 में खोली गईं और फर्म "क" द्वारा 2202 रूपए प्रति टन की प्रस्तावित दर न्यूनतम थी। मार्च, 1998 में, का.स.बो.<sup>2</sup> ने निदेशक (एम.एम.) को फर्म "क" के साथ बातचीत करने तथा अगर वह अपनी दर को 2040 रु. प्रति टन तक नीचे लाने के लिए सहमत हो जाती है तो कार्य देने और अगर फर्म सहमत नहीं होती है तो निदेशक (एम.एम.) को अपनी सिफारिशों सहित कार्य सलाहकार बोर्ड को वापिस रिपोर्ट देने के निदेश दिए। तदनुसार बातचीत के परिणामस्वरूप फर्म ने अपनी दर 2180 रूपए प्रति टन तक कम कर दी और निदेशक (एम.एम.) ने इस आधार पर कि दिल्ली नगर निगम को मार्च 1998 में खोले गए निविदाओं में 2390 रु. प्रति टन की न्यूनतम दर प्राप्त हुई थी, फर्म से इस दर पर सीमेन्ट प्राप्त करने की सिफारिश की। का.स.बो. ने कोई कारण बताए बिना अप्रैल, 1998 में निदेशक (एम.एम.) की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और पुनः निविदाएं आमंत्रित करने के आदेश दिए।

<sup>2</sup> कार्य सलाहकार बोर्ड

अप्रैल 1998 में निविदाएं पुनः आमंत्रित की गईं और फर्म "ख" द्वारा प्रस्तावित 2299 रु. प्रति टन की दर निम्नतर थी। 2259 रूपए प्रति टन की सहमत दर पर 12000 टन सीमेन्ट का आपूर्ति आदेश का.स.बो. के अनुमोदन से मई 1998 में फर्म "ख" को दिया। इस आदेश के विरुद्ध फर्म ने 11,772.50 टन सीमेन्ट की आपूर्ति की। 6399.50 टन सीमेन्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2244 रूपए प्रति टन की दर से जुलाई 1998 में अन्य फर्मों से प्राप्त किया गया। इस प्रकार निदेशक (एम.एम.) की सिफारिशों की उपेक्षा कर फर्म "क" के निम्नतर प्रस्ताव को अस्वीकार करके, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मई और जुलाई 1998 के दौरान उच्च दर पर सीमेन्ट की प्राप्ति में 13.35 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2000 में भेजा गया; उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था।

#### 11.7 उच्चतर दर पर ठेका सौंपना

मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्य सलाहकार बोर्ड को तथ्यों के मिथ्यानिरूपण के कारण उच्चतर दरों पर कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण को 10.46 लाख रु. की हानि हुई।

पालम गांव में वर्ग II तथा वर्ग III प्रत्येक में 280 नि.आ.व. गृहों के निर्माण के लिए 3.31 करोड रु. तथा 3.30 करोड रु. अनुमानित लागत पर दि.वि.प्रा. द्वारा नवम्बर 1996 में निविदायें आमंत्रित की गईं थीं। इन कार्यों के लिए मानक सूत्र के आधार पर दरों का औचित्य मानने के लिए संगणित की गई न्यायोचित दरें 3.84 करोड रु. तथा 3.82 करोड रु. थीं जो कि अनुमानित लागत से 15.97 प्रतिशत तथा 15.99 प्रतिशत अधिक थीं। का.स.बो. ने जनवरी 1997 में मु.अ. को दरों को अनुमानित लागत से 2.64 प्रतिशत तक कम करने के लिए न्यूनतम निविदादाता ठेकेदार "क" से मोल तोल करने का निदेश दिया, ऐसा न करने पर कार्य न्यायोचित दरों से 10 प्रतिशत (लगभग) नीचे दर पर सौंपा जा सकता है।

मु.अ. ने कार्य सौंप दिये तथा मार्च 1997 में का.स.बो. को सूचित किया कि यद्यपि ठेकेदार "क" की मोल तोल के बाद की दरें वर्ग II तथा वर्ग III के लिए अनुमानित लागत से क्रमशः 5.93 प्रतिशत तथा छः प्रतिशत अधिक थीं परन्तु न्यायोचित दरों से क्रमशः 10.04 प्रतिशत (लगभग) तथा 10 प्रतिशत (लगभग) नीचे थीं। तदनुसार कार्यों का सौंपा जाना का.स.बो. द्वारा अनुमोदित कर दिये गये थे।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा का.स.बो. को सूचित की गई दरें जिनके आधार पर कार्य सौंपे गये थे, सही नहीं थी। संगणित की गई दरें न्यायोचित दरों से 8.66 प्रतिशत तथा 8.61 प्रतिशत कम थी, इस प्रकार दि.वि.प्रा. ने 10.46 लाख रु. की हानि उठाई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 11.7

(लाख रु. में)

	कार्य	
	वर्ग II	वर्ग III
1 अनुमानित लागत	331.02	329.55
2 निविदागत लागत (मोल तोल पर )	350.63	349.33
3 न्यायोचित दर	383.87	382.25
4 का.स.बो. की अनुशंसा		
(क) अनुमानित लागत से 2.64 प्रतिशत अधिक अथवा	339.75	338.25
(ख) न्यायोचित दरों से 10 प्रतिशत कम	345.48	344.02
5 अन्तर (2-4ख )	5.15	5.31
कुल अन्तर	10.46	

इस प्रकार मु.अ. द्वारा कार्यों का सौंपा जाना जो कि का.स.बो. की अनुबंधित न्यायोचित दरों से अधिक था तथा इसके द्वारा का.स.बो. को तथ्यों के मिथ्या निरूपण के परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को 10.46 लाख रु. की हानि हुई ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2000 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2001 तक प्रतीक्षित था ।



## अध्याय XII

### 12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

लोक सभा सचिवालय ने सभी मन्त्रालयों से यह अनुरोध करते हुए कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दर्शाते हुए टिप्पणियां, वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग) को प्रस्तुत करने हेतु अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए ।

लो.ले.स.<sup>1</sup> ने 1995-96 के दौरान की गई का.टि.<sup>2</sup> के प्रस्तुतीकरण की स्थिति का पुनरीक्षण किया और अधिकांश मन्त्रालयों द्वारा लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर का.टि. देने में अत्यधिक विलम्ब और निरन्तर विफलता पाई । 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित का.टि. के प्रस्तुतीकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करें और सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा भली-भांति पुनरीक्षित कराकर संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करें ।

31 मार्च, 1999 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकायों) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति (परिशिष्ट IV) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुदेशों के बावजूद, मन्त्रालयों ने उनसे सम्बन्धित बहुत से पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी । 127 पैराग्राफों में से, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, 15 पैराग्राफों पर अन्तिम का.टि. प्रतीक्षित थी जबकि 112 पैराग्राफों के सम्बन्ध में का.टि. प्राप्त नहीं हुई थी ।

112 पैराग्राफ, जिन पर का.टि. प्रतीक्षित थी, में से 41 पैराग्राफ शहरी मामले और रोजगार मन्त्रालय, शहरी मामलों का विभाग, के मार्च 1989 से मार्च 1995 को समाप्त अवधि के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित थे ।

<sup>1</sup> लोक लेखा समिति

<sup>2</sup> कार्यवाही टिप्पणियां

## अध्याय XIII : सामान्य

### 13.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

31 मार्च 2000 को 17 विश्वविद्यालयों सहित 218 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (वैज्ञानिक विभागों के अन्तर्गत आने वालों के अतिरिक्त) थे, जिनके वार्षिक लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अन्तर्गत एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे। संघ सरकार द्वारा 1999-2000 के दौरान 203 स्वायत्त निकायों को क्रमशः 3962.02 करोड़ रु. तथा 448.18 करोड़ रु. राशि के अनुदान तथा ऋण दिये गये थे (परिशिष्ट-V)। इनमें से 13 विश्वविद्यालयों द्वारा 544.49 करोड़ रु. की सीमा तक के अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किए गए थे (परिशिष्ट-VI)। शेष 15 निकायों के सम्बन्ध में 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं को संबंधित निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा इस प्रकार उनके द्वारा प्राप्त की गई सरकारी अनुदान की राशि मार्च 2001 तक उपलब्ध नहीं थी (परिशिष्ट-VII)।

(i) 31 मार्च 2000 को 126 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (वैज्ञानिक विभागों के अन्तर्गत आने वालों के अतिरिक्त) थे जिनके लेखे प्रारम्भ में शासपत्रित लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 14(1) तथा 14(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी। मार्च 2001 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार इन निकायों में से 32 निकायों ने 1999-2000 के दौरान संघ सरकार से 66.51 करोड़ रु. के अनुदान प्राप्त किए (परिशिष्ट-VIII)। 94 निकायों के सम्बन्ध में वार्षिक लेखे/सूचना संबंधित निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी (परिशिष्ट-IX)।


(ii) स्वायत्त निकायों की संख्या जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम की धारा 19(2) और 20(1) तथा 14(1) और 14 (2) के अन्तर्गत की जानी थी की स्थिति तथा 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इन निकायों द्वारा प्राप्त अनुदानों/ऋणों की स्थिति नीचे दी गई है:

**तालिका 13.1 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा प्राप्त अनुदानों/ऋणों का सार**

वर्ष	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की कुल संख्या	अनुदान	ऋण	अभ्यक्तियां	नि.म.ले.प. (क.अ.से.) अधिनियम 1971 की धारा जिसके अन्तर्गत लेखापरीक्षा की गई
		(लाख रू. में)			
1998-1999	216	434107.82	65997.06	राशि केवल 195 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 21 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी थी।	19 (2) एवं 20 (1)
1998-1999	221	13687.88	शून्य	राशि केवल 33 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 188 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	14 (1) एवं 14 (2)
1999-2000	218	396201.88	44818.23	राशि केवल 203 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 15 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	19 (2) एवं 20 (1)
1999-2000	126	6651.33	शून्य	राशि केवल 32 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 94 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	14 (1) एवं 14 (2)

(iii) सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) 1975-76 में यह सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने के अवधि के भीतर अपने लेखे तैयार कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखावर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

वर्ष 1998-99 के लिए 218 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा की शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) व 20(1) के अन्तर्गत की जानी थी



तथा ये लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 1999 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने थे। इन में से केवल 73 स्वायत्त निकायों के लेखे, लेखावर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीनों की निर्धारित सीमा के भीतर लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराये गये थे। शेष 145 स्वायत्त निकायों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ जैसा कि चार्ट में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-X में स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन से छः माह के बीच तथा छः माह से अधिक तक विलम्बित थे, की स्थिति दी गई है। परिशिष्ट-XI में उन निकायों की सूची दी गई है, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये।

### 13.2 सत्यापन लेखापरीक्षा के परिणाम

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रमाणित अंतिम लेखाओं के साथ संलग्न मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामले जिनमें सम्बन्धित संग नों/ मंत्रालयों को मुख्य टिप्पणियां जारी की गई थी, नीचे दर्शाए गए हैं :

#### 13.2.1 पत्तन न्यासों द्वारा ऋणों की वापस अदायगी में चूक

##### (क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास

पत्तन न्यास के लेखाओं में पूंजीगत ऋण के आंकड़े 84078.36 लाख रु. दर्शाए गए थे। विश्व बैंक ऋण के मूलधन के 4332.45 लाख रु. तथा ब्याज के 32509.63 लाख रु. की चूक के लिए भुगतान का प्रावधान न करने के कारण 36842.08 लाख रु. कम दर्शाया गया था।

##### (ख) कोचीन पत्तन न्यास

1999-2000 के दौरान कोचीन पत्तन न्यास ने भारत सरकार को 894.57 लाख रु. की सीमा तक भुगतान करने में चूक की थी। 31 मार्च 2000 तक वापस अदायगी की चूक की राशि 6328.31 लाख रु. तथा ब्याज की राशि 16507 लाख रु. थी। 31 मार्च 2000 तक वापस अदायगी की चूक की राशि पर 17688.65 लाख रु. का शास्ति ब्याज लेखाओं में प्रकट नहीं किया गया था।

#### 13.2.2 870 लाख रु. की योजनेत्तर प्रशासनिक निधि

##### खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई

अनुवर्ती वर्ष के व्यय को वहन करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई 165 लाख रु. की अधिकतम सीमा के प्रति 31.3.2000 तक खा.ग्रा.उ.आ. ने सरकार की अनुमति के बिना 870 लाख रु. अपने पास रोके रखे।

#### 13.2.3 प्रस्तुत/प्राप्त नहीं किए गए उपयोग प्रमाण पत्र

##### (ii) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव

1999-2000 के दौरान बोर्ड ने विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थाओं को तिलहन एवं वनस्पति तेल के प्रोत्साहन/विकास के लिए 591.84 लाख रु. की राशि के अनुदान जारी किए परन्तु उपरोक्त राशि में से 313.95 लाख रु. मूल्य के उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2000)।

(ii) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास

भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य निकायों से प्राप्त 94697 लाख रू. के सम्बन्ध में ऋणों के उपयोग प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे।

13.2.4 कलकत्ता पत्तन न्यास

नदी तलकर्षण तथा अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को 1298.61 लाख रू. से अधिक दर्शाए जाने के परिणामस्वरूप विविध देनदारों को इस सीमा तक इस कारण से अधिक दिखाया:

तलकर्षण गतिविधि से सीधे सम्बन्ध न रखने वाले व्यय को 944.69 लाख रू. सम्मिलित करना क्योंकि जलपोत 1999-2000 के दौरान तलकर्षण प्रचालन से अलग रहा।

क.प.न्या.<sup>1</sup> ने दिसम्बर 2000 में बताया कि भारत सरकार ने बिना कोई शर्त लगाए नदी तलकर्षण तथा नदी अनुरक्षण से सीधे सम्बन्धित 100 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति करने को अनुमत किया तथा इस प्रकार क.प.न्या. अप्रचालित जलयानों पर किए गए व्यय के लिए भी आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जलयान प्रचालन में नहीं थे तथा इनसे 1999-2000 के दौरान कोई तलकर्षण का कार्य नहीं लिया गया, इसलिए इनपर किये गये व्यय को सीधे तलकर्षण की गतिविधि पर किया गया व्यय नहीं माना जा सकता।

सामान्य पत्तन सुविधाओं/संचालन के लिए आबंटन योग्य 288.79 लाख रू.

व्यय परिकलित करने में उपयोग में न लाए गए जलयानों

की संचालन लागत शामिल करना ।

क.प.न्या. ने दिसम्बर 2000 में बताया कि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मुख्य प्रपत्र के अनुसार समुद्री सर्वेक्षण एवं नौ संचालन सम्बन्धी सहायता पर किए गए व्यय का एक भाग नदी तलकर्षण तथा नदी अनुरक्षण पर आबंटित किया जाएगा तथा दूसरा भाग उपयोग किए गए जलयानों की प्रचालन लागत के आधार पर संचालन पर आबंटित किया जाएगा।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अप्रयुक्त जलयानों की प्रचालन लागत भी सामान्य पत्तन सुविधाएं/संचालन पर आबंटन योग्य व्यय का अनुपात परिकलित करने के लिए शामिल किया गया था।

शीघ्र भुगतान करने पर प्राप्त छूट का समायोजन किए बिना 65.13 लाख रू.

डी.सी.आई. बिलों के सकल राशि का दावा करना ।

<sup>1</sup> कलकत्ता पत्तन न्यास

दिसम्बर 2000 में क.प.न्या. ने बताया कि डी.सी.आई. के अनुसार कौ.प.न्या. ने कोई छूट अर्जित नहीं की तथा इस लिए यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राशि को डी.सी.आई. को वापस किया जा सकता था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छूट तलकषण पर व्यय का भाग नहीं बनता तथा इसलिए सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति नहीं है।

### 13.2.5 विद्युत यांत्रिकी कार्यों को वार्षिक लेखाओं में समाविष्ट नहीं किया जाना बेतवा नदी बोर्ड

अधिनियम बेतवा नदी बोर्ड निधि के ग न करने की व्यवस्था करता है जिसमें राजघाट पावर हाउस के निर्माण पर व्यय सहित बोर्ड<sup>2</sup> के व्यय को वहन करने के लिए मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड को राशि क्रेडिट की जाती है।

अगस्त 1992 तथा मार्च 1993 में हुई बोर्ड की बै क में यह निर्णय लिया गया था कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड बेतवा नदी बोर्ड निधि के माध्यम से राजघाट पावर हाउस के विद्युत-यांत्रिक कार्य के लिए निधि उपलब्ध करवाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 1999) से पता चला कि अधिनियम के प्रावधानों तथा बोर्ड द्वारा पहले (अगस्त 1992 और मार्च 1993 में) से लिए गए निर्णयों का उल्लंघन करते हुए, बोर्ड ने अगस्त 1993 में यह निर्णय लिया कि म.प्र.वि.बो.<sup>3</sup> को विद्युत यांत्रिक कार्य के लिए (मध्य प्रदेश सरकार के हिस्से के प्रति) सीधे भुगतान करने तथा मासिक लेखाओं को बोर्ड के वित्त सलाहकार के नियमित रूप से पेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाए। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किए गए इन भुगतानों को वर्ष 1998-99 की बोर्ड की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा को कोई भी संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

पुनः (जून 2000) में देखा गया कि म.प्र.वि.बो. ने विद्युत यांत्रिक कार्य पर 31 मार्च 1999 को 59.24 करोड़ रु. के प्रति फरवरी 2000 तक 61.85 करोड़ रु. के व्यय की विवरणी प्रस्तुत की। इस व्यय के समर्थन में बोर्ड के पास पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं था, जिसको शामिल नहीं किये जाने के कारण इस सीमा तक वार्षिक लेखों में कम दिखाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (जून 2000) में बोर्ड ने बताया कि 29 मई 2000 को म.प्र.वि.बो. के अधिकारियों तथा वित्तीय सलाहकार के बीच हुई बै क में यह बताया गया कि म.प्र.वि.बो. में अपने लेखे वाणिज्यिक लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये थे जिनको बोर्ड द्वारा अनुरक्षित विद्युत परियोजना के सिविल लेखाओं में शामिल नहीं किया जा सकता। म.प्र.वि.बो.द्वारा तैयार किये गये तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) म.प्र.ग्वालियर द्वारा लेखापरीक्षित लेखे म.प्र.वि.बो. द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के साथ बोर्ड

<sup>2</sup> बेतवा नदी बोर्ड

<sup>3</sup> मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड

को उपलब्ध करा दिए जायेंगे। आगे यह बताया गया कि राजघाट विद्युत परियोजना की वि. तथा या. भाग की लेखापरीक्षा प्रगति पर है तथा म.प्र.वि.बो. द्वारा लेखापरीक्षित लेखे लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ बोर्ड को यथासमय उपलब्ध कराये जाएंगे।

अधिनियम के अनुसार समस्त व्यय बोर्ड की निधियों के माध्यम से किये जाने चाहिए थे तथा इसके लेखाओं में शामिल किए जाने चाहिए थे। अपनाई गई प्रक्रिया ने अधिनियम का उल्लंघन किया तथा 31 मार्च 1999 को 59.24 करोड़ रु. के व्यय के प्रति फरवरी 2000 के अन्त तक 61.35 करोड़ रु. व्यय हुआ। जो बिना लेखापरीक्षा के एवं बोर्ड के लेखाओं से बाहर रहा।

### 13.3 उपयोग प्रमाण-पत्र

1976 में लेखाओं के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि को जारी किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए थे उस पर उनका उचित उपयोग किया गया, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा नियंत्रकों को अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे, मार्च 2000 के अन्त में मार्च 1998 तक जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 7035.96 करोड़ की राशि के सितंबर 1999 तक देय (वित्त वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया गया, के 18 माह बाद) 35390 में लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों की कुल संख्या की स्थिति दर्शाने वाला मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट XII में दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालयों/विभागों ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की।

मार्च 2000 के अन्त में 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से 6856.91 करोड़ रु. राशि के कुल 34122 प्रतीक्षित उपयोग प्रमाण पत्रों में से 4126.66 करोड़ रु. को राशि के 28614 प्रमाण पत्र 1996-97 तक जारी अनुदानों से संबंधित थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 13.3 (i) : 31 मार्च 2000 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 1998 तक जारी किये गए अनुदान		मार्च 1997 तक जारी किये गए अनुदान	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	कृषि एवं सहकारिता	304	54.51	172	20.59
2.	पर्यावरण एवं वन				
	(i) पर्यावरण एवं वन	3570	456.61	2849	351.44
	(ii) महासागर विकास	608	34.57	495	16.51
3.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	261	32.29	198	20.93
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
	(i) स्वास्थ्य	1363	462.34	960	202.98
	परिवार कल्याण	1439	243.83	1140	147.76

2001 की रिपोर्ट सं.4 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 1998 तक जारी किये गए अनुदान		मार्च 1997 तक जारी किये गए अनुदान	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
5.	मानव संसाधन विकास				
	(i) महिला एवं बाल विकास	8849	1126.02	7884	988.42
	(ii) युवा मामले एवं खेल कूद	3468	304.77	3052	206.41
	(iii) शिक्षा	6620	3361.79	5755	1600.43
	(iv) संस्कृति	5272	382.97	4207	286.94
6.	श्रम	643	34.91	587	30.14
7.	गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत	274	16.17	176	9.65
8.	अन्तर्िक्ष	300	7.76	230	3.24
9.	वस्त्र				
	हस्तशिल्प विकास आयुक्त, दिल्ली	638	22.18	459	16.38
10.	शहरी मामले एवं रोजगार	513	316.19	450	224.84
	<b>जोड़</b>	<b>34122</b>	<b>6856.91</b>	<b>28614</b>	<b>4126.66</b>

इस प्रकार, सांविधिक निकायों तथा गैर-सरकारी संग नों को अनुदान जारी करने के पूर्व भारत सरकार के प्राधिकारियों ने कुल जारी किये गये अनुदानों के 60.18 प्रतिशत के बराबर 83.86 प्रतिशत मामलों में अनुदानों के उपयोग के बारे स्वयं को सन्तुष्ट नहीं किया।

उपयोग प्रमाण पत्रों की भारी संख्या की प्राप्ति को लम्बित रखते हुये निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने, पिछले वर्षों में जारी किये गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण पत्रों के लिए आग्रह किये बिना दोषी सांविधिक निकायों/गैर-सरकारी संग नों आदि को 1999-2000 के दौरान नये अनुदान जारी किये।

तालिका 13.3 (ii) 1999-2000 के दौरान जारी किए गए नए अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	पिछले वर्ष के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना जारी किये गये नए अनुदानों की राशि
1.	कृषि एवं सहकारिता	304	54.51	67.99
2.	अन्तर्िक्ष	300	7.76	4.55
3.	योजना	84	7.10	0.32
4.	पर्यटन	17	2.69	15.05
5.	वस्त्र	638	22.18	6.16
6.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14	12.91	26.56
7.	शहरी मामले तथा रोजगार	513	316.19	102.76
8.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	1	1.83	1.54
9.	सूचना एवं प्रसारण	5	8.87	5.04
10.	वित्त (आर्थिक मामले)	1	0.35	65.05
	<b>जोड़</b>	<b>1877</b>	<b>434.39</b>	<b>295.02</b>



इससे यह संकेत मिलता था कि सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संग नों आदि को अनुदान जारी करने वाले प्राधिकारियों ने, यह सुनिश्चित किये बिना कि पूर्व अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिये किया गया था जिसके लिये वे संस्वीकृत किये गए थे, नए अनुदान जारी किये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, विदेश, श्रम मंत्रालयों/विभागों ने पूर्व वर्षों के लिये उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना 1999-2000 के दौरान जारी किये गए नए अनुदानों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत नहीं की।



(हरप्रसाद दास)


महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

दिनांक : 27 जुलाई 2001

प्रतिहस्ताक्षरित




(विजय कृष्ण शुंगलु)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 30 जुलाई 2001



## परिशिष्ट- I

(पैराग्राफ 1.6.1 देखें)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखे

प्राप्ति लेखा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	प्राप्तियां	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
		योजनेत्तर/ योजनागत	योजनेत्तर/ योजनागत	योजनेत्तर/ योजनागत	योजनेत्तर/ योजनागत	योजनेत्तर/ योजनागत
1.	अथ शेष	382.00#	2190.74^	3650.81	5538.83	9593.81
2.	सरकार से अनुदान (सभी केन्द्रों सहित)	6629.00 5306.77	7,353.00 7714.77	8,921.00 6155.99	14,950.00 7723.88	16,000.00 8017.36
3.	विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्राप्त अनुदान	774.41	826.73	1069.35	1254.89	1277.09
4.	बाह्य एजेंसियों से प्राप्त दान	27.17	36.91	32.59	56.37	52.14
5.	अस्पताल प्राप्तियां	548.52	525.81	591.63	546.80	656.24
6.	विविध प्राप्तियां	366.28	246.32	562.88	320.79	1031.31*
7.	भविष्य निधि (बीमा सहित)	643.11	703.69	905.49	1446.77	2202.93
8.	जमा	106.97	150.55	173.16	201.66	208.96
9.	वसूली योग्य अग्रिम	46.05	51.75	53.60	65.09	111.28
10.	बाहरी वसूलियां	75.78	66.48	57.86	234.30	662.40
11.	निवेश	3160.09	5603.70	3000.00	3800.00	9600.00
12.	आवर्ती निधि	113.91	111.42	105.75	153.65	176.64
13.	अनुदान/दान/वसूली योग्य अग्रिमों में से निवेश पर ब्याज	113.03	123.39	155.63	181.56	353.67
14.	रोगी उपचार लेखा	2468.75	2594.75	2921.59	2638.32	3161.27
15.	गरीब रोगी लेखा	5.01	5.44	8.23	2.41	2.14
16.	प्रति प्रविष्टियां	3617.00	6368.00	5147.81	7730.47	9422.56
जोड़		24383.85	34673.65	33513.37	46845.79	62529.80

# वर्ष 1994-95 के लेखे में योजना से संबंधित 0.78 लाख रु. को छोड़कर ।

^ इसमें अथ शेष के रूप में दर्शाए गए सी टी रोगी लेखे के 200.00 लाख रु. की सा.ज.प्र. शामिल हैं जो 1995-96 के अंत शेषों में शामिल किए जाने से रह गए ।

\* वापस की गई दोषपूर्ण मशीनरी के प्रति 42.53 लाख रु. शामिल है ।

## भुगतान लेखा

(लाख रु.में)

क्र.सं.	भुगतान	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
(क)	राजस्व व्यय (सभी केन्द्रों को मिलाकर)					
1.	वेतन एवं भत्ते	4447.51	5171.20	6520.62	11002.91	11551.81
2.	मशीनरी एवं उपकरण	2328.75	4711.03	2034.56	2238.61	6107.15
3.	सामग्री एवं आपूर्ति	2226.63	2117.79	2459.32	2749.10	3294.08
4.	विविध व्यय/आकस्मिकताएं (भवन अनुरक्षण सहित)	1602.44	1908.57	2180.37	2754.19	3595.74
5.	वसूली योग्य अग्रिम	81.05	73.99	65.24	208.87	306.80
6.	बाहरी वसूलियां	169.56	205.49	221.00	496.37	1059.06
7.	निवेश	3004.25	5510.38	3003.25	3800.00	9602.00
8.	विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों में से व्यय	736.98	841.28	920.64	1093.54	1221.16
9.	भविष्य निधि (बीमा सहित)	550.03	599.48	762.82	1243.30	1829.65
10.	जमा/वापसियां	60.88	100.51	140.55	175.57	142.41
11.	आवर्ती निधि	208.10	70.12	102.28	115.97	90.97
12.	रोगी उपचार लेखा	2130.72	2034.51	2389.88	2179.24	2870.62
13.	गरीब रोगी लेखा	1.21	3.80	15.98	4.14	6.50
(ख)	पूँजीगत व्यय भवन का निर्माण तथा भवन, विशेष सेवाओं, गतिशील नेत्र युनिटों आदि के लिए अग्रिम	1228.00	1306.69	2010.22	1459.70	1944.03
	प्रति प्रविष्टियां	3617.00	6368.00	5147.81	7730.47	9422.56
	अंत शेष	1990.74	3650.81	5538.83	9593.81	9485.26
	जोड़	24383.85	34673.65	33513.37	46845.79	62529.80

### परिशिष्ट- III

(पैराग्राफ 2.1.4.2 देखें)

#### विशेष उद्देश्य के लिए योजनागत अनुदान

क्र.सं.	संस्वीकृति का वर्ष	अनुदान की राशि (करोड़ रु. में)	उद्देश्य	31-3-2000 की स्थिति
1	1995-96	0.50 0.75	पुस्तकालय का उन्नयन- सी.डी.रोम, छात्रावास भवन, छात्रावास भवनो की खरीद	1996-97 में पूंजीकृत  -वही-
2	1996-97	1.80	उच्च गति नेटवर्क प्रणाली	1998-99 में पूंजीकृत
3	1997-98	2.00 1.00 0.75	विद्यार्थियों की भर्ती का बढ़ना, परिकलन सुविधाओं को उन्नत करना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खरीद	उपयोग न की गई पूंजीकृत -वही-
4	1998-99	1.00	छात्रावास का पुनः सज्जित करना तथा संस्थान को जल आपूर्ति करना	उपयोग न की गई
	-वही-	2.00	विशेष मरम्मत एवं नवीकरण तथा संस्थान की प्रयोग शालाओं, पुस्तकालयों सहित अवसंरचना सुविधाओं को पुनः सज्जित करना	-वही-
	-वही-	4.00	परिकलन सुविधाओं को उन्नत करना	2.15 करोड़ रु. 1999-2000 में पूंजीकृत किए गए थे
5	1999-2000	6.10	परिकलन सुविधाओं को उन्नत करना	संस्वीकृत अनुदान मार्च 2000 के अंत तक प्राप्त नहीं किए गए थे।
	-वही-	10.70	विद्यार्थियों की भर्ती का बढ़ना	-वही-
<b>जोड़</b>		<b>30.60</b>		

कुल संस्वीकृति:

30.60 करोड़ रु.

कुल प्राप्ति:

13.80 करोड़ रु.

कुल पूंजीकृत:

6.95 करोड़

31-3-2000 को कुल अप्रयुक्त रही राशि

6.85 करोड़ रु.

## परिशिष्ट- III

(पैराग्राफ 2.1.5.1 देखें)

## स्थायी निधि

(लाख रु. में)

वर्ष	अथ शेष	पूँजीगत निधि से हस्तांतरित/अ.अ.ब.*/अ.अ.दा.* * का परिवर्धन	ब्याज	अन्य आय	जोड़	व्यय	आइ.एवं ई. लेखे में अंतरण	अंत शेष	निवेश एवं अंत शेष
1993-94					511.52	-	188.11	323.41	निवेश = 490.00 अंत शेष= <u>21.52</u> 511.52
1994-95	323.41		58.04	36.40	418.17	0.06	94.38	323.73	निवेश = 1,113.85 अंत शेष= <u>0.03</u> 1,113.88
1995-96	323.73	अ.अ.ब* 280.74	120.96	7.50	732.93	0.29	128.17	604.47	निवेश = 1,585.17 अंत शेष= <u>4.57</u> 1,589.74
1996-97	604.47	अ.अ.ब* 403.73 अ.अ.ब** 116.26 पूँजी. निधि*** <u>1,493.91</u> 2,013.90	203.42	54.15	2,875.94	1.62	255.95	2,618.3 7	निवेश = 2,618.24 अंत शेष= <u>0.13</u> 2,618.37
1997-98	2,618.37	अ.अ.ब* 76.56 अ.अ.दा.** 168.86 2.21 पूँजी. निधि*** <u>2,231.55</u> 2,479.18	296.33	4.50	5,398.38	0.41	300.42	5,097.5 5	निवेश = 5,097.50 अंत शेष= <u>0.05</u> 5,097.55
1998-99	5,097.55	पूँजी. निधि*** 804.82 (निवल)	434.59	3.00	6,339.96	1.15	436.44	5,902.3 7	निवेश = 5,883.49 अंत शेष= <u>18.88</u> 5,902.37
1999-2000	5,902.37	पूँजी. निधि*** 646.28 <u>1,831.82</u> 2,478.10	1.39	-	8,381.86	2.45	-	8,379.4 1	निवेश = 8,379.40 अंत शेष = <u>0.01</u> 8,379.41

ये आंकड़े लेखाओं से लिए गए

\* अ.अ.ब. = अनुपयोजी अनुदान बचत

\*\* अ.अ.दा. = दान के लिए अनुरूपयोजी अनुदान

संस्थान ने अंत निधि शेष को प्राप्त करने के लिए 1993-94 में ई.एफ.,आई,डी,एफ, तथा एस.आर.आई. सी. से आई. एवं ई. लेखे में अंतरणों को 1994-95 लेखे में लिया। 418.17 लाख रु. में 0.32 लाख रु. शामिल है जिसे पृथक नहीं किया जा सका।

## परिशिष्ट- IV

(पैराग्राफ 12 देखें)

अक्टूबर 2000 तक मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष तक की बकाया कार्यवाही  
टिप्पणियाँ

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
1.	वाणिज्य	1998	1	1	-
2.	वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	1999	1	1	-
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	2	2	-
4.	मानव संसाधन विकास (i) संस्कृति विभाग  (ii) शिक्षा विभाग	1997  1998  1996 1997 1998 1999	1 2  3 4  3 4	1 2  1 2  2 4	- -  1 2  1 -
5.	उद्योग	1998 1999	1 4	1 4	- -
6.	श्रम	1997	1	-	1
7.	कानून, विधि एवं कम्पनी मामले	1998	1	-	1
8.	ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार	1998 1999	5 4	5 4	- -
9.	भूतल परिवहन	1998 1999	16 28	12 23	4 5
10.	शहरी मामले तथा रोजगार (शहरी मामले विभाग)	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1999	1 5 8 9 12 4 2 8	1 5 8 9 12 4 2 8	- - - - - - - -
	जोड़		127	112	15

**परिशिष्ट - V**

(पैराग्राफ 13.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 1999-2000 के दौरान प्राप्त अनुदान/कर्ज

(लाख रु. में)

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
<b>कृषि और सहकारिता</b>			
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	2100.00	शून्य
2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	878.54	शून्य
3.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	1088.00	7939.00
4.	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	64.60	शून्य
5.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव	575.00	शून्य
6.	लोक कार्यवाही तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	3211.00	शून्य
<b>नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण</b>			
7.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
<b>वाणिज्य</b>			
8.	मसाला बोर्ड, कोची	1535.53	शून्य
9.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	1600.00	शून्य
10.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम	3113.00	शून्य
11.	तम्बाकू बोर्ड, गन्नूर	ड शून्य	शून्य
12.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बंगलौर	3500.00 <sup>1</sup>	शून्य
13.	कॉफी बोर्ड (सामूहिक निधि लेखे), बंगलौर		
14.	कृषि तथा संसाधित खाद्य पदार्थ, निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	3370.00	शून्य
15.	निर्यात निरीक्षण परिषद, कोलकाता		
16.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता	245.23 <sup>2</sup>	शून्य
17.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई		
18.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई		
19.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन		
20.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली		
21.	चाय बोर्ड, कोलकाता	3077.44	शून्य
<b>रक्षा</b>			
22.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकाल खेल संस्थान, बेटोट	13.74	शून्य
23.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी	47.37	शून्य
24.	हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	111.65	शून्य

<sup>1</sup> कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे) तथा कॉफी बोर्ड (सामूहिक निधि लेखे) के संयुक्त अनुदान

<sup>2</sup> निर्यात निरीक्षण परिषद कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, कोचीन तथा दिल्ली स्थित अभिकरणों को संयुक्त अनुदान



क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
<b>पर्यावरण</b>			
25.	पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई	515.00	शून्य
<b>विदेश</b>			
26.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, नई दिल्ली	3682.00	शून्य
<b>वित्त</b>			
27.	भारतीय प्रत्याभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>			
28.	भारतीय दन्त्य परिषद, नई दिल्ली	43.00	शून्य
29.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	134.00	शून्य
30.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	12106.00	शून्य
31.	भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली	13.00	शून्य
32.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	28.00	शून्य
33.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	1081.73	शून्य
34.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	24017.36	शून्य
35.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली	10.00	शून्य
36.	भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	65.60	शून्य
37.	केन्द्रीय हौम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	721.00	शून्य
38.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	184.00	शून्य
39.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	134.46	शून्य
40.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1436.00	शून्य
41.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2645.00	शून्य
42.	राष्ट्रीय परीक्षा परिषद, नई दिल्ली	15.00	शून्य
43.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	43.86	शून्य
44.	केन्द्रीय हौम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	71.00	शून्य
45.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	780.02	शून्य
46.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	3005.20	शून्य
47.	राष्ट्रीय हौम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता	351.46	शून्य
48.	राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि, नई दिल्ली	50.00	शून्य
<b>गृह</b>			
49.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	468.00	शून्य
<b>मानव संसाधन विकास</b>			
50.	उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	45.53	शून्य
51.	क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	752.21	शून्य
52.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, वडोदरा	34.67	शून्य
53.	डा. अम्बेडकर क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जालंधर	739.34	शून्य
54.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर	1609.00	शून्य
55.	उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	106.60	शून्य
56.	सरदार वल्लभ भाई क्षेत्रीय अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सूरत	919.74	शून्य
57.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	406.00	शून्य
58.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	377.82	शून्य
59.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	25.25	शून्य
60.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, हमीरपुर	441.17	शून्य

2001 की रिपोर्ट सं.4 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
61.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड	300.00	शून्य
62.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर	999.00	शून्य
63.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	419.69	शून्य
64.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	1241.00	शून्य
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	8395.00	शून्य
66.	विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपुर	952.68	शून्य
67.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई,	660.67	शून्य
68.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई	1054.00	शून्य
69.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	199.03	शून्य
70.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग	1116.00	शून्य
71.	मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर	1222.82	शून्य
72.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	958.76	शून्य
73.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	981.33	शून्य
74.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	768.97	शून्य
75.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	2293.08	शून्य
76.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	7108.00	शून्य
77.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	175.00	शून्य
78.	अरोविल्ले प्रतिष्ठान, अरोविल्ले	124.12	शून्य
79.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	922.98	शून्य
80.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, तारामणी, चेन्नई	291.86	शून्य
81.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	1840.50	शून्य
82.	रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर	119.88	शून्य
83.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	8177.50	शून्य
84.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1840.40	शून्य
85.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	17401.41	शून्य
86.	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इलाहाबाद	651.00	शून्य
87.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा	495.22	शून्य
88.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान, लखनऊ	979.00	शून्य
89.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	318.60	शून्य
90.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी	255.00	शून्य
91.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद	95.52	शून्य
92.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	8597.03 <sup>3</sup>	शून्य
93.	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	50.72	शून्य
94.	ऐशियाटिक समिति, कलकत्ता	333.00	शून्य
95.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता	328.75	शून्य
96.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कलकत्ता	304.38	शून्य
97.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता	1828.00	शून्य
98.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता	747.00	शून्य
99.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	520.00	शून्य
100.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कलकत्ता	1260.00	शून्य
101.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कलकत्ता	42.76	शून्य
102.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोजीकोड	832.25	शून्य

<sup>3</sup> 34.53 लाख रुपये की विशेष अनुदान को मिलाकर

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्म
103.	खुदा बक्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना	127.78	शून्य
104.	राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	710.00	शून्य
105.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, राउरकेला	723.21	शून्य
106.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	225.37	शून्य
107.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	383.24	शून्य
108.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	1749.00	शून्य
109.	दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड, नई दिल्ली	480.00	शून्य
110.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	1450.00	शून्य
111.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	38848.00	शून्य
112.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली	4000.00	शून्य
113.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	478.00	शून्य
114.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3902.43	शून्य
115.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	452.00	शून्य
116.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वारंगल	996.91	शून्य
117.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	332.60	शून्य
118.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2798.00	शून्य
119.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1430.41	शून्य
120.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	325.00	शून्य
121.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	6950.00	शून्य
122.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	3671.11	शून्य
123.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली	700.00	शून्य
124.	राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	670.00	शून्य
125.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	1292.39	शून्य
126.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	419.69	शून्य
127.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	45.95	शून्य
128.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	5878.00	शून्य
129.	सलार-जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	435.10	शून्य
130.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद्, नई दिल्ली	435.00	शून्य
131.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	13994.37	शून्य
132.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	804.73	शून्य
133.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	45.00	शून्य
134.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद्, नई दिल्ली	511.50	शून्य
135.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	54271.00	शून्य
136.	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	740.00	शून्य
137.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	277.81	शून्य
138.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	665.31	शून्य
139.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	606.27	शून्य
140.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	319.95	शून्य
141.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	233.15	शून्य

2001 की रिपोर्ट सं.4 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
142.	राष्ट्रीय इतिहास, कला संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	66.20	शून्य
143.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	541.00	शून्य
144.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	6362.00	शून्य
145.	भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना, नई दिल्ली	91.65	शून्य
146.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, नई दिल्ली	15.62 <sup>4</sup>	शून्य
147.	तकनीकी शिक्षक शिक्षण संस्थान, भोपाल	346.25	शून्य
148.	मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल	1185.42	शून्य
149.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	550.00	शून्य
150.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, नागपुर	35.37	शून्य
151.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	681.18	शून्य
152.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	367.75	शून्य
153.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	517.00	शून्य
<b>उद्योग</b>			
154.	नारियल जटा बोर्ड, कोची	1410.00	शून्य
155.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	22921.00	1780.00
<b>सूचना तथा प्रसारण</b>			
156.	भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली	221.45	शून्य
<b>श्रम</b>			
157.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
158.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
159.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	1725.00	शून्य
160.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, गाजियाबाद	428.30	शून्य
<b>विधि</b>			
161.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली	1868.00	शून्य
162.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़	55.00	शून्य
<b>खान</b>			
163.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	379.91	शून्य
<b>विद्युत</b>			
164.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	620.00	शून्य
165.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
<b>ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार</b>			
166.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	1504.56	शून्य
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>			
167.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकन्दराबाद	531.00	शून्य
168.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान, देहरादून	541.00	शून्य
169.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, औलतपुर	804.00	शून्य

<sup>4</sup> दान

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	करो
170.	भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली	568.66	शून्य
171.	शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली	430.00	शून्य
172.	केन्द्रीय वक्फ परिषद् नई दिल्ली	149.00	शून्य
173.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान, मुम्बई	518.96	शून्य
174.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान, कलकत्ता	364.74	शून्य
<b>भूतल परिवहन</b>			
175.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	शून्य	शून्य
176.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	शून्य	19725.23
177.	विजाग पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
178.	विजाग गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
179.	कांदला गोदी श्रमिक बोर्ड कांदला	शून्य	शून्य
180.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
181.	मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई*	शून्य	शून्य
182.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नहवा शेवा, मुम्बई	शून्य	शून्य
183.	मरमुगांव पत्तन न्यास, मरमुगांव	शून्य	शून्य
184.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य
185.	कांदला पत्तन न्यास, कांदला	शून्य	शून्य
186.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	शून्य	15374.00
187.	मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड, चेन्नई	शून्य	शून्य
188.	टूटीकोरिन पत्तन न्यास टूटीकोरिन	शून्य	शून्य
189.	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड, कलकत्ता	शून्य	शून्य
190.	कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता	शून्य	शून्य
191.	नया मंगलौर पत्तन न्यास, नया मंगलौर	शून्य	शून्य
<b>दूरसंचार</b>			
192.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	779.00	शून्य
<b>वस्त्र</b>			
193.	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर	8400.00	शून्य
194.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	1649.00	शून्य
195.	फ्टसन निर्माता विकास परिषद्, कलकत्ता	2698.55	शून्य
196.	वस्त्र समिति, मुम्बई	1500.00	शून्य
<b>शहरी कार्य तथा रोजगार</b>			
197.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	107.00	शून्य
198.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	71.50	शून्य
199.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	4300.00	शून्य
<b>जल संसाधन</b>			
200.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी	1200.00	शून्य
201.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	1897.00	शून्य
202..	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	शून्य	शून्य
203.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य
<b>जोड़</b>		<b>396201.88</b>	<b>44818.23</b>

\* मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के साथ संयुक्त अनुदान

**परिशिष्ट - VI**

( पैराग्राफ 13.1 देखें )

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राप्त की गई अनुदान राशि

( लाख रु. में )

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान
1	उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	199.03
2	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	958.76
3	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	981.33
4	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	2293.08
5	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	1840.50
6	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	18470.40
7	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	17401.41
8	विश्वभारती, शांतिनिकेतन	50.72
9	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दु विश्वविद्यालय, हैदराबाद	452.00
10	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1430.41
11	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2798.00
12	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	3671.11
13	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3902.43
	<b>कुल जोड़</b>	<b>54449.18</b>

### परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 13.1 देखें )

नि.म.ले.प. (क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अर्न्तगत लेखापरीक्षित निकाय जिनके वर्ष 1999-2000 के लिए लेखे/सूचना मार्च 2001 तक प्राप्त नहीं हुए ।

क्र.सं.	निकायों के नाम
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>	
1.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता
<b>मानव संसाधन विकास</b>	
2.	भारतीय तकनीकी संस्थान, गुवाहाटी
3.	बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
4.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, चेन्नई
5.	नेहरू युवक केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
6.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
7.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
8.	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, मुम्बई
9.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
10.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
<b>सूचना एवं प्रसारण</b>	
11.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
<b>विद्युत</b>	
12.	केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग, नई दिल्ली
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>	
13.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, नई दिल्ली
<b>शहरी मामले एवं रोजगार</b>	
15.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

## परिशिष्ट - VIII

( पैराग्राफ 13.1 (i) देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) तथा 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 1999-2000 के दौरान प्राप्त अनुदान/कर्ज

( लाख रु. में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान
<b>कृषि एवं सहकारिता</b>		
1.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव	शून्य
2.	राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, भिवानी	शून्य
3.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	453.60
4.	राष्ट्रीय भारतीय सहकारी संघ, नई दिल्ली	281.01
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>		
5.	लाला राम स्वरूप तपेदिक एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	842.00
<b>मानव संसाधन विकास</b>		
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्दान अकादमी, रायबरेली	शून्य
7.	सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता	उ.न.
8.	राम कृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान, कलकत्ता	उ.न.
9.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली	35.24
10.	भारत स्काउट एवं गाइड, नई दिल्ली	82.24
11.	केन्द्रीय नागरिक सेवा खेल बोर्ड, नई दिल्ली	66.58
<b>उद्योग</b>		
12.	भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान संघ, पुणे	745.47
13.	केन्द्रीय उपकरण कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता	उ.न.
14.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	360.00
15.	राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद	37.50
16.	राष्ट्रीय लघु व्यवसाय उद्यमी विकास संस्थान	15.00
17.	भारतीय गुणवत्ता परिषद	55.00
18.	द्रव नियंत्रण अनुसंधान परिषद, पलाक्कड़	297.00
19.	खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, दीमापुर	उ.न.
20.	केन्द्रीय प्लास्टिक एवं अभियांत्रिकी प्रौद्योगिक संस्थान, मैसूर	38.00



क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान
<b>सूचना एवं प्रसारण</b>		
21.	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कलकत्ता	499.93
22.	भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली	777.56
<b>योजना</b>		
23.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता	उ.न.
24.	आर्थिक विकास संस्थान	124.27
<b>विद्युत</b>		
25.	उर्जा प्रबंधन केन्द्र	20.00
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>		
26.	पश्चिमी बंगाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक संघ, कलकत्ता	उ.न.
<b>भूतल परिवहन</b>		
27.	राष्ट्रीय राजमार्ग अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	उ.न.
<b>वस्त्र</b>		
28.	भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता	उ.न.
<b>पर्यटन</b>		
29.	होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिक एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान नई दिल्ली	852.00
<b>शहरी मामले एवं रोजगार</b>		
30.	भवन सामग्री प्रौद्योगिक संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	400.00
31.	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, रुड़की	137.93
<b>जल संसाधन</b>		
32.	राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, रुड़की	531.00
	<b>जोड़</b>	<b>6651.33</b>

## परिशिष्ट - IX

( पैराग्राफ में 13.1 (i) देखें)

निकाय जिनके लेखापरीक्षित लेखे/सूचना नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 14(1) एवं 14(2) के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान प्राप्त नहीं हुए।

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
<b>कृषि एवं सहकारिता</b>	
1.	भारत जर्मन नीलगिरी विकास एजेन्सी-उधममंडलम
2.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ- हैदराबाद
<b>रसायन एवं उर्वरक</b>	
3.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
4.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
5.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर
<b>नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण</b>	
6.	राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, हैदराबाद
<b>वाणिज्य</b>	
7.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
<b>वित्त</b>	
8.	राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली
<b>खाद्य संसाधन उद्योग</b>	
9.	धान संसाधन अनुसंधान केन्द्र तन्जाबुर
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>	
10.	कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वरधा
11.	गांधीग्राम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण न्यास संस्थान, अम्बाथूरई
12.	परिवार सेवा संस्थान
13.	भारतीय रैड क्रॉस समिति
14.	नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र
15.	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
16.	राष्ट्रीय जीव-विज्ञान संस्थान
<b>मानव संसाधन विकास</b>	
17.	हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली
18.	भारतीय शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
19.	राजीवगांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बुदूर
20.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, हैदराबाद

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
21.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली
22.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
23.	भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली
24.	भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति, नई दिल्ली
25.	भारतीय युवा छात्रावास संघ, नई दिल्ली
26.	गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली
27.	श्री अरविन्दो समिति, नई दिल्ली
28.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली
<b>उद्योग</b>	
29.	राष्ट्रीय लघु उद्योग बिस्तार प्रशिक्षण संस्थान, युसूफ गुडा, हैदराबाद
30.	केन्द्रीय पदत्राण प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई
31.	केन्द्रीय उपकरण रूपांकन संस्थान, बालानगर, हैदराबाद
32.	केन्द्रीय मशीन उपकरण संस्थान, बंगलौर
33.	केन्द्रीय लुग्धी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर
<b>सूचना एवं प्रसारण</b>	
34.	बाल फिल्म समिति, मुम्बई
<b>श्रम</b>	
35.	केन्द्रीय अनुदेशात्मक जन संचार संस्थान, गुडंडी, चेन्नई
<b>योजना</b>	
36.	जन साधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
<b>विद्युत</b>	
37.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
38.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र, चेन्नई
<b>ग्रामीण क्षेत्र तथा विकास</b>	
39.	जि.ग्रा.वि.ए. बैल्लोर
40.	जि.ग्रा.वि.ए. तिरुवन्नमलाई
41.	जि.ग्रा.वि.ए. कुड्डालोर
42.	जि.ग्रा.वि.ए. तन्जावूर
43.	जि.ग्रा.वि.ए. त्रिची
44.	जि.ग्रा.वि.ए. पुडुकोट्टाई
45.	जि.ग्रा.वि.ए. शिवगंगा
46.	जि.ग्रा.वि.ए. विरूधनगर
47.	जि.ग्रा.वि.ए. रामनाथपुरम
48.	जि.ग्रा.वि.ए. मदुराई
49.	जि.ग्रा.वि.ए. डीनडीगुल

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
50.	जि.ग्रा.वि.ए. ट्रीनोलबेली
51.	जि.ग्रा.वि.ए. टूटीकोरिन
52.	जि.ग्रा.वि.ए. नागर क्वाइल
53.	जि.ग्रा.वि.ए. कोयम्बटूर
54.	जि.ग्रा.वि.ए. ईरोड
55.	जि.ग्रा.वि.ए. सलेम
56.	जि.ग्रा.वि.ए. उधमनडलम
57.	जि.ग्रा.वि.ए. नागा पट्टिनम
58.	जि.ग्रा.वि.ए. कंचीपुरम
59.	जि.ग्रा.वि.ए. विल्लुपरम
60.	जि.ग्रा.वि.ए. थिरुवनूर
61.	जि.ग्रा.वि.ए. कारूर
62.	जि.ग्रा.वि.ए. पेरांबालूर
63.	जि.ग्रा.वि.ए. थीरुवलूर
64.	जि.ग्रा.वि.ए. नामाकाल
65.	जि.ग्रा.वि.ए. थैनी
66.	जि.ग्रा.वि.ए. पांडिचेरी
67.	जि.ग्रा.वि.ए. पथानकथीट्टा
68.	जि.ग्रा.वि.ए. त्रिचूर
69.	जि.ग्रा.वि.ए. अरनाकुलाम
70.	जि.ग्रा.वि.ए. कोल्लम
71.	जि.ग्रा.वि.ए. त्रिवेन्द्रम
72.	जि.ग्रा.वि.ए. वायानाड
73.	जि.ग्रा.वि.ए. कसरगोड
74.	जि.ग्रा.वि.ए. कन्नूर
75.	जि.ग्रा.वि.ए. कोजीकोड
76.	जि.ग्रा.वि.ए. मालापुरम
77.	जि.ग्रा.वि.ए. पालककड
78.	जि.ग्रा.वि.ए. इदुक्की
79.	जि.ग्रा.वि.ए. कोटाएम
80.	जि.ग्रा.वि.ए. अलप्पुझा
81.	जि.ग्रा.वि.ए. लक्षद्वीप संघ क्षेत्र
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>	
82.	मानसिक विकास केन्द्र, विजयवाडा
83.	भगवाथुला चैरेटेबल ट्रस्ट, येलामरचली

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
84.	भारतीय आदमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली
85.	रायल सीमा सेवा समिति, विजयवाड़ा
86.	जिला विकलन्गुला संगम विनुकोंडा
<b>भूतल परिवहन</b>	
87.	मुख्य पत्तन टैरिफ प्राधिकरण
<b>वस्त्र</b>	
88.	हैन्डलूम हाउस हैदराबाद
89.	हैन्डलूम हाउस विजाग
90.	हैन्डलूम निर्यात संवर्धन परिषद चैन्नई
91.	दक्षिण क्षेत्र वस्त्र अनुसंधान संगठन कोयमबटूर
<b>पर्यटन</b>	
92.	होटल प्रबंधन तथा खानपान संस्थान कोवलम्
93.	होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी और प्रायोगिक पोषण संस्थान चैन्नई
94.	होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी और प्रायोगिक पोषण संस्थान हैदराबाद

## परिशिष्ट -X

( पैराग्राफ 13.1 (iii) देखें)

1998-99 के दौरान स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्रम संख्या	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखा प्राप्त होने की तिथि
<b>( क ) तीन से छः माह से अधिक</b>		
1.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	29-11-99
2.	ओरोविल्ले प्रतिष्ठान, ओरोविल्ले	14-10-99
3.	केन्द्रीय बुद्धिष्ठ अध्ययन संस्थान लेह	8-10-99
4.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, बड़ोदरा	20-10-99
5.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	4-10-99
6.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	25-11-99
7.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	3-11-99
8.	उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	15-10-99
9.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	13-10-99
10.	राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	27-12-99
11..	तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास	23-12-99
12.	तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता	26-10-99
13.	विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपुर	4-10-99
14.	पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	2-11-99
15.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	29-11-99
16.	कॉफी बोर्ड सामान्य निधि, बंगलोर	6-10-99
17.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	3-11-99
18.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	26-10-99
19.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	8-11-99
<b>( ख ) छः माह से अधिक</b>		
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	21-2-2000
2.	गांधी समिति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	13-1-2000
3.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	28-1-2000
4.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, नई दिल्ली	2-2-2000
5.	नेहरू युवक केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	1-3-2000
6.	सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	7-1-2000
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	18-1-2000
8.	राष्ट्रीय हड्डी विकलांगता संस्थान, कलकत्ता	28-2-2000
9.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	13-6-2000
10.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	7-9-2000
11.	दक्षिण सांस्कृतिक केन्द्र, तन्जावुर	27-6-2000
12.	दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	19-7-2000
13.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबन्धन, ग्वालियर	3-2-2000
14.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कोजीकोड	3-7-2000
15.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	4-1-2000

## परिशिष्ट -XI

( पैराग्राफ 13.1(iii) देखें )

स्वायत्त निकायों द्वारा 1998-99 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत न करना

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
4.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, मुम्बई
5.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
6.	कॉफी बोर्ड सामूहिक निधि, बंगलौर
7.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
9.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	प्रसार भारती,* नई दिल्ली
11.	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली

\* भारतीय प्रसार भारती प्रसारण निगम ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कोई अनुदान/ऋण प्राप्त नहीं किये थे तथा निरन्तर मंत्रालय के बजट से भुगतान किया जा रहा था। इस प्रकार संसद को वर्ष 1998-99 के लिए प्रस्तुत करने हेतु पृ.ले.प्र. तैयार करना अपेक्षित नहीं है।

## परिशिष्ट - XII

(पैराग्राफ 13.3 देखें)  
बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(लाख रु. में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
कृषि एवं सहकारिता	1979-80	3	74.65
	1980-81	4	96.55
	1983-84	6	1.80
	1984-85	23	9.50
	1985-86	4	0.50
	1987-88	6	2.08
	1990-91	8	30.00
	1991-92	13	28.85
	1992-93	2	5.00
	1993-94	9	482.97
	1994-95	6	300.64
	1996-97	88	1026.93
	1997-98	132	3391.73
			<b>304</b>
अंडमान तथा निकोबार प्रशासन	1997-98	14	1291.35
		<b>14</b>	<b>1291.35</b>
परमाणु ऊर्जा	1985-86	1	1.50
	1988-89	2	2.96
	1989-90	2	0.57
	1991-92	1	2.51
	1992-93	3	1.82
	1994-95	3	2.22
	1995-96	3	2.07
	1996-97	19	17.68
	1997-98	43	60.86
		<b>77</b>	<b>92.19</b>
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	1997-98	4	0.35
		<b>4</b>	<b>0.35</b>
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण	1983-84	3	1.62
	1985-86	1	0.37
	1987-88	1	3.00
	1988-89	1	3.70
	1989-90	2	11.50
	1994-95	1	4.00
	1997-98	1	11.00
			<b>10</b>
रसायन एवं उर्वरक			
रसायन तथा पेट्रोरसायन	1995-96	2	0.17



मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1997-98	1	1.42
		<b>3</b>	<b>1.59</b>
पर्यावरण तथा वन	1981-82	15	5.79
(i) पर्यावरण	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	290	8909.92
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	549	194.23
	1990-91	70	123.30
	1991-92	91	1539.88
	1992-93	232	3026.11
	1993-94	64	74.18
	1994-95	142	1204.24
	1995-96	12	24.50
	1996-97	576	16139.78
	1997-98	721	10517.53
		<b>3570</b>	<b>45661.11</b>
(ii) महासागर विकास	1983-84	8	101.52
	1984-85	22	22.66
	1985-86	45	40.26
	1986-87	23	27.20
	1987-88	21	221.63
	1988-89	66	59.25
	1989-90	98	140.66
	1990-91	17	227.46
	1991-92	30	242.46
	1992-93	8	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	14	195.07
	1995-96	53	58.77
	1996-97	74	271.15
	1997-98	113	1805.93
		<b>608</b>	<b>3457.22</b>
विदेश मामले	1991-92	3	2.35
	1997-98	31	116.85
		<b>34</b>	<b>119.20</b>
वित्त	1996-97	1	35.00
आर्थिक मामले *		<b>1</b>	<b>35.00</b>
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले	1994-95	3	17.14
	1995-96	9	140.98
		<b>12</b>	<b>158.12</b>

\* बैंकिंग प्रभाग भु.ले.का., आपातकालीन जोखिम बीमा योजना एवं बैंकिंग के उपयोग प्रमाण पत्र शामिल नहीं हैं ।

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
खाद्य प्रक्रिया उद्योग	1988-89	1	0.50
	1990-91	1	4.19
	1991-92	6	65.08
	1992-93	21	190.91
	1993-94	27	158.38
	1994-95	35	210.05
	1995-96	51	605.27
	1996-97	56	858.33
	1997-98	63	1135.91
		<b>261</b>	<b>3228.62</b>
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1977-78	21	1.29
(i) स्वास्थ्य	1979-80	8	3.34
	1980-81	2	1.46
	1981-82	2	0.35
	1982-83	6	7.16
	1983-84	9	27.04
	1984-85	13	92.36
	1985-86	28	6.14
	1986-87	28	6.14
	1987-88	5	0.97
	1988-89	31	3.50
	1989-90	30	47.95
	1990-91	30	8.07
	1991-92	32	1.21
	1992-93	5	0.51
	1993-94	68	1981.29
	1994-95	138	4606.32
	1995-96	245	7520.45
	1996-97	259	5982.17
	1997-98	403	25936.22
		<b>1363</b>	<b>46233.94</b>
(ii) परिवार कल्याण	1981-82	4	29.46
	1982-83	4	2.85
	1986-87	8	14.28
	1987-88	7	18.93
	1989-90	12	63.40
	1990-91	8	13.00
	1991-92	2	14.57
	1992-93	2	7.79
	1993-94	60	225.92
	1994-95	229	243.08
	1995-96	405	2887.45
	1996-97	399	11254.98
	1997-98	299	9606.99
		<b>1439</b>	<b>24382.70</b>
गृह (i) भु.ले.का. (सचिवालय)	1990-91	1	0.10
		<b>1</b>	<b>0.10</b>
(ii) क्षे.भु.ले.का. (मु.वि. शिलांग)	1993-94	2	73.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1994-95	2	25.00
	1995-96	2	205.00
	1996-97	1	5.00
	1997-98	30	448.85
		<b>37</b>	<b>756.85</b>
<b>मानव संसाधन विकास</b>	1986-87	239	2079.00
(i) महिला एवं बाल विकास	1987-88	307	3390.00
	1988-89	473	2832.00
	1989-90	537	4877.00
	1990-91	603	7882.00
	1991-92	668	7485.00
	1992-93	802	11352.00
	1993-94	1040	10358.00
	1994-95	1165	16305.00
	1995-96	676	11465.00
	1996-97	1374	20817.00
	1997-98	965	13760.00
		<b>8849</b>	<b>112602.00</b>
(ii) युवा मामले एवं खेलकूद	1987-88	20	10.04
	1988-89	109	78.94
	1989-90	177	76.52
	1990-91	191	104.79
	1991-92	142	118.77
	1992-93	496	1209.47
	1993-94	490	3073.11
	1994-95	416	4650.85
	1995-96	453	2495.38
	1996-97	558	8822.86
	1997-98	416	9836.57
		<b>3468</b>	<b>30477.30</b>
(iii) शिक्षा	1977-78	52	97.00
	1978-79	191	127.00
	1979-80	189	126.00
	1980-81	52	104.00
	1981-82	52	163.00
	1982-83	99	171.00
	1983-84	111	232.00
	1984-85	204	422.00
	1985-86	382	1375.00
	1986-87	254	560.00
	1987-88	417	2630.00
	1988-89	555	2743.00
	1989-90	473	3362.00
	1990-91	146	584.00
	1991-92	255	1627.00
	1992-93	290	3842.00
	1993-94	457	5604.00
	1994-95	359	10569.00

2001 की रिपोर्ट सं.4 (सिविल)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1995-96	508	2230.00
	1996-97	709	123475.00
	1997-98	865	176136.00
		6620	336179.00
(iv) संस्कृति	1982-83	2	0.45
	1983-84	4	0.53
	1984-85	11	2.59
	1985-86	3	0.61
	1986-87	8	2.57
	1987-88	5	1.38
	1988-89	14	2.86
	1989-90	14	2.71
	1990-91	75	12.86
	1991-92	112	999.27
	1992-93	894	4195.44
	1993-94	868	7178.80
	1994-95	576	2993.47
	1995-96	607	6529.56
	1996-97	1014	6770.78
	1997-98	1065	9602.83
		5272	38296.71
उद्योग			
(i) औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1997-98	1	182.85
		1	182.85
(ii) लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	1993-94	3	8.76
	1994-95	3	5.36
	1996-97	7	42.19
	1997-98	15	752.70
		28	809.01
सूचना एवं प्रसारण	1982-83	1	4.22
	1983-84	2	3.37
	1995-96	1	600.00
	1996-97	1	279.50
		5	887.09
सूचना प्रौद्योगिकी	1992-93	46	119.00
	1993-94	53	150.00
	1994-95	71	880.00
	1995-96	83	2878.00
	1996-97	90	1115.00
	1997-98	153	5456.00
		496	10598.00
श्रम *	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	6	1.81

\* बाल श्रमिक कक्ष सम्मिलित नहीं है।

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1987-88	4	3.19
	1988-89	7	7.88
	1989-90	19	20.63
	1990-91	19	25.54
	1991-92	9	28.54
	1992-93	5	2.40
	1993-94	19	51.36
	1994-95	7	25.42
	1995-96	96	866.54
	1996-97	393	1980.75
	1997-98	56	476.52
		643	3490.72
<b>विधि, न्याय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय</b>			
(i) विधि मामले विभाग (एनएएलएसए)	1982-83	2	1.00
	1983-84	5	1.52
	1984-85	5	1.30
	1985-86	2	0.10
	1986-87	1	0.15
	1987-88	1	0.05
	1989-90	4	1.35
	1990-91	1	0.25
	1991-92	9	1.68
	1992-93	10	0.95
	1993-94	17	4.80
	1994-95	14	12.50
	1995-96	22	16.00
	1996-97	36	50.01
	1997-98	45	58.60
		174	150.26
(ii) विधि मामले विभाग (राज्य विधि सेवा प्राधिकरण)	1982-83	2	1.00
	1983-84	3	1.12
	1984-85	4	1.05
	1989-90	2	1.00
	1990-91	1	0.25
	1991-92	6	1.15
	1992-93	8	0.80
	1993-94	8	4.10
	1994-95	8	12.00
	1995-96	14	15.00
	1996-97	24	48.61
	1997-98	37	58.00
		117	144.08
(iii) विधि मामले विभाग (गै.स.सं.)	1983-84	2	0.40
	1984-85	1	0.25
	1985-86	2	0.10
	1986-87	1	0.15
	1987-88	1	0.05
	1989-90	2	0.35
	1991-92	3	0.53

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1992-93	2	0.15
	1993-94	9	0.70
	1994-95	6	0.50
	1995-96	8	1.00
	1996-97	12	1.40
	1997-98	8	0.60
		<b>57</b>	<b>6.18</b>
(iv) विधायी विभाग (ओ.एल.विंग)	1983-84	2	0.02
	1993-94	2	0.10
	1995-96	1	0.04
	1996-97	2	0.10
	1997-98	1	0.10
		<b>8</b>	<b>0.36</b>
खनन	1997-98	1	4.00
		<b>1</b>	<b>4.00</b>
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	1995-96	96	784.60
	1996-97	80	180.50
	1997-98	98	651.90
		<b>274</b>	<b>1617.00</b>
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन			
कार्मिक एवं प्रशिक्षण	1996-97	2	5.10
	1997-98	4	41.00
		<b>6</b>	<b>46.10</b>
योजना एवं सांख्यिकी			
	1990-91	9	10.81
योजना आयोग	1991-92	9	13.82
	1992-93	10	9.66
	1993-94	5	23.60
	1994-95	13	142.08
	1995-96	13	112.37
	1996-97	13	23.24
	1997-98	12	374.56
		<b>84</b>	<b>710.14</b>
ऊर्जा	1996-97	1	22.06
	1997-98	2	6.99
		<b>3</b>	<b>29.05</b>
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार			
ग्रामीण विकास	1997-98	14	1356.87
		<b>14</b>	<b>1356.87</b>
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1977-78	1	0.15
	1978-79	1	0.03
	1979-80	2	0.21
	1980-81	5	0.72
	1981-82	4	0.67
	1982-83	21	7.28
	1983-84	11	2.16
	1984-85	22	8.33

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1985-86	10	2.55
	1986-87	16	5.65
	1987-88	12	5.45
	1988-89	6	4.85
	1989-90	4	3.18
	1990-91	7	7.84
	1991-92	5	2.48
	1992-93	5	7.17
	1993-94	20	25.51
	1994-95	20	46.55
	1995-96	17	80.12
	1996-97	40	113.49
	1997-98	70	451.25
		<b>300</b>	<b>775.69</b>
भूतल परिवहन	1997-98	14	18.00
		<b>14</b>	<b>18.00</b>
वस्त्र			
विकास आयुक्त, हथकरघा, दिल्ली	1978-79	9	52.50
	1979-80	6	18.64
	1980-81	3	4.63
	1982-83	6	5.93
	1983-84	2	0.51
	1984-85	4	6.24
	1985-86	9	9.48
	1986-87	4	3.08
	1987-88	5	7.69
	1988-89	1	0.93
	1989-90	6	8.10
	1990-91	6	24.40
	1991-92	9	47.24
	1992-93	29	65.65
	1993-94	49	232.65
	1994-95	64	146.14
	1995-96	124	504.09
	1996-97	123	500.38
	1997-98	179	579.58
		<b>638</b>	<b>2217.86</b>
पर्यटन	1996-97	6	36.95
	1997-98	11	232.34
		<b>17</b>	<b>269.29</b>
शहरी मामले तथा रोजगार	1981-82	4	3.31
	1982-83	7	4.40
	1983-84	11	9.35
	1984-85	8	10.57

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 1998 तक)	मार्च 1998 तक जारी किये गये अनुदानों के लिए बकाया प्रमाण पत्र, जो कि मार्च 2000 के अन्त में सितम्बर 1999 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1985-86	20	17.15
	1986-87	7	5.36
	1987-88	7	10.20
	1988-89	13	5.35
	1989-90	23	40.87
	1990-91	27	1227.99
	1991-92	11	3012.14
	1992-93	31	435.74
	1993-94	73	5923.00
	1994-95	88	2521.00
	1995-96	72	2998.74
	1996-97	48	6258.49
	1997-98	63	9134.94
		<b>513</b>	<b>31618.60</b>
<b>जल संसाधन</b>	1985-86	1	1.27
	1986-87	3	27.01
	1987-88	5	12.40
	1988-89	4	9.55
	1989-90	8	12.11
	1990-91	5	14.22
	1991-92	1	13.84
	1992-93	1	0.92
	1993-94	1	0.25
	1994-95	1	20.23
	1995-96	9	53.58
	1996-97	1	9.97
	1997-98	10	30.09
		<b>50</b>	<b>205.44</b>
<b>कुल योग</b>		<b>35390</b>	<b>703596.33</b>